शिक्षा निदेशालय

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

सहायक सामग्री

(2021–2022)

कक्षा : ग्यारहवीं

राजनीति विज्ञान

मार्गदर्शन:

श्री एच. राजेश प्रसाद

सचिव (शिक्षा)

श्री उदित प्रकाश राय

निदेशक (शिक्षा)

डॉ. रीता शर्मा

अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (स्कूल एवं परीक्षा)

समन्वयक:

श्री संजय सुभास कुमार
उप शिक्षा निदेशक (परीक्षा)

श्रीमती सुनीता दुआ
विशेष कार्याधिकारी (परीक्षा)

श्री राजकुमार
विशेष कार्याधिकारी (परीक्षा)

श्री कृष्ण कुमार
विशेष कार्याधिकारी (परीक्षा)

उत्पादन मंडल

अनिल कुमार शर्मा

दिल्ली पाठ्य पुस्तक ब्यूरो में **प्रभजोत सिंह**, सचिव, दिल्ली पाठ्य पुस्तक ब्यूरो, 25/2, पंखा रोड, संस्थानीय क्षेत्र, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित तथा मैसर्स अरिहन्त ऑफसेट, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

H. RAJESH PRASAD
IAS

प्रधान सचिव (शिक्षा)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054
दूरभाष: 23890187 टेलीफैक्स : 23890119

Pr. Secretary (Education)
Government of National Capital Territory of Delhi
Old Secretariat, Delhi-110054
Phone : 23890187, Telefax : 23890119
E-mail : secyedu@nic.in

MESSAGE

I would like to congratulate the members of Core Academic Unit and the subject experts of the Directorate of Education, who inspite of dire situation due to Corona Pandemic, have provided their valuable contributions and support in preparing the Support Material for classes IX to XII.

The Support Material of different subjects, like previous years, have been reviewed/ updated in accordance with the latest changes made by CBSE so that the students of classes IX to XII can update and equip themselves with these changes. I feel that the consistent use of the Support Material will definitely help the students and teachers to enrich their potential and capabilities.

Department of Education has taken initiative to impart education to all its students through online mode, despite the emergency of Corona Pandemic which has led the world to an unprecedented health crises. This initiative has not only helped the students to overcome their stress and anxiety but also assisted them to continue their education in absence of formal education. The support material will ensure an uninterrupted learning while supplementing the Online Classes.

(H. Rajesh Prasad)

UDIT PRAKASH RAI, IAS
Director, Education & Sports

सत्यमेव जयते

Directorate of Education
Govt. of NCT of Delhi
Room No. 12, Civil Lines
Near Vidhan Sabha,
Delhi-110054
Ph.: 011-23890172
Mob.: 8700603939
E-mail : diredu@nic.in

MESSAGE

The main objective of the Directorate of Education is to provide quality education to all its students. Focusing on this objective, the Directorate is continuously in the endeavor to make available the best education material, for enriching and elevating the educational standard of its students. The expert faculty of various subjects undertook this responsibility and after deep discussions and persistent efforts, came up with Support Material to serve the purpose.

Every year the Support Material is revised/updated to incorporate the latest changes made by CBSE in the syllabus of classes IX to XII. The contents of each lesson/chapter are explained in such a way that the students can easily comprehend the concept and get their doubts solved.

I am sure, that the continuous and conscientious use of this Support Material will lead to enhancement in the educational standard of the students, which would definitely be reflected in their performance.

I would also like to commend the entire team members for their contributions in the preparation of this incomparable material.

I wish all the students a bright future.

(UDIT PRAKASH RAI)

Dr. RITA SHARMA
Additional Director of Education
(School/Exam)

सत्यमेव जयते

Govt. of NCT of Delhi
Directorate of Education
Old Secretariat, Delhi-110054
Ph.: 23890185

D.O. No. PA/Addl.DE/Sch/31
Dated: 29.06.2021

MESSAGE

It gives me immense pleasure to present the revised edition of the Support Material. This material is the outcome of the tireless efforts of the subject experts, who have prepared it following profound study and extensive deliberations. It has been prepared keeping in mind the diverse educational level of the students and is in accordance with the most recent changes made by the Central Board of Secondary Education.

Each lesson/chapter, in the support material, has been explained in such a manner that students will not only be able to comprehend it on their own but also be able to find solution to their problems. At the end of each lesson/chapter, ample practice exercises have been given. The proper and consistent use of the support material will enable the students to attempt these exercises effectively and confidently. I am sure that students will take full advantage of this support material.

Before concluding my words, I would like to appreciate all the team members for their valuable contributions in preparing this unmatched material and also wish all the students a bright future.

(Rita Sharma)

भारत का संविधान

भाग 4क

नागरिकों के मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51क

मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके; और

(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

CONSTITUTION OF INDIA

Part IV A (Article 51 A)

Fundamental Duties

Fundamental Duties : It shall be the duty of every citizen of India —

1. to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
2. to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
3. to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
4. to defend the country and render national service when called upon to do so;
5. to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
6. to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
7. to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures.
8. to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
9. to safeguard public property and to adjure violence;
10. to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement.
11. who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1][**संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य**] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में**

व्यक्ति की गरिमा और [2][**राष्ट्र की एकता**

और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

---

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''राष्ट्र की एकता'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a [1]**[SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC]** and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the [2][unity and integrity of the Nation];

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949 do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Sovereign Democratic Republic" (w.e.f. 3.1.1977)
2. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Unity of the Nation" (w.e.f. 3.1.1977)

शिक्षा निदेशालय

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

सहायक सामग्री

(2021-2022)

राजनीति विज्ञान

कक्षा : ग्यारहवीं

निःशुल्क वितरण हेतु

दिल्ली पाठ्य-पुस्तक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित

SUPPORT MATERIAL

POLITICAL SCIENCE

Class XI (2021-22)

1.	Ms. Renu Kashyap	Vice Principal	RPVV, Kishan Ganj
2.	Ms. Nishi Prabha	Lecturer	RPVV, Nand Nagri
3.	Mr. Prem Kumar	Lecturer	RPVV, Sector-10, Dwarka
4.	Ms. Dr. Alpna Singhal	Lecturer	SOE, Dwarka
5.	Ram Swroop Meena	Lecturer	RPVV, Karol Bagh

विषय–सूची

		पेज नं.
I.	**CBSE Syllabus**	**xvii**
	Course Content	xviii
	Question Paper Design (प्रश्नपत्र प्रारूप)	xx
	आवधिक पाठ्यक्रम	xxiii
II.	**भारतीय संविधान : सिद्धांत और व्यवहार**	
	1. संविधान क्यों और कैसे, संविधान का राजनीतिक दर्शन, संविधान एक जीवंत दस्तावेज	1
	2. भारतीय संविधान में अधिकार	29
	3. चुनाव और प्रतिनिधित्व	46
	4. कार्यपालिका	59
	5. विधायिका	78
	6. न्यायपालिका	95
	7. संघवाद	109
	8. स्थानीय शासन	120
III.	**राजनीतिक सिद्धांत**	
	9. राजनीतिक सिद्धांत	133
	10. स्वतंत्रता	141
	11. समानता	154

12. सामाजिक न्याय 164

13. अधिकार 177

14. नागरिकता 190

15. राष्ट्रवाद 203

16. धर्म निरपेक्षता 214

17. शांति 225

18. विकास 233

IV. प्रैक्टिस पेपर

अभ्यास प्रश्न पत्र–I (उत्तर सहित) 242

अभ्यास प्रश्न पत्र–II (उत्तर सहित) 254

अभ्यास प्रश्न पत्र–III (उत्तर सहित) 261

अभ्यास प्रश्न पत्र–IV 271

CBSE SYLLABUS

Political Science (Code No. 028)

Class-XI (2021-22)

A. Theory

Units		Periods: 220	Marks: 80
	Part A : Indian Constitution at work		
1.	Constitution : Why and how, Philosophy of the constitution, Constitution as a living document	26	10+6=16
2.	Rights and Duties in the Indian Constitution	18	
3.	Election and Representation	11	8
4.	The Executive	11	
5.	The Legislature	11	8
6.	The Judiciary	11	
7.	Federalism	11	8
8.	Local Governments	11	
	Total	**110**	**40**
	Part B : Political Theory		
9.	Political Theory: An Introduction	10	8
10.	Freedom	11	
11.	Equality	11	8
12.	Social Justice	12	
13.	Rights	11	8
14.	Citizenship	11	
15.	Nationalism	11	8
16.	Secularism	11	
17.	Peace	11	8
18.	Development	11	
	Total	**110**	**40**

B : Project Work : 20 Marks

Grand Total = 100

COURSE CONTENT

Part A : Indian Constitution at work

1. **Constitution : Why and How and Philosophy of the Constitution (26 Periods)**

   Constitution: Why and How, The making of the Constitution, the Constituent Assembly, Procedural achievements and Philosophy of the Constitution. **Constitution as a Living Document.**

   Are Constitutions static? The procedure to amend the Constitution. Why have there been so many amendments? Basic Structure and Evolution of the Constitution. Constitution as Living Document.

2. **Rights and Duties in the Indian Constitution (18 Periods)**

   The importance of Right, Fundamental Rights in the Indian Constitution, Directive Principles of State Policy, Relationship between Fundamental Rights and Directive Principles.

3. **Election and Representation (11 Periods)**

   Elections and Democracy, Election System in India, Reservation of Constitutencies, Free and Fair Election, Electoral Reforms.

4. **Legislature (11 Periods)**

   Why do we need a Parliament? Two Houses of Parliament. Functions and Power of the Parliament, Legislative functions, control over Executive. Parliamentary committees. Self-regulation.

5. **Executive (11 Periods)**

   What is an Executive? Different types of Executive. Parliamentary Executive in India, Prime Minister and Council of Ministers. Permanent Executive : Bureaucracy.

6. **Judiciary (11 Periods)**

   Why do we need an Independent Judiciary? Structure of the Judiciary, Judicial Activism, Judiciary and Rights, Judiciary and Parliament.

7. **Federalism (11 Periods)**

   What is Federalism? Federlism in the India Constitution, Federalism with a strong Central Government, conflicts in India's federal system, Special Provisions.

8. Local Governments (11 Periods)

Why do we need Local Governments? Growth of Local Government in India, 73rd and 74th Amendments, implementation of 73rd and 74th Amendments.

<u>Part B : Political Theory</u>

9. Political Theory : An Introduction (10 Periods)

What is politics? What do we study in Political Theory? Putting Political Theory to practice. Why should we study Political Theory?

10. Freedom (11 Periods)

The Ideal of Freedom. What is Freedom? Why do we need constraints? Harm Principle. Negative and Positive Liberty.

11. Equality (11 Periods)

Significance of Equality. What is Equality? Various dimensions of Equality. How can we promote Equality?

12. Justice with special reference to Social Justice (12 Periods)

What is Justice? Just Distribution. Justice as fairness. Pursuing Social Justice.

13. Rights (11 Periods)

What are Rights? Where do Rights come from? Legal Rights and the State. Kinds of Rights. Rights and Responsibilities.

14. Citizenship (11 Periods)

What is citizenship? Citizen and Nation, Universal Citizenship, Global Citizenship.

15. Nationalism (11 Periods)

Nations and Nationalism, National Sefl-determination, Nationalism and Pluralism.

16. Secularism (11 Periods)

What is Secularism, What is Secular State? The Western and the Indian approaches to Secularism. Criticims and Rationale of Indian Secularism.

17. Peace (11 Periods)

What is Peace? Can violence ever promote peace? Peace and the State. Different Approaches to the pursuit of peace. Contemporary challenges to peace.

18. Development (11 Periods)

What is development? Dominant, development model and alternative conceptions of development.

QUESTION PAPER DESIGN

- **Very Short Answer (1 Mark)**
  Remembering : 6
  Understanding : 2
  Application : 7
  Analyzing : 4
  Evaluation : 1
  (1 × 20 = 20)
- **Very Short Answer (2 Marks)**
  Remembering : 1
  Understanding : 0
  Application : 1
  Analyzing : 1
  Evaluation : 0
  (2 × 3 = 6)
- **Short Answer (4 Marks)**
  Remembering : 1
  Understanding : 1
  Application : 0
  Analyzing : 1
  Evaluation : 0
  (4 × 4 = 16)
- **Long Answer based on Passage (5 Marks)**
  Remembering : 0
  Understanding : 1
  Application : 1
  Analyzing : 1
  Evaluation : 0
  Creating : 1
  (5 × 1 = 5)

- **Long Answer (6 Marks)**
  Remembering : 1
  Understanding : 1
  Application : 1
  Analyzing : 0
  Evaluation : 0
  (6 × 3 = 18)

1. Weightage of Difficulty Level

Difficulty : 20 %
Average : 50%
Easy : 30%

2. Project Work : 20 Marks

Details of Project Work

(i) The Project work will be implemented in Class XI from the session i.e. 2019-20.

(ii) Out of 20 marks, 10 marks are to be allotted to viva voce and 10 marks for project work.

(iii) For Class XI, only internal assessment is to be done.

(iv) The project can be individual/pair/group of 4-5 each. The Project can be made on any of the topics given in the syllabus of a particular Class.

(iv) The suggestive list of activities for project work is as follows :
Role Play, Skit, Presentation, Model, Field Survey, Mock Drills,/Mock Event etc.

(vi) The teacher should give enough time for preparation of the Project Work. The topics for Project taken up by the student must be discussed by the teacher in classroom.

5. Scheme of Options :

There is internal choice for long answer questions of 6 marks.
There are three passage – based questions of 5 marks each.
No questions from plus (+) boxes.

6. In order to assess different mental abilities of learners, question paper is likely to include questions based on passages, visuals such as maps, cartoons, etc. No factual question will be asked on the information given in the plus (+) boxes in the textbooks.

QUESTION PAPER DESIGN (2021-22)

POLITICAL SCIENCE **Code No. 028** **CLASS-XI**

TIME: 3 Hours **Max.Marks: 80**

S.No.	Typology of Questions	Learning Outcomes and Testing Skills	Very Short Answer (1 Mark)	Very Short Answer (2 Marks)	Short Answer (4 Marks)	Long Answer-I (5 Marks) based on Passages	Map Ques. Picture based Inter-pretation (5 Marks)	Long Answer-II (6 Marks)	Marks
1	**Remembering :** Knowledge based Simple recall (questions, to know specific facts, terms, concepts, principles, or theories, Identify, define, or recite, information)	Reasoning Analytical Skills Critical Thinking	6	1	1	–	–	1	18
2	**Understanding-** (Comprehension- to be familiar with meaning and to understand conceptually, interpret, compare, contrast, explain, paraphrase information)		2	–	1	1	–	1	17
3	**Application -** (Use abstract information in concrete situation, to apply knowledge to new situations; Use given content to interpret a situation, provide an example, or solve a problem)		7	1	–	1	–	1	20
4	**High Order Thinking Skills -** (Analysis & Synthesis-Classify, compare, contrast, or different pieces of information; Organize and/or integrate unique pieces of information from a variety of sources) (includes Map interpretation)		4	1	1	1	–	–	15
5	**Evaluation-** (Appraise judge, and/or justify the value or worth of a decision or outcome, or to predict outcomes)		1	-	1	–	1	–	10
	Total		1×20=20	2×3=6	4×4=16	5×3=15	5×1=5	6×3=18	80

1. **Weightage of Difficulty Level**

Estimated difficulty level	**Percentage**
Difficult	20%
Average	50%
Easy	30%

आवधिक पाठ्यक्रम 2021-22

कक्षा - XI

विषय : राजनीति विज्ञान

प्रथम आवधिक (जुलाई 2021 से सितम्बर 2021)	
भारत का संविधान : सिद्धांत और व्यवहार	**परियोजना कार्य** **अध्याय-1 : संविधान क्यों और कैसे?** हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? भारतीय संविधान कैसे बना? संविधान सभा का स्वरूप। **भाग-1 संविधान का राजनीतिक दर्शन** संविधान के दर्शन का आशय, प्रक्रियागत उपलब्धियाँ और हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन। **भाग-2 संविधान एक जीवंत दस्तावेज़** क्या संविधान स्थिर है? संविधान में संशोधन का तरीका। विभिन्न संशोधन की आवश्यकता क्यों? मूल ढांचा और संविधान का विकास। संविधान एक जीवंत दस्तावेज़। **अध्याय-2 : भारतीय संविधान में अधिकार और कर्त्तव्य** संविधान में अधिकारों का महत्व, संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्त्तव्य, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में संबंध। **अध्याय-3 : चुनाव और प्रतिनिधित्व** चुनाव और लोकतंत्र, भारत में चुनाव व्यवस्था, सीटों के आरक्षण की व्यवस्था, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, निर्वाचन सुधार। **अध्याय-4 : कार्यपालिका** कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका के प्रकार, भारत में संसदीय प्रणाली क्यों अपनाई गई? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद्। स्थायी कार्यपालिका : नौकरशाही। **अध्याय-5 : विधायिका** संसद की आवश्यकता क्यों होती है? संसद के दो सदन। संसद के कार्य और शक्तियाँ। कार्यपालिका पर नियंत्रण। संसदीय समितियाँ।

	अध्याय-6 : न्यायपालिका हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों होती है? न्यायपालिका की संरचना। न्यायिक सक्रियता। न्यायपालिका और अधिकार, न्यायपालिका और संसद। **अध्याय-7 और अध्याय-8 द्वितीय आवधिक में पढ़ाये जायेंगे।**
	पुनरावृत्ति **मध्यावधि परीक्षा** **प्रश्न पत्र पर चर्चा**
	द्वितीय आवधिक (अक्टूबर 2021 से जनवरी 2022)
भारत का संविधानः सिद्धांत और व्यवहार	**परियोजना कार्य** **अध्याय-7 : संघवाद** संघवाद क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तथा पश्चात भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था। शक्तियों का विविध राज्यों में विभाजन, केन्द्र व राज्य संबंध, नवीन राज्यों की माँग। भारत में शक्तिशाली केन्द्र और क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान। **अध्याय-8 : स्थानीय शासन** स्थानीय शासन का अर्थ व आवश्यकता, भारत में स्थानीय शासन का विकास, स्थानीय शासन की मूल विशेषताँए। स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के प्रभाव, 73वें और 74वें संविधान का लागू होना।
राजनीतिक सिद्धांत	**अध्याय-1 : राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय** राजनीति क्या है? राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना, हम राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन क्यों करते हैं? **अध्याय-2 : स्वतंत्रता** स्वंतंत्रता का अर्थ, नकारात्मक व सकारात्मक स्वतंत्रता। हानि सिद्धांत, स्वसंबंद्ध और परसंबंद्ध कार्यों में अंतर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। **अध्याय-3 : समानता** समानता का अर्थ, प्राकृतिक व सामाजिक असमानताएँ, समानता के प्रकार। हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते है?

	अध्याय-4 : सामाजिक न्याय न्याय क्या है? समानुपातिक न्याय, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल, न्यायपूर्ण बँटवारा, जॉन रॉल्स का सिद्धान्त सामाजिक न्याय का अनुसरण, मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। **अध्याय-5 : अधिकार** अधिकार का अर्थ, अधिकारों के प्रकार, व्यक्तिगत व सामाजिक अधिकारों को समझना व उनके बीच विवादों को सुलझाना। अधिकार और जिम्मेदारियाँ। **अध्याय-6 : नागरिकता** नागरिकता का अर्थ, इकहरी व दोहरी नागरिकता, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के तार्किक आधार, विश्व नागरिकता। **अध्याय-7 : राष्ट्रवाद** राष्ट्रवाद की अवधारणा, विशेषताएँ, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, राष्ट्रवाद व बहुलवाद। **अध्याय-8 : धर्मनिरपेक्षता** धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता का यूरोपिय व भारतीय मॉडल, धर्मों के बीच वर्चस्ववाद, धर्म के अंदर वर्चस्व। **अध्याय-9 : शांति** शांति क्या है? शांति और राजसता, समकालीन चुनौतियाँ, संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप शांति कायम करने के विभिन्न तरीके। **अध्याय-10 : विकास** विकासि का अर्थ, विकास की चुनौतियाँ, विकास के मॉडल, विकास की वैकल्पिक अवधारणा, लोकतांत्रिक सहभागिता, विकास के मॉडल की आलोचनाएँ। **नोट : अपठित गद्यांश, मानचित्र और कार्टून पर आधारित प्रश्नों की तैयारी सम्पूर्ण पाठ्यक्रम से किया जाना अपेक्षित है।** **परियोजना कार्य के मूल्यांकन के लिए मौखिक परीक्षा की तैयारी**
	फरवरी 2022 से मार्च 2022
	सहायक सामग्री से सभी अध्यायों की पुनरावृत्ति। वार्षिक परीक्षा। परीक्षा परिणाम की तैयारी।

अध्याय–1

संविधान

अध्याय के मुख्य बिन्दुः

संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता संविधान का निर्माण, संविधान का स्वरूप, भारतीय संविधान स्रोत, संविधान का राजनीतिक दर्शन, संविधान की विशेषताएं, व्यक्तिगत उपलब्धि।

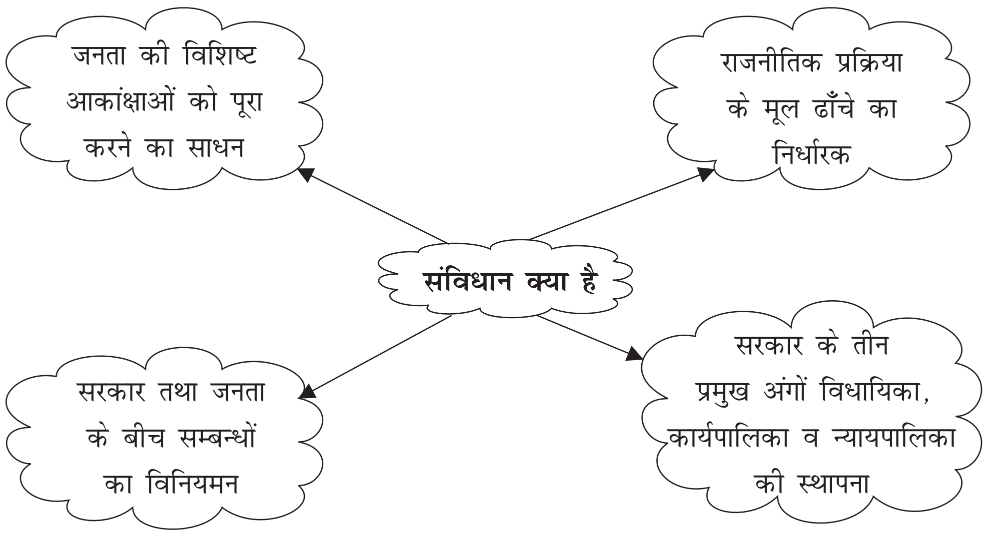

संविधान की आवश्यकताः–

- मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है। इन समुदायों में तालमेल बैठाने के लिए संविधान जरूरी है।
- संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध करवाता है।
- संविधान यह भी तय करता है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी।
- संविधान सरकार निर्माण के नियमों एवं उपनियमों तथा उसकी शक्तियों एवं सीमाओं को तय करता है।
- एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान जरूरी है।

भारतीय संविधान सभा का निर्माणः—

- जुलाई 1945 में इंग्लैण्ड में नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई, तब भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खुला। वायसराय लार्ड वेवल ने इसकी पुष्टि की।
- कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार—संविधान निर्माण—निकाय की सदस्य संख्या—389 निर्धारित की गई। जिनमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गर्वनरों के अधीन ग्यारह प्रांतो से, 04 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरों के चार प्रांतों (दिल्ली, अजमेर—मारवाड, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान) से और 93 प्रतिनिधि—भारतीय रियासतों से लिए जाने थे।
- ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा मे स्थान दिए गए। (10 लाख लोगों पर एक स्थान)
- प्रत्येक प्रांत की सीटों को तीन प्रमुख समुदायों— मुसलमान, सिख एवं सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया।
- 3 जून, 1947, मांउटबेटन योजना के अनुसार भारत—पाकिस्तान विभाजन तय हुआ, परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य—संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे और भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्य संख्या 299 रह गई।

संविधान सभा का गठनः—

- संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन—दिन—सोमवार, 09 दिसम्बर 1946 को प्रातः ग्यारह बजे हुआ।
- 9 दिसम्बर 1946 को डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा 11 दिसम्बर 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। वही संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर को चुना गया।
- 13 दिसम्बर 1946 को पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का 'उद्देश्य प्रस्ताव' प्रस्तुत किया। इसमें भारत के भावी प्रभुत्ता—सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया।
- 26 नवम्बर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं।

– संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा तथा कुल 166 बैठकें हुई।
– 26 नवम्बर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से लागू कर दिया गया।

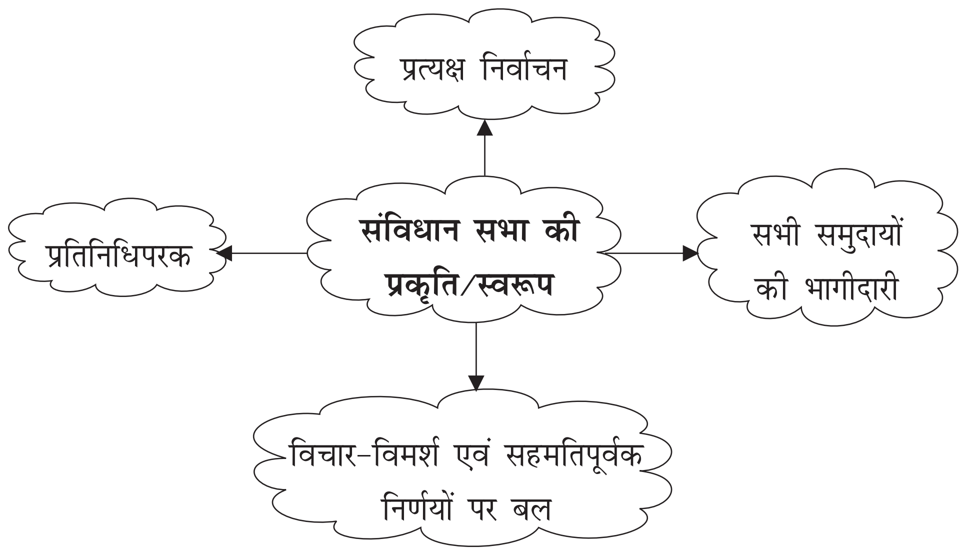

भारतीय संविधान के स्रोतः–

– संविधान का लगभग 75 प्रतिशत अंश भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था।
– 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट में 10 मूल मानव अधिकारों को शामिल किया गया।
– अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली से भी कुछ बातें भारत के संविधान में समाहित की गई जैसे :–

(क) ब्रिटिश संविधानः

(i) सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला।

(ii) सरकार का संसदीय स्वरूप।

(iii) कानून के शासन का विचार।

(iv) विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी – कानून निर्माण की विधि।

(ख) अमेरिका का संविधान:

(i) मौलिक अधिकारों की सूची। संविधान की प्रस्तावना

(ii) न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। उप राष्ट्रपति का पद

(ग) आयरलैंड का संविधान:

(i) राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान

(घ) फ्रांस का संविधान:

(i) स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का सिद्धान्त।

(ङ.) कनाडा का संविधान:

(i) एक अर्द्ध–संघात्मक सरकार का स्वरूप (सशक्त केन्द्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था)।

(ii) अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धान्त।

इसलिए भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। दूसरी तरफ भारत के संविधान को पुष्प गुच्छ (Bouquet) भी कहा जाता है जिसमें विभिन्न देशो से लिए गए सिद्धान्त रुपी पुष्प शामिल है।

अध्याय 1, भाग – 1

संविधान का राजनीतिक दर्शन

संविधान का राजनीतिक दर्शनः–

– संविधान के दर्शन से अभिप्राय संविधान की बुनियादी अवधारणाओं से है जैसे अधिकार, नागरिकता, लोकतंत्र आदि।

– संविधान में निहित आदर्श जैसे समानता, स्वतंत्रता हमें संविधान के दर्शन करवाते हैं।

– हमारा संविधान इस बात पर जोर देता है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए तथा उन मूल्यों को जिन पर नीतियां बनी हैं, इन नैतिक बुनियादी अवधारणाओं पर चल कर उद्देश्य प्राप्त करें।

संविधान का मुख्य सार– संविधान की प्रस्तावना
प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है

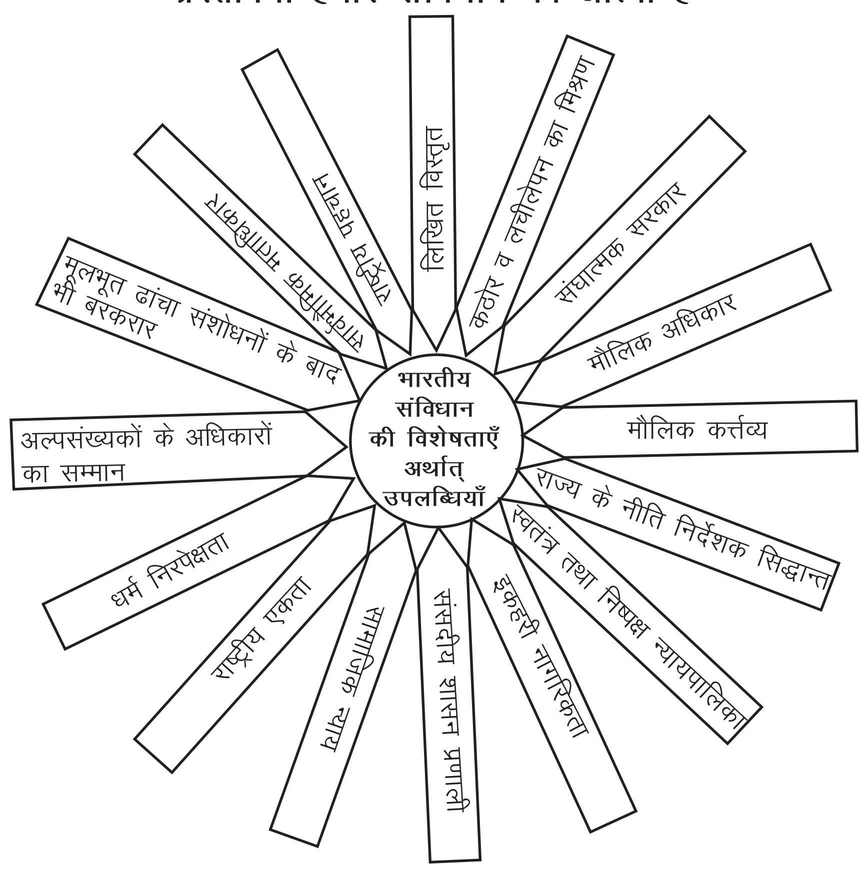

जवाहर लाल नेहरू के अनुसार–''भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊँच नीच के बंधनों को तोड़ने और स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के नए युग में प्रवेश के लिए हुआ। यह कमजोर लोगों को उनका वाजिब हक सामुदायिक रूप में हासिल करने की ताकत देता है।''

संविधान की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया गया है जैसेः–

- **स्वतंत्रता**
- **सामाजिक न्याय**
- **अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान**
- **धर्म–निरपेक्षता**
- **सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार**
- **संघवाद आदि**

प्रक्रियागत उपलब्धिः–

- संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार विमर्श से है। संविधान सभा असहमति को भी सकारात्मक रूप से देखती है।
- संविधान सभा किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत से नहीं, सबकी अनुमति से लेना चाहते थी। वे समझौतों को महत्व देते थे। (शिक्षक कक्षा में बहुमत व सर्वे अनुमति को स्पष्ट करेंगे।)

  संविधान सभा जिन बातों पर अडिग रही वही हमारे संविधान को विशेष बनाती है।

संविधान की आलोचना के बिंदुः–

- बहुत लंबा तथा विस्तृत–448 अनुच्छेद, 22 भाग 8 अनुसूचियाँ।
- पश्चिमी देशों के संविधानों से इसके प्रावधान लिए गए हैं।
- संविधान के निर्माण में सभी समूहों के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे।

संविधान में दिखने वाली मुख्य सीमाएँः–

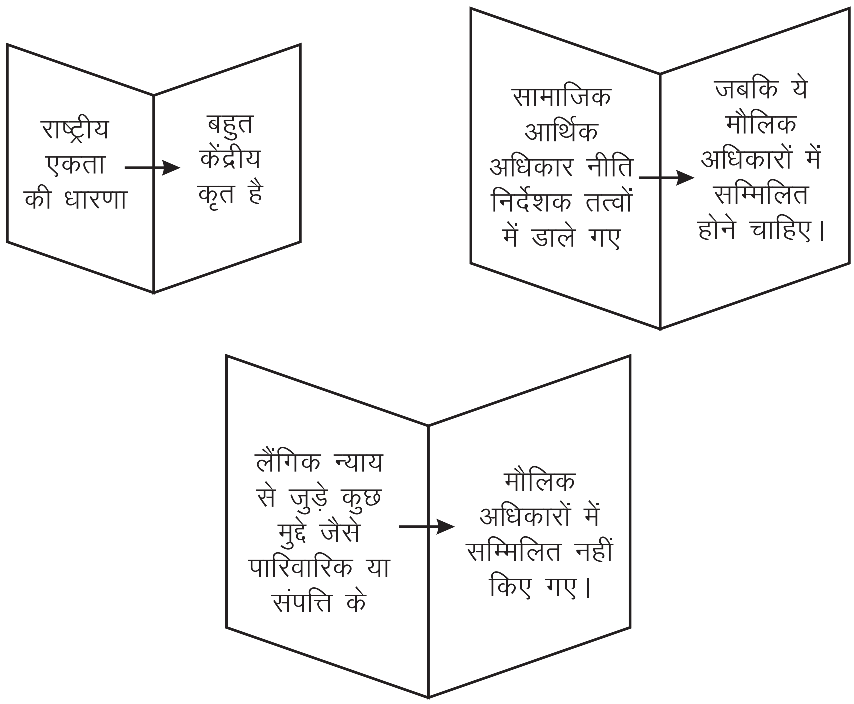

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्नः–

1. भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे।

   (a) डॉक्टर अंबेडकर (b) राजेंद्र प्रसाद

   (c) पंडित जवाहरलाल नेहरू (d) सरदार वल्लभभाई पटेल

2. कठोर संविधान से आप क्या समझते हैं?

   (a) जिसमें आसानी से संशोधन हो सकते हैं

   (b) जनता के निर्णयों पर आधारित।

   (c) जिसमें सरलतापूर्वक संशोधन नहीं हो सकते

   (d) इनमें से कोई नहीं

3. अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान सभा पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए?

(a) 284 सदस्यों ने (b) 288 सदस्यों ने

(c) 290 सदस्यों ने (d) 294 सदस्यों ने

4. भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनूसूचियां है?

(a) 8 (b) 10

(c) 11 (d) 12

5. मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया?

(a) ब्रिटेन (b) संयुक्त राज्य अमेरिका

(c) आयरलैंड (d) जापान

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।

6. क्रिप्स मिशन .... वर्ष भारत आया।

7. सोवियत संघ के संविधान में निर्णय का अधिकार .... दिया गया।

8. संविधान सभा का निर्वाचन .... द्वारा किया गया।

9. संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव .... ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया।

10. भारतीय संविधान .... को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मर्पित किया।

निम्नलिखित कथन को सही करके लिखें।

11. समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय तथा विकास स्थापित करना संविधान सभा का कार्य है।

12. मौलिक अधिकारों का प्रावधान ग्रेट से लिया गया।

निम्नलिखित कथन बताएं कि सही है या गलत।

13. भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला होता है।

14. कानून के शासन का अभिप्राय है सभी व्यक्ति कानून की नजर में समान है तथा कानून सभी पर समान रूप से लागू नहीं होगा।

15. भारतीय संविधान सभा का निर्माण माउंटबेटन के फलस्वरूप हुआ।

16. भारतीय संविधान सभा प्रतिनिधि पर नहीं थी।

अति संक्षिप्त प्रश्न

17. संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है?
18. क्रिप्स मिशन ने भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा था?
19. हमारा संविधान किसके प्रति प्रतिबद्ध है?
20. भारत में राज्य को धर्म के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की आवश्यकता क्या हैं?
21. किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है।
22. पारस्परिक निषेध का क्या अर्थ है?
23. अनुच्छेद 371 ए क्या है?
24. किसने 19वीं सदी के शुरूआती समय में ही प्रेस ही आजादी पर प्रतिबंध का विरोध किया था?
25. मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में मताधिकार के बारे में क्या सुझाव दिया गया था?
26. भारतीय संविधान सभा के स्थाई अध्यक्ष कौन थे?
27. भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा?
28. फ्रांस के संविधान में भारतीय संविधान में किन प्रावधानों को अंगीकृत किया गया?
29. सुमेलित करें।

ब्रिटेन का संविधान	मूल अधिकार
कनाड़ा का संविधान	कानून का शासन
आयरलैण्ड का संविधान	अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धान्त
अमेरिका का संविधान	नीति निर्देशक तत्व

दो अंकीय प्रश्नः–

1. 'संविधान' क्यों महत्वपूर्ण है?
2. यदि संविधान में मूलभूत कानूनों / नियमों का अभाव होता तो क्या होता?
3. संविधान के दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए।
4. ''संविधान समाज की सामूहिक भलाई करने वाला स्रोत है।'' उपर्युक्त कथन को दक्षिण–अफ्रीका एवं इंडोनेशिया के संदर्भ मे समझाइए।

5. भारतीय संविधान की आलोचनाओं का उल्लेख करो।
6. अनुसूचित जाति और जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए संविधान में कौन से उपाय किए गए हैं?
7. भारतीय संविधान की क्या सीमाएं है?
8. संविधान राज्य पर कैसे अंकुश लगाता है?
9. भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्त्तव्य लिखो।
10. संविधान के राजनीतिक दर्शन से आप क्या समझते है?
11. सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार क्या है और उसे एक उपलब्धि क्यों माना जाता है?
12. भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा तथा कुल कितनी बैठकें हुई?
13. संविधान सभा की प्रारूप समिति के गठन को संक्षेप में समझाइए।

चार अंकीय प्रश्नः—

संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। संविधान इस प्रश्न का भी उत्तर देता है कि वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करेगा। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की सीमा भी तय करता है। एक सभ्य समाज के लिए एक संविधान आवश्यक है। संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धातों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं।

1. संविधान से आप क्या समझते हैं?
2. संविधान में कानून निर्माण की शक्ति किसे प्रदान की गई हैं?
3. किसके माध्यम से समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है?
4. भारत का संविधान कब बना?

भारतीय संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार था। जहां प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी सभा के लिए वांछनीय है कि उसमें सभी वर्गों की सहभागिता हो। वही यह भी आवश्यक है कि वे केवल अपनी पहचान या समुदाय

का ही प्रतिनिधित्व नहीं करें। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। संविधान सभा की असली ताकत ऐसी बातें थी कि वह सार्वजनिक हित का काम कर रही थी और इसके सदस्यों ने चर्चा तथा तर्कपूर्ण बहसों पर काफी जोर दिया। यह बहसें फ्रांसीसी तथा अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्याय में से है।

1. संविधान सभा के कामकाज की शैली किस प्रकार की थी?
2. क्या आप मानते हैं कि संविधान सभा सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रही थी?
3. संविधान सभा की लोकप्रियता का आधार क्या था?
4. संविधान सभा में मतभेदों को किस प्रकार से हल किया गया?

पाँच अंकीय प्रश्नः –

1. प्रदर्शित कार्टून को ध्यानपूर्वक देखिए एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें:–

(क) दो मुँह वाला व्यक्ति कौन है? 1

(ख) व्यक्ति के दायीं और बायीं ओर बैठे सदस्य किस–किस विचारधारा के हैं? 2

(ग) दोनों विचारधाराओं को संतुलित करने के लिए क्या निर्णय लिया गया? 2

छः अंकीय प्रश्नः—

1. एक सभ्य समाज के निर्माण में संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है, सविस्तार समझाइए।
2. भारतीय संविधान सभा की रचना, ब्रिटिश मंत्रीमंडल की किस समिति द्वारा प्रस्तावित की गई थी? इस योजना के प्रस्तावों को सविस्तार समझाइए।
3. ऐसी कौन—सी विशेषताओं भारतीय संविधान को विशिष्ट बनाती है? एक सफल एवं प्रभावी संविधान कठोरता एवं लचीलेपन का अद्भुत समन्वय होता है इस उक्ति को भारतीय संविधान के सन्दर्भ में पुष्ट करें।
4. उदाहरण सहित सिद्ध कीजिए कि भारतीय संविधान कठोर एवं लचीलापन का समन्वय है?
5. भारतीय संविधान की प्रस्तावना मे वर्णित निम्नलिखित शब्दों को सविस्तार समझाइए— (क) न्याय, (ख) स्वतंत्रता, (ग) समानता, (घ) बंधुत्व, (ङ.) धर्मनिरपेक्षता, (च) समाजवादी।
6. सिद्ध कीजिए कि भारतीय संविधान एक 'पुष्प—गुच्छ' (BOUQUET) की भांति है जिसमें सभी देशों के पुष्प समाहित हैं।

   अथवा

   ''भारतीय संविधान उधार लिए गये सिद्धान्तों का टोकरा है।'' समझाइए।

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. डॉ राजेंद्र प्रसाद
2. जिसमें सरलतापूर्वक संशोधन नहीं हो सकते।
3. 284 सदस्यों ने
4. 12 अनुसूचियां
5. संयुक्त राज्य अमेरिका
6. मार्च 1942 में
7. कम्युनिस्ट पार्टी को
8. अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली
9. जवाहरलाल नेहरू
10. 26 नवम्बर 1949
11. समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय तथा विकास स्थापित करना संविधान का कार्य है।
12. मौलिक अधिकारों का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया।
13. सही
14. गलत
15. गलत
16. गलत
17. संविधान की प्रस्तावना में संविधान के लोकतांत्रिक आदर्श, मूल्य समाहित किए गए हैं।
18. क्रिप्स मिशन ने सुझाया कि भारतीय संघ की स्थापना संविधान के द्वारा होगी जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा।
19. हमारा संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है।
20. धर्म से संबंधित रिवाज जैसे छुआछूत की कुरीतियों को समाप्त करने में, किसी के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे इसके लिए राज्य व धर्म एक दूसरे के अंदरूनी मामलों से दूर रहेंगे।
21. जापान

22. धर्म व राज्य एक दूसरे के अंदरूनी मामलों से दूर रहेंगे।

23. अनुच्छेद 371a में नागालैंड को विशेष दर्जा दिया गया है।

24. राजा राममोहन राय

25. 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में 10 मूल मानव अधिकारों को शामिल किया गया।

26. डॉ राजेंद्र प्रसाद

27. भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा तथा कुल 166 बैठक हुई।

28. फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को अपनाया गया।

29.

ब्रिटेन का संविधान	कानून का शासन
कनाडा का संविधान	अवशिष्ट शक्तियों का हिस्सा
आयरलैण्ड का संविधान	नीति निर्देशक तत्व
अमेरीका का संविधान	मूल अधिकार

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. वह समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2. इसके अभाव में समाज का प्रत्येक सदस्य अपने आपको असुरक्षित महसूस करता। क्योंकि उसे इस ज्ञान का अभाव होता कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है। समाज में अराज़कता होती है।

3. (1) मूलभूत नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराना, जिससे समाज में एक दूसरें में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बने।
   (2) यह तय करना कि समाज में अन्तिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी।

4. (1) दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है, जैसे–पर्यावरण संरक्षण करना तथा अन्यायपूर्ण भेदभाव को समाप्त करना

(2) इंडोनेशिया में सरकारी जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए तथा गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करें।

5. a) संविधान ढीला और अस्त व्यस्त

   b) भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं

   c) उधार मांगा हुआ संविधान।

   d) सबकी नुमाइंदगी नहीं। (कोई दो)

6. a) उचित प्रतिनिधित्व, संसद में सीटों का आरक्षण

   b) सरकारी नौकरी तथा शिक्षा संस्थानों में भी आरक्षण

7. a) राष्ट्रीय एकता की धारणा केन्द्रीकृत

   b) सामाजिक आर्थिक अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले खंड में डाला गया है।

   c) लिंगगत न्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे परिवार से जुड़े मामलों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है।

8. संविधान सिद्धान्तों का समूह है जिसके माध्यम से राज्य की सीमाएं निर्धारित होती जिससे किसी समूह के हितों का नुकसान न हो और लोगों के अधिकारों का दुरूपयोग न हो।

9. कुछ मौलिक कर्त्तव्य

   a) संविधान का पालन

   b) राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान

   c) देश की एकता व अखण्डता की रक्षा

   d) देश की रक्षा

   e) पर्यावरण को स्वच्छ रखना

   f) सार्वजनिक सम्पति की रक्षा

10. स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, न्याय तथा राष्ट्रीय एकता का अध्ययन ही वास्तव में संविधान के राजनैतिक दर्शन को अभिव्यक्त करता है।

11. भारत के सभी लोगों को जो 18 वर्ष के हो चुके है उन्हें मत देने का अधिकार है।

    सार्वभौम मताधिकार उस समय प्रदान किया गया जब पश्चिम में कामगार वर्ग और महिलाओं को मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था।

12. 2 वर्ष, 11 महीने, 18 दिन तथा 166 बैठकें।

13. 29 अगस्त 1947 को डॉ. भीमराव अम्बेड़कर की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति का गठन। इस समिति ने संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा अध्यक्ष को पेश किया।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946, अस्थायी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। 11 दिस्मबर 1946 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति।

   सदस्य संख्या 389, (292+4+93)। 14 अगस्त 1947, विभाजित भारत संविधान सभा बैठक, कुल बैंठकें–166।

2. (i) प्रभुसत्ता की कमी।

   (ii) प्रातों का अनुचित वर्गीकरण।

   (iii) देशी रियासतों को संविधान को मानने के लिए बाध्य नहीं किया।

   (iv) संविधान सभा के सदस्यों का चयन अलोकतांत्रिक तरीके से किया गया।

3. (i) शक्तियों का विकेन्द्रीकरण– संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तथा विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा।

   (ii) संवैधानिक निकायों को शक्तिशाली बनाना, जैस–स्वतंत्र चुनाव आयोग।

4. (i) एक सफल संविधान वही हैं जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों (स्वतंत्रता, समानता एवं सामाजिक न्याय) को तरजीह दी जायें।

   (ii) जनता के प्रति जवाबदेही संविधान की सफलता का आधार।

   (iii) सामाजिक समस्याओं का समाधान।

   (iv) समुचित सन्तुलन एवं समन्वय।

5. (i) प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कारण अवश्य होना चाहिए।

   (ii) बहुसंख्यको से अल्पसंख्यकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना

   (iii) समान सुविधाएं उपलब्ध कराना।

   (iv) छोटे सामाजिक समूहों की शक्ति को मजबूत करना।

   (v) समाज में सभी की स्वतंत्रता की रक्षा करना।

6. (i) संविधान सभा द्वारा सरकार के तीनों अंगों के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया।

(ii) विधायिका और कार्यपालिका के बीच तथा केन्द्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया।

7. **प्रतिनिधिपरकः**

* सभी समुदायों की भागीदारी
* विचार–विमर्श एवं सहमति पर आधारित
* अप्रत्यक्ष निर्वाचन

8. a) प्रभुत्व संपन्न e) गणराज्य

b) समाजवादी f) न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक)

c) धर्मनिरपेक्ष g) स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, धर्म)

d) लोकतंत्र h) समानता

9. **भारतीय धर्मनिरपेक्षता**— यह पूरी तरह से राज्य और धर्म का पारस्परिक निषेध नहीं मानती। धर्म पर राज्य का प्रभुत्व नहीं है परंतु धर्म राज्य काज में और राज्य धर्म काज में हस्तक्षेप करेगा अगर कोई धर्म व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुँचाता है तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है।

पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता— धर्म व्यक्ति का निजी मामला। धर्म व राज्य दोनों एक दूसरें के अंदरूनी मामले से दूर रहेंगे।

10. ऐसे अधिकार जो जीवन के लिए मूल या आवश्यक हो ओर जिन्हें संविधान के द्वारा दिया गया हो।

महत्व— 1) लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार
2) सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध
3) सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा
4) संविधान के आधार स्तंभ
5) अल्पसंख्यको में सुरक्षा और आत्मविश्वास बढ़ता है।

अवतरण आधारित प्रश्नों के उत्तर (चार अंकीय)

1. 1. संविधान नियमों तथा मूल्यों का ऐसा समूह है जिसके द्वारा किसी राज्य की सरकार शासन करती है।

2. संविधान में कानून निर्माण की शक्ति विधायिका को प्रदान की गई है।

3. संविधान के माध्यम से समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है।

4. भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बना।

2. 1. संविधान सभा के कामकाज की शैली लोकतांत्रिक थी।

2. संविधान सभा सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रही थी क्योंकि उसमें समुदायों वर्गों तथा विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व शामिल था।

3. संविधान सभा की लोकप्रियता का आधार यह था कि सार्वजनिक हित का काम कर रही थी तथा पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर संविधान सभा ने अपने कार्य को आगे बढ़ाया।

4. संविधान सभा में मतभेदों को आपसी विचार–विमर्श के द्वारा हल किया गया।

पांच अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. कार्टून – (क) पं. जवाहर लाल नेहरू

(ख) पश्चिमी विचारधारा के लोग

पूर्वी अर्थात् भारतीय संस्कृति के समर्थक

(ग) दोनों में तालमेल स्थापित किया।

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. सभ्य समाज में स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्य संविधान ही प्रदान करता है।

2. संविधान ही सदस्यों के बीच सहयोग एवं तालमेल स्थापित करता है।

3. (i) ब्रिटिश मंत्रिमंडल समिति–'कैबिनेट मिशन'।

(ii) सदस्यों का चयन – ब्रिटिश प्रान्तों से (292) + देशी रियासतों से (93) + चीफ कमिशनरों से (4) = 389 सदस्य।

(iii) प्रत्येक प्रांत की सीटों को तीन प्रमुख समुदायों–मुसलमान, सिख और सामान्य में बंटवारा।

(iv) प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना।

(v) देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श इसे तय किया गया आदि।

4. संविधान की विशेषताएँ : जो भारतीय संविधान को विशिष्ट बनाते हैं–

(i) जन प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित, लिखित एक सम्पूर्ण संविधान।

(ii) यह सम्पूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का निर्माण करता है।

(iii) नागरिकों को मूल अधिकार के साथ मूल कर्त्तव्यों की याद दिलाता है।

(iv) स्वतंत्र न्यायपालिका है।

(v) संसदीय शासन व्यवस्था।

(vi) राज्य के नीति निर्देशक तत्व आदि।

5. भारतीय संविधान कठोर एवं लचीलापन का समन्वय अद्‌भुत है–सैद्धांतिक तौर पर भारत का संविधान कठोर है– अनुच्छेद 368 के अनुसार कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के सदस्यों के दो तिहाई बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों का समर्थन आवश्यक है। (विशेष बहुमत)

– लचीलापन बहुत से संशोधन प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत से पास कर के संशोधित कर दिया जाता है। इस प्रकार के अद्‌भुत समन्वय ने भारतीय संविधान को प्रभावी एवं सफल दोनों बनाया है।

6. न्याय–सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना।

स्वतंत्रता–अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म, कर्म और उपासना भक्ति की स्वतंत्रता।

समानता – सभी प्रकार के भेदभावों का अन्त या भेदभावों से मुक्ति।

बंधुत्व– देश के हर नागरिक के बीच आपसी प्यार/स्नेह के भाव पैदा करना।

धर्म निरपेक्षता–सभी धार्मिक विचारों वाले नागरिकों को धर्म को मानने की आजादी।

समाजवादी– सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक जन कल्याण, समाज कल्याण के कार्य हो, लोकहित कारी कार्य हो। समाज सर्वोपरी।

7. भारतीय संविधान एक 'पुष्प गुच्छ' इस रूप में है कि इस गुच्छ में विभिन्न देशों के संवैधानिक सिद्धान्त रूपी फूल शामिल किए गये है। विभिन्न देशों की अच्छी बातों को संविधान में समाहित किया गया है।

अथवा

सिद्धान्तों को टोकरे के रूप में देखे तो टोकरे में विभिन्न वस्तुएं होती है उसी भाँति इस भारतीय संविधान रूपी टोकरे में – इंग्लैण्ड अमेरिका, आयरलैण्ड, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि का उदाहरण देते हुए स्वयं को वर्णन करेगें। जैसे देशों के संविधानिक सिद्धान्तों को लिया गया है जिसे हम उधार ली गई वस्तुओं के रूप में देखते हैं।

1. आवश्यकताओं के अनुरूप
2. परिस्थितियों के अनुरूप
3. आशाओं एवं आक्षांकाओं के अनुरूप

अध्याय 1, भाग - 2
संविधान एक जीवंत दस्तावेज़

– संविधान समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब होता है। यह एक लिखित दस्तावेज़ है जिसे समाज के प्रतिनिधि तैयार करते है। संविधान का अंगीकरण 26 नवम्बर 1949 को हुआ और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।

संविधान में जीवंतता है क्योंकि –

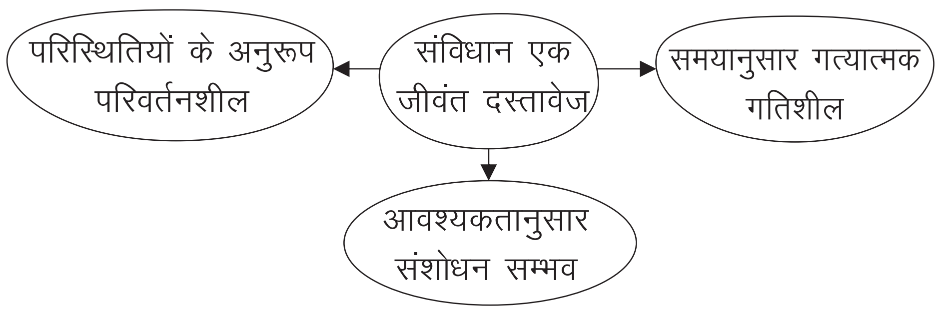

संविधान में संशोधन–

1. संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद से ही शुरू होती है।
2. संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है।
3. संशोधनों का अर्थ यह नहीं कि संविधान की मूल सरंचना परिवर्तित हो।
4. संशोधनों के मामलें में भारतीय संविधान लचीलेपन व कठोरता का मिश्रण।
5. 1950 में संविधान के लागू होने से अब तक लगभग 103 संशोधन किये जा चुके हैं। इसके लिए 124 संविधान संशोधन विधेयक पारित हुए है 124 वॉ संविधान संशोधन बिल के अनुसार सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लोगो को 10% आरक्षाण देने का प्रावधान है।
6. संविधान संशोधन विधेयक के मामलें में राष्ट्रपति को पुर्नविचार के लिए भेजने का अधिकार नहीं है।

संशोधन में संशोधन के तरीके

संशोधन करने के तरीके

1. संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर

   प्रावधान
   - नए राज्यों का निर्माण
   - राज्यों की सीमाओं व नामों में परिवर्तन
   - राज्यों में उच्च सदन (विधान परिषद) का सृजन या समाप्ति
   - नागरिकता की प्राप्ति व समाप्ति
   - सर्वोच्च न्यायलय का क्षेत्राधिकार बढ़ाना

2. संसद के दोनों सदनों में अलग–अलग विशेष बहुमत के आधार पर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव

3. विशेष बहुमत और आधे राज्यो के समर्थन द्वारा संशोधन

   प्रावधान
   - राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका
   - केन्द्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण
   - संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व

संविधान में इतने संशोधन क्यों?

– हमारा संविधान द्वितीय महायुद्ध के बाद बना था उस समय की स्थितियों में यह सुचारू रूप से काम कर रहा था पर जब स्थिति में बदलाव आता गया तो संविधान को सजीव यन्त्र के रूप में बनाए रखने के लिए संशोधन किए गए। इतने (लगभग 103) अधिक संशोधन हमारे संविधान में समय की आवश्यकतानुसार लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए किए गए।

संविधान में किए गए संशोधनों का तीन श्रेणियों में विभाजन

- प्रशासनिक संशोधन
- संविधान की व्याख्या से संबंधित
- राजनीतिक आम सहमति से उत्पन्न संशोधन

विवादास्पद संशोधन–

– वे संशोधन जिनके कारण विवाद हो। संशोधन 38वां, 39वां 42वां विवादस्पद संशोधन माने जाते है। ये आपातकाल में हुए संशोधन इसी श्रेणी में आते हैं। विपक्षी सांसद जेलों में थे और सरकार को असीमित अधिकार मिल गए थे।

संविधान की मूल संरचना का सिद्धान्त–

– यह सिद्धान्त सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में 1973 में दिया था। इस निर्णय ने संविधान के विकास में निम्नलिखित सहयोग दिया–

1. संविधान में संशोधन करने की शक्तियों की सीमा निर्धारित हुई।
2. यह संविधान के विभिन्न भागों के संशोधन की अनुमति देता है पर सीमाओं के अंदर।
3. संविधान की मूल सरंचना का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला अंतिम होगा।

संविधान एक जीवंत दस्तावेज–

– संविधान एक गतिशील दस्तावेज है।

– भारतीय संविधान का अस्तित्व 69 वर्षों से है इस बीच यह संविधान अनेक तनावों से गुजरा है। भारत में इतने परिवर्तनों के बाद भी यह संविधान अपनी गतिशीलता और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य के साथ कार्य कर रहा है।

– परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तनशील रह कर नई चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए भारत का संविधान खरा उतरता है यहीं उसकी जीवतंता का प्रमाण है।

– समयानुसार परिस्थितियों के बदलनें पर संविधान में परिवर्तन किये जाते है, जो किसी जीवंत दस्तावेज मे ही मुमकिन है।

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्नः—

1. जीवन्त संविधान का अर्थ बताइए?
2. भारतीय संविधान कब अंगीकृत और कब लागू किया गया?
3. भारत के संविधान का स्वरूप कैसा रहा?
4. संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रियाओं का उल्लेख है?

   (a) 366 (b) 367 (c) 368 (d) 369
5. 15वां संशोधन किस से संबंधित है?

वाक्य को सही करके लिखें।

6. 68वें संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई
7. भारतीय संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष .... पारित हुआ।
8. संविधान की समीक्षा करते समय किस बात पर ध्यान रखना चाहिए।
9. भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे की धारणा का विकास किस मुकदमें में हुआ?

   (a) बोम्मई केस (b) मिनर्वा मिल्स केस

   (c) केशवानंद भारती केस (d) इनमें से कोई नहीं
10. भारतीय संविधान में वर्तमान तक कितने संशोधन हो चुके है?

दो अंकीय प्रश्नः—

1. कोई दो उदाहरण दीजिए जिसमें संसद अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया को अपनाए बिना ही संशोधन कर सकती है?
2. संविधान निर्माताओं ने किन आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया जो आज भी विद्यमान हैं?
3. संविधान में संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनो सदनों में मतभेद होने पर क्या किया जाता है?
4. भारतीय संविधान कठोर व लचीलेपन का समन्वय है? क्या आप इस कथन से सहमत है? समझाइए।
5. न्यायिक पुर्नरावलोकन क्या है?
6. संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है?

7. भारतीय संविधान में बहुत अधिक संशोधन होने के क्या कारण हैं?

8. केशवानंद भारती मुकदमें के कोई दो महत्व लिखो।

चार अंकीय प्रश्न

1. भारतीय संविधान में साधारण विधि से संशोधन किन विषयों में किया जा सकता है?

2. भारतीय संविधान में नीचे लिए संशोधन करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है?

   (1) चुनाव आयोग से सम्बन्धित

   (2) राज्यों की सीमाओं में बदलाव

   (3) धार्मिक स्वतंत्रता का आधार

   (4) केन्द्र सूची में परिवर्तन

3. साधारण बहुमत व विशेष बहुमत में क्या अंतर है?

पांच अंकीय प्रश्न

1. जून 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा की गई ये तीन संशोधन इसी पृष्ठभूमि से निकले थे। इन संशोधनों का लक्ष्य संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी परिवर्तन करना था। वास्तव में संविधान का 42 वां संशोधन बहुत बड़ा संशोधन है। इसने संविधान को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। एक प्रकार से यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद मामले में दिए गए निर्णय को भी चुनौती दी। यहां तक कि इसके तहत लोकसभा की अवधि को भी 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया मूलकर्त्तव्यों को भी संविधान में इसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया यह कहा जाता है कि इस संशोधन के द्वारा संविधान के बड़ें मौलिक हिस्से को नए सिरे से लिखा गया।

   1) भारत में आपात्काल की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई।

   2) कौन–से तीन विवादास्पद संशोधन इस काल में किए गए?

   3) केशवानंद भारती विवाद का संविधान संशोधन पर क्या प्रभाव पड़ा?

छः अंकीय प्रश्न

1. भारतीय संविधान में संशोधन करने की विधियों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।

2. संविधान एक जीवंत दस्तावेज है? अर्थ समझाकर अपनी राय दीजिए।

3. संविधान में संवैधानिक संशोधनों द्वारा दिए गए कुछ परिवर्तनों का वर्णन करो।

उत्तरमाला

एक अंकीय उत्तरः—

1. संविधान गतिशील, परिस्थितियों व समयानुसार परिवर्तन।
2. 26 नवंबर 1949 का संविधान अंगीकृत, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू।
3. लचीला व कठोर
4. (c) 368
5. उच्च न्यायालय के न्यायधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से बढ़ाकर 62
6. 61वां संशोधन
7. 1976
8. उसकी मूल संरचना के सिद्धांत द्वारा निर्धारित सीमाओं से बाहर नहीं जाना चाहिए।
9. (c) केश्वानंद भारती के मुकदमें में।
10. अब तक संविधान में लगभग 103 संशोधन हो चुके हैं।

2 अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. अनुच्छेद 2 (नए राज्यों को प्रवेश देना)
   अनुच्छेद 3 (राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना)
2. व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता, सामाजिक तथा आर्थिक समानता राष्ट्रीय एकता व अखंडता
3. दोनों सदनों में अलग–अलग विशेष बहुमत जरूरी। अगर दोनों सदनों में संशोधन पास नही होता तो वह रद्द हो जाता।
4. संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं हैं। न पूर्णतः लचीला और न ही पूरी तरह से कठोर।

   लचीला संविधान— जिसमें संशोधन सरलता से वैसे ही किया जाता है जैसे कानून बनाया जाता है उदाहरण के लिए —राज्यों के नाम बदलना, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना आदि। संसद के दोनों सदनों द्वारा उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से बदल सकते हैं।

कठोर संविधान— संविधान की कुछ धाराओं को बदलने के लिए संसद के दोनों सदनों का दो तिहाई बहुमत आवश्यक है और कुछ के लिए बहुमत के साथ—साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संशोधन पर समर्थन आवश्यक है।

5. विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों पर न्यायपालिका द्वारा दोबारा विचार करने को न्यायिक पुर्नरावलोकन कहते है।

6. परिस्थितियों के अनुसार समय के अनुसार संशोधन किए जा सकते है।

7. 1) लचीला संविधान
   2) परिस्थितियाँ
   3) विभिन्न वर्गों को संतुष्ट करने के लिए
   4) सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के लिए

8. 1) 38वें व 39वें संवैधानिक संशोधन को चुनौती
   2) सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मौलिक ढांचे की धारणा का प्रतिपादन किया।

4 अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. 1) नए राज्यों का निर्माण
   2) राज्य का नाम बदलना
   3) राज्य की सीमा में परिवर्तन
   4) संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों के संबंध में संशोधन

2. 1) विशेष बहुमत
   2) सामान्य बहुमत
   3) विशेष बहुमत
   4) विशेष बहुमत तथा राज्यों द्वारा अनुमोदन

3. साधारण बहुमत मतदान करने वाले सदस्यों का संख्या 50% + 1 है।
   विशेष बहुमत— सदन के कुल सदस्यों का 2 / 3 बहुमत है।

पाँच अंकीय प्रश्नों के उत्तर –

1. 25 जून 1975 राष्ट्रपति श्री फ़करूद्दीन अली अहमद
2. लोकसभा की अवधि 5 से बढ़ा कर छः वर्ष, मूल कर्त्तव्य संविधान में जोड़, न्यायपालिका की समीक्षा पर प्रतिबन्ध।
3. संविधान के मूल ढ़ाँचे के परिवर्तन पर रोक लगी।

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तर–

1. a) संसद के सामान्य बहुमत के आधार पर
   b) संसद के दोनों सदनों में अलग–अलग विशेष बहुमत के आधार पर
   c) संसद के दोनों सदनों में अलग–अलग विशेष बहुमत तथ कुल राज्यों की कम से कम आधी विधानसभाओं द्वारा स्वीकृति।

2. a) संविधान गतिशील या जीवंत दस्तावेज
   b) जीवित प्राणी की तरह अनुभव से सीखता है।
   c) भविष्य में आने वाली चुनौतियों का समाधान ढूंढने को लिए समर्थ होना पड़ता है इसलिए संशोधन होते है।

3. 1) 1951 – संपत्ति के अधिकार का संशोधन
   संविधान मे नौवीं अनुसूची जोड़ी गई।
   2) 1969 – उच्चतम न्यायालय का निर्णय कि संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो।
   3) 42वां संशोधन (1976) प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द का जुड़ना।
   4) 52वां संशोधन (1985) दल बदल पर रोक।
   5) 1989 – 61 वां संशोधन–मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष
   6) 73 वां, 74वां संशोधन – स्थानीय स्वशासन
   7) 93 वां संशोधन (2005) उच्च शिक्षा संस्थानों में पिछड़ा वर्ग के लिए स्थान आरक्षित।

अध्याय-2

भारतीय संविधान में अधिकार

मुख्य बिन्दुः

1. अधिकार, अधिकार का अर्थ
2. अधिकारों का घोषणा पत्र
3. भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार
4. सामान्य अधिकार
5. मौलिक अधिकार

अधिकारः—

अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियॉ है जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नही कर सकता। अधिकार वे 'हक' है जो एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए, जिसकी वो मांग करता है। कानून द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अधिकारो की रक्षा करती है।

अधिकारों का घोषणा पत्रः—

अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता हैं ऐसी सूची को 'अधिकारों का घोषणा पत्र' कहते है। **जिसकी मांग 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने उठाई थी।**

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारः—

वे अधिकार जो लोगो के जीवन के लिये अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते है उन्हे मूल अधिकार (Fundamental Right) कहा जाता है। भारत के स्वतंत्रता—आन्दोलन के दौरान क्रांतिकारियों/स्वतंत्रता नायको द्वारा नागरिक अधिकारों की मांग समय—समय पर उठाई जाती रही। 1928 में भी मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। फिर स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारों में से अधिकांश को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया। 44 वें संविधान संशोधन द्वारा सम्पति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया। संविधान के अनु 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चो के लिए अनिवार्य व निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है तथा **86 वें संशोधन द्वारा 21क मे प्राथमिक शिक्षा को सभी नागरिको को मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू व कश्मीर को छोडकर संम्पूर्ण भारत मे लागू हुआ।**

सामान्य अधिकारः–

– वे अधिकार जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं तथा इन अधिकारों में ससंद कानून बना कर के परिवर्तन कर सकती है।

मौलिक अधिकारः–

– ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के विकास की आधारशिला होते हैं, जो संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं तथा जिनको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए गये है। इनकी गांरटी एवं सुरक्षा स्वंय संविधान करता है। इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरूद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता।

भारतीय संविधान के भाग तीन में वर्णित छः मौलिक अधिकार निम्न प्रकार है–

1) समानता का अधिकार (14–18 अनुच्छेद)
2) स्वतंत्रता का अधिकार (19–22 अनुच्छेद)
3) शोषण के विरूद्ध अधिकार (23–24 अनुच्छेद)
4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (25–28 अनुच्छेद)
5) संस्कृति एवं शिक्षा संबधि (29–30 अनुच्छेद)
6) संवैधानिक उपचारों का अधिकर (अनुच्छेद 32)

1. विशेषः 1978 में, संविधान के 44वें संशोधन

समता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18)

1. **विशेषः** 1978 में, संविधान के 44वें संशोधन संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 31) को हटा दिया गया है। इसे अनुच्छे 300ए के तहत एक साधारण कानूनी अधिकार बना दिया गया है।
2. **अनुच्छेद 14**–कानून के समक्ष समानता तथा बिना भेदभाव के समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त करना।
3. **अनुच्छेद 15**–धर्म, मूल वंश मूल, जाति, लिंग, या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
4. **अनुच्छेद 16**–सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियों में अवसर की समानता। (परंतु–अनुच्छेद 16(4) राज्य को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण देने का अधिकार भी देता है।
5. **अनुच्छेद 17**–समाज से अस्पृश्यता (छुआछूत) की समाप्ति।
6. **अनुच्छेद 18**–सैनिक एवं शैक्षिक उपाधियों के अलावा अन्य उपाधियों पर रोक।

7. **अनुच्छेद 19**–इस अनुच्छेद के द्वारा भारत के नागरिकों को विशेष रूप से छः बुनियादी स्वतंत्रताए दी गई हैः (i) भाषण और अभिव्यक्ति, (ii) बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सम्मेलन, (iii) संघ, संगठन बनाने, (iv) भारत के किसी भी भूभाग में भ्रमण करने, (v) भारत के किसी भी भू–भाग में निवास करने और (vi) व्यापार, व्यवसाय या कोई भी कारोबार, काम करने की स्वतंत्रता।

8. **अनुच्छेद 20**– 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 20 को आपात स्थिति के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता।

2. **स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22)**–

अनुच्छेद 19–स्वतंत्रता–'भाषण एवं अभिव्यक्ति, संघ बनाने, सभा करने भारत भर में भ्रमण करने, भारत के किसी भाग में बसने और स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी व्यवसाय करने की।

अनुच्छेद 20–अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को सरंक्षण प्रदान करना।

अनुछेद 21–कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 2 1(क)– RTE, 2002, 86 वां संविधान संशोधन शिक्षा मौलिक अधिकर, वर्ष 6 से 14 आयु मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा।

अनुच्छे 22– किसी भी नागरिक की विशेष मामलों में गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा प्रदान करना।

नोटः 86वें संशोधन (2002) द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद–21(A) के द्वारा मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है।

3. **शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23–24)**–

i) **अनुच्छेद 23,** मानव व्यापार (तस्करी) और बल प्रयोग द्वारा बेगारी, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध– जब भारत आजाद हुआ, तब भारत के कई भागों में दासता और बेगार प्रथा प्रचलित थी। जमींदार किसानों से काम करवाते थे, परन्तु मजदूरी नहीं देते थे, विशेषकर स्त्रियों को पशुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता था।

ii) **अनुच्छेद 24,** खदानों, कारखानों और खतरनाक कामों में बच्चों की मनाही।

iii) **अनुच्छेद 24** के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जायेगा, जैसे—खदानों में, कारखानों में इत्यादि।

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार—(अनुच्छेद 25—28)

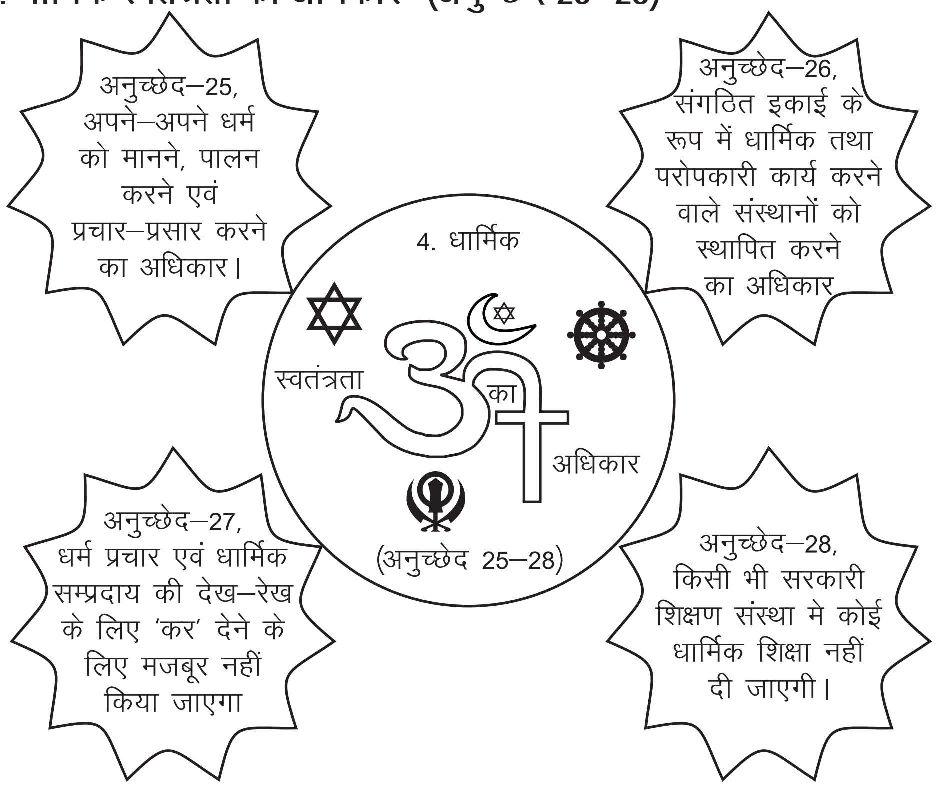

5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29—30)—

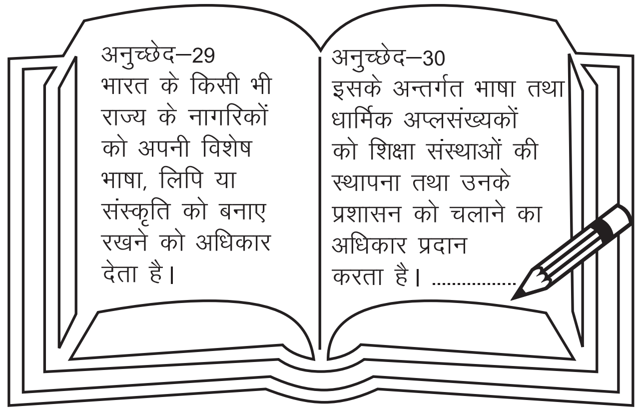

6. **संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)**

संविधान के जनक, डॉ. अम्बेडकर ने इस अधिकार को ''संविधान का हृदय और आत्मा'' की संज्ञा दी है। इसके अंतर्गत न्यायलय कई विशेष आदेश जारी करते है जिन्हें रिट (writ) कहते हैं। जो निम्न प्रकार हैं–

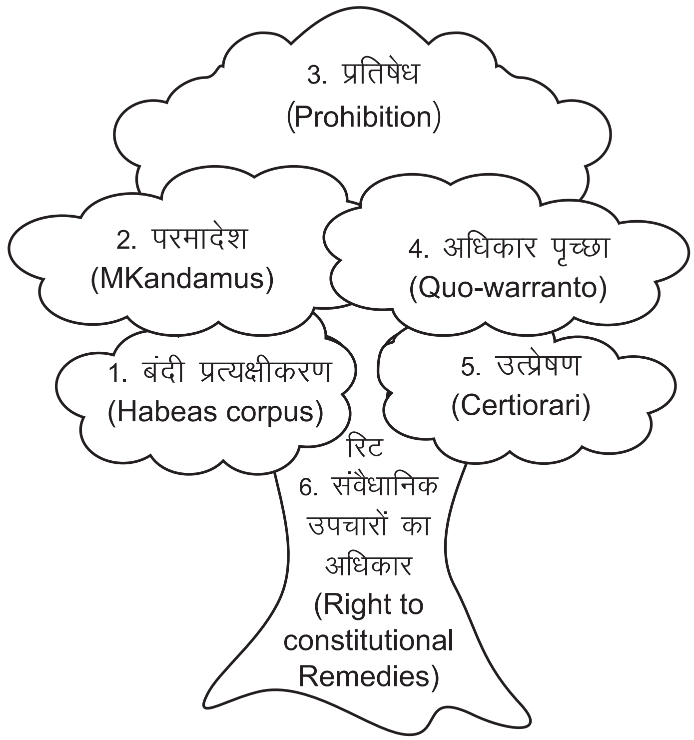

दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसम्बर 1996 में लागू हुआ, जब रंगभेद वाली सरकार हटने के बाद देश गृहयुद्ध के खतरे से जूझ रहा था, दक्षिण अफ्रीका में अधिकारों को घोषणा पत्र प्रजातंत्र की आधारशिला है।

दक्षिण–अफ्रीका के संविधान में सूचीबद्ध प्रमुख अधिकारः–

i) गरिमा का अधिकार।

ii) निजता का अधिकार।

iii) श्रम–संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार।

iv) स्वास्थ्य पर्यावरण और पर्यावरण सरंक्षण का अधिकार।

v) समुचित आवास का अधिकार।

vi) स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार।

vii) बाल अधिकार।

viii) बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार।

ix) सूचना प्राप्त करने का अधिकार ।

x) सांस्कृतिक, धार्मिक ओर भाषाई समुदायों का अधिकार।

राज्य के नीति–निर्देशक तत्व क्या है?

(क) स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता लाने और सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत से नियमों की जरूरत थी। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के तहत ऐसे ही नीतिगत निर्देश सरकारों को दिए गए है, जिनको न्यायलय में चुनौती नहीं दी जा सकती है परन्तु इन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जा सकता है। सरकार का दायित्व है कि जिस सीमा तक इन्हें लागू कर सकती है, करें।

(ख) प्रमुख नीति निर्देशक तत्वों की सूची में तीन प्रमुख बातें हैं–

i) वे लक्ष्य और उद्देश्य है, जो एक समाज के रूप मे हमें स्वीकार करने चाहिए।

ii) वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए।

iii) वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए।

नागरिकों के मौलिक कर्त्तव्यः–

– 1976 में, 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्त्तव्यों की सूची (अनुच्छेद–51(क)) का समावेश किया गया है। इसके अन्तर्गत नागरिकों के ग्यारह मौलिक कर्त्तव्य निम्न हैंः–

i) संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना।

ii) राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना।,

iii) भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। उसे अक्षुण्ण रखे।

iv) राष्ट्र रक्षा एवं सेवा के लिए तत्पर रहना।

v) नागरिकों मे भाईचारे का निर्माण करना।

vi) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली पंरपरा के महत्व को समझे और उसको बनाए रखें।

vii) प्राकृतिक पर्यावरण का सरंक्षण करें। उसकी रक्षा करें।

viii) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद ओर ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।

ix) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएं और हिंसा से दूर रहें।

x) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें।

xi) माता–पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना (86वाँ संशोधन)

नीति–निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में संबंधः–

i) दोनों एक दूसरें के पूरक हैं। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं।

ii) मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को सरंक्षित करते हैं, वहीं पर नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते है।

नीति–निर्देशक तत्वों एवं मौलिक अधिकारों में अन्तरः–

– मौलिक अधिकारों को कानूनी सहयोग प्राप्त है परन्तु नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी सहयोग प्राप्त नहीं है। अर्थात् मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आप न्यायलय में जा सकते हैं परन्तु नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर न्यायलय नहीं जा सकते।

– मौलिक अधिकारों का सम्बन्ध व्यक्तियों और निर्देशक सिद्धान्तों का समबन्ध समाज से है।

– मौलिक अधिकार प्राप्त किये जा चुके हैं जबकि निर्देशक सिद्धान्तों को अभी लागू नहीं किया गया।

– मौलिक अधिकारों का उददेश्य देश मे राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है निर्देशक सिद्धान्तों का उददेश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।

– मौलिक अधिकार व्यक्ति के कल्याण को बढावा देते हैं निर्देशक सिद्धान्त समुदाय के कल्याण को बढावा देते हैं।

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्नः—

1. भारतीय संविधान के .... में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है।
2. भारतीय संविधान में कुल छः .... अधिकारों का वर्णन किया गया है।
3. .... ने अनुच्छेद 32 में दिए गए संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा तथा हृदय बताया है। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर।
4. अनुच्छेद 29 से 30 तक में .... का वर्णन किया गया है।
5. .... संवैधानिक संधोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का रूप दिया गया है।
6. हमारे मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेदों में दिए गए हैं?

   संपत्ति का अधिकार है—

   (a) अनुच्छेद 12 से 32 (b) अनुच्छेद 14 से 35

   (c) अनुच्छेद 14 से 32 (d) अनुच्छेद 12 से 35
7. संपत्ति का अधिकार है—

   (a) आर्थिक अधिकार (b) मौलिक अधिकार

   (c) नैतिक अधिकार (d) कानूनी अधिकार
8. मौलिक अधिकारों का रखवाला (संरक्षक) है—

   (a) प्रधानमंत्री (b) राष्ट्रपति

   (c) सर्वोच्च न्यायालय (d) राज्यपाल
9. मौलिक अधिकार हैं—

   (a) न्याय योग्य हैं (b) न्याय योग्य नहीं है

   (c) A तथा B दोनों से ही है (d) इनमें से कोई नहीं
10. समानता के अधिकार का वर्णन कितने अनुच्छेद में किया गया है?

    (a) अनुच्छेद 14 से 18 (b) अनुच्छेद 19 से 22

    (c) अनुच्छेद 29 से 32 (d) अनुच्छेद 25 से 28
11. अधिकारों के घोषणा पत्र से क्या अभिप्राय है?
12. स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू ने 1928 में अंग्रेजों से भारतीयों के लिए अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग की थी, उसे किस नाम से जाना जाता है?

13. सामान्य अधिकार किसे कहते हैं?

14. मौलिक अधिकारों से क्या आशय है?

15. विश्व में सबसे अधिक व्यापक अधिकार किस देश के संविधान द्वारा दिये गये हैं?

16. निवारक नजरबंदी किसे कहते हैं?

17. उत्प्रेषण रिट क्या होती है?

18. ''परमादेश'' का क्या अभिप्राय है?

19. ''अधिकार पृच्छा'' से आप क्या समझते हैं?

20. मौलिक अधिकार कौन–सी परिस्थिति में निलंबित हो सकते हैं?

21. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।

दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ। इसे तब बनाया गया और लागू किया गया जब रंगभेद वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार ''उसके अधिकारों का घोषणा पत्र, दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है।'' यह नस्ल, लिंग गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जातिया या सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा और जन्म के आधार पर भेदभाव वर्जित करता है। संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता है।

1. दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ?

(a) 1999 (b) 1996

(c) 1998 (d) 1995

2. दक्षिण अफ्रीका के संविधान का संविधान कब लागू हुआ?

(a) गणतंत्र का आधार (b) प्रजातंत्र का आधार

(c) राजतंत्र का आधार (d) कुलीन तंत्र का आधार

3. दुनिया में संभवत सबसे अधिक व्यापक अधिकार मिले हैं–

(a) अफ्रीका के नागरिकों को

(b) भारत के नागरिकों को

(c) दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को

(d) दक्षिण कोरिया के नागरिकों को

4. दक्षिण अफ्रीका में संवैधानिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन–सा न्यायालय बनाया गया है?

   (a) सर्वोच्च न्यायलय (b) उच्च न्यायलय

   (c) अधीनस्थ न्यायलय (d) संवैधानिक न्यायालय

22. संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है?

23. संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यो का वर्णन किया गया है?

24. निम्नलिखित वाक्यों को सही करके पुनः लिखें–

    मौलिक अधिक न्याय संगत नहीं है, जबकि नीति निदेशक सिद्धांत न्याय संगत है।

25. निम्नलिखित प्रत्येक्ष कथन के आगे सही अथवा गलत लिखिए–

    [1+1+1+1+1]

    (i) विश्व के हर देश में मौलिक अधिकारों का घोषण पत्र होता है।

    (ii) अधिकार पत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

    (iii) अधिकार पत्र में किसी देश की जनता को प्राप्त अधिकारों का वर्णन होता है।

    (iv) जब संविधान लागू हुआ, तब संविधान ने हमें छः मौलिक अधिकार दिए थे।

    (v) नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के भाग तीन में किया गया है।

दो अंकीय प्रश्नः–

1. भारतीय संविधान में वर्णित छः अधिकारों को मूल (मौलिक) की संज्ञा क्यो दी गई है?
2. मौलिक अधिकारों को किस परिस्थिति में निलम्बित किया जा सकता है?
3. भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है?
4. बंधुआ मजदूरी से आप क्या समझते है?
5. बन्दी प्रत्यक्षीकरण क्या है?
6. शोषण के विरूद्ध अधिकार के अन्तर्गत कौन–से दो प्रावधान है?
7. मौलिक अधिकारों के दो महत्व लिखिए।
8. कानूनी अधिकार कौन–से होते हैं?

9. क्या नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत है?
10. मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अन्तर लिखिए।
11. मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद केन्द्र में कौन–सा अधिकार था?
12. भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 महत्वपूर्ण क्यों है?

चार अंकीय प्रश्नः–

1. हमें मौलिक अधिकारो की आवश्यकता क्यों है?
2. भारतीय संविधान में कब किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्त्तव्यों को जोड़ा गया? किन्हीं तीन कर्त्तव्यों का वर्णन कीजिए।
3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर टिपण्णी लिखिए।
4. हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की चार विशेषताएं लिखिए।
5. अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताओं मे से किन्हीं चार को समझाइए।
6. नीति निर्देशक तत्व क्या है? इनकी तीन प्रमुख बातें लिखिए।

पांच अंकीय प्रश्नः–

1. दिए गए चित्र/कार्टून का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। (1+2+2 = 5)

   (i) ऊपर दिया गया चित्र किसका है? (1)
   (ii) संविधान निर्माण में इनका क्या योगदान था? (2)
   (iii) अल्पसंख्यकों के बारे में इनके क्या विचार थे। लिखिए। (2)

छः अंकीय प्रश्नः–

1. भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए।
2. समानता के अधिकार को निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत समझाइए–

क) कानून के समक्ष समानता।

ख) भेदभाव को निषेध (मनाही)

ग) रोजगार (नौकरियों) में अवसर की समानता।

3. धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को लोकतंत्र का प्रतीक या आधार माना जाता हे। उपर्युक्त कथन को तर्क सहित सिद्ध कीजिए।

4. डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को 'संविधान का हृदय और आत्मा' की संज्ञा दी है। इसके अन्तर्गत न्यायालय द्वारा जारी विशेष आदेशों (रिटों) को सविस्तार समझाइए।

5. नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों एवं नीतियों को सविस्तार समझाइए

6. मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तरमाला

एक अंकीय के प्रश्नों के उत्तरः—

1. भाग तीन
2. मौलिक
3. डॉ. बी.आर. अंबेडकर
4. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
5. 86 वें संविधान संशोधन
6. (c) अनुच्छेद 14 से 32
7. (d) कानूनी अधिकार
8. (c) सर्वोच्च न्यायालय।
9. (a) न्याय योग्य हैं।
10. (a) अनुच्छेद 14 से 18।
11. संविधान द्वारा प्रदत्त और संरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं।
12. मोतीलाल नेहरू समिति।
13. ऐसे अधिकार जो सामान्य कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं, उन्हें सामान्य अधिकार कहते हैं।

14. ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के विकास की आधारशिला होते हैं। जो संविधान में सूचीबद्ध किए जाते हैं तथा जिन को लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं।

15. दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान द्वारा।

16. किसी व्यक्ति को इस आशंका के आधार पर गिरफ्तार करना कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, इसे ही निवारक नजरबंदी कहते हैं।

17. उत्प्रेषण रिट का अर्थ है—हमें सूचना दी जाए। इसमें निचली अदालत को किसी विशेष मामले का ब्यौरा उच्च या उच्चतर अदालत को देने का आदेश दिया जाता है।

18. परमादेश का अभिप्राय है कि "हम आदेश देते हैं।" निचली अदालत अथवा किसी व्यक्ति को अपना कर्त्तव्य करने के लिए ऐसा आदेश दिया जाता है।

19. "अधिकार पृच्छा" ऐसा आदेश है, जो उस व्यक्ति के खिलाफ जारी होता है, जिसने गलत तरीके से कोई पद हासिल कर लिया हो।

20. अगर किसी देश में आपातकाल लागू हो तो उस स्थिति में मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं।

21. 1. (b) 1996

    2. (b) प्रजातंत्र का आधार

    3. (c) दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को

    4. (d) संवैधानिक न्यायालय

22. संविधान के भाग 4 में

23. अनुच्छेद 51-A में

24. मौलिक अधिक न्याय संगत है, जबकि नीति निदेशक सिद्धांत न्याय नहीं है।

25. (i) गलत

    (ii) सही

    (iii) सही

    (iv) गलत

    (v) गलत

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. यह अधिकार वर्षो से चले आ रहे मूल्यों एवं सिद्धान्तों का प्रतीक है। इनके द्वारा व्यक्ति का सर्वागीण विकास होता है।

2. मौलिक अधिकार, विशेषकर अनुच्छेद–19 आपातकाल की स्थिति में निलम्बित किए जा सकते हैं।

3. इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने विचारों को शब्दों के रूप में लिखकर, प्रेस द्वारा छपवाकर, तस्वीरों के द्वारा या कियाी अन्य माध्यम से लागों तक पहुंचाना।

4. जमींदारों, सूदखोरों और अन्य धनी लोगों द्वारा गरीबों से पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी करवाना। अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया।

5. न्यायालय द्वारा किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय/जज के सामने उपस्थित होने/करने का आदेश दिया जाना बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है।

6. (i) अनुच्छेद–23 राज्य पर सकारात्मक जिम्मेदारी डालता है कि वह व्यक्तियों के व्यापार, तथा बेगारी एवं बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाए।

   (ii) अनुच्छेद–14, राज्य 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को खदानों, कारखानों एवं खतरनाक काम करवाने पर रोक लगाए।

7. (i) नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

   (ii) भारतीय लोकतंत्र का आधार हैं।

8. कानूनी अधिकार वे अधिकार होते है जिन्हें किसी देश के संविधान ने सूचीबद्ध कर रखा है। तथा जिसे उल्लघंन करने पर उल्लंघनकर्त्ता को सजा मिलती है।

9. नहीं, नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत नहीं है। इनके उल्लंघन पर आप न्यायालय में नहीं जा सकते।

10. अन्तर– (i) मौलिक अधिकार न्याय संगत है। नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत नहीं है।

    (ii) मौलिक अधिकारों का स्वरूप निषेधकारी है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप सकारात्मक है।

11. सम्पत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक–अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया।

12. भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुच्छेद 21A के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। इसके अन्तर्गत छः से चौदह वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलेगी।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. मौलिक अधिकार व्यक्ति के मूल विकास, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। समाज में समानता, स्वतंत्रता, बन्धुत्व, आर्थिक, सामाजिक विकास लाने में सहयोग प्रदान करते हैं।

2. 1976 में, 42 वें संविधान संशोधन द्वारा, देश की रक्षा करना, देश में भाईचारा बढ़ाना, पर्यावरण की रक्षा करना, संविधान का सम्मान।

3. 2000 में राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन। सदस्य—एक भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक भूतपूर्व उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा मानवधिकारों के संबंध में ज्ञान रखने या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले दो सदस्य होते हैं। कार्य—शिकायते सुनना, जांच करना तथा पीड़ित को राहत पहुंचाना।

4. मौलिक अधिकारों की विशेषताएं— (i) विस्तृत एवं व्यापक—संविधान के भाग तीन की 24 धाराओं में वर्णित। (ii) मौलिक अधिकार बिना भेदभाव के सभी के लिए। (iii) मौलिक अधिकार असीमित नहीं है—आपातकाल में इन पर प्रतिबंध लग सकता है। (iv) न्याय संगत है—किसी के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर वह न्यायालय जा सकता है।

5. अनुच्छेद—19
   (i) भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
   (ii) संघ / समिति बनाने की स्वतंत्रता।
   (iii) सभा करने की स्वतंत्रता।
   (iv) भ्रमण करने की स्वतंत्रता।
   (v) व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। (कोई चार)

6. मौलिक अधिकारों के अलावा जन कल्याण एवं राज्य के उत्थान के जरूरी नियमों को 'राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त' के रूप में जाना जाता है। ये इन तत्वों के पीछे नैतिक शक्ति काम करती है। तीन प्रमुख बातें—
   (i) वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए।

(ii) वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए।

(iii) वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए।

पांच अंकीय प्रश्नों के उत्तर–

1. (i) यह चित्र सरदार हुकुम सिंह का है। जो महान स्वतंत्रता सेनानी, अहिंसा–वादी देशभक्त थे। (1)

(ii) यह संविधान सभा के एक सक्रिय सदस्य थे। इन्होंने संविधान सभा में एक सदस्य के रूप में बढ़–चढ़कर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ भाग लिया था। (2)

(iii) सरकार हुकुम सिंह अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षक थे, उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों की जिम्मेदारी है कि वे देश को अपनी मातृभूमि समझे और राष्ट्रवादी हो जाएं, उन्होंने अल्पसंख्यकों की भाषा, धर्म और लिपि के संरक्षण की मांग उठाई। (2)

छः अंकीय प्रश्नों के सांकेतिक उत्तर–

1. मौलिक अधिकार– (i) समता, (ii) स्वतंत्रता, (iii) शोषण के विरूद्ध अधिकार। (iv) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (v) शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। (vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

2. (i) कानून की नजर में गरीब एवं अमीर एक समान हैं। कानून की धाराएं सभी पर एक समान लागू होती है।

(ii) रंग, जाति, नस्ल, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव की मनाही।

(iii) रोजगार (नौकरियों) में अवसर–समान योग्यता, समान परीक्षा में बैठने के मौके (अवसर)।

3. एक लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक नागरिक महत्वपूर्ण होता है। उसको मत, धर्म, विचार मानने की आजादी होती है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। इसलिए इस अधिकार को लोकतंत्र का प्रतीक कहते है। (i) किसी भी धर्म को मानने एवं प्रचार करने की आजादीं (ii) सर्वजन हिताय–धार्मिक समुदाय बनाने की आजादी। (iii) धर्म विशेष के लिए कर (TAX) न देने की आजादी। (iv) सरकारी स्कूल कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा पर पाबंदी।

4. संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉ . अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। रिट–(i) बंदी प्रत्यक्षीकरण (ii) परमादेश (iii) प्रतिषेध (iv) अधिकार पृच्छा (v) उत्प्रेषण।

5. उद्देश्य – लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय।

– जीवन स्तर ऊँचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण।

– अन्तर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा।

नीतियां – समान नागरिक संहिता, मद्यपान निषेध, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक। ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन।

6. (i) मौलिक अधिकार न्याय योग है। नीति निर्देशक तत्व नहीं।

(ii) मौलिक अधिकार निषेधात्मक जबकि नीति निर्देश तत्व सकारात्मक है।

(iii) मौलिक अधिकार व्यक्ति से जबकि नीति निर्देशक तत्व समाज से संबंधित है।

(iv) मौलिक अधिकार का क्षेत्र सीमित है। नीति निर्देशक तत्वों का क्षेत्र विस्तृत है।

(v) मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र है। निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र है आदि।

(vi) मौलिक अधिकार प्राप्त हो चुके है। निर्देशक तत्वों को लागू करवाना है।

अध्याय 3

चुनाव और प्रतिनिधि

चुनाव और प्रतिनिधित्व

मुख्य बिन्दुः

— लोकतंत्र के प्रकार
— चुनाव और प्रतिनिधित्व
— समानुपातिक प्रतिनिधित्व
— चुनाव सुधार
— चुनाव
— चुनाव आयोग
— निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण

प्रतिनिधि → चुनाव प्रक्रिया द्वारा जनता जिस व्यक्ति को चुन कर संसद या विधानसभा में भेजती हैं उस व्यक्ति को जनता का प्रतिनिधि कहते हैं।

हम प्रतिनिधि क्यों चुनते हैं? विशाल जनसंख्या व बड़े क्षेत्रफल के कारण कानून बनाते समय या निर्णय लेते समय सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते इसलिए लोग प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।

लोकतंत्र के प्रकार

→ प्रत्यक्ष लोकतंत्रः नागरिक रोजमर्रा के फैसलों और सरकार चलाने में सीधा भाग लेते हैं (हाथ उठाकर) उदाहरणः प्राचीन चूनान, ग्राम सभा

→ अप्रत्यक्ष लोकतंत्रः जनता अपने प्रतिनिधि भेजकर सरकार की कार्यवाहियों में भाग लेती हैं जैसेः भारत, इंग्लैंड

चुनाव → जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनती हैं उसे चुनाव या निर्वाचन कहते हैं।

चुनाव और लोकतंत्रः चुनाव और लोकतंत्र दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं चुनाव के बिना लोकतंत्र अधुरा हैं और लोकतंत्र का चुनावों के बिना कोई महत्व नहीं है।

भारत में चुनाव व्यवस्था

भारत के संविधान में चुनाव संचालन की व्यवस्था का वर्णन किया गया हैं इसके लिए प्राधिकार (चुनाव आयोग) का गठन और नियमों का वर्णन भी किया गया हैं चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, चुनाव लड़के की योग्यता, मतदाता की योग्यता व मतगणना की प्रक्रिया का वर्णन किया गया हैं:

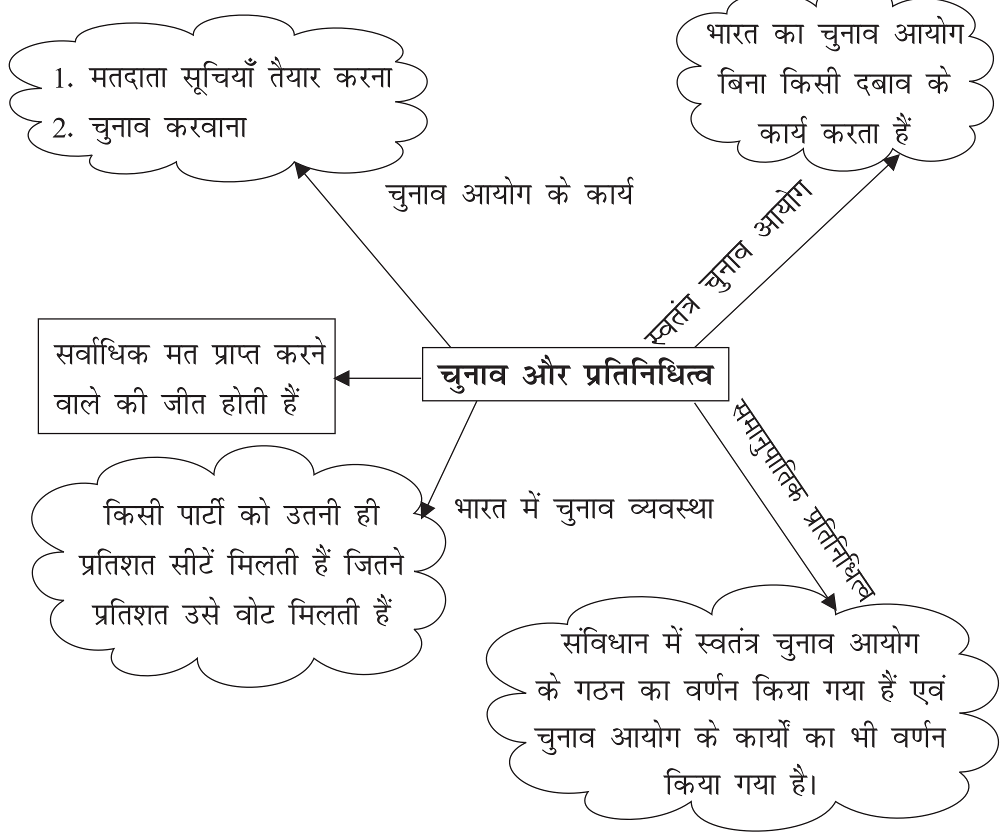

चुनाव आयोग ➡ भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत का स्वतंत्र चुनाव आयोग होगा, जिसमें 3 सदस्य (1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त) होंगे भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन थे।

सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली ➡ यह प्रणाली भारत में इंग्लैंड से ली गई हैं इसमें पूरे देश को छोटी भोगोलिक इकाइयों में बांट दिया जाता हैं जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रत्याशी विजेता होता हैं इसमें सबसे अधिक वोट पाने वाला प्रत्याशी विजयी होता है।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वः

प्रत्येक पार्टी चुनावों में पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी करती हैं और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती हैं जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता हैं चुनावों की इस व्यवस्था में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितने प्रतिशत उसे वोट मिलती हैं इस प्रणाली में मतदाता प्रत्याशी को नहीं बल्कि पार्टी को वोट देता हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दो प्रकार की होती हैं जैसे–इजरायल व नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता हैं और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीट दी जाती हैं दूसरा प्रकार अर्जेंटीना व पुर्तगाल में पूरे देश को बहु–सदस्ययी निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है।

भारत में 'सर्वाधिक वोट' से जीत प्रणाली क्यों स्वीकार की गई?

1. यह प्रणाली सरल हैं
2. चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होता हैं
3. यह प्रणाली भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए उपयुक्त हैं
4. मतदाता उम्मीदार को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं यह अवसर अन्य प्रणाली में नहीं मिलता

निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण

भारत के संविधान द्वारा संसद या राज्य विधानसभा में सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व देने के प्रयास में निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था की गई हैं इस व्यवस्था में सभी वर्गों के मतदाता वोट डालेंगे लेकिन प्रत्याशी केवल उसी सामाजिक वर्ग का होगा जिसके आरक्षण की व्यवस्था की गई हैं प्रारंभ में यह व्यवस्था केवल 10 वर्ष के लिए थी लेकिन अब इसे बढ़ा कर 2030 तक कर दिया हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 84 अनुसूचित जाति के लिए तथा 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण परिसीमन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता हैं जिसका गठन राष्ट्रपति करते हैं।

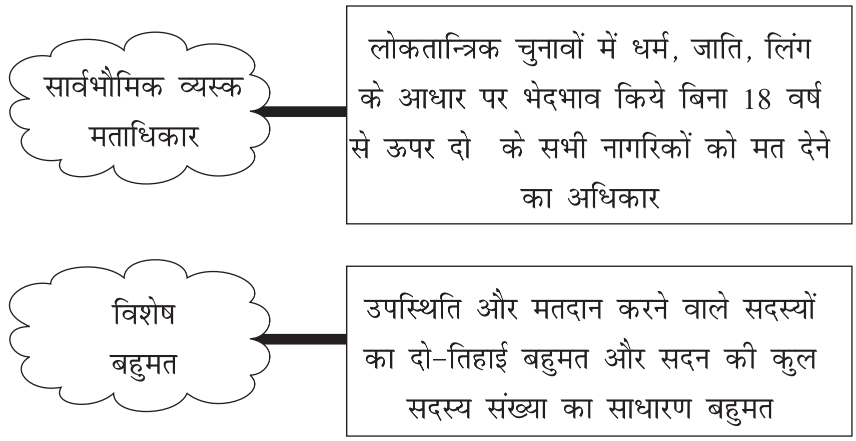

चुनाव सुधारः

चुनाव की कोई भी प्रणाली कभी भी आदर्श प्रणाली नहीं हो सकती हर प्रणाली में कुछ–न–कुछ कमियां अवश्य होती हैं लोकतान्त्रिक समाज को अपने चुनावों को और अधिक निष्पक्ष व स्वतंत्र बनाने के प्रयास लगातार करने पड़ते हैं इसे ही चुनाव सुधार कहते हैं, जैसे–भारत में आपराधिक भूमिका वाले लोगों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करना।

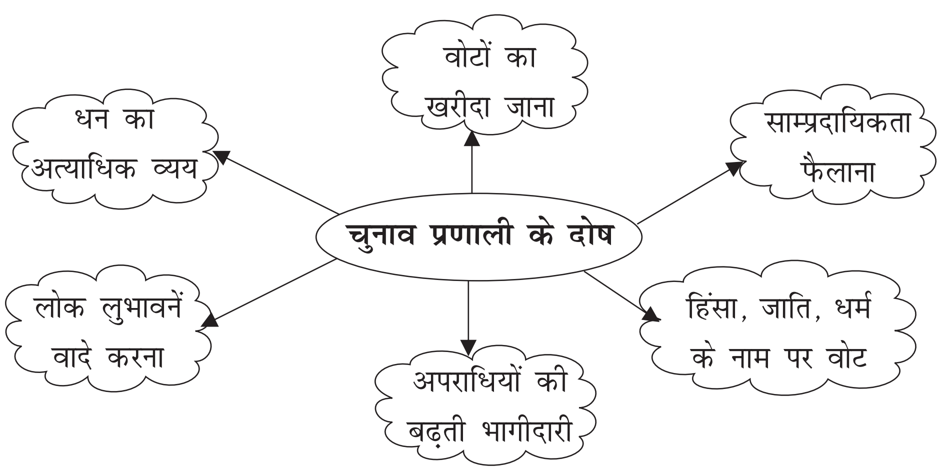

एक अंकीय प्रश्न–

1. प्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या अभिप्राय हैं?
2. अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या तात्पर्य हैं?
3. निर्वाचन किसे कहते हैं?

4. मतदाता किसे कहते हैं?

5. मतदाता सूचियां कौन तैयार करवाता हैं?

खाली स्थान भरो–

6. स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना .... की जिम्मेदारी हैं।

7. जब 5 साल बाद चुनाव होते हैं उसे .... कहते हैं।

8. 18 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति जब मतदान करता हैं तो उसे .... कहते हैं।

9. लोकसभा या राज्य विधान सभा लड़ने की न्यूनतम आयु .... हैं।

10. अनुच्छेद 324(1) के द्वारा भारत में .... की स्थापना कि गई है।

सही या गलत वाक्य की पहचान कीजिए–

11. समानुपातिक प्रणाली को ही बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं।

12. प्रथक निर्वाचक मंडल व्यवस्था में जिस समुदाय या प्रत्याशी चुनाव में खड़ा होता हैं उसे समुदाय के लोग मत देते हैं।

13. चुनावों में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा परिसीमन आयोग तय करता है।

14. भारत में चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता हैं।

15. भारत में राज्य सभा चुनावों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई हैं।

प्रश्न संख्या 16–20 बहुविकल्पीय हैं

16. भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण हैं

    (क) विधान सभा (ख) संसद (ग) ग्राम सभा (घ) नगर निगम

17. समानुपातिक प्रतिनिधित्व निम्न में से किस देश द्वारा अपनाई हुई हैं

    (क) भारत (ख) इंग्लैंड (ग) अमेरिका (घ) इजरायल

18. लोकसभा में कुल कितनी सटें आरक्षित हैं?

    (क) 131 (ख) 84 (ग) 47 (घ) 125

19. मत देने की उम्र 21 से घटा कर 18 वर्ष कब की गई?

    (क) 1984 (ख) 1989 (ग) 1991 (घ) 1995

20 शब्दों में दीजिए। (दो अंकीय प्रश्न)

1. भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे?
2. विशेष बहुमत का क्या अर्थ हैं?
3. राजनीतिक दलों को चुनाव चिह्न कौन आवंटित करता है?
4. राज्य सभा चुनावों में कौन–सी चुनाव प्रणाली अपनाई जाती हैं?
5. भारत में वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं?
6. प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में दो अन्तर लिखिए।
7. 'फर्स्ट–पास्ट–द–पोस्ट' प्रणाली का क्या अर्थ है?
8. 'समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली' किसे कहते है?
9. गुप्त मतदान प्रणाली किसे कहा जाता है?
10. आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से आप क्या समझते हैं?
11. किसी चुनाव प्रणाली की सफलता के कौन से दो तत्व है?
12. परिसीमन आयोग से आप क्या समझते है? इसका गठन कौन करता है?
13. भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष लिखे?

चार अंकीय प्रश्नः–

1. 'सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत' और 'समानुपातिक प्रतिनिधत्व चुनाव व्यवस्था मे ंचार अन्तर लिखिए।
2. सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के चार महत्व लिखिए।
3. भारत के निर्वाचन आयोग के चार मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए।
4. प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में प्रचलित प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय व्यवस्था को समझाइए।
5. लोकसभा एवं विधानसभा सदस्य बनने के लिए संविधान में कौन–कौन सी योग्यताएं तय की गई है?
6. 'लोकतंत्र में चुनाव का महत्व' विषय पर टिप्पणी लिखिए।
7. पृथक निर्वाचन मण्डल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच अन्तर स्पष्ट कीजिए।

पाँच अंकीय प्रश्नः–

1. निम्नलिखित कार्टून को ध्यानपूर्वक देखो तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए–

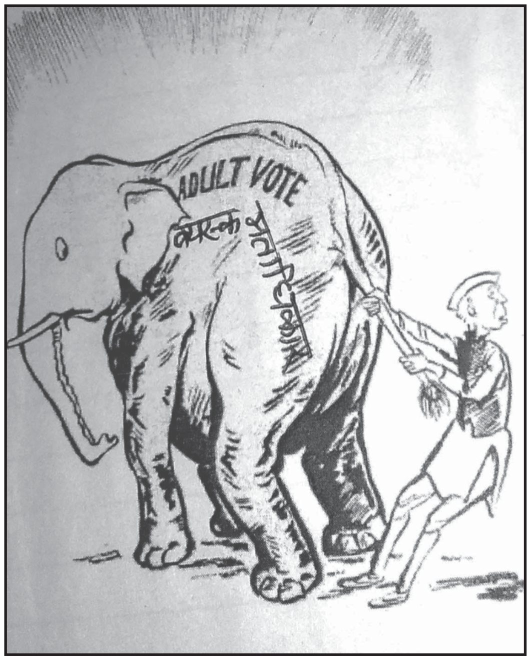

(क) कार्टून में हाथी किस समस्या की ओर संकेत करता नजर आता है?

(ख) हाथी की पूंछ खींचना किस ओर इशारा करता है?

(ग) हाथी की पूंछ खींचने वाले नेता का नाम लिखिए?

(घ) व्यस्क मताधिकार से आप क्या समझते है?

छः अंकीय प्रश्न–

1. भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार के कोई छः सुझाव सुझाइए। वर्णन करो।
2. भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चयन प्रक्रिया को समझाते हुए, उसके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए।
3. भारत की चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को सविस्तार समझाइए?
4. भारत की चुनाव प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें?
5. ''चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्कें के दो पहलू है।'' इस कथन को समझाते हुए चुनावों का लोकतंत्र में महत्व क्या है? समझाइए।

चार अंकीय प्रश्न–

आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक चुनावों में देश के सभी व्यस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार होना जरूरी है इसी को सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं। अनेक देशों के नागरिकों को इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपने शासकों से बहुत लम्बी लड़ाई लड़नी पड़ी बहुत से देशों में तो महिलाओं को यह अधिकार काफी देर से और बड़े संघर्ष के बाद मिला–

1. सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार क्या है?
2. भारत में मतदान की न्यूनतम आय क्या है?
3. भारत में सार्वभौमिक व्यष्क मताधिकार कब से लागू हुआ।
4. भारत में आम चुनाव कितने वर्षो में होता है।

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्न के उत्तरः–

1. ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें नागरिक सरकार के फैसलों में सीधे भाग लेते हैं।
2. ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधि चुन कर भेजते हैं तथा वे जनता के नाम पर फैसले लेते हैं।
3. जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनती हैं उसे चुनाव या निर्वाचन कहते हैं।
4. 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति जो चुनावों में मत देते हैं।
5. निर्वाचन आयोग
6. निर्वाचन आयोग
7. आम चुनाव
8. सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार
9. 25
10. निर्वाचन आयोग
11. गलत
12. सही
13. सही
14. गलत
15. सही

16. ग्राम सभा

17. इजरायल

18. 131

19. 1989

20. उम्र

दो अंकीय प्रश्न के उत्तरः–

1. सुकुमार सेन

2. कुल संख्या का बहुमार तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमत

3. चुनाव आयोग

4. समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली

5. सुनील अरोड़ा

6. (i) प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन में सीधा भाग लेती है, जबकि अप्रत्यक्ष में जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि भाग लेते है।

   (ii) प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को शासन मानता है जबकि अप्रत्यक्ष में जन प्रतिनिधि अपने आपको शासन समझते है।

7. इस प्रणाली का अर्थ यह है कि जो प्रत्याशी चुनावी दौड़ में अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वहीं विजयी होता है।

8. इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती है जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं जैसे कहीं पर पूरे देश में एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है जैसे–इज़राइल व नीदरलैंड। तथा कहीं पर पूरे देश को बहु–सदस्ययी निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है।

9. अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली में प्रतिनिधियों के चुनाव करवाने की प्रणाली गुप्त मतदान की है । इसमें मतदाता के अलावा किसी को पता नहीं चलता कि किसको वोट दिया गया है।

10. संविधान में व्यवस्था कि गई है कि अल्पसंख्यकों या निम्न वर्गों के जन प्रतिनिधि भी संसद में पहुंचे उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन विभाग समय–समय पर वर्ग विशेष, महिला विशेष के लिए आरक्षित सीटें कर देता है उसे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं।

11. (i) स्वतंत्र चुनाव (ii) निष्पक्ष / पारदर्शी चुनाव

12. भारत में निर्वाचन आयोग के साथ काम करने वाली संस्था जो निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करती है तथा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करती है उसे परिसीमन आयोग कहते है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

13. उत्तर मुख्य बिन्दुओं में से देखें।

चार अंकीय प्रश्नों के सांकेतिक उत्तरः—

1. **अन्तर—**

सार्वधिक वोट पाने वाले की जीत	समानुपातिक प्रतिनिधित्व
(i) देश को छोटे–छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देते है।	(i) पूरे देश का एक ही निर्वाचन क्षेत्र होता है
(ii) हर निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है।	(ii) एक से अधिक चुने जाते है।
(iii) मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है।	(iii) मतदाता पार्टी को मत देता है।
(iv) प्रत्याशी को मतदाता व्यक्तिगत जानते है।	(iv) इसमें मतदाता पार्टी को गुप्त रूप से वोट देता है इसलिए प्रत्याशी को नही जानता।

2. (i) सार्वभौमिक मताधिकार से जन प्रभुसत्ता सिद्धान्त लागू होता है।
   (ii) यह लोकतांत्रिक सिद्धान्त के अनुरूप है।
   (iii) व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है।
   (iv) इससे राजनीतिक जागरूकता आती है।

3. (i) मतदाता सूची तैयार करना।
   (ii) चुनाव की तिथि तय करना।
   (iii) चुनाव कराना, निरीक्षण करना।
   (iv) चुनाव परिणाम जारी करना।

4. सम्पूर्ण नगर राज्य के लोग एक खुले स्थान पर एकत्रित होते तथा अपने प्रतिनिधि को हाथ उठाकर चुनते तथा रोजमर्रा के सरकारी फैसला हाथ उठवाकर प्रत्यक्ष रूप से जनता से स्वीकृति प्राप्त करते थे। इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली कहते है।

5. (i) भारत का नागरिक हो।

(ii) आयु 25 वर्ष हो।

(iii) लाभ के पद पर ना हो।

(iv) पागल या दिवालिया ना हो।

(v) अपराधिक प्रवृत्ति का या सजा याफ्ता ना हो।

6. लोकतंत्र में चुनावों का बहुत महत्व है– चुनाव व लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू हैं। आज विश्व में सौ से अधिक देशों में लोकतंत्र है। जहां लोकतंत्र है वहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है।

7. पृथक निर्वाचन मण्डल में–एक समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय विशेष के लोग वोट डाल सकते है।

आरक्षित चुनाव क्षेत्र–में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है।

पांच अंकीय प्रश्नों के सांकेतिक उत्तरः–

1. (क) प्रथम आम चुनाव में अनुभवहीन विशाल मतदाताओं को नियंत्रित करके सफल मतदान करवाना।

(ख) अनियंत्रित मतदाताओं को चुनाव में मतदान के लिए तैयार करने का प्रयास।

(ग) पं. जवाहर लाल नेहरू।

(घ) 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के मतदान का अधिकार देना।

छः अंकीय प्रश्नों के सांकेतिक उत्तरः–

1. चुनाव सुधार –

(i) सर्वाधिक जीत प्रणाली के स्थान पर, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाएं।

(ii) ससंदीय एवं विधान सभाओं में एक तिहाई सीटों पर महिलाओं का चुनाव।

(iii) चुनावों में धन के प्रभाव पर नियंत्रण।

(iv) फौजदारी मुकद्दमें वाले की उम्मीदवारी रद्द।

(v) चुनाव प्रचार में जाति एवं धर्म का प्रयोग प्रतिबंधित हो।

(vi) राजनीति दलों में पारदर्शिता एवं लोकतंत्र हो।

2. मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति–राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल–छः वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। वेतन–उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश के समान होता है।

कार्य– (1) मतदाता सूची तैयार करना, (2) चुनाव कार्यक्रम तय करना, (3) स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना (4) राष्ट्रीय एक राज्यपार्टी के रूप में दलों/पार्टीयों का मान्यता देना। (5) चुनावों का निरीक्षण करना। (6) राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना।

3. चुनाव प्रक्रिया– (i) चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होना (ii) चुनावों की तिथि, आवेदन करने, नाम वापस लेने की तिथि। चुनाव प्रचार तथा चुनाव प्रचार की निगरानी करना, तय तिथि पर चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराना, मतगणना कराना तथा चुनाव परिणाम घोषित करना। (चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति, मतदान केन्द्रों की स्थापना)

4. चुनाव प्रणाली की विशेषताएं–

भारत में 'सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली' को अपना रखा है इसकी विशेषताएं है–

(i) यह सरल है।

(ii) इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाब देह होते है।

(iii) मतदाता एवं प्रतिनिधि का प्रत्यक्ष सम्पर्क रहता है।

(iv) यह प्रणाली क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लोकतंत्रीय सिद्धान्त पर आधारित है।

(v) इसमें खर्च कम आता है।

(vi) इस प्रणाली से राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है।

5. लोकतंत्र में चुनाव का महत्व–

(i) प्रतिनिधि चुनाव जीत कर सरकार में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करते है।

(ii) चुना हुआ प्रतिनिधि जनमत के अनुसार काम करेगा।

(iii) इस व्यवस्था में जनता में आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है।

(vi) लोकतंत्र में उचित प्रतिनिधित्व जरूरी है जो चुनाव द्वारा ही संभव है।

(v) नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की सुरक्षा उचित प्रतिनिधित्व से ही है।

(vi) उचित प्रतिनिधित्व से राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है।

चार अंकीय उत्तरः—

1. सभी व्यस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार।
2. 18 वर्ष
3. आजादी के पश्चात से ही
4. पांच वर्ष के अंतराल पर

अध्याय 4

कार्यपालिका

अध्याय के मुख्य बिन्दुः 1. कार्यपालिका क्या है? 2. कार्यपालिका के विभिन्न प्रकार, 3. भारत में संसदात्मक कार्यपालिका, 4. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद, 5. प्रधानमंत्री की शक्तियां, 6. स्थायी कार्यपालिकाः नोकरशाही।

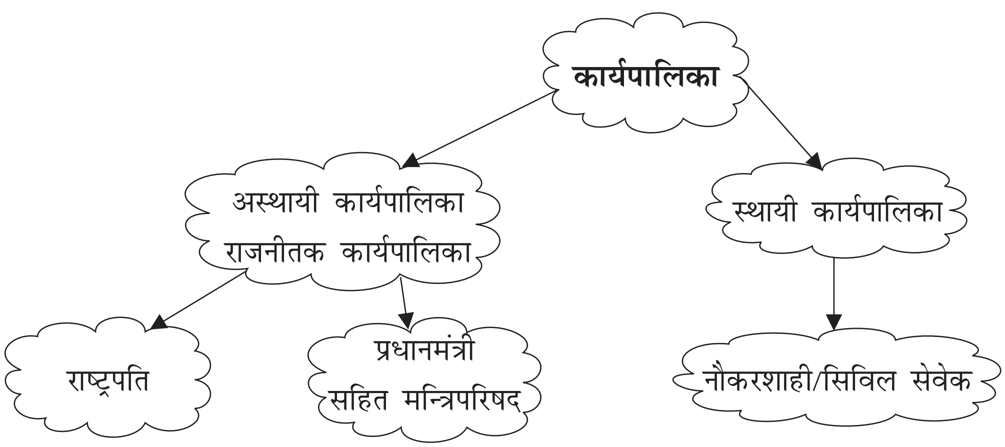

कार्यपालिका के प्रकार

सामूहिक नेतृत्व के सिद्धान्त पर आधारित → संसदात्मक, अर्द्ध अध्याक्षात्मक

व्यक्तिगत नेतृत्व के सिद्धान्त पर आधारित → अध्यक्षात्मक

संसदात्मक	अर्द्ध अध्याक्षात्मक	अध्यक्षात्मक
सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है	राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है।	राष्ट्रपति ही राज्य एवं सरकार दोनों का प्रमुख होता है।
वह विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है।	सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है।	राष्ट्रपति सामान्यतया जनता द्वारा निर्वाचित होता है।
वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है।	प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है।	वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता

कार्यपालिका का अर्थः–

- सरकार के उस अंग से है जो कायदे–कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते है।
- सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
- कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री य मंत्री ही नहीं होते बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा (सिविल सेवा के सदस्य) भी आता है।
- राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है। ये सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते है। राजनीतिक अधिकारी निर्वाचित होते है, स्थायी नही।
- स्थायी कार्यपालिका में जो लोग रोज–रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते है, को सम्मिलित किया जाता है। ये सिविल सेवक है जैसै IAS, IPS आदि।
- अमेरिका में अध्याक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है।
- कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें महारानी राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है।
- फ्रांस में राष्ट्रपति ओर प्रधानमंत्री अर्द्धअध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
- जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है।
- इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है।
- रूस में एक अर्द्धअध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है।
- जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमे राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान और चांसलर सरकार का प्रधान है।

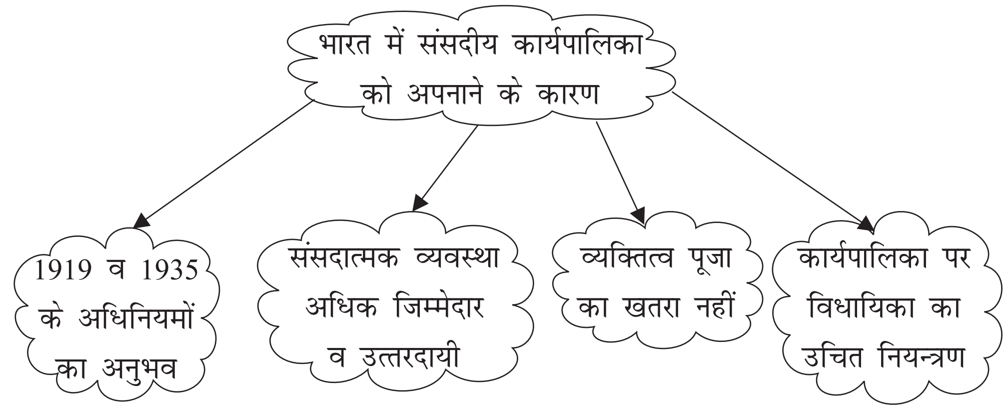

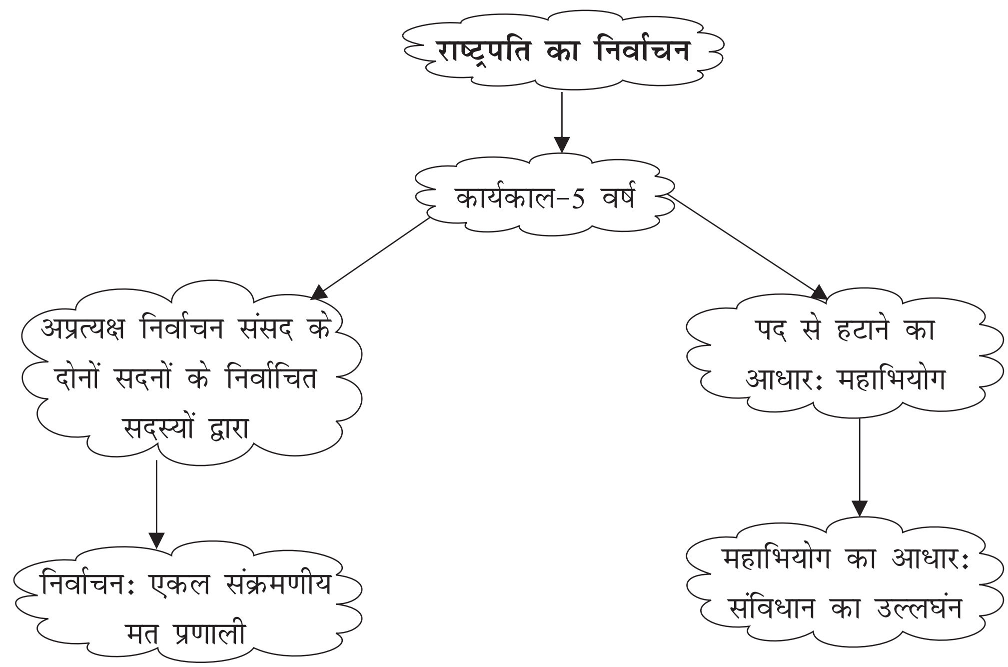

मन्त्रिपरिषद का आकारः संविधान के 91वें संविधान संशोधन द्वारा मन्त्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या को सीमित एवंनिश्चित किया गया है। मन्त्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कार्यस्तर के आधार पर मन्त्रियों का तीन स्तर में विभाजन

कार्यस्तर के आधार पर मन्त्रियों का तीन स्तर में विभाजन

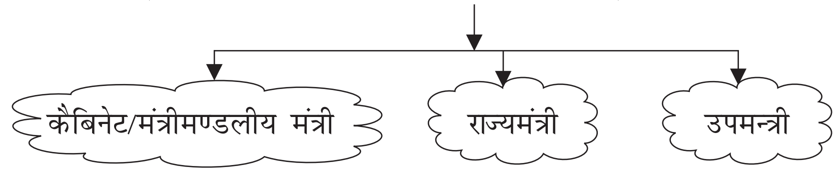

सामूहिक उत्तरदायित्व 75(3)

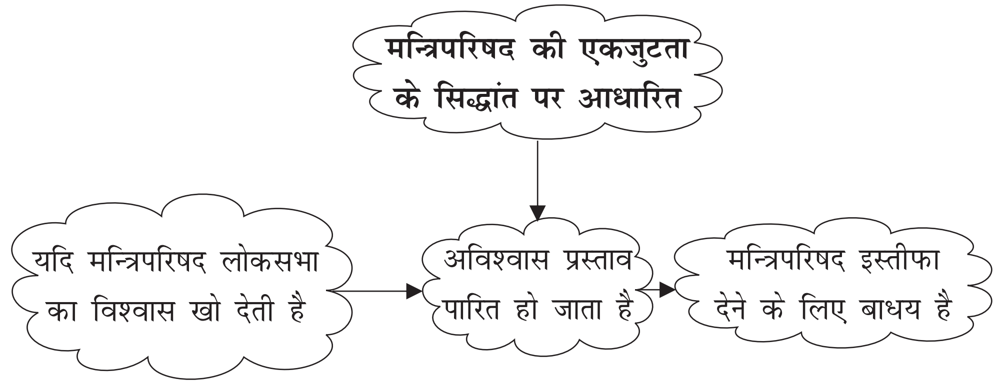

– अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। अमेरिका, ब्राजील और लेटिन अमेरकिा के कई देशों में यह व्यवस्था पाई जाती है।

– संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है इस व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का नाममात्र का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है। भारत, जर्मनी, इटली, जापान, इग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था है।

– अर्द्धअध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं लेकिन उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती है फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी ही व्यवस्था है।

भारत में संसदीय कार्यपालिकाः–

– अध्यक्षात्मक कार्यपालिका क्यूंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर बहुत बल देती है, इससे व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ–साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर भी पर्याप्त अंकुश लगें हो।

- संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और नियंत्रित भी। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया।
- भारत में इस व्यवस्था में राष्ट्रपति, औपचारिक प्रधान होता है तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते है। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते है।

राष्ट्रपति की शक्ति और स्थितिः–

- एक औपचारिक प्रधान हैः राष्ट्रपति को वैसे तो बहुत सी कार्यकारी, विधायी (कानून बनाना) कानूनी और आपात शक्तियाँ प्राप्त है परंतु इन सभी शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है।

राष्ट्रपति के विशेषाधिकारः–

संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।

राष्ट्रपति के विशेषाधिकार

1. सदनों को पुर्नविचार के लिए लौटा सकता है।
2. वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने में विलम्ब।
3. चुनाव के बाद कई नेताओं के दावें के समय यह निर्णय करें कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा।

आखिर राष्ट्रपति पद की क्या आवश्यकता है?

- संसदीय व्यवस्था मे, समर्थन न रहने पर, मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है, ऐसे समय में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सकें।
- राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ये सभी कार्य करते हैं।
- भारत का उपराष्ट्रपतिः पांच वर्ष के लिए चुना जाता है, जिस तरह राष्ट्रपति को चुना जाता है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाया जाने या अन्य किसी कारक के पद रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद

प्रधानमन्त्री पद के लिए योग्यताए–

1. वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो।

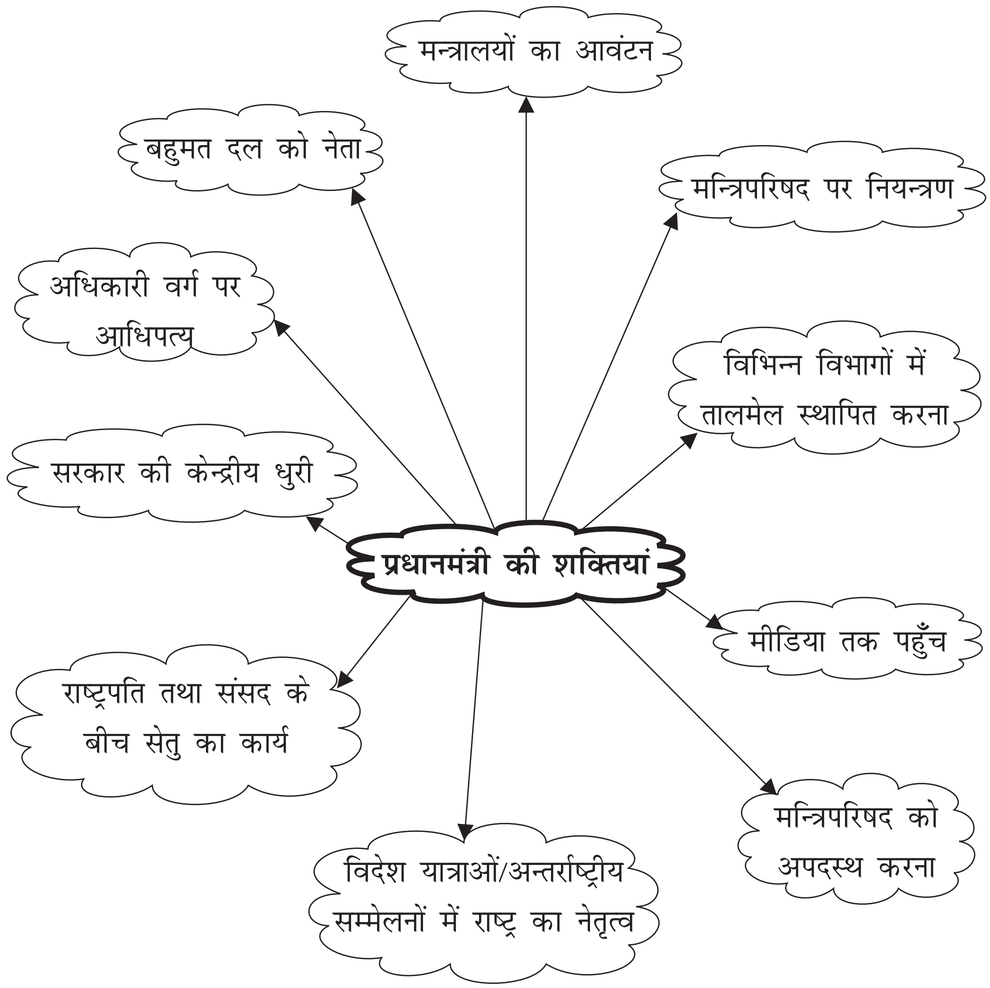

विभिन्न परिस्थितियों में प्रधानमंत्री की स्थिति

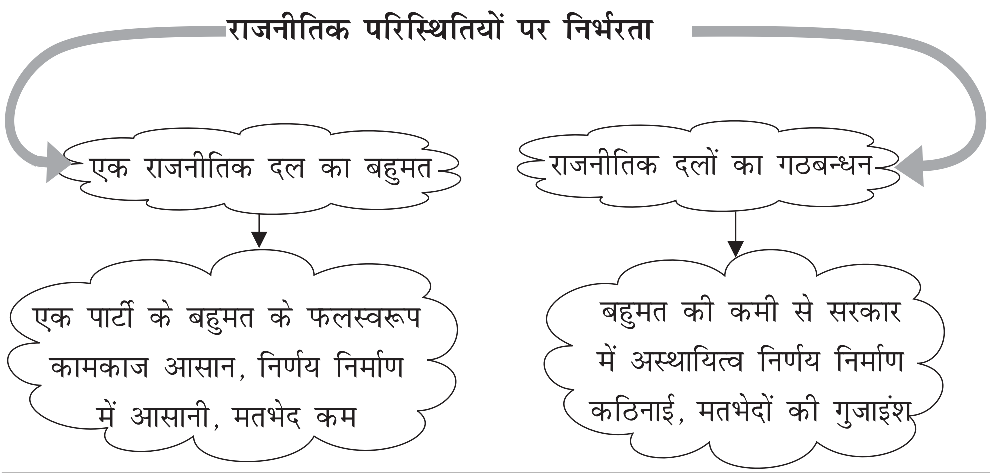

2. बहुमत का समर्थन प्राप्त हो।

3. यदि प्रधानमन्त्री बनने के लिए समय वह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो छः महीने के भीतर उसे संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होना अनिवार्य होगा। यही स्थिति मन्त्रीयों पर भी लागू होगी।

प्रधानमंत्री पद की शक्तियो में आए बदलावः—

1. प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ी है।
2. राजनीतिक सहयोगियों से परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है।
3. प्रधानमंत्री के विशेषाधिकारों पर अंकुश लगा है।
4. सहयोगी दलों के साथ बातचीत तथा समझौते के बाद ही नीतियां बनती है।

राज्यों में कार्यपालिका का स्वरूपः—

– राज्यों में एक राज्यपाल होता है जो (केन्द्रीय सरकार की सलाह पर) राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है।

– मुख्यमंत्री विधान सभा में बहुमत दल का नेता होता है।

– बाकी सभी सिद्धांत वही है जो केन्द्र सरकार में संसदीय व्यवस्था होने के कारण लागू है।

स्थायी कार्यपालिका (नौकरशाही):—

कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन, सम्मिलित होता है। इसे नागरिक सेवा भी कहते है।

– नौकरशाही में सरकार के स्थाई कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने में तथा उन्हें लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं।

– भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है इसका अर्थ है कि नौकरशाही राजनीतिक रूप से तटस्थ है। प्रजातंत्र में सरकारे आती जाती रहती है ऐसी स्थिति में, प्रशासनिक मशीनरी की यह जिम्मेदारी है कि वह नई सरकारों को अपनी नीतियां बनाने में और उन्हें लागू करने में मदद करें।

– नौकरशाही के सदस्यों का चुनावः नौकरशाही में अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी एवं प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित है। भारत में सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) को सौंपा गया है।

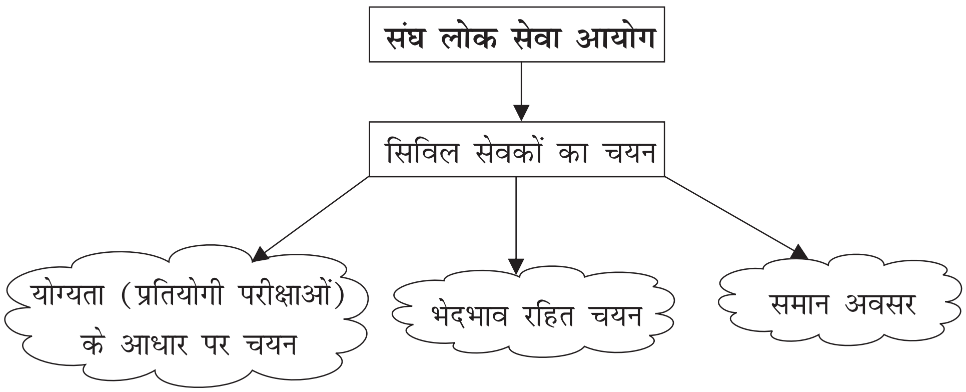

– ऐसा ही लोकसेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए है जिन्हें राज्य लोक सेवा आयोग कहा जाता है।

– लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की गई जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है।

– लोक सेवकों की नियुक्ति दक्षता व योग्यता को आधार बनाकर की जाती हैं संविधान ने पिछड़े वर्गों के साथ–साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही बनने का मौका दिया है इसके लिए संविधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है।

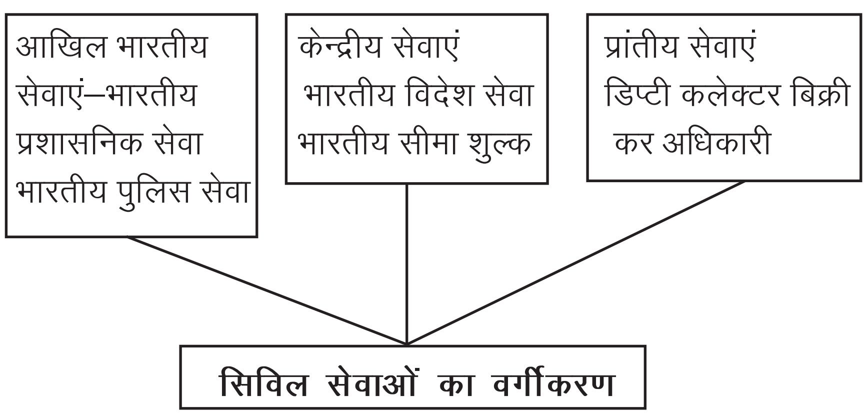

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस) तथा भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) के उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। किसी जिले का जिलाधिकारी (कलेक्टर) उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है और ये समान्यतः आई ए एस स्तर का अधिकारी होता है।

नोटः— पॉकेट वीटो (Pocket Veto) — जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता है और संविधान के अनुच्छेद-**III** के अन्तर्गत पुर्नविचार को भी नहीं लौटाता है ऐसी स्थिति में वो पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है।

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्नः—

1. अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति से संबंधित किस प्रावधान का उल्लेख किया गया है?

   (a) राष्ट्रपति का निर्वाचन

   (b) राष्ट्रपति का कार्यकाल

   (c) राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री

   (d) महाभियोग

2. भारत में गठबंधन की सरकारों का दौर कब शुरू हुआ?

   (a) 1986 (b) 1987

   (c) 1988 (d) 1989

3. 'प्रधानमंत्री सरकार की केन्द्रीय धुरी है'—कथन किसका है?

   (a) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (b) सरदार पटेल

   (c) जवाहरलाल नेहरू (d) सच्चिदानंद सिन्हा

4. राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है?

   (a) संविधान के उल्लंघन पर

   (b) पुनविर्चार के लिए बिल लौटाने पर

   (c) त्यागपत्र पर

   (d) इनमें से कोई नहीं

5. भारत में सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती का कार्यभार सौंपा गया है।

   (a) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (b) संघ लोक सेवा आयोग

   (c) वित्त आयोग (d) नीति आयोग

6. भारत लोक सेवकों की नियुक्ति का आधार है।

(a) राजनीतिक योग्यता (b) दक्षता एवं योग्यता

(c) मात्र निर्वाचन (d) कोई नहीं

7. राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं

(a) संसद के दोनों सदनों के सदस्य

(b) संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य

(c) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य

(d) संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य

8. संविधान के 91 वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान को सम्मिलित किया गया है..........

9. राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का नाम है.........

10. राज्यसभा का पदेन सभापति .... होता है।

11. राष्ट्रपति का निर्वाचन .... प्रणाली द्वारा होता है।

12. भारतीय विदेश सेवा .... सेवाओं के अंतर्गत आती हैं।

निम्नलिखित कथन को सही करके पुनः लिखें।

13. वीटो शक्ति से अभिप्राय है राष्ट्रपति संसद से पारित विधेयकों पर अपनी स्वीकृति तुरंत देता है।

14. मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

15. अध्यक्षात्मक कार्यलालिका में राज्य का प्रमुख तथा सरकार का प्रमुख अलग–अलग होता है।

16. भारत में अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया है।

निम्नलिखित कथन बताएं सही है या गलत।

17. संघ लोक सेवा आयोग का कार्य है राष्ट्रपति को चुनना।

18. भारत में निर्वाचित नौकरशाही का सिद्धांत अपनाया गया है।

19. भारत में राज्य प्रमुख राष्ट्रपति है।

20. संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की गई जांच के आधार पर ही हटाया जा सकता है।

संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर दें।

21. कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है?
22. कार्यपालिका में मुख्यतः किन–किन लोगों को शामिल किया जाता है?
23. भारत और इंग्लैंड की कार्यपालिका में प्रमुख अंतर क्या है?
24. अध्यक्षात्मक कार्यपालिका किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए।
25. भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त एक स्वविवेकीय शक्ति है का उल्लेख करें।
26. राष्ट्रपति को विशेषाधिकार की शक्ति से क्या अभिप्राय है?
27. कार्यपालिका तथा राजनीतिक कार्यपालिका में कोई एक अंतर बताएं।
28. पॉकेट वीटो से आप क्या समझते हैं?
29. सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है?
30. राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
31. जिला कलेक्टर सामान्यतः किस स्तर का अधिकारी होता है?
32. लोक सेवा में दक्षता योग्यता के साथ ही समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले। इसके लिए संविधान में क्या प्रावधान सुनिश्चित किया है।
33. लोकसभा में बहुमत दल का नेता क्या कहलाता है?
34. **निम्नलिखित अवतरण को पढ़ें तथा प्रश्नों के उत्तर दें:**

कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका प्राय नीति निर्माण में भाग लेती है। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो लोग रोज–रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें स्थाई कार्यपालिका कहते हैं।

1. राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं?
2. स्थाई कार्यपालिका किसे कहते हैं?
3. कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है?
4. राजनीतिक कार्यपालिका कएए एक उदाहरण बताए।

35. राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान है। उसे औपचारिक रूप से बहुत–सी कार्यकारी, विधायी, आपात शक्तियां प्राप्त है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और वही वास्तविक कार्यकारी हैं। अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होती है।

1. भारतीय संसदात्मक व्यवस्था में राज्य का प्रमुख कौन है?
2. राष्ट्रपति की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है?
3. लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है?
4. संसदात्मक संसदात्मक कार्यपालिका की एक प्रमुख विशेषता का वर्णन करें।

दो अंकीय प्रश्नः–

1. कार्यपालिका के किन्हीं दो रूपों का वर्णन करों।
2. एकजुटता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं?
3. राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से क्या अभिप्राय है?
4. 'राष्ट्रपति एक अलंकारिक प्रधान है' स्पष्ट करो?
5. ''मंत्रीगण एक साथ तैरते है तथा एक साथ डूबते हैं'' इस कथन का क्या आशय है?
6. प्रधानमंत्री की शक्तियां किन परिस्थितियों पर निर्भर करती है। कैसे?
7. ''राज्यपाल केन्द्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है''। कैसे?
8. ''भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है'' स्पष्ट करें।
9. समाज के सभी वर्ग नौकरशाही का हिस्सा बन सकें इस उद्देश्य के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए है?
10. ''नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती है'' क्या आप इस कथन से सहमत है?

चार अंकीय प्रश्नः–

1. राजनीतिक कार्यपालिका तथा स्थाई कार्यपालिका में चार अंतर बताएं।
2. संसदीय कार्यपालिका की चार विशेषताओं का वर्णन करें जो उसे विशिष्ट बनाती है।

3. ''अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है'' कैसे?

4. राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियों का वर्णन करो।

5. राष्ट्रपति के ऐसे कौन से विशेषाधिकार है जो राष्ट्रपति की शक्ति को प्रभावी बनाते हैं।

6. ''प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपनी मर्जी नहीं चला सकता।'' क्यों?

7. ''प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा संसद के बीच एक सेतु का काम करता है'', स्पष्ट करों।

8. गठबंधन के युग के कारण प्रधानमंत्री की शक्तियों पर अंकुश लगा है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं?

ख. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो—

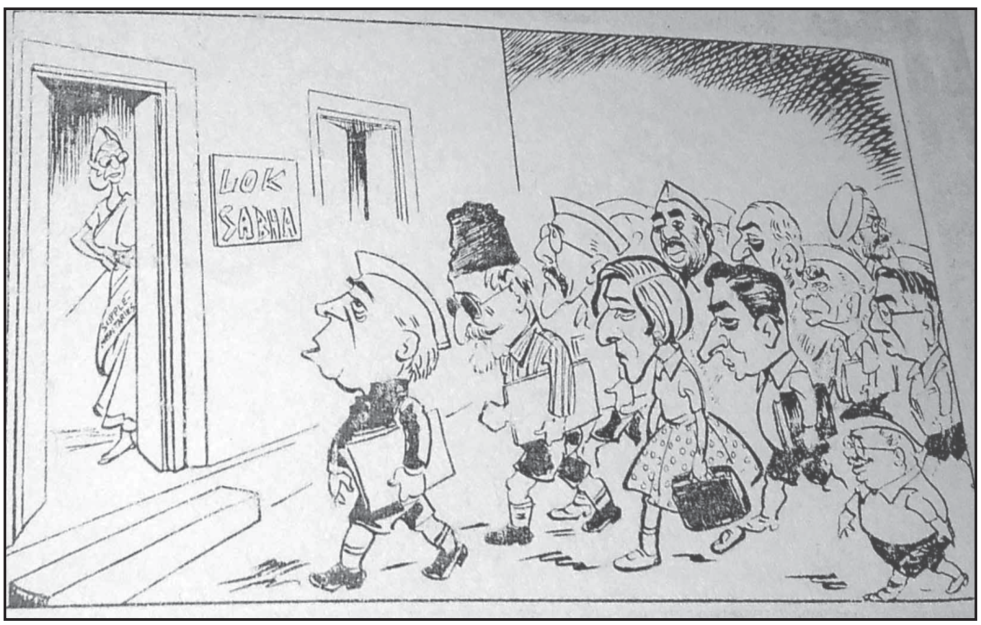

(1) चित्र में सबसे आगे कौन नजर आ रहा हे? उसके सबसे आगे होने का क्या अभिप्राय है?

(2) किन्हीं दो नेताओं को पहचाने उनके नाम लिखे।

(3) प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने के दो कारण लिखे।

ग. **निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो–**

(1) विश्वास मत से क्या अभिप्राय है?

(2) सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या अभिप्राय है?

(3) ''विश्वास मत जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री की परेशानियां समाप्त नहीं होती, इस कथन का क्या अभिप्राय है।

छः अंकीय प्रश्नः–

1. राष्ट्रपति की स्थिति तथा कार्यों का वर्णन करों।
2. क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है'' तीन उचित तर्क दीजिए।
3. जब संसद में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता तब प्रधानमंत्री किस व्यक्ति को बनाया जाता है? ऐसे में प्रधानमंत्री की शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
4. आमतौर पर देखा गया है कि संसदीय कार्यपालिका वाले देशों में प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली तथा शक्तिशाली बन जाता है। ऐसा किन कारणों से होता है?
5. नौकरशाही राजनीतिक कार्यपालिका की किस प्रकार से सहायता करती है?
6. गठबंधन सरकारों के दौर में राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियां बढ़ जाती है इसक कथन की तर्क सहित पुष्टि करें।

7. स्वतन्त्र भारत मे अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का आधार दक्षता, प्रशासनिक योग्यता एवं समान अवसर की सुनिश्चितता को ध्यान में रखकर किया गया। ऐसा क्यों?

8. नौकरशाही ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही अपनी दृढ़ मौजूदगी एवं प्रशासनिक कुशलता का परिचय दिया है। व्याख्या करें।

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्न के उत्तरः—

1. राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद
2. 1989
3. जवाहरलाल नेहरू
4. संविधान के उल्लंघन पर
5. संघ लोक सेवा आयोग
6. दक्षता एवं योग्यता
7. संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
8. मंत्री परिषद का आकार
9. महाभियोग
10. उपराष्ट्रपति
11. एकल संक्रमणीय मत प्रणाली
12. केंद्रीय सेवाओं
13. संसद से पारित विधेयकों पर स्वीकृति को लंबित करना
14. कुल सदस्य संख्या के 10% से अधिक नहीं
15. राज्य प्रमुख तथा सरकार प्रमुख एक ही
16. संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है
17. गलत
18. गलत
19. सही
20. सही
21. सरकार का वह अंग जो कानूनों को लागू करता है।
22. कार्यपालिका में मुख्यतः प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद व राष्ट्रपति को शामिल किया जाता है।

23. भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ अध्यक्ष है जबकि इंग्लैंड की रानी राजतंत्र अतिथि के द्वारा बनी अध्यक्ष है।

24. जहां राष्ट्रपति कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों का ही अध्यक्ष होता है।

25. जब लोकसभा में किसी राजनतिक दल को बहुमत प्राप्त ना हो तब प्रधानमंत्री का चुनाव करना।

26. सदन को पुनर्विचार के लिए बिल लौट आना।

27. स्थाई कार्यपालिका में दिन प्रतिदिन केप्र शासन के एिल उत्तरदाई कर्मचारी सम्मिलित होते हैं वही कार्यपालिका में सकरार की प्रधान तथा उनके मंत्रियों को शामिल किया जाता है।

28. जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता है और पुनर्विचार को भी लौट आता है तो ऐसी स्थिति में वह पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है।

29. जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना होता है इसका मतलब यही है कि यदि किसी एक मंत्री के विरूद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है।

30. राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है

31. भारतीय प्रशासनिक सेवा

32. आरक्षण का प्रावधान

33. प्रधानमंत्री

34.
   1. राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान तथा उनके मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है।
   2. स्थाई कार्यपालिका में दिन–प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदाई कर्मचारी शामिल होते हैं।
   3. कार्यपालिका का मुख्य कार्य विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियां तथा कानूनों को लागू करने का है।
   4. राजनीतिक कार्यपालिका का एक उदाहरण है प्रधानमंत्री तथा उनके मंत्री

35.
   1. भारतीय संसदात्मक व्यवस्था में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति है।
   2. प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद
   3. प्रधानमंत्री
   4. राज्य का प्रमुख व सरकार प्रमुख अलग–अलग

2 अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. संसदीय कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका (संक्षिप्त वर्णन)

2. अध्यक्षात्मक कार्यपालिका जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्याग पत्र देता पड़ता है।

3. जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तो राष्ट्रपति
   (1) अध्यादेश जारी कर सकता है।
   (2) यदि देश पर आक्रमण हो जाए।
   (3) यदि देश में वित्तीय संकट आ जाए।

4. क्योंकि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद करती है।

5. यदि एक मंत्री किसी प्रश्न का उत्तर न दे पाएं तो प्रधानमंत्री उससे त्यागपत्र देने को कहता है यदि वह त्यागपत्र न दें तो प्रधानमंत्री स्वंय अपना त्याग पत्र दे देता है और सरकार गिर सकती है।

6. जब सदन में पूर्ण बहुमत होता है तो प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली हो जाता है परंतु जब बहुमत नहीं होता तो उसे सभी काम सहयोगी दलों के नेताओं से सलाह करके करने पड़ते है।

7. क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है इसीलिए संबंधित राज्य में राज्यपाल केन्द्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है।

8. भारत में लोकसेवक प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी होते है वे अपने–अपने विषय में पारंगत होते है इसलिए नीतियों को बनाने और लागू करने में वे राजनीतिज्ञों की सहायता करते है।

9. संविधान में दलित तथा आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है बाद में महिलाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिया गया।

10. हाँ, क्योंकि नौकरशाही के सदस्य दक्ष और निपुण होते है और वे राजनीतिज्ञों को नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने में सहायता करते है।

4 अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. राजनीतिक कार्यपालिका– 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, समय से पहले भी हटाई जा सकती है। अपने कार्यों में निपुण नहीं होते।

   स्थाई कार्यपालिका–रिटायरमेंट की आयु तक काम करते है अपने कार्यों में दक्ष और निपुण होने के कारण राजनीतिक कार्यपालिका को मदद करते है।

2. – सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री

– राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति या राजा या रानी
– विधायिका में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री
– विधायिका के प्रति उत्तरदायी

3. अध्यक्षात्मक– देश का प्रमुख, सरकार का प्रमुख, जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से निर्वाचन, विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होना।

4. विधायी कार्यपालिका, न्याय संबंधी, तीनो सेनाओं का सेनापति।

5. (1) वीटो (2) गठबंधन की सरकार के समय प्रधानमंत्री का चुनाव

6. क्योंकि केवल लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। गठबंधन के समय भी जिस व्यक्ति को सदन का विश्वास प्राप्त होता है उसे ही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है।

7. प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है, सदन की कार्यवाहियों से अवगत कराता है और सदन को राष्ट्रपति का संदेश देता है।

8. राजनीतिक सहयोगियों से विचार विमर्श बढ़ा है
– मंत्रियों का चयन अपनी इच्छा से नहीं कर सकता
– नीतियों और कार्यक्रम अकेले तय नहीं कर सकता
– मध्यस्थ की भूमिका बन गई है।

5. अंकीय प्रश्नों के उत्तर–

1. (क) 1. पं. जवाहर लाल नेहरू क्योंकि वो प्रधानमंत्री है
2. अध्यापक की सहायता से पहचानें व उत्तर दें।
3. – क्योंकि वह बहुमत दल का नेता है।
– वह वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है।

(ख) 1. सदन में बहुमत
2. संसद के प्रति उत्तरदायी
3. क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति यदि दल छोड़ दें तो फिर से वहीं संकट आ जाएगा।

छः अकीय प्रश्नों के उत्तरः

1. स्थितिः राष्ट्र का अध्यक्ष, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति, नामपात्र की शक्तियां।

2. हां, क्योंकिः–
(1) संविधान में ऐसा प्रावधान है अनुच्छेद 74 (1)

(2) क्योंकि राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित प्रधान नहीं है।

(3) प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी है।

3. तब राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है जो सदन में बहुमत प्राप्त कर लेता है प्रधानमंत्री की एकाधिकारवादी शक्तियां कम हो जाती है और विचार–विर्मश अधिक हो जाता है।

4. – मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण
– अधिकारी वर्ग पर अधिपत्य
– लोकसभा का नेतृत्व
– मीडिया तक पहुंच
– चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार,
– अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि
– विदेशी यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि

5. नौकरशाही मंत्रियों को नीतियों को बनाने तथा उन्हें लागू करने में सहायक, नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं (कोई अन्य)।

6. गठबन्धन के दौर में राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्ति का बढ़ना–

(क) प्रधानमंत्री का चयन (यदि किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता।) उदाहरणों के साथ व्याख्या करें।

(ख) किसी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलने पर राष्ट्रपति पर निर्णय लेने की अधिक जिम्मेदारी।

7. दक्षताः ताकि कुशल एवं निपुण कार्यपालिका कार्यों को भली–भांति कर सके।

प्रशासनिक योग्यताः लोकतान्त्रिक मूल्यों का संर्वद्धन तथा ही सम्भव जब सबको समान अवसर उपलब्ध है।

8. नीतियों का वास्तविक क्रियान्वयन नौकरशाही द्वारा ही सम्भव।

दिन प्रतिदिन के कार्यो के लिए उत्तरदायी

सामाजिक समस्याओं को कुशलतापूर्वक निपटाने में सक्षम।

सूचना के अधिकार जैसे कदमों ने नौकरशादी को अधिक पारदर्शी व उत्तरदायी बनाया।

अध्याय 5
विधायिका

अध्याय के मुख्य बिन्दुः विधायिका की आवश्यकता, संसद के दोनों सदन, संसद के कार्य, कूनन निर्माण, संसद की समितियां कार्यपालिका पर नियंत्रण।

विधायिकाः—

— संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है, यह राष्ट्रपति और दो सदन, जो राज्य परिषद (राज्य सभा) और जनता का सदन (लोक सभा) कहलाते है, से बनती है। राज्यों की विधायिका को विधानमंडल या विधानसभा कहते हैं।

— लोकतंत्रीय शासन में विधायिका का महत्व बहुत अधिक होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनायी गयी है जो कि ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित हैं।

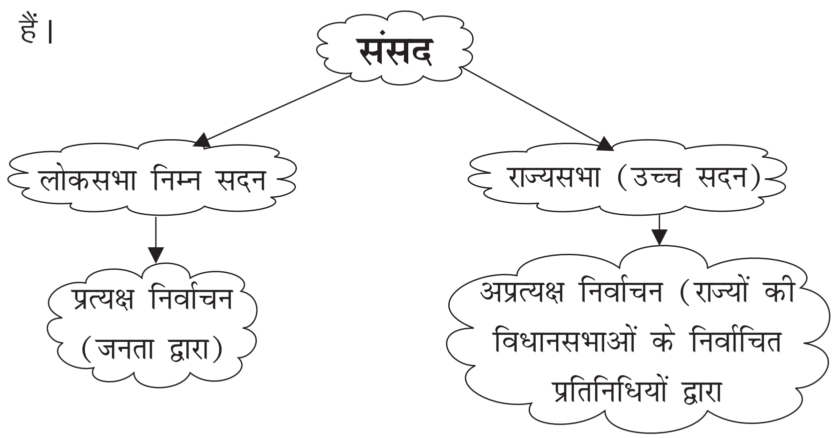

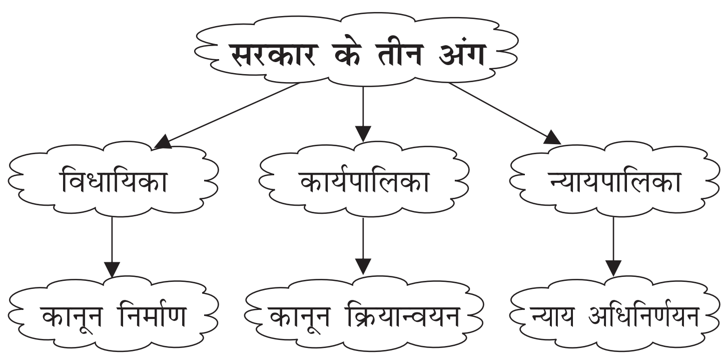

— विधायिका का चुनाव जनता द्वारा होता है। इसलिए यह जनता का प्रतिनिधी बनकर कानून का निर्माण करता है। इसकी बहस विरोध, प्रदर्शन, बहिर्गमन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि अत्यंत जीवन्त बनाए रखती है।

– संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारतीय संसद में दो सदनों के साथ–साथ राष्ट्रपति को भी सम्मिलित किया जाता हैं

– द्वि–सदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका का पहला लाभ समाज के सभी वर्गो और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सकें। दूसरा लाभ संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो।

– भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा हैं इसके अधिकतम 250 सदस्य होते है जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और 238 स्दस्य राज्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं। इनका निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्य सभा एक स्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसमें एक तिहाई सदस्यों का चुनाव होता है। मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, समाजसेवा, खेल आदि क्षेत्रों से लिये जाते है।

– अमेरिका के द्वितीय सदन (सीनेट) में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्य को अधिक व कम जनसंख्या वाले राज्य को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है।

– राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं–

(1) वह भारत का नागरिक हो।

(2) 30 वर्ष की आयु का हो।

इनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है।

– 1951 के जन–प्रतिनिधि कानून के अनुसार राज्यसभा या लोक सभा के उम्मीदवार का नाम किसी न किसी संसदीय निर्वाचक क्षेत्र में पंजीकृत होना आवश्यक है–

वित्तीय शक्तियांः–

(1) वित्त विधेयक पर राज्यसभा 14 दिन तक विचार कर सकता है।

(2) संविधान–संशोधन संबंधी शक्तियां।

(3) प्रशासनिक शक्तियां– मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न राज्यसभा में जो पूछे जा सकते है।

(4) अन्य शक्तियाँः चुनाव, महाभियोग, आपात स्थिति की घोषणा न्यायधीश को उसके पद से हटाया जाना इत्यादि पर दोनों सदनों पर अनुमति जरूरी है।

– लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। इसमे अधिकतम 550 सदस्य हो सकते है। वर्तमान में लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य है और दो सदस्य

(एंग्लो इंडियन) को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता हैं इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है परंतु उसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है।

– भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण लोकसभा अधिक शक्तिशाली है क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसे कार्यपालिका को हटाने को शक्ति भी प्राप्त है।

संसद के प्रमुख कार्यः–

(1) कानून बनाना।
(2) कार्यपालिका पर नियंत्रण।
(3) वित्तीय कार्यः बजट पारित करना
(4) संविधान संशोधन।
(5) निर्वाचन संबंधी कार्य।
(6) न्यायिक कार्य।
(7) प्रतिनिधित्व।
(8) बहस का मंच।
(9) विदेश नीति पर नियन्त्रण
(10) विचारशील कार्य

– लोकसभा की विशेष शक्ति धन विधेयक प्रस्तुत करना उसे संशोधित व अस्वीकार कर सकती है।

– मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।

विधेयक प्रस्तावित कानून का प्रारूप अनुच्छेद 107–112 कानून निर्माण

- सरकारी विधेयक
  - जो मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते है।
    - धन विधेयक
    - साधारण विधेयक
    - संविधान संशोधन विधेयक
- गैर सरकारी विधेयक
  - संसद का अन्य कोई सदस्य पेश करता है।
    - साधारण विधेयक
    - संविधान संशोधन विधेयक

प्रक्रियाः—

(1) प्रथम वाचन।

(2) द्वितीय वाचन (समिति स्तर)

(3) समिति की रिपार्ट पर चर्चा

(4) तृतीय वाचन।

(5) दूसरे सदन में प्रक्रिया।

(6) राष्ट्रपति की स्वीकृति।

संसदीय नियंत्रण के साधनः—

(1) बहस और चर्चा— प्रश्न काल, शून्य काल, स्थगन प्रस्ताव।

(2) कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति।

(3) वित्तीय नियंत्रण।

(4) अविश्वास प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव।

संसदीय समितियांः—

– विभिन्न विधायी व दैनिक कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक जरूरी पहलू है। ये विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करती है और प्रशासनिक कार्यों पर निगरानी रखती है

वित्तीय समितियांः—

(1) **लोक लेखा समिति**— भारत सरकार के विभिन्न विभागों का खर्च नियमानुसार हुआ है या नहीं।

(2) **प्राकलन समिति**— खर्च में किफायत किस तरह की जा सकती है।

(3) **लोक उपक्रम**— सरकारी उद्योगों की रिपोर्ट की जांच करती है कि उद्योग या व्यवसाय कुशलता पूर्वक चलाया जा रहे है या नहीं।

विभागीय स्थायी समितियांः—

(1) नियमन समिति।

(2) विशेषाधिकार समिति।

(3) कार्य—मंत्रणा समिति।

(4) आश्वासन समिति।

तदर्थ समितियांः—

– विशिष्ट विषयों की जांच—पड़ताल करने तथा रिपोर्ट देने के लिए समय—समय पर गठन किया जाता है। बौफोर्स समझौतों से संबंधित संयुक्त

समिति। समितियों द्वारा दिये गए सुझावो को संसद शायद ही नामंजूर करती है।

संसद स्वयं को किस प्रकार नियंत्रित करती है–

(1) संसद का सार्थक व अनुशासित होना।

(2) सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामलों में सर्वोच्च अधिकारी होता है।

(3) दल बदल निरोधक कानून द्वारा 1985 में 52 वां संशोधन किया गया। 91 वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया।

यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद–सदन में उपस्थित न हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करें अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दें उसे 'दलबदल' कहा जाता है। अध्यक्ष उसे सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहरा सकता है।

(4) भारतीय संघात्मक सरकार में 29 राज्य 7 केंद्र शासित इकाईयों को मिलाकर भारत में संघीय शासन की स्थापना करती है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया हैं

(5) भारत के प्रत्येक राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था एक समान नहीं है। कुछ राज्यों में एक सदनीय तथा कुछ राज्यों में द्वि–सदनीय व्यवस्था है।

(6) राज्यों में कानून निर्माण का कार्य विधानमंडलों को दिया गया है–

   (i) निम्न सदन को विधानसभा।

   (ii) उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है।

द्विसदनीय राज्यः–

– उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक व आन्ध्र प्रदेश, छः राज्य बाकी सभी राज्य एक सदनीय है।

(1) विधानसभा की शक्तियां–

   (i) विधायी कार्यशक्ति।

   (ii) वित्तीय शक्तियां।

   (iii) कार्यपालिका शक्तियां।

   (iv) चुनाव संबंधी कार्य।

   (v) संविधान संशोधन सबंधी शक्तियां।

(2) विधान परिषद की शक्तियां–

(i) विधायी शक्तियां।

(ii) वित्तीय शक्तियां।

(iii) कार्यपालिका शक्तियां।

दोनों सदन राज्य विधानपालिका के आवश्यक अंग होते हुए भी संविधान ने विधानसभा को बहुत शक्तिशाली व प्रभावशाली स्थित प्रदान की है।

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्न

1. राज्यसभा के सदस्यों के लिए आयु निर्धारित की गई है।

   (a) 30 वर्ष

   (b) 35 वर्ष

   (c) 40 वर्ष

   (d) 45 वर्ष

2. कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करने का अधिकार है।

   (a) राष्ट्रपति

   (b) लोकसभा अध्यक्ष

   (c) प्रधानमंत्री

   (d) उपराष्ट्रपति

3. भारत में मंत्री परिषद किस सदन के प्रति उत्तरदाई है?

   (a) राष्ट्रपति

   (b) लोकसभा

   (c) राज्यसभा

   (d) लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों

4. राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है।

   (a) प्रधानमंत्री

   (b) राष्ट्रपति

   (c) उपराष्ट्रपति

   (d) मुख्यमंत्री

5. राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जिन्हें विशेषज्ञता प्राप्त होती है।

   (a) कला, साहित्य खेल एवं विज्ञान
   (b) कला, साहित्य, रंगमंच एवं सामाजिक सेवा
   (c) कला, साहित्य, राजनीति एवं समाज सेवा
   (d) कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा

6. विधेयक को राज्यसभा पुनर्विचार के लिए रख सकती है।

   (a) 10 दिन
   (b) 14 दिन
   (c) 3 महीने
   (d) 6 महीने

7. राज्यसभा प्रतिनिधित्व करती है।

   (a) भारत के राज्यों का
   (b) संघ एवं राज्यों का
   (c) संघ का
   (d) कोई नहीं

8. यदि भारत सरकार कोई नया कर लगाना चाहती है तो उसे सहमति लेनी होगी।

   (a) राज्यसभा
   (b) लोकसभा
   (c) लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों
   (d) राष्ट्रपति

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें:

9. राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल .... होता है।
10. लोक सभा के पहले अध्यक्ष .... थे।
11. संविधान का 52वां संविधान संशोधन .... से संबंधित है।
12. विधायक द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक..................... कहलाता है।
13. लोकसभा व राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता .... करता है।

14. संविधान की 10 अनुसूची में राज्य सभा के सदस्यों की संख्या .... सुनिश्चित की गई है।

निम्नलिखित कथन बताएं सही है या गलत।

15. संसद में राज्यसभा लोकसभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है।
16. संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
17. मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।
18. गैर सरकारी विधेयक वह हैं जो संसद के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं।
19. संयुक्त राज्य अमेरिका में द्वितीय सदन सीनेट के सदस्यों को राज्यों में समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है।
20. लोक लेखा समिति यह देखती है कि सरकारी उद्योग या व्यवसाय कुशलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं या नहीं।

निम्नलिखित कथनों को सही करके लिखें।

21. राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रति 2 वर्ष के पश्चात कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं।
22. संविधान संशोधन विधेयक यदि दूसरे सदन में पारित नहीं होता है तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान संविधान में उल्लेखित है।
23. सरकार के विभिन्न विभागों का खर्च नियमानुसार हुआ है या नहीं यह कार्य लोक उपक्रम समिति का है।
24. विभिन्न विधाएं तथा दैनिक कार्यों के लिए संसदीय समिति का गठन किया जाता है। यह विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करती है। इनकी संस्तुतियों का पालन करना संसद के लिए अनिवार्य है।
25. भारतीय संघ में राज्यों की विधानसभाओं में दो सदनों की व्यवस्था अनिवार्य है।
26. कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो या मतदान ना करें या स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे तो उसे लोकसभा का नियंत्रण कहा जाता है।
28. संसद का किन्हीं दो समितियों के नाम लिखो।

अति संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर दें।

29. भारतीय संसद का कौन–सा सदन अधिक शक्तियशाली है?
30. वर्तमान में किस नए राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है?
31. संसद के कौन–से तीन सत्र होते हैं?
32. संसद के किसी एक न्यायिक कार्य का उल्लेख करें।
33. द्विसदनीय विधायिका का कोई एक लाभ समझाएं।
34. भारतीय संविधान में कितनी सूचियों का उल्लेख किया गया है?
35. संसदीय नियंत्रण के किन्हीं दो साधनों का उल्लेख करें?
36. अनुच्छेद 312 में क्या प्रावधान है?
37. कोई एक तर्क प्रस्तुत करें जिससे राज्यसभा की प्रासंगिकता का महत्व पता चलता है।
38. राज्यसभा किसी सामान्य विधेयक को अपने पास कितने समय तक रख सकती है?

निम्नलिखित अवतरण को पढ़ें तथा प्रश्नों के उत्तर दें।

विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है यह सभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का केन्द्र है। सदन का इसके तहत विरोध, प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग इत्यादि अत्यंत जीवंत बनाए रखते हैं। दरअसल वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल तथा प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा कसती। विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है।

1. विधायिका किस प्रकार प्रतिनिधि लोकतंत्र का मुख्य आधार है?
2. क्या आप मानते हैं कि एक शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है? अगर हां तो क्यों?
3. संसदीय नियंत्रण के किन्हीं दो साधनों का उल्लेख करें।
4. भारतीय संविधान में द्विसदनात्मक विधायिका को क्यों अपनाया गया है? कोई एक कारण बताएं।

निम्नलिखित अवतरण का पढ़े तथा प्रश्नों के उत्तर दें:

विधेयकों पर विचार विमर्श अधिकांशतः संसदीय समितियों में होता है। समिति की सिफारिशें को सदन में भेज दिया जाता है। इन समितियों में सभी संसदीय दलों का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसी कारण इन समितियों का लघु विधायिका भी कहते

है। यह कानून निर्माण की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। तीसरे और अंतिम चरण में विधेयक पर मतदान होता है। जब कोई सामान्य विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरा सदन भी इसी प्रक्रिया से गुजरता है।

1. संसदीय समितियों को लघु विधायिका क्यों कहा जाता है?
2. संसदीय समितियों में किस सदन के सदस्य होते हैं?
3. संसदीय समितियों का क्या महत्व है?
4. संसदीय समितियों ने विधायिका के कार्यों को काफी कम कर दिया है क्या आप कथन से सहमत हैं?

दो अंकीय प्रश्न–

1. दि–सदनात्मक विधायिका के पक्ष में दो तर्क दीजिए?
2. भारत के किन्हीं चार राज्यों के नाम लिखिए जिनमें द्वि–सदनात्मक विधायिका है?
3. राज्यसभा की संरचना स्पष्ट कीजिए?
4. लोकसभा की दो विशेष शक्तियों का उल्लेख कीजिए?
5. वित्त विधेयक और गैर विधेयक में अंतर है स्पष्ट करें।
6. मिलान करो–

(क)	राज्य सभा में मनोनीत सदस्य	(1)	राज्यसभा
(ख)	निम्न सदन	(2)	लोकसभा
(ग)	ऊपरी सदन	(3)	2
(घ)	लोकसभा में मनोनीत सदस्य	(4)	12

7. दलबदल में क्या अभिप्राय है?
8. राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए दो योग्यताएं कौन–सी है?
9. राज्यसभा की दो विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए?
10. किन परिस्थितियों में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है?

चार अंकीय प्रश्न–

1. विधायिका / संसद सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण केन्द्र है। स्पष्ट करें।

2. लोकसभा किस प्रकार भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रतिबिम्ब है चार तर्क दीजिए।

3. लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए?

4. यह नहीं है कि लोकसभा महत्वपूर्ण सदन है लेकिन राज्यसभा के पास ऐसी महत्वपूर्ण शक्तियां है जो उसे विशिष्ट बनाती है क्या आप इस कथन से सहमत है?

5. भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया के कोई चार चरण बताइए?

पांच अंकीय प्रश्न—

1. भारत के मानचित्र का अध्ययन करें तथा द्वि सदनात्मक विधायिका वाले पांच राज्यों का नाम लिखें। (पांच अंकों के लिए पांच स्थान दिखाये जा सकते है।)

उपरोक्त कार्टून के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए–

(i) सदन से वॉक आऊट करना क्या एक उचित तरीका है? स्पष्ट करें।

(ii) अध्यक्ष सदस्यों को सदन से किस आधार पर आऊट कर सकते है? (कोई दो कारण)

(iii) सदस्यगण वॉक आऊट जैसा व्यवहार क्यों करते हैं? अपना विचार प्रस्तुत करें।

छः अंकीय प्रश्न–

1. लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है।
2. लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं बल्कि जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इससे सहमत है? कारण दें।
3. केवल कानून निर्माण ही नहीं, अपितु संसद अनेक महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं की सहभागिता का हिस्सा है, इस कथन को स्पष्ट करते हुए संसद के कार्यो का उल्लेख करें।

4. संसदीय नियन्त्रण के वे कौन–से कारक है जो कार्यपालिका को अपने नियन्त्रण में रखते हैं।

5. प्रश्नकाल प्रशासनिक एवं कार्यकारी एजेन्सी पर नियन्त्रण का महत्वपूर्ण एवं प्रभावी साधन है। स्पष्ट करें।

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. 30 वर्ष
2. लोकसभा अध्यक्ष
3. लोकसभा
4. राष्ट्रपति
5. कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा
6. 14 दिन
7. भारत के राज्यों का
8. लोकसभा
9. 6 वर्ष
10. जीवी मावलंकर
11. दलबदल
12. गैर सरकारी विधेयक
13. लोकसभा अध्यक्ष
14. दसवीं अनुसूची
15. गलत
16. गलत
17. सही
18. सही
19. सही
20. गलत
21. एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं

22. संविधान संशोधन के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है यह सामान्य विधेयक पर होता है।
23. लोक लेखा समिति
24. इनकी संस्तुतियों का पालन करना संसद के लिए अनिवार्य नहीं है
25. दो सदन की व्यवस्था अनिवार्य नहीं है
26. दलबदल कहा जाता है
27. तेलंगाना
28. लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति लोकसभा
29. लोकसभा अधिक शक्तिशाली है
30. द्विसदनात्मक राज्य राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक ,महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश
31. 3 सत्रः बजट सत्र, मॉनसून सत्र, शीतकालीन सत्र
32. राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया
33. विधेयक पर पुनर्विचार
34. तीन सूचियों का उल्लेख
35. प्रश्नकाल, अविश्वास प्रस्ताव
36. अनुच्छेद 312 में प्रावधान है कि राज्य सूची के विषय पर यदि परिवर्तन करना है तो राज्यसभा की सहमति लेना आवश्यक है।
37. यह सदन विधायकों पर पुनविचार करता है तथा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है
38. 6 महीने तक अपने पास रख सकती है।

अवतरण पर आधारित प्रश्नों के उत्तर

1. विधायिका सभी राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है तथा विरोध प्रदर्शन सर्वसम्मति सरकार तथा सहयोग जैसे मुद्दे प्रतिनिधि लोकतंत्र के मुख्य आधार है।
2. यह सही है क्योंकि यदि विधायिका मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास पारित करती है तो मंत्री मंडल को इस्तीफा देना होता है।
3. प्रश्न काल, अविश्वास प्रस्ताव, वित्तीय नियंत्रण

4. ताकि सभी मुद्दों पर भली–भांति विचार–विमर्श हो सके तथा कोई भी विधेयक अति शीघ्र पारित ना हो।

1. संसदीय समितियों को लघु समिति कहा जाता है क्योंकि इन समितियों में विषय विशेष से संबंधित विशेषज्ञ शामिल होते हैं जो उस विषय पर बारीकियों से विचार–विमर्श करते हैं।

2. संसदीय समितियों में लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं।

3. संसदीय समितियों का महत्व यही है कि इसमें सभी संसदीय दलों का प्रतिनिधित्व होता है तथा कानून बनाने के लिए उससे जुड़े विषय का गहन अध्ययन करना होता है जिसे संसदीय समिति भली–भांति पूरा करती है।

4. क्योंकि संसद के पास समय की कमी होती है। इसीलिए संसदीय समितियों ने विधायिका के कार्यों को काफी कम किया है।

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. (1) समाज के सभी वर्गों व क्षेत्रों की समुचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है।
   (2) दूसरा सदन प्रथम सदन के कार्यभार कम करता है।

2. (1) आन्ध्र प्रदेश (2) उत्तरप्रदेश (3) बिहार (4) कर्नाटक

3. राज्यसभा के कुल सदस्य 250 है जिसमें 238 राज्यों द्वारा निर्वाचित क्षेत्र और 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है।

4. (1) धन विधेयक पेश करना
   (2) मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण।

5. संविधान में संशोधन के लिए या सामान्य विधयकों को गैर वित्त विधेयक कहते है जबकि धन संबंधी विधेयकों को वित्त विधेयक कहते है जैसे कर लगाने के प्रस्ताव का बजट।

6. मिलान करो–
   (क) (4)
   (ख) (2)
   (ग) (1)
   (घ) (3)

7. जब कोई सदस्य स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दें और दल की सदस्यता ग्रहण कर लें उसे दलबदल कहते है।

8. (1) वह भारत का नागरिक हो।?

(2) वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

9. (1) राज्य सभा, राज्य के अंतर्गत आने वाली विषयों पर राष्ट्रीय हित हेतु संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है।

(2) राज्यसभा किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का राष्ट्र के हित में गठन कर सकती है।

10. जब दोनों में मतभेद हो।

चार अंकीय प्रशनों के उत्तर–

1. (i) विधि निर्माण।
   (ii) बजट पारित करना।
   (iii) सरकार पर नियंत्रण।
   (iv) संविधान में संशोधन।
2. उत्तर के लिये पाठ्य पुस्तक का पेज नं. 110 देखे।
3. (i) भारत का नागरिक।
   (ii) आयु 25 वर्ष।
   (iii) पागल व दिवालिया न हो।
   (iv) किसी लाभप्रद सरकारी पद पर न हो।
4. उत्तर के लिये पाठ्य पुस्तक का पेज नं. 110 देखें।
5. प्रथम वाचन
   द्वितीय वाचन
   तृतीय वाचन
   राष्ट्रपति की स्वीकृति (व्याख्या सहित)।

पाँच अंकीय प्रश्नों के उत्तर–

1. 1. तेलंगाना
   2. उत्तर प्रदेश
   3. बिहार
   4. महाराष्ट्र
   5. आंध्रप्रदेश
   6. कर्नाटक

2. (i) नहीं, क्योंकि सदन एक ऐसा मंच है। जहां पर वाद–विवाद चर्चा, बहस व सहमति के आधार पर किसी समस्या का समाधान खोजा जाता है।

(ii) अनुशासनहीनता पर ।

(iii) विद्यार्थी स्वयं उत्तर लिखें।

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तर–

1. (i) प्रश्न, पूरक, प्रश्न , काम रोको प्रस्ताव आदि से

(ii) अविश्वास प्रस्ताव

(iii) मंत्रीपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी

(iv) जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि

(v) लोकप्रिय सदन

(vi) सदस्य संख्या अधिक

2. (i) जनता के चुने प्रतिनिधि होने के कारण

(ii) जनहित में कानून बनाना।

(iii) जनआकांक्षाओं एवं भावनाओं से परिचित होना।

(iv) चुनाव के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेहिता। (व्याख्या सहित)

3. कानून बनाना
कार्यपालिका पर नियंत्रण
बहस व चर्चा
वित्तीय नियंत्रण व अविश्वास प्रस्ताव आदि।

4. विचार विमर्श एवं वाद–विवाद, कानून निर्माण पर सहमति या असहमति अविश्वास प्रस्ताव, आर्थिक नियन्त्रण।

5. जनता के हितों की अभिव्यक्ति सरकार के कार्यो की आलोचना का अवसर निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं की प्रस्तुति।

अध्याय 6
न्यायपालिका

अध्याय के मुख्य बिन्दुः स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता, न्यायालय की संरचना, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, न्यायपाकि तथा अधिकार, न्यायपालिका तथा संसद।

– न्यायपालिका सरकार का महत्वपूर्ण तीसरा अंग है जिसे विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं ने आपसी विवादों को हल करने वाले पंच के रूप में देखा जाता है कि कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करें। इसके लिये यह जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर स्वतंत्र निर्णय ले सकें। न्यायपालिका देश के संविधान लोकतांत्रिक परम्परा और जनता के प्रति जवाबदेह है।

– विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुँचाए और न्यायपालिका ठीक प्रकार से कार्य कर सकें।

– न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सकें।

– न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। इनका निशिचित कार्यकाल होता है। ये सेवा निवृत्त होने तक अपने पद पर बने रहते है। विशेष स्थितियों में न्यायधीशों को हटाया जा सकता है।

– न्यायपालिका, विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है।

न्यायधीश की नियुक्तिः–

– मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायधीश– ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते है।

– मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति के संदर्भ में यह परम्परा भी है कि सर्वोच्च न्यायलय के सबसे वरिष्ठ न्यायधीश को मुख्य न्यायधीश चुना जाता है किन्तु भारत में इस परम्परा को दो बार तोड़ा भी गया है।

– सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायलय के अन्य न्यायधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायधीश की सलाह से करता है। ताकि न्यायलय की स्वतंत्रता व शक्ति संतुलन दोनों बने रहे।

न्यायपालिका की पिरामिड रूपी सरंचनाः–

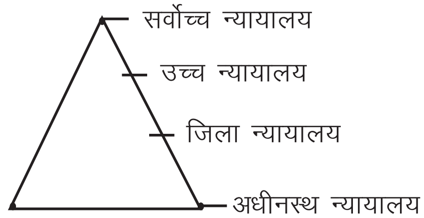

सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार–आरम्भिक क्षेत्राधिकार

– **मौलिक अधिकारः** केन्द्र व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा।

– **रिटः** मौलिक अधिकारों का संरक्षण, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धित विवाद।

अपीलीय

– दीवानी फौजदारी व संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायलयों के मुकदमों पर अपील सुनना।

सलाहकारी

– जनहित के मामलों तथा कानून के मसलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना।

विशेषाधिकार

– किसी भारतीय अदालत के दिये गये फैसले पर स्पेशल लाइव पिटीशन के तहत अपील पर सुनवाई।

– भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जन हित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका रही है।

– 1979–80 के बाद जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायधीश ने उन मामलें मे रूचि दिखाई जहां समाज के कुछ वर्गों के लोग आसानी से अदालत की सेवाएँ नहीं ले सकते। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यायलय ने जन सेवा की भावना से भरे नागरिक, सामाजिक संगठन और वकीलों को समाज के जरूरतमंद और गरीब लोगों की ओर से–याचिकाएं दायर करने को इजाजत दी।

– न्यायिक सक्रियता ने न्याय व्यवस्था को लोकतंत्रिक बनाया ओर कार्यपलिका उत्तरदायी बनने पर बाध्य हुई।

- चुनाव प्रणाली को भी ज्यादा मुक्त ओर निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया।
- चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अपनी संपति आय और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथ पत्र देने का निर्देश दिया, ताकि लोग सही जानकारी के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें।

सक्रिय न्यायपालिका का नकरात्मक पहलूः—

- न्यायपालिका में काम का बोझ बढ़ा
- न्याायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया जैसे—वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार की जांच व चुनाव सुधार करना इत्यादि विधायिका की देखरेख में प्रशासन को करना चाहिए।
- सरकार का प्रत्येक अंग एक—दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का सम्मान करें।

न्यायिक पुनराक्लोकन का अधिकार

- न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायलय किसी भी कानून की संवैधानिक जांच कर सकता है यदि यह संविधान के प्रावधानों के विपरित हो तो उसे गैर—संवैधानिक घोषित कर सकता है।
- संघीय संबंधी (केंद्र—राज्य संबंध) के मामलें में भी सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है।
- न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या करती हैं तथा प्रभावशाली ढंग से संविधान की रक्षा करती है।
- नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है।
- जनहित याचिकाओं द्वारा नागरिकों के अधिकारी की रक्षा ने न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी की है।

न्यायपालिका और संसद—

- भारतीय संविधान में सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्यक्षेत्र है। इस कार्य विभाजन के बावजूद संसद व न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है।
- संपत्ति का अधिकार।

– ससद की संविधान को संशोधित करने की शक्ति के संबंध में।
– इनके द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता।
– निवारक नजरबंदी कानून।
– नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून।

1973 में सर्वोच्च न्यायलय के निर्णय

– संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी इस मूल ढांचें से छेड़–छाड़ नहीं कर सकती। संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढँाचें को नहीं बदला जा सकता।
– संपत्ति के अधिकार के विषय में न्यायलय ने कहा कि यह मूल ढँाचें का हिस्सा नहीं है उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
– न्यायलय ने यह निर्णय अपने पास रखा कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं यह निर्णय संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है।
– संसद व न्यायपालिका के बीच विवाद के विषय बने रहते है। संविधान यह व्यवस्था करती है कि न्यायधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती लेकिन कुछ अवसरों पर न्यायपालिका के आचरण पर उंगली उठाई गई है। इसी प्रकार न्यायपालिका ने भी कई अवसरों पर विधायिका की आलोचना की है।
– लोकतंत्र में सरकार के एक अंग का दूसरे अंग की सत्ता के प्रति सम्मान बेहद जरूरी है।

प्रश्न

1. कौनसे न्यायालय द्वारा जारी निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है

   (a) उच्च न्यायालय (b) जिलान्यायालय
   (c) सैनिक न्यायालय (d) कोई नहीं

2. जनहित याचिका किस देश द्वारा अपने संविधान में शामिल की गयी?

   (a) अमेरिका (b) दक्षिण अफ्रीका
   (c) भारत (d) जापान

3. भारत का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रह सकता है

(a) 60 वर्ष (b) 62 वर्ष

(c) 65 वर्ष (d) 70 वर्ष

4. न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता का उल्लेख मिलता है।

(a) संविधान के अनुच्छेद 134 में

(b) संविधान के अनुच्छेद 224 में

(c) संविधान के अनुच्छेद 226 में

(d) संविधान के अनुच्छेद 27 में

5. निम्नलिखित में से कौन–सी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यकता नहीं है

(a) वह भारत का नागरिक हो।

(b) वह लोकसभा की नजर में माननीय न्यायधीश हो।

(c) वह हाईकोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव।

(d) हाईकोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक रहा है।

6. अपील का सबसे बड़ा न्यायालय है।

(a) सर्वोच्च न्यायालय (b) उच्च न्यायालय

(c) उच्च न्यायालय (d) जिला नयायालय

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।

7. न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते भारत सरकार की ....निधि से प्रदान किए जाते हैं।

8. उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशो को व्यक्तिगत आलोचना से .... प्रदान की गई है।

9. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति .... करता है।

10. सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान संविधान के .... संविधानिक अनुच्छेद में निहित है।

11. भारत का सर्वोच्च न्यायालय .... स्थित है।

निम्नलिखित कथन बताएं कि सही है या गलत।

12. भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की जाती है।

13. न्यायिक पुनरावलोकन का सर्वप्रथम अमेरिका में मिलता है।
14. सवाच्च न्यायालय की सलाहकार शक्तिया राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है।
15. न्यायिक पुनरावलोकन का सर्वप्रथम उल्लेख ब्रिटेन के संविधान में मिलता है।
16. सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी नहीं हैं।
17. भारतीय संविधान, एकीकृत न्याय प्रणाली की स्थापना करता है।

निम्नलिखित कथनों का सही करक उन्हे लिखो।

18. उच्च न्यायालय के फैसले भारतीय भूभाग के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है।
19. सर्वोच्च न्यायालय के आरम्भिक अधिकार से अभिप्राय है दीवाना फौजदारी जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमे पर अपील सुनना।
20. भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली को अपनाया नहीं गया है।

अति संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

21. सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकारीकारिता से आप क्या समझते हैं?
22. कानून के शासन से क्या अभिप्राय है?
23. सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किन आधारों पर उनके पद से हटाया जा सकता है।
24. सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार शक्ति से आप क्या समझते हैं।
25. अभिलेख न्यायालय से क्या अभिप्राय है।
26. न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा दीजिए।
27. न्यायिक सक्रियता किस प्रकार न्यायालय को अधिक सक्रिय ,वं क्रियाशील बना रही है
28. जनहित याचिका से क्या अभिप्राय है
29. भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं
30. वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है
31. भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है।
32. भारत के मुख्य न्यायाधीशों को किस प्रकार उनके पद से हटाये का हटाया जा सकता है।

निम्नलिखित अवतरण को पढ़े तथा प्रश्नों के उत्तर दे।

I. न्यायिक सक्रियता का हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा इससे न केवल व्यक्तियों बल्कि विभिन्न समूहों को भी अदालत जाने का अवसर मिला। इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया तथा कार्यपालिका उत्तरदाई बनने पर बाध्य हुई। चुनाव प्रणाली भी कहीं अधिक मुक्त और निष्पक्ष बनी। न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति, आय और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथपत्र देने का निर्देश दिया ताकि लोग सही जानकारी के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें।

1. न्यायिक सक्रियताने न्याय व्यवस्था को कैसे लोकतांत्रिक बनाया है
2. न्यायिक सक्रियता का राजनीतिक व्यवस्था पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा है
3. क्या न्यायिक सक्रियता ने राजनीतिक प्रणाली को अधिक उत्तरदाई बनाया है
4. न्यायिक सक्रियता का कोई एक उदाहरण प्रस्तुत करें।

II. मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति न्याय पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है। उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है उसके पास विकल्प है कि वह चाहे तो उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इसके माध्यम से न्यायपालिका कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश दे सकता है।

1. क्या कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधी सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है।
2. किन्ही दो के नाम बताएं।
3. सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता का उल्लेख संविधान के किस प्रावधान में किया गया है।
4. रिट अधिकारिता ने व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को न्यायपालिका द्वारा संरक्षित किया है क्या आप इस कथन से सहमत हैं।

दो अंकीय प्रश्नः—

1. जनहित याचिका कब व किसके द्वारा आरम्भ की गई?
2. जनहित याचिका में क्या परिवर्तन किया गया?
3. जनहित याचिका से किसको लाभ पहुंचता है?

4. न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है?

5. सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही फैसले बदलने की इजाजत क्यों दी जाती है?

6. न्यायपलिका अनुच्छेद 32 का प्रयोग किस प्रकार करती है।

7. अनुच्छेद 226 जारी करने का अधिकार किसका है तथा कैसे?

8. कौन–सी दो शक्तियां सर्वोच्च न्यायलय को शक्तिशाली बना देती है?

9. कानून के शासन का क्या अर्थ है?

10. न्यायिक पुनरावलोकन तथा रिट में क्या अन्तर है?

चार अंकीय प्रश्नः–

1. मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन–सी रिटें जारी कर सकता है, उल्लेख करें।

2. परामर्श दात्री क्षेत्राधिकार से सरकार को क्या लाभ है।

3. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों की पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन करो।

.4. सामूहिकता के सिद्धान्त का क्या अर्थ है?

5. सर्वोच्च न्यायलय किस प्रकार अपील का सबसे बड़ा न्यायालय है। वर्णन करें।

पांच अंकीय प्रश्नः–

1.

(1) उपरोक्त चित्र में न्यापालिका किस विषय पर हस्तक्षेप कर रही हैं। 1

(2) न्यायपालिका के हस्तक्षेप से क्या लागू हुआ। 2

(3) हस्तक्षेप करते हुए न्यायपालिका ने क्या निर्णय दिया? 2

3. नागरिकों का एक समूह जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय जाकर प्रार्थना करता है कि वह शहर की नगरपालिका के अधिकारियों को झुग्गी झोपड़ियों हटाने और शहर को सुंदर बनाने का काम करने के आदेश दें, ताकि शहर में पूंजी निवेश करने वाले को आकर्षित किया जा सके। उनका तर्क है कि ऐसा करना जनहित में है। झुग्गी–झोपड़ी में रहने वाला का पक्ष है कि ऐसा करने पर उनके 'जीवन के अधिकार' का हनन होगा। उनका तर्क है कि जनहित के लिए साफ–सुथरे शहर के अधिकार से ज्यादा जीवन का अधिकार महत्वपूर्ण है। कल्पना करें कि आप एक न्यायधीश है। आप एक निर्णय लिखें और तय करें कि इस 'जनहित याचिका' में जनहित का मुद्दा है या नहीं?

(1) न्यायालय जाने वाले दो पक्ष कौन–कौन है? 1

(2) दोनों पक्षों ने जनहित के आधार पर अपना कौन–कौन सा पक्ष रखा? 2

(3) अगर आप न्यायधीश होते तो क्या निर्णय लेते तथा ये विषय जनहित याचिका का विषय है या नहीं? 2

छः अंकीय प्रश्नः–

1. भारतीय न्यायपालिका की सरंचना पिरामिड के आकार की है वर्णन करो।?
2. सर्वोच्च न्यायलय के क्षेत्राधिकार का वर्णन करो?
3. जनहित यचिका किस प्रकार गरीबों की मदद कर सकती है?
4. जनहित यचिकाओं को न्यायपालिका के लिए नकरात्मक पहलू क्यों माना जाता है?
5. भारतीय संविधान में न्यायपालिका को किस प्रकार स्वतंत्र बनाया गया है?
6. न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है क्या आप इस कथन से सहमत है?
7. न्यायिक सक्रियता के फलस्वरूप न्यायपालिका पर बोझ बढ़ा है। इस कथन को जांचकर तर्कसहित उत्तर दे।
8. लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू एवं गतिशील बनाने में न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है, समझाये।

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. सैनिक न्यायालय
2. अमेरिका
3. 65 वर्ष
4. संविधान के अनुच्छेद 134 में
5. वह लोकसभा की नजर में माननीय न्यायधीश हो।
6. सर्वोच्च न्यायालय
7. संचित निधि
8. सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय के जजों को व्यक्तिगत आलोचना से उन्मुक्ति प्रदान की गई है।
9. राष्ट्रपति
10. अनुच्छेद 124
11. दिल्ली
12. सही
13. सही
14. गलत
15. गलत
16. गलत
17. सही
18. उच्चतम न्यायालय के फैसले
19. केंद्र व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा
20. एकीकृत न्याय प्रणाली को अपनाया गया है।
21. दीवाली, फौजदारी, वैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों पर अपील सुनना।
22. कानून की नजर में सभी लोग समान है तथा सभी पर समान रूप से लागू होगा।

23. कदाचार साबित होने अथवा अयोग्यता की दशा में।

24. जनहित के मामलों तथा कानून के मसलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना।

25. सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए निर्णय भविष्य में भी अन्य न्यायिक निर्णयों के लिए कारगर होंगे।

26. सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिक ताकि जांच कर सकता है।

27. न्यायालय ने न्यायिक किसी भी कानून की संवैधानिक ताकि जांच कर सकता है।

28. जनहित से संबंधित मुकदमों में एक व्यक्ति विशेष ही नहीं अपितु एक समूह भी जनहित याचिका दायर कर सकता है।

29. 30 + 1

30. 24 + 1

31. 2.8 lakh

32. न्यायाधीशों के विरूद्ध आरोपों पर

33. संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति आवश्यक है।

1. न्यायिक सक्रियता ने न्यायालय के अधिकाररों का दायरा बढ़ाया है। शुद्ध हवा पानी और अच्छा जीवन पाना पूरे समाज का अधिकार है। इस प्रकार की अधिकारों पर मोहर न्यायालय ने लगाई है जिसने न्यायिक व्यवस्था की अधिक लोकतांत्रिक बनाया है।

2. कार्यपालिक उत्तरदाई बनने पर बाध्य हुई है तथा चुनाव प्रणाली को भी अधिक मुक्त तथा निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया।

3. न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपनी संपति आए और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथपत्र देने का निर्देश दिया ताकि लोग सही जानकारी के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें।

4. न्यायिक सक्रियता के उदाहरण है वायु तथा ध्यान प्रदूषण करना भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना या चुनाव सुधार करना।

(1) परमादेश, उत्प्रेषण, (2) हाँ, (3) 124 से 147

(4) कथन से हम सहमत हैं क्योंकि परमादेश तथा उत्प्रेषण, बंदी प्रतिरक्षण जैसी रिटो ने व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित किया है।

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. 1970 ने न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती तथा बी. के. कृष्णअय्यर द्वारा।
2. अखबारों के समाचार तथा डाक द्वारा प्राप्त शिकायत की भी जनहित याचिका माना जाने लगा।
3. गरीबों, असहाय, असक्षम निरक्षर लोगों की शीघ्र न्याय दिलवाने के लिए।
4. न्यायपालिका द्वारा अपने द्वारा दिए गए निर्णय की पुनः जांच करना।
5. न्यायपालिका से भी चूंक हो सकती है। व्यक्ति को सही न्याय प्राप्त हो।
6. न्यायपालिका रिट जारी करके बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश जारी करती है ताकि सभी को जीने का अधिकार तथा सूचना का अधिकार प्राप्त हो। मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित किया जा सकता है।
7. उच्च न्यायलय रिट जारी कर सकती है।
   किसी कानून की गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है उसे लागू होने से रोक सकती है।
8. (1) रिट जारी करने की शक्ति (2) न्यायिक पुनरावालोकन शक्ति
9. गरीब अमीर, स्त्री और पुरूष, अगडे और पिछड़े सभी वर्गों के लोगों पर एक समान कानून लागू हो।
10. – न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकती है।
    – मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायलय जो आदेश जारी करती है रिट कहलाती है।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तर–

1. बन्दी प्रत्यक्षीकरण परमादेश अधिकार पृच्छा उत्प्रेषण वर्णन।
2. (i) सरकार को छूट मिल जाती हैं
   (ii) अदालती राय जानकर कानूनी विवाद से बचा जा सकता है
   (iii) विधेयक में संशोधन कर सकती है
   (iv) समस्या का समाधान विद्वान व्यक्तियों के द्वारा।
3. (i) महाभियोग द्वारा
   (ii) अयोग्यता का आरोप लगने पर
   (iii) विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित
   (iv) दोनो सदनों में बहुमत के बाद
4. (i) सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा।

(ii) न्यायाधीश की नियुक्ति नई व्यवस्था के माध्यम से

(iii) नई व्यवस्था में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य चार वरिष्ठतम् न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति को सामूहिकता का सिद्धान्त कहते हैं।

5. (i) उच्च न्यायालयो के निर्णय के विरूद्ध

(ii) उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित कानूनी व्याख्या से सम्बन्धित

(iii) किसी अपराधी के अपराध मुक्ति के निर्णय को बदल कर पुनः फांसी की सजा, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय से मंगवा कर पुनः निरीक्षण कर सकता है।

पांच अंकीय प्रश्नों के उत्तर–

1. (i) डाक हडताल

(ii) जनता को सुविधा

(iii) सार्वजनिक हित से सम्बन्धित विभागों को हडताल नहीं करनी चाहिए।

(iv) लोगों की असुविध

(v) दैनिक आवश्यकताओं पर प्रभाव

3. (1) (i) शहर को सुन्दर बनाने हेतु

(ii) झुग्गियों को तोड़ने से रोकने वाले

(2) शहर का सुन्दर बनाकर पूंजी निवेश पर बल, दूसरा पक्ष जीवन के अधिकार की मांग

(3) जीवन के अधिकार को प्राथमिकता देता, सफाइ का निर्देश दिया जाता ।

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तर–

1. सर्वोच्च

उच्च

जिला न्यायालय

अधिनस्थ

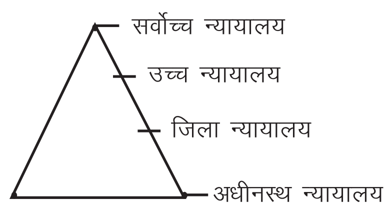

2. प्रारम्भिक (मौलिक, अपीलीय, परामर्शदाता, रिट जारी करना, वर्णन)

3. किसी व्यक्ति, संस्था की शिकायत, अखबार में समाचार, डाक द्वारा शिकायत के आधार पर।

4. (i) न्यायपालिका पर काम का बोझ बढ़ना।
   (ii) विधानपालिका के कार्यों का न्यायपालिका के द्वारा किया जाता।
   (iii) न्यायापलिका के पास समय का अभाव
   (iv) न्यायाधीशों की कमी।

5. (i) न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु निश्चित
   (ii) अच्छा वेतन
   (iii) न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों को चुनौती नहीं
   (iv) दिए गए निर्णयों के लिए न्यायाधीशों को जीवन सुरक्षा प्रदान करना।
   (v) राजसत्ता द्वारा न्यायाधीशों के कार्यों में बाधा न पहुंचाना
   (vi) न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधानपालिका का हस्तक्षेप नहीं।

6. मौलिक अधिकारों की रक्षक

   न्यायिक पुनरावलोकन

   न्यायिक सक्रियता

   सामाजिक एवं आर्थिक न्याय

   का महत्वपूर्ण निर्धारक

7. कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में न्यायपालिका का हस्तक्षेप, न्यायपालिका के इस कार्य के फलस्वरूप कार्यबोझ अवश्य बढ़ा है लेकिन न्यायपालिका संविधान की संरक्षक भी है।

8. न्यायपालिका महत्वपूर्ण स्तम्भ है, क्योंकि
   (a) लोकतान्त्रिक मूल्यों के संवर्द्धन में सहायक
   (b) सामाजिक आर्थिक न्याय को सुगम बनाना
   (c) मौलिक अधिकारों का संवर्द्धन
   (d) न्यायिक सक्रियता

अध्याय 7

संघवाद

अध्याय के मुख्य बिन्दुः संघवाद का अर्थ, भारतीय संघवाद की विशेषता भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण, भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण, भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव, केन्द्र–राज्य संबंध।

संघावाद का अर्थ → संघवाद से आशय संगठित रहने के विचार से हैं (दो या दो से अधिक राज्यों के एक साथ संगठित रहने को ही संघवाद कहते हैं संघीय राज्य की सर्वप्रथम शुरूआत अमेरिका से हुई थी।

संघवाद एक संस्थागत प्रणाली हैं जिसमें दो प्रकार कि राजनीतिक व्यवस्था समाहित होती हैं इसमें एक केंद्रीय स्तर की और दूसरी प्रांतीय स्तर की राजनीतिक व्यवस्था शामिल होती हैं प्रत्येक स्तर की राजनीतिक व्यवस्सथा अपने आप में स्वायत्त होती हैं।

केंद्रीय या संघीय सरकार का कार्यक्षेत्र पूरा देश होता हैं और उसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती हैं दूसरी और प्रांतीय सरकारों का कार्य क्षेत्र अपना प्रान्त होता हैं और राज्य सूची के विषयों पर ही ये कानून बनाते हैं केंद्र व राज्य के मध्य टकराव रोकने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होती हैं।

भारत में संघवाद

भारत के सर्विधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया हैं

राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान अनेक नेता यह चाहते थे कि भारत जैसे विशाल देश पर शासन करने के लिए शक्तियों या विषयों को केंद्रीय व प्रांतीय स्तरों में बांटना जरूरी होगा भारतीय समाज में क्षेत्रीय व भाषायी विविधता हैं अतः प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को स्वशासन का अवसर मिलना चाहिए।

भारतीय संघवाद के अनुसार भारत में एक संघीय (केंद्रीय) सरकार, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें अपने अपने विषयों पर कार्य करती हैं भारतीय

संविधान में सभी की शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा दिया हुआ हैं

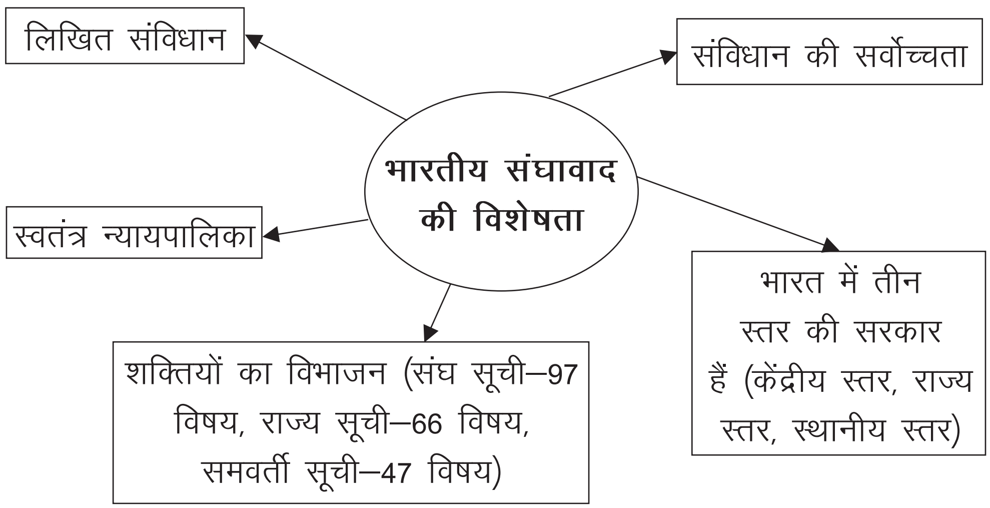

शक्ति विभाजन

भारत के संविधान में दो तरह की सरकारों का वर्णन किया गया हैं पहली केंद्रीय सरकार जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण देश होता हैं दूसरी सरकार राज्य स्तर की सरकार होती हैं जिसका कार्यक्षेत्र केवल राज्य तक ही सीमित होता हैं दोनों ही संवैधानिक सरकारें हैं और इसके कार्यक्षेत्रों का स्पष्ट वर्णन किया गया हैं

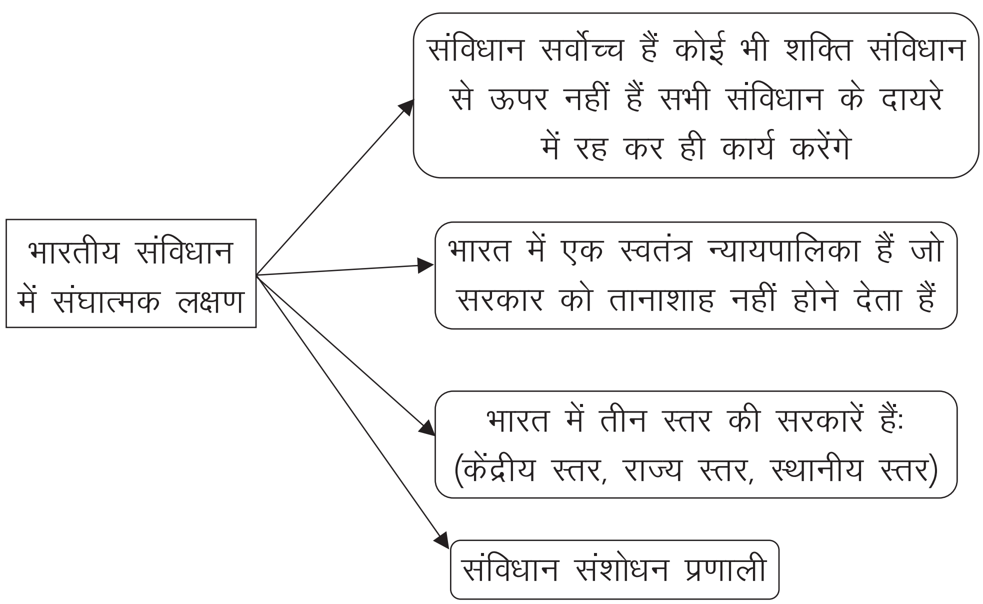

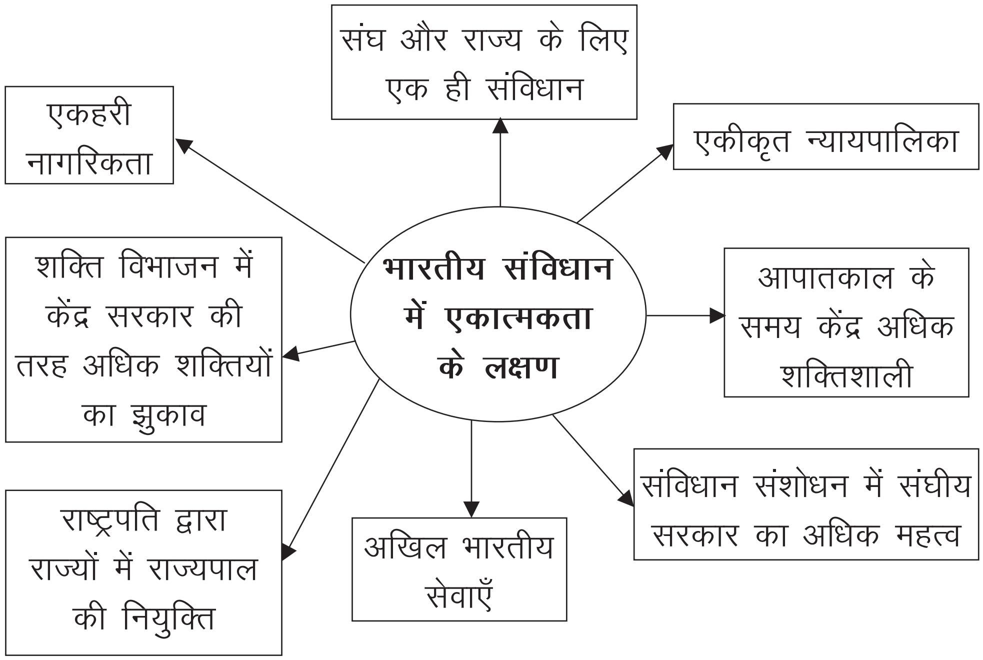

भारतीय संघ में सशक्त केंद्रीय सरकार क्यों?

भारत एक विशाल एवं विविधताओं से भारा हुआ देश हैं संविधान निर्माताआं को यह आशा थी कि इतने विशाल देश को सशक्त केंद्रीय सरकार द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता हैं देश में आजादी के समय 500 से अधिक देशी रियासतें थी जिनका विलय सक्त केंद्रीय सरकार द्वारा ही किया जा सका था।

भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव–

भारत के संविधान ने केंद्र सरकार को बहुत अधिक शक्तियां प्रदान की हैं जबकि राज्यों में शासन चलाना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी हैं इस वजह से समय समय पर राज्य अधिक स्वायत्ता व शक्तियों की मांग करते रहते हैं इस वजह से केंद्र व राज्यों में तनाव व संघर्ष उत्पन्न होता हैं।

केन्द्र–राज्य संबंध

1. राज्य समय–समय पर केंद्र सरकार और अधिक अधिकारों व स्वायत्ता की मांग करते रहते हैं जो निम्न रूपों में हैं:
   (क) **वित्तीय स्वायत्ताः** राज्यों के आय के साधन सीमित हैं और संसाधनों पर नियंत्रण भी सीमित ही हैं अतः राज्य सरकार आय के मामलों में और अधिक स्वायत्ता की मांग करते रहते हैं।

(ख) **प्रशासनिक स्वायत्ताः** राज्य सरकार दैनिक प्रशासन के मामलों में और अधिक स्वायत्ता चाहते हैं राज्य केंद्र सरकार से और अधिकार व शक्तियां चाहते हैं।

(ग) **सांस्कृतिक और भाषाई मुद्देः** काफी राज्य हिंदी भाषा का विरोध करते हैं तथा उनके राज्य में प्रचलित भाषा को ही प्रोत्साहन देते हैं।

2. राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासनः

(क) राष्ट्रपति राज्य सरकारों से परामर्श किये बिना ही राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कर देता हैं जो राज्यों के दैनिक कार्यों में कई बार अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं।

(ख) केंद्र सरकार राज्यपाल पर दबाव डालकर राज्यों में अनुच्छेद 356 के माध्यम से अनुचित राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है।

3. **नए राज्यों की मांगः** भारतीय संघीय व्यवस्था में समय–समय पर नवीन राज्यों की मांग उठती रहती हैं जिसे राजनैतिक कारणों से संघ व राज्यों में तनाव बढ़ता है।

4. अन्तर्राज्यीय विवादः

(क) संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक राज्यों में विवाद होता रहता हैं जैसे बेलगांव को लेकर कर्नाटक व महाराष्ट्र में सीमा विवाद।

(ख) दो या दो से अधिक राज्यों में नदियों के पानी के बंटवारें को लेकर विवाद होता रहता हैं, जैसे–कर्नाटक व तमिलनाडु में कावेरी नदी जल विवाद चल रहा है।

5. **विशिष्ट प्रावधानः** संविधान के अनुच्छेद 371 से 371 (झ) तक में नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्रप्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को विशेष दर्जा दिया गया हैं।

प्रश्नावली

प्रश्न संख्या 1 से 5 में खाली स्थान भरिए:

1. भारतीय संविधान में संघवाद के लिए .... शब्द का प्रयोग किया गया है।
2. संघवाद का अर्थ .... हैं।
3. केंद्र व राज्यों के मध्ये उठे विवादों का समाधान .... द्वारा किया जाता है।
4. समवर्ती सूची पर कानून बनानें का अधिकार .... हैं।
5. राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग अनुच्छेद .... के अंतर्गत होता हैं।

प्रश्न संख्या 6 से 10 के उत्तर 20 शब्दों में दीजिए

6. भारत में संघवाद व्यवस्था को क्यों अपनाया गया?
7. सरकारिया आयोग कब बनाया गया?
8. अनुच्छेद 371 से संबंधित किसी एक राज्य का नाम लिखो?
9. राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ?
10. स्वायत्ता का क्या अर्थ होता है?

प्रश्न संख्या 11 से 15 में सही या गलत वाक्य पहचानों

11. जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हैं।
12. विश्व में संघवाद सबसे पहले अमेरिका ने अपनाया था।
13. भारत के संविधान में केंद्र सरकार की अपेक्षा राज्यों को अधिक अधिकार दिए हुए हैं।
14. संसद भारत में नए राज्यों का निर्माण कर सकती हैं।
15. भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान हैं।

दो अंकीय प्रश्नः—

1. मैसूर तथा मद्रास को किस राज्य में विलय किया गया?
2. संघवाद से भारत की विविधता में एकता किस प्रकार सहायक हुई?
3. अनुच्छेद—1 क्या दर्शाता है?
4. शक्ति विभाजन का क्या अर्थ है?
5. अवशिष्ट शक्तियां कौन—सी है?
6. राज्य स्वायतता की मांग किस आधार पर करते है?
7. सरकारिया आयोग में मुख्य प्रावधान क्या रखा गया है?
8. अर्न्तराज्यीय विवादो के दो उदाहरण दीजिए।
9. सरकारिया आयोग कब व किसके द्वारा गठित किया गया।

चार अंकीय प्रश्नः—

1. ज्यादा स्वायतता की चाह में प्रदेशों ने कौन—कौन सी मांग उठाई?
2. भारतीय संविधान की चार संघात्मक विशेषताएं बताइये?
3. भारत संविधान की चार एकात्मक विशेषताएं लिखे?
4. बहुत से प्रदेश राज्यपाल की भूमिका को लेकर खुश क्यों नहीं है?
5. राज्यों में राष्ट्रपति शासन के प्रावधान का उल्लेख कीजिए।
6. राज्यपाल की भूमिका केन्द्र और राज्यों के बीच हमेशा ही विवाद का विषय रही है राज्यपाल निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता अधिकतर राज्यपाल सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी लोक सेवक या राजनीतिज्ञ हुए हैं फिर राज्यपाल की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा होती है अतः राज्यपाल के फैसलों को अक्सर राज्य सरकार के कार्यो में केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है।

   1. राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
   2. राज्यपाल का चुनाव कैसे होता है।
   3. राज्यपाल किसका एजेण्ट होता है।
   4. राज्य का प्रमुख कौन होता है।

पांच अंकीय प्रश्नः—

1. दिए गए अवतरण को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो—

   जहाँ एक ओर राज्य अधिक स्वायतता और आय के स्रोतों पर अपनी हिस्सेदारी के सवाल पर केन्द्र के साथ विवाद की स्थिति में रहते है, वही दूसरी ओर संघीय व्यवस्था में सीमाओं से अधिक राज्यों में आपसी विवाद के भी अनेक उदाहरण मिलते है। यह सच है कि कानूनी विवादों में न्यायपालिका पंच की भूमिका निभाती है। लेकिन इन विवादों का स्वरूप मात्र कानूनी नहीं होता। इन विवादों के राजनीतिक पहलू भी होते है अतः इनका सर्वोतम समाधान केवल विचार—विमर्श और पारस्परिक विश्वास के आधार पर ही हो सकता है।

   (i) केन्द्र तथा राज्यों में किस कारण से विवाद रहता है?

   (ii) राज्यों में आपसी विवाद का कोई एक कारण बताइए।

   (iii) कानूनी विवादों का कौन हल कर सकता है? विवादों के राजनीतिक पहलू को किस प्रकार सुलझाया जा सकता है?

2. कार्टून का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर देः—

   (i) राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है?

   (ii) कार्टून के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति का क्या आशय है?

   (iii) क्या राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा इसी प्रकार होती है?

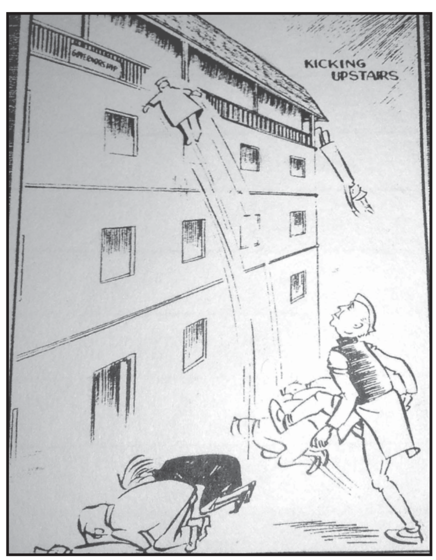

3. मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखें और पूछे गये प्रश्नों के उत्तर दें–

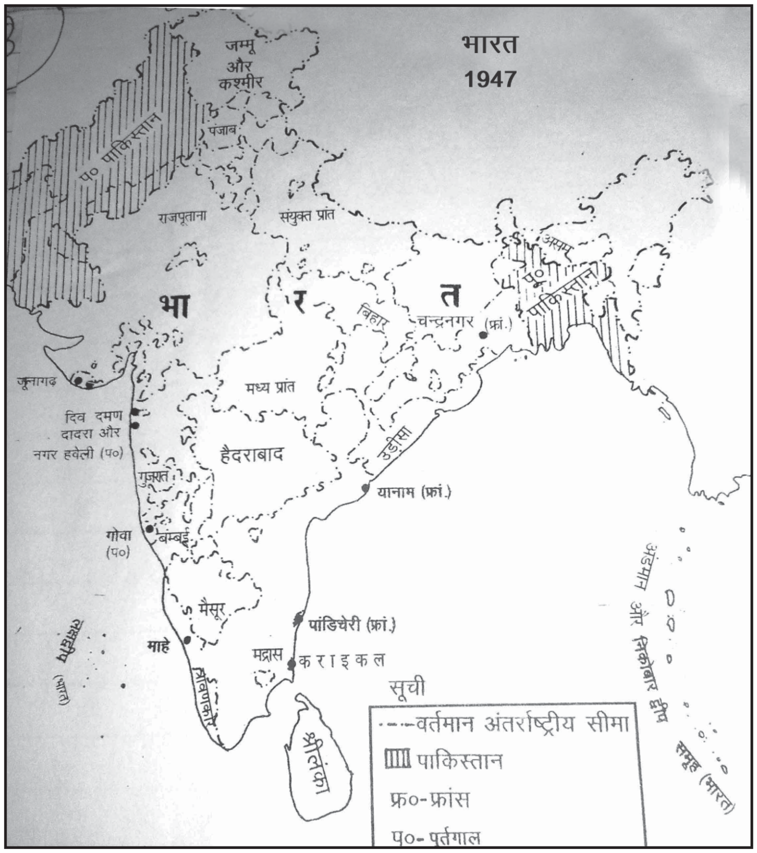

(i) भारत के 1947 के मानचित्र से चार रियासतों के नाम लिख कर बताइए कि वर्तमान समय में इनका विलय किन राज्यों में हुआ?

(ii) चार राज्यों के नाम लिखो जिनका नए राज्यों के रूप में जन्म हुआ?

(iii) एक गैर हिन्दी भाषा राज्य का नाम लिखो।

छः अंकीय प्रश्नः–

1. भारतीय संवधिान का स्वरूप संघात्मक है लेकिन वास्तव में एकात्मक इसकी आत्मा है।
2. संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन करो।
3. स्वायतता और अलगाववाद का क्या अर्थ है।
4. अनुच्छेद 370 की संक्षिप्त जानकारी दें।

उत्तरमाला

1. यूनियन
2. केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं
3. उच्चतम न्यायालय / न्यायपालिका
4. केंद्र व राज्य दोनों को
5. 356
6. अत्याधिक विविधता एवं विशाल जनसंख्या के कारण
7. 1983
8. मणिपुर
9. 1954
10. स्वयं का शासन
11. गलत
12. सही
13. गलत
14. सही
15. गलत

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. कर्नाटक, तमिलनाडु
2. केन्द्र तथा राज्य सरकारो का अपना क्षेत्र अधिकार।
3. भारत राज्यों और केन्द्र प्रशासित राज्यों का एक संघ (यूनियन) है।
4. (i) कार्यपालिका की शक्तियों का बँटवारा, विधानपालिका, न्यायपालिका का अपना अधिकार क्षेत्र है।

   (ii) संघ, राज्य, समवर्ती सूची में अपने विषय है जिसे केन्द्र तथा राज्य सरकार बनाता है
5. वे विषय जिनका उल्लेख किसी सूची में नही दिया गया।
6. राज्य स्वायतता की मांग भाषा, आय, वित्तीय शक्ति, प्रशासकीय शक्ति।
7. केन्द्र, राज्य, सम्बन्धों से सम्बन्धित शक्ति संतुलन पर।
8. सीमा विवाद नदी जल बंटवारा विवाद, जैसे— पंजाब, हरियाणा।
9. जून 1983 में सर्वोच्च न्यायालय से सेवा निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजिन्दर सिंह सरकारिया द्वारा।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. – नदी जल बंटवारा
   – सीमा विवाद, नए राज्यों की मांग
   – आर्थिक वित्तीय स्वतंत्रता, संसाधनों पर अधिकार

2. (i) शक्तियों का विभाजन
   (ii) स्वतंत्र न्यायपालिका
   (iii) द्विसदनीय विधायिका
   (iv) संविधान

3. (i) इकहरी नागरिकता
   (ii) केन्द्र के पास अधिक सर्वोच्चता
   (iii) एकीकृत न्यायपालिका
   (iv) आर्थिक दृष्टि से भी राज्य दुर्बल।

4. राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, केन्द्र सरकार के लिए कार्य राष्ट्रपति शासन लगवाने का अधिकार, विधेयक को कानून बनाने पर विवाद, केन्द्र के ऐजेन्ट के रूप में कार्य।

5. अनुच्छेद 356, राज्य में आन्तरिक शांति भंग होने पर सरकार के पास बहुमत न रहने पर आर्थिक संकट आने पर।

पांच अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. (i) वित्तीय, कानून बनाने के विषय, आपातकाल की शक्ति
   (ii) नदी जल वितरण विवाद
   (iii) न्यायपालिका, विचार विमर्श, पारस्परिक विश्वास

2. – राष्ट्रपति के द्वारा
   – जब चाहे जिसे राज्यपाल बना दे, जब चाहे हटा दे, या दूसरे स्थान पर भेंज दे।
   – हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की इच्छा तथा केन्द्र सरकार की इच्छा से की जाती हैं

3. (i)

	रियासत	राज्य
(1)	राजपूताना	राजस्थान
(2)	जूनागढ़	गुजरात
(3)	मैसूर	कर्नाटक
(4)	मद्रास	तमिलनाडू

(ii) उतराखण्ड, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना

(iii) आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक (कोई एक)

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. इकहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, राज्यों पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग आदि।

2. (i) संघ सूची — राष्ट्रीय महत्त्व के विषय इसमें लगभग 99 विषय हैं, जैसे— रक्षा, विदेष, रेल, बन्दरगाह, बैंक, खनिज आदि।

   (ii) राज्य सूची — साधारणतय क्षेत्रिय महत्त्व के विषय लगभग 66 विषय है, जैसे— पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य आदि।

   (iii) समवर्ती सूची — लगभग 47/52 है, जैसे— फौजदारी, विधि प्रक्रिया, सामाजिक सुरक्षा आदि।

3. (i) स्वायतता अधिक अधिकार प्राप्त करना, अलगाववाद—केन्द्र सरकार द्वारा भेदभाव पूर्ण व्यवहार

   (ii) राज्यों के द्वारा कार्य करते समय केन्द्र सरकार का हस्तक्षेप न करना।

   (iii) अलगाववाद ने केन्द्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता न देना, विकास संबंधी योजनाएं न बनाना।

4. — अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा
   — केन्द्र सूची समवर्ती सूची पर केन्द्र द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने से पहले जम्मू कश्मीर राज्य की सहमति
   — अधिक स्वायतता प्राप्त
   — आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू नहीं कर सकती।
   — राज्य में नीति निर्देशक तत्व यहां लागू नहीं होते।
   — अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान के संशोधन राज्य सरकार की सहमति से ही जम्मू कश्मीर में लागू।

अध्याय 8
स्थानीय शासन

मुख्य बिन्दुः

हमें स्थानीय सरकार की आवयश्कता क्यों?

भारत में स्थानीय सरकार का विकास?

73वें तथा 74वें संवैधानिक संसोधन।

73वें तथा 74वें संवैधानिक संसोधन का क्रियान्वयन (Implementation) और चुनौतियां)

– **स्थानीय शासनः** गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते है। यह आम आदमी को सबसे नजदीक का शासन है। इसमें जनता की प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान बहुत तेजी से तथा कम खर्च में हो जाता है। इनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है।

– **लोकतंत्र का अर्थ है** सार्थक भागीदारी तथा जवाबदेही। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। जो काम स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं वे काम स्थानीय लोगों तथा उनके प्रतिनिधियों के हाथ में रहने चाहिए।

– आम जनता राज्य, सरकार या केन्द्र सरकार से कहीं ज्यादा स्थानीय शासन से परिचित होती है।

केन्द्रीय सरकार
↓
राज्य सरकार
↓
स्थानीय सरकार
↓
केन्द्रीय सरकार
↓
राज्य सरकार
↓

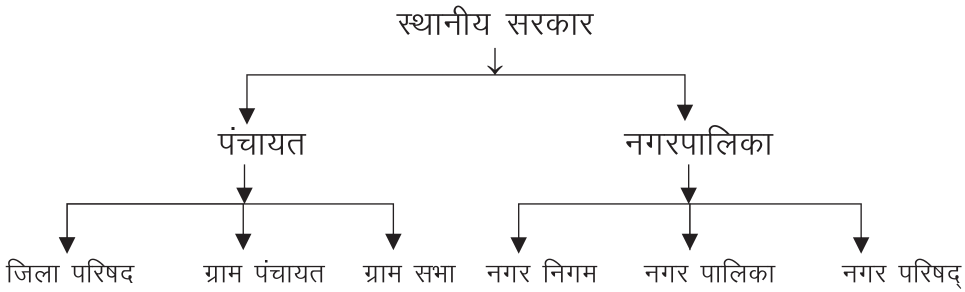

- हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों?
- मजबूत लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम करने के लिये।
- स्थानीय स्तर की राजनीतिक आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु।
- सामान्य नागरिकों की प्रतिनिधियों तक पहुंच हेतु।
- कार्य को सफल व तीव्र गति से करने हेतु (जन कल्याणकारी कार्य)
- आपसी सामन्जस्य व सफल प्रशासन हेतु।
- **भारत में स्थानीय शासन का विकासः** प्राचीन भारत में अपना शासन खुद चलाने वाले समुदाय, ''सभा'' के रूप में मैजूद थे। आधुनिक समय में निर्वाचित निकाय सन् 1882 के बाद आस्तित्व में आए। उस वक्त उन्हें ''मुकामी बोर्ड'' कहा जाता था। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के बनने पर अनेक प्रांतो में गग्रम पंचायते बनी।

  जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी इसकी चर्चा है।

महात्मा गांधी जी ने भी ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने व सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात की व इसको एक कारगर साधन बताया।

- **स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासनः** संविधान के 73 वें और 74वें संशोधन के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला। इससे पहले 1952 का ''सामुदायिक विकास कार्यक्रम'' इस क्षेत्र में एक अन्य प्रयास था इस पृष्ठभूमि में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरूआत की सिफारिश की गई। ये निकाय वित्तीय मदद के लिए प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकार पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। सन् 1987 के बाद स्थानीय

शासन की संस्थाओं के गहन पुनरावलोकन की शुरूआत हुई।

– सन् 1989 में पी.के. थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की।

– ब्राजील के संविधान में प्रांत संघीय जिले तथा नगरपाकिा परिषद् की व्यवस्था है।

– संविधान का 73वां और 74 वां संशोधनः सन् 1992 में ससंद ने 73वां और 74 वां संविधान संशोधन पारित किया।

– 73वां संवैधानिक संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है। इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। 74वां संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है।

– 73वां संशोधन– 73वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानः–

(1) **त्रि–स्तरीय ढांचा**ः अब सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का त्रि–स्तरीय ढांचा है।

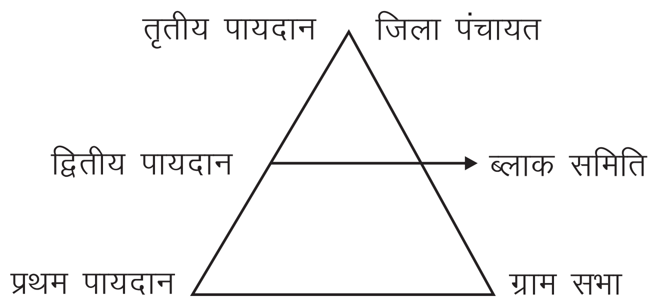

(2) **चुनाव**ः पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के चुनाव सीधे जनता करती है। हर निकाय की अवधि पांच साल की होती है।

(3) **आरक्षणः**

– महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित

– अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है।

– यदि प्रदेश की सरकार चाहे तो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) को भी सीट में आरक्षण दे सकती है।

इस आरक्षण का लाभ हुआ कि आज महिलाएं सरपंच के पद पर कार्य कर रही है।

– भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73 वें संविधान के प्रावधानों से दूर रखा गया परन्तु सन् 1996 में एक अलग कानून बना कर पंचायती राज के प्रावधानों में, इन क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया।

– **राज्य चुनाव आयुक्तः** प्रदेशों के लिए यह जरूरी है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करें। इस चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होगी।

– **राज्य वित्त आयोगः** प्रदेशों की सरकार के लिए जरुरी है कि वो हर पांच वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनायें। यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शायन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति की जानकारी रखेगा।

– **74वां संशोधनः** 74वें संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय शासन से है अर्थात् नगरपालिका से।

  शहरी इलाकाः (1) ऐसे इलाके में कम से कम 5000 की जनसंख्या हो (2) कामकाजी पुरूषों में कम से कम 75% खेती बाड़ी से अलग काम करते हो (3) जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो।

  विशेषः अनेक रूपों में 74 वें संविधान संशोधन में 73वे संशोधन का दोहराव है लेकिन यह संशोधन शहरी क्षेत्रों से संबंधित है। 73 वें संशोधन के सभी प्रावधान मसलन प्रत्यक्ष चुनाव, आरक्षण विषयों का हस्तांतरण, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त और प्रादेशिक वित्त आयोग 74 वें संशोधन में शामिल है तथा नगर पालिकाओं पर लागू होते हैं।

  73वें और 74वें संशोधन का क्रियान्वयनः (1994–2020) इस अवधि में प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव अनेकों बार हो चुके है। स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की संख्या में निरंतर भारी बढोतरी हुई है। महिलाओं की शक्ति और आत्म विश्वास में काफी वृद्धि हुई है।

– **विषयों का स्थानांतरणः** संविधान के संशोधन ने 29 विषय को स्थानीय शासन के हवाले किया है। ये सारे विषय स्थानीय विकास तथा कल्याण की जरूरतो से संबंधित है।

स्थानीय शासन के विषय–

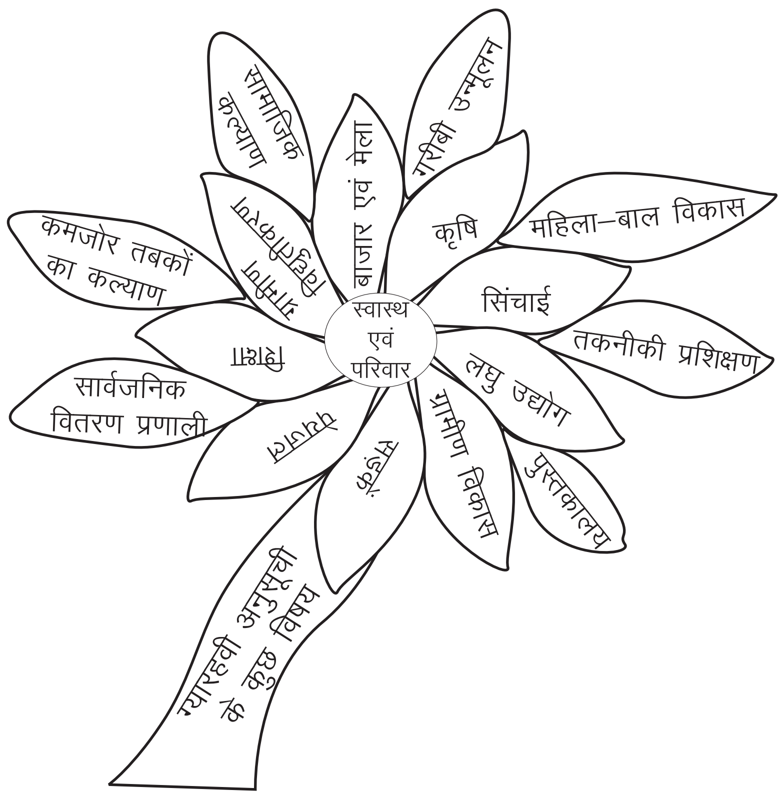

स्थानीय शासन के समक्ष समस्याएं–

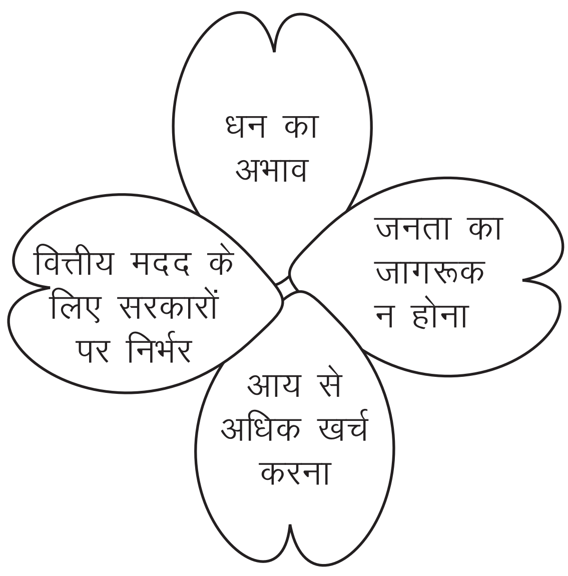

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्नः—

1. स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने की तथा कब? सही विकल्प चुनें।

   (क) पंचायत समिति, 1979 (ख) ग्राम समिति 1969

   (ग) भुंगन समिति, 1989 (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

2. स्थानीय शासन की विचारधारा का विचाार किस देश से ग्रहण किया गया।
3. संविधान का 73वां तथा 74वां संवैधानिक संशोधन संसद में कब पारित हुआ तथा इसे कब लागू किया गया?
4. स्थानीय शासन संविधान की .... सूची का विषय है?
5. त्रिस्तरीय ढांचे से क्या अभिप्राय है?
6. ग्राम सभा का सदस्य कौन व्यक्ति होता है?
7. ग्राम पंचायतों व नगरपालिकाओं के चुनाव कितने वर्षों के लिए किए जाते है?
8. पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के लिए .... प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है?
9. संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा ग्यारहवीं अनुसूची के विषय प्रांतीय सरकार पंचायतों को दे सकती है? सही विकल्प चुनें।

   (क) अनुच्छेद 243 (ख) अनुच्छेद 143

   (ग) अनुच्छेद 75 (ग) अनुच्छेद 150

10. पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की जिम्मेदारी किस अधिकारी को दी गई है? सही विकल्प चुनें।

    (क) मुख्य चुनाव आयुक्त (ख) प्रधानमंत्री

    (ख) सरपंच (घ) राज्य के चुनाव आयुक्त

11. नगर निगम के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु .... होनी चाहिए।
12. निम्नलिखित को सही करके लिखिये।

    (i) 73वें संवैधानिक संशोधन का सम्बन्धन केन्द्र के स्थानीय शासन से जुड़ा है।

    (ii) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन—जाति के लिए उनकी मांग के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है।

(iii) 74वें संवैधानिक संशोधन का सम्बन्ध गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है।

13. **'सही' व 'गलत' का चयन करेंः**

(i) कृषि व सिंचाई ग्यारहवीं अनुसूची के विषय हैं (..................)

(ii) शिक्षा, ग्रामीण विद्युतीकरण ग्यारहवी अनुसूची के विषय में नहीं आते। (...........................)

(iii) सभी प्रदेशों व पंचायती राज व्यवस्था में त्रि–स्तरीय ढांचा हैं (..........)

(iv) धन अभाव स्थानीय शासन के समक्ष एक समस्या है। (.................)

दो अंकीय प्रश्नः–

1. भारत में स्थानीय शासन के अधिक मजबूत न होने के दो कारण लिखिए।
2. ''शहरी इलाका'' शब्द से क्या अभिप्राय है?
3. ग्राम पंचायतों के क्या–क्या कार्य हैं? किन्हीं दो का उल्लेख करो।
4. पंचायती संस्थाओं में महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है उससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में क्या बदलाव आया है? स्पष्ट करो।
5. स्थानीय शासन से आम नागरिकों को क्या लाभ हुए है?
6. स्थानीय शासन अपना कार्य उतनी दक्षता से नहीं कर पाता, जिसके लिए उसकी स्थापना हुई थी? क्यों?
7. राज्य का वित्त आयोग कितने वर्ष के लिए बनाया जाता है तथा उसका मुख्य कार्य क्या है?
8. अभी हाल में नगर निगम के कुछ रिक्त स्थानों पर चुनाव हुए हैं आप के विचार से ये चुनाव कराए जाने का क्या कारण रहा होगा?
9. पंचायती निकायों की व्यवस्था हमारे देश में प्राचीनकाल में भी थी। वर्तमान समय में इनकी कार्यप्रणाली में क्या सुधार हुए हैं?
10. नगर – निगम का मुखिया क्या कहलाता है? इसका कार्य काल लिखें।

चार अंकीय प्रश्नः–

1. स्थानीय शासन का क्या महत्व है?
2. नगर निगम तथा नगरपालिकाओं के चार कार्य लिखें।
3. मेयर कौन होता है?

4. इस समय दिल्ली में कितने नगर निगम हैं? इतने निगमों के बनाए जाने का क्या कारण है?

5. नगर निगम आम जनता की समस्याओं का समाधान करने में कहां तक सफल रहे है?

6. पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष कौन–कौन सी समस्याएं है?

7. ''स्थानीय संस्थाएं स्वायत्त नहीं है इसीलिए यह कुशलता पूर्वक कार्य नहीं कर पाती'' आपके विचार से क्या यह कथन सत्य है? कैसे?

8. ''लोकतंत्र तभी सफल होता है जब नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होती है'' इस कथन को स्पष्ट करें

9. ''स्थानीय शासन में महिला आरक्षण का लाभ वास्तव में पुरूष सत्तात्मक समाज ले रहा हैं''? क्या आप इस बात से सहमत है? तर्क दीजिए।

10. जब भी लोकतंत्र को ज्यादा सार्थक बनाने और ताकत से वंचित लोगों को ताकत देने की कोशिश होगी तो समाज में संघर्ष और तनाव का होना तय है? क्या आप इस विचार से सहमत है? स्पष्ट करें।

चार अंकीय प्रश्नः–

1. ''गांधी जी का मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेन्द्रीकरण का कारगर साधन है। विकास के हर पहलू में स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए ताकि यह सफल हो सके। समूचे भारत की आजादी की शुरूआत सबसे नीचे से होनी चाहिए। इस तरह हर राज्य एक गणराज्य होगा।''

   (क) ''सत्ता के विकेन्द्रीकरण'' से क्या अभिप्राय है?

   (ख) गणराज्य से क्या अभिप्राय है?

   (ग) पंचायतों को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है? कोई दो सुझाव दीजिए।

   (घ) ''आजादी की शुरूआत सबसे नीचे से होनी चाहिए'' इस कथन से क्या अभ्रिपाय है?

पाँच अंकीय प्रश्नः—

चित्र को ध्यान से देखें और प्रश्नों के उत्तर दें—

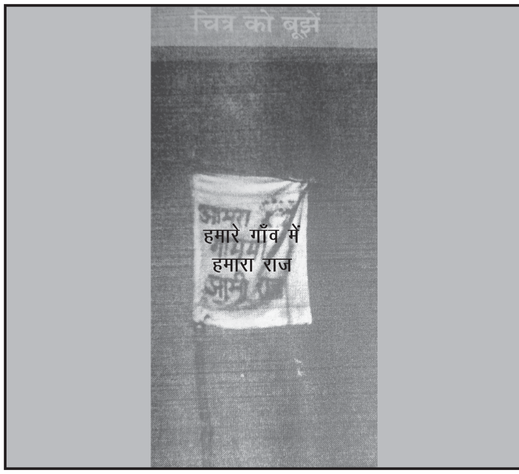

→ पाठ्यपुस्तक पृष्ठ संख्या 188

(1) इस चित्र में जो लिखा है उससे आप क्या समझ पा रहे है?

(2) स्थानीय शासन की मदद से क्या इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है? कैसे?

(3) इस उद्देश्य की प्राप्ति में किन—किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है?

छः अंक के प्रश्न—

1. स्थानीय शासन से क्या अभ्रिपाय है तथा इसका नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है?
2. पंचायती राज व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? यदि आप जिला कलैक्टर होते तो आप गांवों की किन—किन समस्याओं का समाधान करते?
3. यदि स्थानीय निकाय न होते तो नागरिकों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान हो पाता या नहीं? क्यो?
4. नगर निगम को आय कहां से प्राप्त होती है? क्या यह धन नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त होता है? क्यों?
5. यदि आप अपने गांव की सरपंच होतीं तो समाज आपके कार्यों में किस प्रकार की बाधा उत्पन्न करता? तब आप उन बाधाओं से कैसे छुटकारा पातीं?

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. थुंगन समिति, 1989
2. ब्राजील
3. 1992, 1993
4. राज्य सूची
5. ग्राम पंचायते निचले स्तर पर, ब्लॉक समिति मध्य स्तर पर और जिला परिषद ऊपरी स्तर पर
6. वे सभी जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के चुनाव में वोट डालने के अधिकारी हैं।
7. 5 वर्षो
8. 1 तिहाई
9. अनुच्छेद 243
10. राज्य के चुनाव आयुक्त
11. 21 वर्ष
12. (i) 73वें संवैधानिक संशोधन का सम्बन्ध गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है।
    (ii) 74वें संवैधानिक संशोधन का सम्बन्ध शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है।
13. (i) सही
    (ii) गलत
    (iii) सही
    (iv) सही

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. जातिवाद, गुटबाजी, सांप्रदायिकता
2. (i) जनसंख्या कम से कम 5000, (ii) 75% से अधिक कामकाजी पुरूष खेती बाडी से अलग काम करते हो, (iii) जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो।
3. सफाई, बिजली, पानी की व्यवस्था, सड़कों का निर्माण, जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण आदि।

4. आज अनेकों महिलाएं सरपंच तथा मेयर जैसे पदों पर आसीन है उनमें पहले से ज्यादा शक्ति तथा आत्मविश्वास आया है। महिलाओं की राजनीतिक समझ में वृद्धि हुई है।

5. नागरिकों की समस्याओं के समाधान बहुत तेजी से तथा कम खर्च में हो जाते है। नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ती है।

6. धन का अभााव रहता है। आय के अनुपात में खर्च अधिक है इसलिए राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के अनुदान पर निर्भर रहना पड़ता है।

7. 5 वर्ष के लिये स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाना।

8. ये स्थान कई कारणों से रिक्त हुए होंगे।
   – किसी निगम पार्षद की मृत्यु के कारण
   – किसी निगम पार्षद का दल बदल लेने के कारण
   – किसी निगम पार्षद का विधायक बन जाने के कारण

9. प्राचीनकाल में भी स्थानीय संस्थाएं थी परन्तु वे जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। आज ये संस्थाएं अधिक उत्तरदायी है और जनता के प्रति जवाबदेह भी।

10. मेयर या महापौर, 1 वर्ष

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. स्थानीीय शासन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है यदि स्थानीय विषय स्थानीय प्रतिनिधियों के पास रहते है तो नागरिकों के जीवन की रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान तीव्र गति से तथा कम खर्च में हो जाती है।

2. सफाई का प्रबंध, बिजली का प्रबंध, पेयजल की व्यवस्था, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, सड़कों का निर्माण व मरम्मत, शमशान घाटों की व्यवस्था आदि।

3. नगर निगम के सदस्यों का मुखिया होता है।

4. इस समय दिल्ली में तीन नगर निगम है, उत्तर दिल्ली, पूर्वी दिल्ली तथा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम। क्योंकि दिल्ली की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उनकी समस्याएं भी। एक नगर निगम सबकी समस्याओं का समाधान उतनी कुशलता से नहीं कर पा रहा था जितना तीन नगर निगम कर पा रहें हैं।

5. नगर निगम जनता की समस्याओं का समाधान उस हद तक नहीं कर पा रहे जितना वो कर सकते हैं। आज भी सड़कें टूटी रहती हैं कूड़े के ढेर जगह–जगह देखे जा सकते हैं। पानी, बिजली की समस्या का समाधान किया जा चुका है परंतु फिर भी गर्मी के दिनों में इन दोनों से ही आम नागरिकों को जूझना पड़ता है।

6. धन की समस्या, जनता का जागरूक न होना, राजनीतिक हस्तक्षेप, आय से अधिक व्यय होना,।

7. हाँ, यदि ये संस्थाएं स्वायत्त हो जाएं तो नागरिकों की समस्याएं जल्दी सुलझेंगी और ये संस्थाएं जनता के प्रति उत्तरदायी भी होंगी।

8. नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी लोकतंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य है। जागरूक नागरिक ही लोकतंत्र की सार्थक भागीदारी कर सकता है। तभी सरकार जवाबदेह होगी।

9. अनेक मामलों में यह देखा गया है कि महिलाएं अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में असफल रही हैं या महिला को पद पर आसीन करा कर परिवार का मुखिया या पुरूष उसके बहाने फैसले लेता रहता है।

10. हाँ, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को संविधान ने अनिवार्य बना दिया था इसके साथ ही, अधिकांश प्रदेशों ने पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान बनाया। इससे स्थाानीय निकायों की सामाजिक बुनावट में भारी बदलाव आए। कभी–कभी इससे तनाव पैदा होता है और सत्ता के लिए संघर्ष तेज हो जाता है।

चार अंकीय प्रश्न का उत्तरः–

1. (क) सत्ता के विकेन्द्रीकरण का अर्थ है सत्ता जनता तक पहुंचे जैसे गांधी जी चाहते थे कि ग्रामोदय की विचारधारा सत्ता की विकेन्द्रीकरण है। स्थानीय स्तर की समस्याएं स्थानीय स्तर पर सुलझ जाएं।

   (ख) गणराज्य से अभिप्राय है जहां राज्य का प्रमुख जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है यदि स्थानीय शासन को स्थानीय जनता तक पहुंचाया जाएगा तो हर ग्राम एक गणराज्य बन जाएगा।

   (ग) – उन्हें धन की कमी नहीं होनी चाहिए।

   – जनता को जागरूक होना चाहिए।

(घ) इसका अर्थ है समस्याओं के समाधान स्थानीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा हो सकें। आम जनता की पहुँच वहाँ तक है।

पांच अंकीय प्रश्न का उत्तरः—

1. (क) इसक अर्थ है ये हमारा गांव है और इसमें हमारा राज होना चाहिए।

   (ख) हां, क्योंकि स्थानीय प्रतिनिधि स्थानीय समस्याओं का समाधान अच्छे प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि वे समस्याओं से अवगत होते हैं।

   (ग) कभी—कभी धन की समस्या, सरकार का हस्तक्षेप, आय से अधिक व्यय होने के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

छः अंकीय प्रश्नों के सांकेतिक उत्तरः—

1. स्थानीय शासन स्थानीय मामलों की देखभाल करती है नागरिकों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान तेजी से तथा कम खर्च में कर सकती है। इससे नागरिक सामाजिक तथा राजनीतिक रूप से भागीदार बनता है।
2. गांवों के स्थानीय शासन को पंचायती राज कहा जाता है। इसके तीन स्तर है। (छात्र अपने विवेक से उत्तर देगा)
3. छात्र अपने विवेक से उत्तर देगा।
4. नगर निगम बहुत से कर लगाता है जैसे गृहकर, जल कर, साप्ताहिक बाजारो में सामान बेचने वालों पर कर, आदि राज्यों से अनुदान प्राप्त करके भी नगर निगम धन प्राप्त करते हैं। नहीं, क्योंकि आय से अधिक व्यय किया जाता है और राज्य सरकारों से अनुदान प्राप्त करने के लिए बहुत देर हो जाती है।
5. छात्र अपने विवेक से उत्तर देंगे।

अध्याय 9

राजनीतिक सिद्धांत

मुख्य बिन्दुः

— राजनीतिक क्या है?

— राजनीतिक में हम क्या पढ़ते हैं?

— राजनीतिक सिद्धान्तों को व्यवहार में उतारना।

— हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए?

— राजनीति बनाम राजनीति सिद्धांत।

— राजनीति सिद्धांत का महत्त्व।

राजनीति क्या है?

– राजनीति को परिभाषित करने के लिए विद्वानों के अलग–अलग मत है। सामान्य तौर पर–

(i) राजनीति शासन करने की कला है।

(ii) राजनीति सरकार के क्रियाकलापों को ठीक से चलाने की सीख देती है।

(iii) राजनीति प्रशासन संचालन के विवादों का हल प्रस्तुत करती है।

(iv) राजनीति भागीदारी करना सिखाती है लेकिन आम व्यक्ति का सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है, आज राजनीति का संबंध निजी स्वार्थ साधने से जुड़ गया है।

(v) जनकल्याण से इसका सम्बन्ध है।

राजनीतिक सिद्धान्त में हम क्या पढ़ते है?

– राजनीतिक सिद्धान्त में हम जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते है जैसे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्म निरपेक्ष आदि।

– निश्चित मूल्यों व सिद्धान्तों को पढ़ते है जिनके द्वारा नीतियां निर्देशित होती है।

राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना–

– राजनीति का स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहा, राजनीतिक सिद्धांतों जैसे कि स्वतंत्रता और समानता को व्यवहार में उतारने का काम बहुत मुश्किल है। हमें अपने पूर्वाग्रहों का त्याग कर, इन्हें अपनाना चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के द्वारा हम राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में अपने विचारों तथा भावनाओं का परीक्षण कर सकते है, हम यह समझ सकते है कि सचेत नागरिक ही देश का विकास कर सकते है, राजनीतिक सिद्धांत कोई वस्तु नहीं है यह मनुष्य से संबधित है उदाहरण के लिए समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर है फिर भी महिलाओं, वृद्धों या विकलांगों के लिए अलग व्यवस्था की गई है अतः हम कह सकते है कि पूर्ण समानता संभव नहीं है, भेदभाव का तर्क संगत आधार जरूरी है।

हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए?

1. भविष्य में आने वाली समस्याओं के समय एक उचित निर्णय लेने वाला नागरिक बनने के लिए।
2. बुनियादी व सामान्य ज्ञान के लिए।
3. एक अधिकार संपन्न एवं जागरूक नागरिक बनने के लिए, राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए।
4. मत देने के लिए।
5. समाज से पूर्वाग्रहों को समाप्त करने एवं एकता कायम करने के लिए।
6. आन्दोलनों को प्रेरणा व सही दिशा देने के लिए।
7. वाद–विवाद, तर्क–वितर्क, लाभ–हानि का आंकलन करने के बाद सही निर्णय लेने की कला सीखने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए।
8. शासन व्यवस्था की जानकारी के लिए।
9. नीति बनाने के लिए।
10. लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान प्राप्त करने हेतु।
11. अधिकार एंव कर्त्तव्यों को समझने के लिए।
12. भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए।
13. अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग को बढ़ावा देने के लिए।
14. विभिन्न शासन प्रणालियों के अध्ययन हेतु।
15. एक छात्र होने के नाते।

राजनीति बनाम राजनीतिक सिद्धांत

राजनीति व राजनीतिक सिद्धान्त दो अलग–अलग धारणाएं है।

राजनीति दो शब्दों से मिलकर बना है। राज + नीति अर्थात नीति पर आधारित शासन, नागरिक या व्यक्तिगत स्तर पर किसी विशेष सिद्धांत अथवा व्यवहार का प्रयोग राजनीत के अंतर्गत आता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया सरकार बनाने की प्रक्रिया सत्ता प्राप्त करने की प्रक्रिया आदि।

राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय राज्य व सरकार है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय व लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य–नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्क संगत ढंग से सोचने और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीकें से आंकने का प्रशिक्षण देना है। गणित के विपरीत जहां त्रिभुज या वर्ग की निश्चित परिभाषा होती है– राजनीतिक सिद्धांत में हम 'समानता', 'आजादी' या न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते है।

ऐसा इसलिए है कि समानता, न्याय जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है। राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक चीजों के बारे में अपने विचार व व्यवहार से भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है।

दूसरी ओर राजनीति विज्ञान व राजनीति भी दो अलग–अलग धारणाएं है। राजनीति विज्ञान का जन्म राजनीति से पूर्व हुआ है, यह नैतिकता पर आधारित है जबकि राजनीति अवसर व सुविधा पर आधारित है। इतना होने पर भी इन्हें सिक्के के दो पहलू के रूप में माना जा सकता है।

राजनीतिक सिद्धांत का महत्व–

– न्याय व समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच का विकास

– तर्कसंगत व प्रभावी ढंग से सम्प्रेषण

– कुशल व प्रभावी राजनीति निर्णय लेने में सहायक

– अन्तर्राष्ट्रीय जगत की सूचना प्राप्त करने हेतु।

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्नः—

1. राजनीतिक सिद्धांत क्या है? समझाइए।
2. गांधी जी की पुस्तक 'हिन्द—स्वराज' में किस विषय पर प्रकाश डाला गया है?
3. राजनीति के विषय में आम लोगों की विचारधारा क्या है?
4. राजनीतिक विज्ञान व राजनीति में कोई एक अन्तर लिखें?
5. हमें राजनीतिक सिद्धान्त क्यों पढ़ना चाहिए?
6. राजनीतिक सिद्धान्त का मुख्य विषय क्या है?
7. राजनीति क्या है? (निम्न में से सही को अंकित करें)

   (i) राजनीति शासन करने की कला है।

   (ii) राजनीति प्रशासन संचालन के विवादों का हल प्रस्तुत करती है।

   (iii) राजनीति जन कल्याण से संबंधित है।

   (iv) उपरोक्त सभी
8. राजनीतिक सिद्धांत में हम अध्ययन करते हैं ...., ..., ... तथा .... । (कोई चार पहलू लिखें)।
9. वाक्य कों सही करके लिखें—

   लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी नहीं है।
10. राजनीति व राजनीतिक सिद्धांत दो अलग—अलग धारणाएं हैं। (सही / गलत)
11. राजनीतिक सिद्धांत भावी राजनीतिक निर्णय लेने में सहायक है? (सही / गलत)

दो अंकीय प्रश्नः—

1. 'राजनीति' का अर्थ स्पष्ट करें।
2. राजनीतिक सिद्धांत के किन्हीं दो क्षेत्रों को समझाइए। वर्णन कीजिए।
3. किन्हीं चार राजनैतिक विद्वानों के नाम लिखिए।
4. राजनीतिक सिद्धांत में हम जीवन के किन—किन पहलुओं का अध्ययन करते हैं?
5. हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? कोई दो कारण लिखिए।

चार अंकीय प्रश्नः—

1. 'राजनीति विज्ञान, विज्ञान है भी और नहीं भी।' इस तथ्य को स्पष्ट कीजिए।

2. किसी देश में लोकतंत्रिक सरकार के सफल संचालन के लिए राजनीतिक सिद्धांत आवश्यक है। कैसे?

3. 'राजनीति मनुष्य के दैनिक जीवन को कदम—कदम पर प्रभावित करती है। स्पष्ट कीजिए।

चार अंकीय प्रश्नः—

राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्य के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं की मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त हैं और कैसे वर्तमान नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाएँ। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आँकने का प्रशिक्षण देता है।

1. राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले मूल्य कौन—कौन से हैं?

2. राजनीतिक सिद्धांत किस को आंकने का प्रशिक्षण देता है?

3. राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है?

4. मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करने के लिए किन—किन राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखा जाता है।

पांच अंकीय प्रश्नः—

दिए गए कार्टून में कार्टूनिस्ट राजनीति के किस स्वरूप को दर्शाना चाहता है? कोई एक प्वॉइन्ट विस्तार से लिखें।

आपकों तुरंत राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए आपके कामकाज का इस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वह सोचता है कि वह झूठ और धोखाधड़ी से काम चला सकता है।

छः अंकीय प्रश्नः—

1. राजनीतिक सिद्धान्त में हम क्या—क्या पढ़ते है? लिखिए।
2. राजनीतिक सिद्धान्त की विशेषताएं लिखिए।
3. हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? सविस्तार समझाइए।
4. 'राजनीतिक सिद्धांत समानता व स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्नों को हल करने में बहुत प्रासंगिक है।'' कैसे? तर्क सहित सिद्ध कीजिए।

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों के व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है।
2. स्वराज के अर्थ की विवेचना पर।
3. आम लोग राजनीति को अच्छा नहीं मानते।
4. राजनीतिक विज्ञान निश्चित आदर्शों पर आधारित है जबकि राजनीति स्वार्थ व अवसरवादिता पर आधारित है।
5. इससे राजनीतिक नियमों/सिद्धांतों, समानता, स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र का ज्ञान होता है। जो लोकतंत्र के लिये आवश्यक है।
6. राज्य व सरकार
7. (4) उपरोक्त सभी।
8. स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र (पाठ में वर्णित अन्य)
9. लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है।
10. सही।
11. सही।

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. राजनीति शब्द की उत्पति ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है, जिस का शाब्दिक अर्थ नगर राज्य होता है।

2. (i) राज्य और सरकार का अध्ययन।

(ii) शक्ति और राजनीतिक विचारधराओं का अध्ययन।

3. अरस्तु, प्लेटो, रूसों, कौटिल्य, कार्ल मार्क्स, एवं डॉ. अम्बेडकर।

4. राजनीतिक सिद्धांत में मुख्यतः सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान, स्वतंत्रता समानता न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता आदि का अध्ययन किया जाता है।

5. 1. शासन व्यवस्था की जानकारी के लिए।

2. अधिकार एवं कर्तव्य को समझने के लिए। (अन्य कोई पॉइंट)

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. **राजनीतिक विज्ञान, विज्ञान है–** जो विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं उनका तर्क है कि विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान होता है और राजनीति विज्ञान का अध्ययन भी क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। इसमें प्रयोग संभव है। इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता है तथा इतिहास एवं समस्त विश्व इसकी प्रयोगशाला के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं।

राजनीति विज्ञान, विज्ञान नहीं है– जो लोग इसे विज्ञान नहीं मानते उनका कहना है कि राजनीति विज्ञान के सिद्धान्त स्पष्ट नहीं हैं। राजनीति में समान कारण होते हुए भी राजनीति विज्ञान में परिणाम एक जैसे नहीं निकलते। इसमें प्रयोग करना भी संभव नहीं है। इसकी कोई वास्तविक प्रयोगशाला भी नहीं होती। इसके अध्ययन में वैज्ञानिक विधि को अपनाया जाना सम्भव नहीं।

2. राजनीति सिद्धान्त उन विचारों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएँ बनती हैं। राजनीति सिद्धान्त विभिन्न धर्मों के अंतर्सबंधों की व्याख्या करते हैं।

ये समानता और स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करते हैं।

3. दैनिक जीवन में व्यक्ति कदम–कदम पर स्वतंत्रता एवं समानता के लिए संघर्ष करता नजर आता है। उदाहरण कही पानी के लिए सार्वजनिक नल पर पानी भरना हो चाहे समान रूप से मंदिर में प्रवेश को लेकर हो

1. स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्य।

2. सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं को।

3. नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आँकने का प्रशिक्षण देता है।

4. अतीत और वर्तमान के प्रमुख राजनीतिक चिंतक।

पांच अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. कार्टून को ध्यान पूर्वक देखं एवं स्वयं आंकलन करें

   (कार्टून राजनेताओं के झूठ व धोखाधड़ी को प्रदर्शित करता है।)

   स्व—विवेक से अथवा अध्यापक की सहायता से उत्तर लिखें।

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. राजनैतिक सिद्धान्त में हम—समाज में आए परिवर्तनों, आन्दोलनों, विकास तथा विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करते है तथा अन्य कारण।

2. स्वतंत्रता, समानता पूर्वाग्रहों का त्याग करना, देश का विकास, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास के मार्ग निर्देशन देना आदि। अन्य कारण।

3. (i) जागरूक बनाने के लिए।

   (ii) भविष्य की समस्याओं के सफल समाधान कर्ता तैयार करने के लिए।

   (iii) समाज में एकता कायम करने के लिए।

   (iv) तर्क संगत निर्णय लेने के लिए तैयार करना, आदि।

4. राजनैतिक सिद्धान्त स्वतंत्रता व समानता से संबंधित प्रश्नों के सरल एवं सहज उत्तर प्रस्तुत करता है। यह सम्पूर्ण मानव समाज के विकास एव सभ्यता के उदाहरण प्रस्तुत करतो हुए सभ्य मानव बनने का मार्ग सुझाता है तथा गलत रास्ते पर जाने के परिणामों से अवगत करता है।

   यह स्वतंत्रता एवं समानता को अपनाने वाले राष्ट्रों की समृद्धि एवं सफलता की कहानी के माध्यम से सम्पूर्ण विश्व से गुलामी एवं असफलता को समाप्त करने का रास्ता दिखाता है।

अध्याय 10

स्वतंत्रता

स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णित है।

मुख्य बिन्दुः

– स्वतंत्रता का आदर्श

– स्वतंत्रता क्या है?

– स्वतंत्रता का आदर्श प्रतिबंधों के स्रोत

– प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों?

– हानि सिद्धांत।

– स्वतंत्रता (लिबर्टी) बनाम स्वतंत्रता (फ्रीडम)

– नकारात्मक एवं सकारात्मक स्वतंत्रता। (दो आयाम)

स्वतंत्रता का आदर्शः

नेल्सन मंडेला की पुस्तक 'वाक टू फ्रीडम' तथा आँग सान सू की पुस्तक 'फ्रीडम फ्रॉम फीयर' स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति को देश सकते हैं। गरिमामय जीवन जीने के लिए भय मुक्त होना जरूरी है।

स्वतंत्रता क्या है?

– सामान्यतः स्वतंत्रता को प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अभाव के रुप में माना जाता है। इसे मानव के 'जो चाहे सो करे' के अधिकार का पर्यायवाची समझा जाता है। (बाहरी प्रतिबंधों का अभाव)

– हाब्स ने इसे अर्थात ' जो चाहों सो करो' की स्थिति को स्वच्छंदता की स्थिति कहा है जो प्राकृतिक अवस्था में उपलब्ध होती है।

– दूसरे शब्दों में, स्वतंत्रता का अर्थ है मानव को उस कार्य को करने का अधिकार जो वह करने के योग्य है। व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना तथा ऐसी परिस्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें।

– वार्कर के अनुसार, 'व्यक्तियों की स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं के साथ जुड़ी हुई है।

– स्वतंत्रता व्यक्तित्व विकास की सुविधा + तर्कसंगम बंधन।

– बीसवीं शताब्दी में महात्मा गांधी, नेल्सन मण्डेला तथा आंग सान सू, की आदि

व्यक्तियों ने शासन में भेदभाव, शोषणात्मक व दमनात्मकारी नीतियों का विरोध कर स्वतंत्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाया।

स्वतंत्रता के प्रकार

प्राकृतिक स्वतंत्रता	**व्यक्तिगत स्वतंत्रता**	**राजनीतिक स्वतंत्रता**	**आर्थिक अधिकार**
–व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार सब कुछ करने की पूर्ण स्वतंत्रता –मानव के कार्यों पर किसी भी प्रकार का बंधन न हो।	– निजी मामलों में विकल्प की स्वतंत्रता –जीवन की सुरक्षा –विचार, अभिव्यक्ति तथा आस्था की स्वतंत्रता	–राज्य के कार्यों में भाग लेने का अधिकार –मतदान का अधिकार –स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव लड़ने का अधिकार – शासन की नीतियों तथा कार्यों का समर्थन अथवा विरोध करने का अधिकार	–कोई लाभकारी पद पाने या कारोबार करने का अधिकार –अभाव से मुक्ति का अधिकार –वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण करने का अधिकार

उदारवादी बनाम मॉर्क्सवादी धारणाः–

– ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतम का पक्ष लिया है। हालांकि अब वे कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते है और मानते है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की जरूरत है।

– सकारात्मक उदारवादी (हॉब्स लॉक तथा लास्की) समर्थन करते है कि कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करता हैं। सार्वजनिक हित में व्यक्तियों को सर्वोत्तम विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उचित प्रतिबंधों का समर्थन।

– उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे मूल्यों से अधिक वरीयता देते है। वे आमतोर पर राजनीतिक सत्ता को भी संदेह की नजर से देखते है।

– मार्क्सवादी (समाजवादी) सामाजिक जीवन के ढांचे में उपलब्ध आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व देते है।

– स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा सभी लोगों के लिए इसके समान हितों की कामना करती है। वर्गों के बोझ से दबे बुर्जुआ समाज में उसके निहितार्थ भिन्न वर्गों के लिए भिन्न होते है। इसलिए जब तक पूंजीवादी व्यवस्था के

स्थान पर समाजवादी व्यवस्था नहीं आ जाती तब तक वास्तविक स्वतंत्रता संभव नहीं है।

आदर्श प्रतिबंधों के स्रोतः—

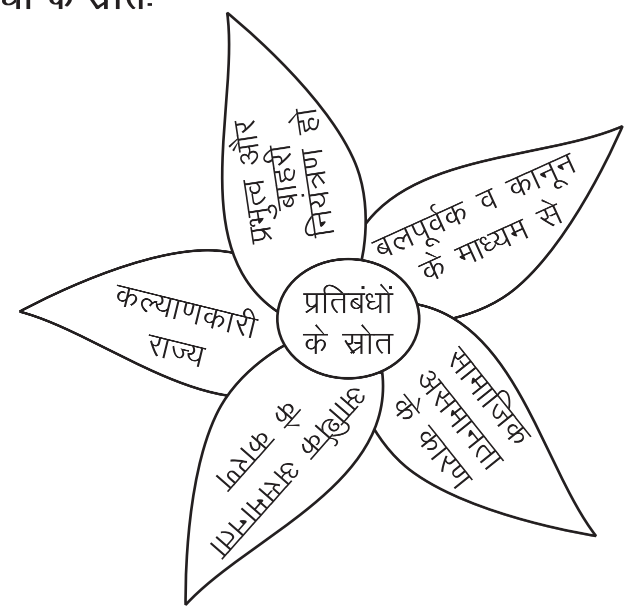

प्रतिबंधों की आावश्यकताः—

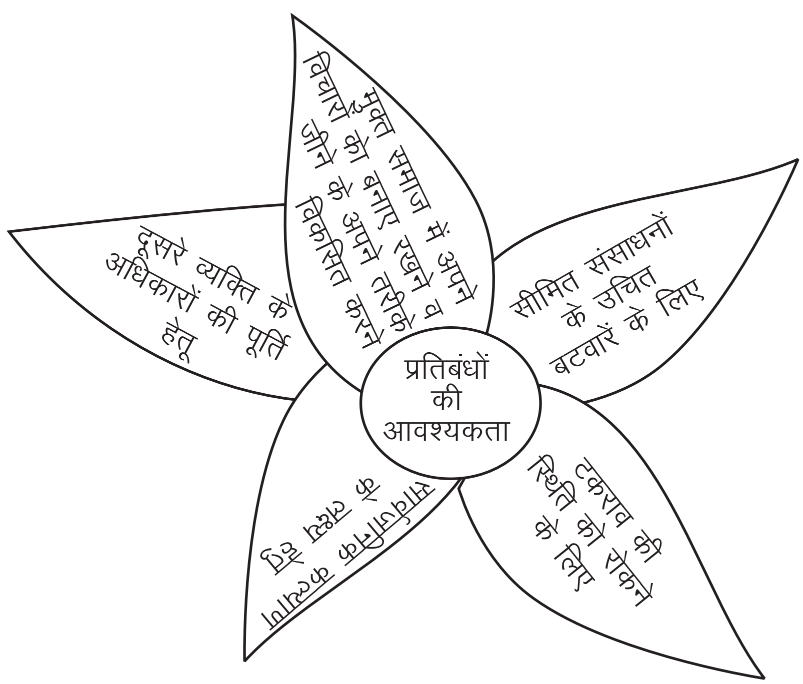

हानि का सिद्धांतः

''किसी के कार्य करने के स्वतत्रंता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है।''

जे. एस. मिल ने यहां एक महत्वपूर्ण विभेद को सामने रखा 'स्वसंबंध' और 'परसंबंध' के रूप में। स्वसंबंध जिसका प्रभाव केवल कार्य करने वाले व्यक्ति के उपर पड़ता है। 'परसंबंध जिसमें करने वाले कार्य का प्रभाव अन्य बाहरी व्यक्तियों के ऊपर भी पड़ता है। यदि उन कार्यों से दूसरों को कोई बड़ी हानि पहुंच रही हो तो ऐसी परिस्थिति में राज्य उनके ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है।

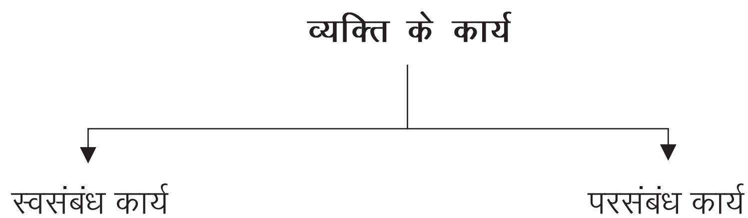

राज्य का किसी व्यक्ति के कार्यों व इच्छा के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य किसी को हानि से बचाना होता है।

स्वतंत्रता (लिबर्टी) बनाम स्वतंत्रता (फ्रीडम)

स्वतंत्रता (लिबर्टी) बनाम स्वतंत्रता (फ्रीमड) हम प्रायः स्वतंत्रता संकल्पना को फ्रीडम तथा लिबर्टी के समानार्थक शब्दों के रूप में प्रयोग होते हुए देखते हैं परंतु इन दोनों संकल्पनाओं के मध्य कुछ मूलभूत अंतर है जिन्हें समझना आवश्यक है। लिबर्टी लैटिन शब्द से आया है जिसका अर्थ है 'मुक्त व्यक्ति की स्थिति'। जबकि स्वतंत्रता (लिबर्टी) अंग्रेजी शब्द फ्रीडम से बना है जिसका अर्थ है 'मुक्त राज्य'।

(लिबर्टी) व्यक्ति की स्वतंत्रता की इच्छा के अनुसार कार्य करने तथा स्वयं को अभिव्यक्त करने की शक्ति है, जबकि फ्रीडम किसी के कार्य को निश्चित करने की शक्ति होती है। फ्रीडम, लिबर्टी से अधिक ठोस संकल्पना है। फ्रीडम व्यक्ति के राज्य के साथ अन्य व्यक्तियों के साथ एवं परिस्थितियों के साथ संबंध संकल्पना है। राज्य लिबर्टी के माध्यम से अपने नागरिकों को फ्रीडम की गारंटी प्रदान करता है।

स्वतंत्रता (फ्रीडम)

– एक मुक्त व्यक्ति की स्थिति

– कार्य करने की शक्ति

– कुछ करने के लिए स्वतंत्रता

स्वतंत्रता (लिबर्टी)

– स्वतंत्र इच्छा की अवस्था।

– निर्णय लेने की शक्ति।

– किसी से स्वतंत्र।

इन दोनों संकल्पना के मध्य एक सामान्य विशेषता यह है कि यह दोनों संबंधित हैं, अर्थात एक–दूसरे की प्राप्ति में बाधा मुक्त हैं। इसके अतिरिक्त दोनों अपने बोध के संदर्भ में नैतिक अनुरूपता का पालन करते हैं।

स्वतंत्रता के आयामः–

- स्वतंत्रता के दो आयाम है– (i) नकारात्मक व (ii) सकारात्मक
- **नकारात्मक स्वतंत्रता**– नकरात्मक भाव में इसका यह निहितार्थ है कि जहां तक संभव हो प्रतिबंधों का अभाव हो। क्योंकि प्रतिबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती करते है। इसलिए इच्छानुसार कार्य करने की छूट हो और व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो।
- समर्थक है जॉन स्टुअर्ट मिल और एफ.ए. हायक आदि।
- **सकारात्मक स्वतंत्रता**
    - नियमों व कानूनों के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था जिससे मनुष्य अपना विकास कर सकें।
    - यदि राज्य सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो प्रतिबन्ध अनिवार्य है।
    - मानव समाज मे रहता है, उसके कार्य अन्य लोगों की स्वतंत्रता को प्रभावित करते है। इसलिए इसका जीवन बंधनों द्वारा विनियमित होना चाहिए।
    - तर्कयुक्त बंधनों की उपस्थिति।
    - समर्थक है टी.एच.ग्रीन व प्रो. ईसाह बर्लिन' की।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:–

– अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा अहस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा है।

– जान स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक 'आन लिबर्टी' में सबल तर्क रखते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए जिनके विचार आज की स्थितियों में गलत और भ्रामक लग रहे हो।

– चार सबल तर्क:–

1) कोई भी विचार पूरी से गलत नहीं होता। उसमें सच्चाई का भी कुछ अंश होता है।

2) सत्य स्वंय से उत्पन्न नहीं होता बल्कि विरोधी विचारों के टकराव से पैदा होता है।

3) जब किसी विचार के समक्ष एक विरोधी विचार आता है तभी उस विचार की विश्वसनीयता सिद्ध होती है।

4) आज जो सत्य है, वह हमेशा सत्य नही रह सकता। कई बार जो विचार आज स्वीकार्य नही है वह आने वाले समय के लिए मूल्यवान हो सकते है।

– अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कई बार प्रतिबंध अल्पकालीन रूप में समस्या का समाधान बन जाते है तथा तत्कालीन मांग को पूरा कर देते है लेकिन समाज में स्वतंत्रता के दूरगामी संभावनाओं की दृष्टि से यह बहुत खतरनाक है।

स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय:–

- लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था
- मौलिक अधिकरों का प्रावधान
- कानून का शासन
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता
- शक्तियों का विकेन्द्रीकरण
- शक्तिशाली विरोधी दल
- आर्थिक समानता
- विशेषाधिकार न होना
- जागरूक जनमत

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्नः–

1. स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है?
2. प्रतिबंधों के स्रोत क्या है?
3. नकारात्मक स्वतंत्रता से आप क्या समझते है?
4. एक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है?
5. जान स्टुअर्ट मिल ने व्यक्ति के कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया है?
6. नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक है।
7. आगं सान सू देश में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया।
8. उदारवादियों के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ लिखिए।
9. भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा क्या है?
10. ''तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता परन्तु मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा।'' यह कथन किसका है और इसमें किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात कहीं गई है?
11. स्वतंत्रता संबंधी नेताजी सुभाष चन्द्र जी के विचार क्या है?
12. 'स्वराज' शब्द से क्या अभिप्राय है?
13. स्वतंत्रता की एक विशेषता का वर्णन कीजिए?
14. लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य के बारे में क्या कहा था?
15. सलमान रुश्दी की .... पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया?
16. निम्नलिखित में से स्वतंत्रता की रक्षा के कौन–कौन से उपाय हैं?

    (क) कानून का शासन (ख) आर्थिक समानता

    (ग) जागरूक जनमत (घ) उपरोक्त सभी
17. कथन को सही करके लिखेंः गरिमामय जीवन जीने के लिए भय मुक्त होना जरूरी नहीं है।
18. प्रतिबंधों के निम्नलिखित स्रोत हैंः

    (क) कल्याणकारी राज्य

    (ख) प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण हो

    (ग) बलपूर्वक व कानून के माध्यम से

    (घ) सामाजिक असमानता तथा सभी

19. राज्य का किसी व्यक्ति के कार्यों में इच्छा के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य किसी को हानि से बचाना होता है। (सही / गलत बताइये)

20. 'हानि के सिद्धांत' का संबंध हैः

(क) प्लेटो (ख) अरस्तु

(ग) जे एस मिल (घ) कार्ल मार्क्स

दो अंकीय प्रश्नः—

1. व्यक्तिगत स्वतंत्रता से आप क्या समझते है?
2. राजनीतिक स्वतंत्रता पर अपने विचार प्रकट कीजिए?
3. राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर अपने विचार दीजिए?
4. नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ बताइए?
5. आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट कीजिए?
6. स्वतंत्रता से आपका क्या अभिप्राय है?
7. फिल्म निर्माता दीपा मेहता को काशी में विधवाओं पर फिल्म बनानें से किस आधार पर रोका गया? यह किस स्वतंत्रता का उल्लंघन था?

चार अंकीय प्रश्नः—

1. नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या अंतर है?
2. सामाजिक प्रतिबंधों से क्या अभिप्राय है? क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है?
3. स्वतंत्रता के चार लक्षणों का वर्णन करो?
4. जॉन स्टुअर्ड मिल के 'हानि सिद्धान्त' का वर्णन करो?

पांच अंकीय प्रश्नः—

1. निम्नलिखित अवतरण को पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएः

   सकारात्मक स्वतंत्रत के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्रत हो सकता है, समाज से बाहर नहीं और इसलिए वह समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते है जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करें। दूसरी ओर नकारात्मक स्वतंत्रता का सरोकार अहस्तक्षेप के अनुलंधनीय क्षेत्र से है, इस क्षेत्र से बाहर समाज की स्थितियों से नहीं। नकारात्मक स्वतंत्रता अहस्तक्षेप के इस छोटे क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहेगी।

हालांकि ऐसा करने में वह समाज के स्थायित्व को ध्यान रखेगी। आमतौर पर दोनों तरह की स्वतंत्रताएं साथ–साथ चलती है और एक–दूसरे का समर्थन करती है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि निरंकुश शासन सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्कों का सहारा लेकर अपने शासन को न्यायोचित सिद्ध करने की कोशिश करे।

(क) सकारात्मक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है? 1 अंक

(ख) नकरात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है? 1 अंक

(ग) गद्यांश के अनुसार, सकारात्मक स्वतंत्रता के विपक्ष में क्या तर्क दिया गया है? 1 अंक

(घ) क्या दोनों स्वतंत्रताएं साथ–साथ चलती हैं? 2 अंक

छः अंकीय प्रश्नः–

1. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे? उदाहरण सहित बताइये।
2. हमें प्रतिबंधों की आदत को विकसित क्यों नहीं होने देना चाहिए? ऐसा आदत किस प्रकार से स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकती है? व्याख्या कीजिए।

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. अगर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध न होंगे तो समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। लोगों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
2. कानून द्वारा, बल के आधार पर,
3. एक ऐसा क्षेत्र जिसमें व्यक्ति अबाधित रूप से व्यवहार कर सके।
4. आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना तथा प्रतिभा का विकास करना।
5. दो भागों में – स्वसंबद्ध कार्य, परसबंद्ध कार्य
6. 'लॉग वाक टू फ्रीडम' (स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा)
7. म्यांमार में
8. उदारवादियों के अनुसार स्वतंत्रता का केन्द्र बिन्दू व्यक्ति है। व्यक्ति को अधिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल तथा राज्य की कल्याणकारी भूमिका को बढ़ावा देना।

9. स्वराज की अवधारणा।

10. यह कथन 'वाल्तेयर' का है और इसमें 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता'की बात कही गयी है।

11. ऐसी सर्वांगीण स्वतंत्रता से है– जो व्यक्ति और समाज की हो, अमीर और गरीब की हो, स्त्रियो और पुरूषों की हो तथा सभी लोगों और सभी वर्गों की हो।

12. स्वराज का अर्थ 'स्व' का शासन भी हो सकता है और 'स्व' के उपर शासन भी हो सकता है। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं है बल्कि ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है, जो मनुष्य को उसकी मनुष्यता से वंचित करती है।

13. उचित बंधनों का होना।

14. ''स्वाराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा''।

15. 'द सेटानिक वर्सेस'

16. उपरोक्त सभी

17. गरिमामय जीवन जीने के लिए भय मुक्त होना जरूरी है।

18. सामाजिक असमानता तथा सभी।

19. सही

20. (ग) जे एस मिल

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. मनुष्यों का व्यक्तिगत मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्रता होनी चाहिए। भोजन, वस्त्र, शादी–विवाह, रहन–सहन आदि मामलों में राज्य को दखल नहीं देना चाहिए।

2. राज्य के नागरिकों को–
   - अपनी सरकार में भाग लेना।
   - मताधिकार का प्रयोग करना।
   - चुनाव लड़ना आदि।

3. राष्ट्र को विदेशी नियंत्रण से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। एक स्वतंत्र राष्ट्र ही अपने नागरिकों को अधिकार तथा स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है। जिससे नागरिकों अपना सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक तथ राजनैतिक विकास कर सके।

4. एक व्यक्ति को किसी राज्य का नागरिक होने के कारण मिलती है। ऐसी स्वतंत्रता को राज्य के माध्यम से दिया जाता है। राज्य के संरक्षण में ही व्यक्ति इस स्वतंत्रता का प्रयोग अपने विकास के लिए करता है, बिना किसी की स्वतंत्रता को बाधित किए हुए।

5. – अपनी रूचि व योग्यतानुसार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता।
   – देश में उद्योग–धंधों को चलाने की स्वतंत्रता।
   – धन का उत्पादन व वितरण ठीक ढंग से हो।
   – बेरोजगारी न हो।

6. स्वतंत्रता अभिप्राय व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। इसका आशय व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना भी है, जिसमें व्यक्ति की रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास हो सकें।

7. – भारत की दशा का बुरा चित्रण होना।
   – विदेशी पर्यटकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
   – काशी नगरी की बदनामी होना।

   यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन था।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ उस स्वतंत्रता से है जिनके अंतर्गत व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कार्य करता है। हॉब्स के अनुसार ''ऐसी स्वतंत्रता का अर्थ है– सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव।'' जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता नियमों, उपनियमों तथा कानूनों के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रता। संक्षेप में कहा जाए तो नकरात्मक स्वतंत्रता के समर्थक राज्य के कम से कम हस्तक्षेप के पक्ष में थे ताकि मनुष्य पर किसी प्रकार का नियंत्रण न हो जबकि सकरात्मक स्वतंत्रता के पोषक राज्य को अधिक से अधिक कार्य देने के पक्ष में हैं। उनके अनुसार इससे व्यक्तियों पर नियंत्रण नहीं होता बल्कि राज्य व्यक्तियों के विकास के लिए उचित परिस्थितियों को प्रदान करता है।

   नकारात्मक स्वतंत्रता पूर्ण स्वतंत्रता है जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता नियंत्रित स्वतंत्रता है।

   नकारात्मक स्वतंत्रता में सभी प्रकार के बंधनों का अभाव होता है जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता में अनुचित बंधनों का अभाव तथा उचित बंधनों का अस्तित्व है।

नकारात्मक स्वतंत्रता 18वीं तथा 19वीं शताब्दियों की स्वतंत्रता है जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता वर्तमान शताब्दी की स्वतंत्रता है।

नकारात्मक स्वंतत्रता में एक व्यक्ति कुछ कह सकता है, परन्तु सकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति सीमा में रहकर ही कुछ कर सकता है।

2. सामाजिक प्रतिबंध – सामाजिक प्रतिबंध का आषय है कि समूह, समुदाय या राज्य के द्वारा व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना है। ऐसे प्रतिबंध जो जरूरी हों, जिनसे व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित हो। बिना प्रतिबंधों के स्थिति अराजकता की हो जाएगी, अव्यवस्था की स्थिति हो जाएगी।

   सभी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक नहीं है। जो प्रतिबंध जोर–जबरदस्ती यानी बलपूर्वक लगाए जाते हैं, जिसमें शासक वर्ग के हितों की पूर्ति हो, वे प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक नहीं, हैं जैसे– तानाशाही शासन व्यवस्था में। जबकि लोकतंत्रिक देशों में सरकार द्वारा लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबंध लगाना लोगों को उचित परिस्थितियाँ देना है। अतः वह सामाजिक प्रतिबंध जो व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता देता है, स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। वे प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं जो व्यक्तिगत समूहों तथा राष्ट्र के बीच के संबंधों पर लागू होते हैं।

3. स्वतंत्रता के लक्षण निम्नलिखित हैं–
   - (i) स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों को समान रूप से मिलती है।
   - (ii) करने योग्य कार्य को करने की शक्ति ही स्वतंत्रता है।
   - (iii) स्वतंत्रता नियंत्रण से मुक्ति ही नहीं दिलाती बल्कि व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान करती है।
   - (iv) स्वतंत्रता समाज में मिल सकती है, समाज के बाहर नहीं।
   - (v) स्वतंत्रता का प्रयोग समाज के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है।

4. सिद्धान्त यह है कि किसी के कार्य करने की स्वंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देष्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। अतः हानि पहुँचाने वाले कार्यो पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसे ही हानि का सिद्धान्त कहते हैं।

पाँच अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

– छात्र एवं छात्राएँ शिक्षक की सहायता से स्वयं करेगें।

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता – अपने विचारों को प्रकट करने की आजादी ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। व्यक्ति अपने विचारों को कहकर, लिखकर या किसी माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छे 19 द्वारा नागरिकों को भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध हैं। कोई भी स्वतंत्रता बंधनों के अभाव में नहीं रह सकती। प्रतिबंधों के कारण ही लोगों की स्वतंत्रता कायम रह सकती है। यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करता है परन्तु वह किसी व्यक्ति का अपमान नहीं कर सकता या किसी को अपशब्द नहीं कह सकता। व्यक्ति अपनी इच्छानुसार स्वतंत्रतापूर्वक कार्य तो कर सकता है परन्तु वह अपनी मनमानी नहीं कर सकता। परन्तु राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह देष की अखण्डता, सुरक्षा, शांति, नैतिकता आदि को ध्यान में रखते हुए इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है।''

   राज्य यह भी ध्यान रखता है कि प्रतिबंध इतने भी न हो कि स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए। लोकतांत्रिक राज्यों में सरकार लोगों का स्वंतत्रता की रक्षक हैं।

2. विद्यार्थी स्वयं अपने विवेक से उत्तर देंगे।

अध्याय 11
समानता

मुख्य बिन्दुः

– समानता का महत्व।

– समानता क्या है?

– समानता के विभिन्न आयाम।

– हम समानता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं?

समानता का महत्व (महत्वपूर्ण क्यों?)

समानता मौलिक अधिकारों में अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान के अधिकारी है। यही धारणा सार्वभौमिक मानवाधिकार की जनक भी है। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए भी समानता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

समानता क्या है?

सबके साथ बराबरी अर्थात एक जैसा व्यवहार करना बिना किसी भेद–भाव के।

सबको विकास के समान अवसर प्रदान करना तथा विशेष अधिकारों का अभाव ही वास्तव में समानता है।

- अनेक देशों के कानूनों में समानता को शामिल किए जाने के बावजूद भी समाज में धन, सम्पदा, अवसर, कार्य, स्थिति व शक्ति की भारी असमानता नजर आती हैं
- समानता के अनुसार, व्यक्ति को प्राप्त अवसर या व्यवहार, जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए।
- प्राकृतिक असमानताएं लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं और प्रतिभाओं के कारण तथा समाज जनित असमानताएं अवसरों की असमानता व शोषण से पैदा होती है।

समानता के तीन आयामः–

- **राजनीतिक समानता**– सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना

राजनीतिक समानता में शामिल है। समान नागरिकता अपने साथ मतदान का अधिकार संगठन बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि का अधिकार भी लाती है।

– **आर्थिक समानता**– आर्थिक समानता का लक्ष्य धनी व निर्धन समूहों के बीच की खाई को कम करना है यह सही है कि किसी भी समाज में धन या आमदनी की पूरी समानता शायद कभी विद्यमान नहीं रही किंतु लोकतांत्रिक राज्य समान अवसर की उपलब्धि कराकर व्यक्ति को अपनी हालत सुधारने की मौका देती हैं।

– **समाजिक समानता**– राजनीतिक समानता व समान अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था साथ ही समाज में सभी लोगों के जीवनयापन के लिये अनिवार्य–चीजों के साथ पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, पोषक आहार व न्यूनतम वेतन की गारण्टी को भी जरूरी माना गया है। समाज के वंचित वर्गों और महिलाओं को समान अधिकार दिलाना भी राज्य की जिम्मेदारी होगी।

– असमानता और विशेषाधिकारों की समाप्ति करके समानता की स्थापना का प्रयास किया गया है।

– विभेदक बर्ताव अर्थात् लोगों के बीच अंतर को ध्यान रखकर कुछ विभेदक बर्ताव (आरक्षण) की नीति बनाई गई है जिससे समाज के सभी वर्गों की अवसरों तक समान पहुंच हो सके। कुछ देशों में इसे सकारात्मक कार्यवाही की नीति का नाम दिया गया है।

– समाजवाद व मार्क्सवाद के अनुसार आर्थिक असमानताएं सामाजिक रूत्बे या विशेषाधिकार जैसी असमानाताओं को बढ़ावा देती है इसीलिए समान अवसर से आगे जाकर आर्थिक संसाधनों पर निजी स्वामित्व न होकर जनता का नियंत्रण सुनिश्चित करने की जरूरत है।

– उदारवादी, समाज में, संसाधनों के वितरण के मामले में, प्रतिद्वंद्विता के सिद्धांत का समर्थन करते है और राज्य के हस्तक्षेप को अनिवार्य समझते है।

– स्त्रियों द्वारा समान अधिकारों के लिए संघर्ष मुख्यतः नारीवादी आंदोलन से जुड़ा है। मातृत्व अवकाश जैसे विशेषाधिकार नारी समाज के लिये अत्यंत आवश्यक हैं

– विभेदक बर्ताव या विशेषाधिकार का उद्देश्य न्यायपरक व समानता मूलक समाज को बढ़ावा देना है समाज में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को फिर से खड़ा करना नहीं है।

समानता के प्रमुख प्रकारः

– प्राकृतिक समानता

– नागरिका समानता

– सामाजिक समानता कानूनी समानता

– राजनीतिक समानता

– आर्थिक समानता

– शिक्षा की समानता

– अवसर की समानता

– सांस्कृतिक समानता आदि।

हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं?

– औपचारिक समानता की स्थापना करके।

– सरकार और 'कानून' और 'समानता' की व्यवस्था को संरक्षण देना बंद करके।

– विशेष अधिकारों की औपचारिक व्यवस्था को भी समाप्त करना होगा।

– दुनिया भर में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समानता स्थापित करने वाली कानूनी व्यवस्था और रीति–रिवाजों को समाप्त करना होगा।

– महिलाओं को बहुत सारे व्यवसाय और गतिविधियों में भाग लेने की इजाजत दे कर।

विभेदक बर्ताव द्वारा समानता।

समानता के सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता आवश्यक तो है लेकिन पर्याप्त नहीं कभी–कभी यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग समान अधिकारों का उपयोग कर सकें उनसे अलग–अलग बर्ताव करना जरूरी हो जाता है। उदाहरण के लिए दिव्यागों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए उनके साथ बर्ताव बनाया जाता है।

सकारात्मक कार्यवाही

जो कानून बना दिए गए हैं उन्हें सही रूप में लागू करना।

असमानता की गहरी खाई को भरने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए।

दलित, वंचित समुदायों, महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति तथा होस्टल जैसी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों में सभी वर्गों के विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए।

विशेष सहायता को उपलब्ध कराने हेतु राज्य अर्थात सरकार को समानता लाने वाली सामाजिक नीतियां बनानी चाहिए।

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्नः–

1. समानता का महत्व लिखिए।
2. क्या समानता का मतलब व्यक्ति से हर स्थिति में समान बर्ताव करना है?
3. 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था?
4. क्या समाज मे समानता के साथ–साथ असमानता अधिक नजर आती है?
5. भारतीय समाज में व्याप्त एक साधारण असमानता का उल्लेख कीजिए?
6. नारीवाद से आप क्या समझते है?
7. वंचित समूहों से क्या अभिप्राय है?
8. समानता भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है?

   (क) 19 से 22 (ख) 14 से 18

   (ग) 10 से 12 (घ) इनमें से कोई नहीं
9. भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम किस वर्ष में पास किया?

   (क) 1975 (ख) 1875

   (ग) 1895 (घ) 1995
10. कथन को सही करके लिखेंः

    समानता के तीन आयाम, सांस्कृतिक समानता, आर्थिक समानता व नैतिक समानता है।
11. सही वह गलत का निशान लगाएः

    1. सबके साथ बराबरी अर्थात एक जैसा व्यवहार की समानता है। ( )

    2. सबको विकास के समान अवसर प्रदान करना समानता है। ( )

    3. विशेष अधिकारों का अभाव ही वास्तव में समानता है। ( )

    4. जैसा जो चाहे वैसा करने के लिए स्वतंत्र होना ही समानता है। ( )

12. मनुष्य के .... विकास के लिए भी समानता अत्यंक महत्वपूर्ण है।

13. सही विकल्प चुनेः

(क) नागरिक समानता (ख) राजनीतिक समानता

(ग) शिक्षा की समानता (घ) अवसर की समानता तथा उपरोक्त सभी

14. समानता को बढ़ावा देने वाले कोई दो कारक लिखिए।

15. किसी एक असमानता को लिखिए जो आपने स्वयं अनुभव की हो।

16. क्या आर्थिक असमानता समाप्त करना संभव है? यदि हां तो किस प्रकार से?

दो अंकीय प्रश्नः—

1. न्यायपूर्ण व अन्यायपूर्ण असमानता से आप क्या समझते है?
2. आर्थिक समानता का अर्थ लिखिये।
3. समानता के आदर्श से क्या तात्पर्य है?
4. कुछ विभिन्नताएं जन्मजात न होकर भी जन्मजात बना दी गई है? इस संबंध में अपने विचार लिखिये।
5. प्राकृतिक व समाज—जनित असमानताओं से आप क्या समझते है?
6. क्या हमारा समाज समानता पर आधारित समाज का उदाहरण हो सकता हैं?
7. क्या आपके अनुसार सामाजिक समानता भारत में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है? क्यों?
8. मॉर्क्सवाद से आप क्या समझते है?
9. समाजवाद की अवधारणा समझते हुए भारत के प्रमुख समाजवादी चिंतक का नाम बताइये।
10. ''विभेदक बर्ताव (आरक्षण) समानता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है'' कैसे?

चार अंकीय प्रश्नः—

1. ''क्या प्राकृतिक विभिन्नताएं सदैव अपरिवर्तनीय होती है? इस सम्बन्ध में अपने विचार उदाहरण के साथ लिखिये।
2. मार्क्सवाद व उदारवाद में समानता की अवधारण को ध्यान में रखकर अंतर स्पष्ट कीजिए।

3. हम समानता को बढ़ावा किस प्रकार दे सकते है?

4. '' राजनीतिक समानता आर्थिक समानता के बिना धोखा मात्र है'' I प्रयुक्त वाक्य को ध्यान में रखकर अपने विचार प्रकट कीजिये I

5. संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल के आधार पर असमानता से निपटने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये? क्या यह कारगर सबित हुए I

6. ''एक अध्यापक और एक फैक्ट्री मजदूर के वेतन के अंतर को आप असमानता मानते हैं'' I यदि नही तो क्यों?

6. गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिये I

समानता के उद्देश्य से जुड़े बहुत से मुद्दे नारीवादी आंदोलनों द्वारा उठाए गए। उन्नीसवीं सदी में स्त्रियों ने समान अधिकरों के लिए संघर्ष किया। उदाहरण के लिए उन्होंने मताधिकार, कॉलेज–यूनिवर्सिटी में डिग्री पाने का अधिकार और काम के लिए अधिकार की उसी प्रकार मांग की जैसे अधिकार पुरूषों को हासिल थे। हालांकि जैसे ही उन्होंने नौकरियों में प्रवेश किया उन्हें महसूस हुआ कि स्त्रियों को इन अधिकारों को उपयोग में लाने के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए उन्हें मातृत्व अवकाश और कार्यस्थल पर बालवाड़ी जैसे प्रावधानों की आवश्यकता थी। इस प्रकार के विशेष बरताव के बिना वे न तो गंभीरतापूर्वक स्पर्धा में भाग ले सकेंगी और न ही सफल व्यवसायिक और निजी जीवन का आनंद उठा सकेंगी दूसरे शब्दों में पुरूषों के समान अधिकारों के उपयोग के लिए उन्हें कई बार एक विशेष बरताव की जरूरत होती थी I

1) नारीवाद से क्या तात्पर्य है?

2) पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त होने के बावजूद महिलाओं को विशेषाधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी?

3) क्या यह विशेषाधिकार समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है या नहीं? समझाइये I

4) उपरोक्त गद्यांश किस विषय की सार्थकता को प्रदर्शित कर रहा है I

पांच अंकीय प्रश्नः—

1. 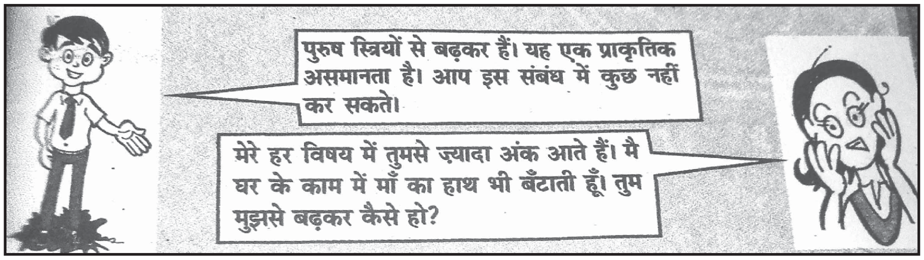

प्रस्तुत कार्टून के संदर्भ में स्त्री पुरूष समान हैं या असमान। अपने विचार प्रस्तुत कीजिए।

छः अंको वालों प्रश्नः

1. ''मानव जीवन के सम्मानपूर्वक संचालन के लिये समानता आवश्यक व अनिवार्य है''। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए समानता के तीनों आयामों पर प्रकाश डालिये।
2. क्या विभेदक बर्ताव (आरक्षण) समानता की विरोधी अवधारणा है? आपके अनुसार इस सम्बंध में क्या सुझाव या सुधार होने चाहिये।

उत्तरमाला

एक अंकीय उत्तरः—

1. समानता के कारण सभी व्यक्ति महत्व व सम्मान के अधिकारी है। इसी धारणा ने सर्वभौमिक मानावधिकार जैसी धारणा का जन्म दिया।
2. नहीं वरन व्यक्ति की प्रतिभा व क्षमताओं को ध्यान में रखकर अवसर की समानता मुहैया कराना है।
3. स्वतंत्रता, समानता व भाईचारा।
4. हाँ। आलीशान कॉलोनियों के साथ झुग्गियां भोजन की बर्बादी के साथ भुखमरी समाज में आसानी से देखी जा सकती है।
5. स्त्री पुरूष असमानता जिसके चलते कन्या भ्रूण हत्या का पाप समाज में हुआ है।
6. नारीवाद स्त्री पुरूष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है।

7. लम्बे समय से असमानता व शोषण के शिकार व्यक्ति जिनपर जन्म व जातिगत विभिन्नताओं के चलते अत्याचार होते रहे है।

8. अनुच्छेद (14–18)

9. वर्ष 1995

10. समानता के तीन आयाम राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता व सामाजिक समानता है।

11. 1. (√) सही

    2. (√) सही

    3. (√) सही

    4. (×) गलत

12. सर्वांगीण

13. (घ) अवसर की समानता तथा उपरोक्त सभी

14. 1. औपचारिक समानता की स्थापना करके

    2. महिलाओं को बहुत सारे व्यवसाय और गतिविधियों में भाग लेने की इजाजत दे करके।

15. विद्यार्थी अपने अनुभव के आधार पर उत्तर लिखें।

16. अवसर की समानता द्वारा।

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. व्यक्ति के काम के महत्व के आधाार पर असमानता न्यायपूर्ण कहीं का सकती है जैसे देश के प्रधानमंत्री व सेना के जनरल को विशेष दर्जा या सम्मान जबकि व्यक्ति के जन्म व जाति पर आधारित असमानता अन्यायपूर्ण होगी जैसे मंदिर व सार्वजनिक स्थल में प्रवेश पर रोक।

2. अमीर व गरीब के बीच व्याप्त खाई को कम करना तथा अवसरों से समानता की उपलब्धि

3. व्यक्ति को प्राप्त अवसर या व्यवहार जन्म या समाजिक परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होने चाहिए।

4. जब समाज में कुछ विभिन्नताएं लम्बे समय तक विद्यमान रहती है तो वह प्राकृतिक विभिन्नताओं पर आधारित लगने लगती है जैसे प्राचीन समय से ही महिलाओं को अबला व पुरूषों के मुकाबले में डरपोक मानकर उन्हें समान अधिकारों से वंचित करना, न्यायसंगत मान लिया गया था।

5. प्राकृतिक असमानताएं व्यक्तियों की क्षमता व प्रतिभा से जुड़ी होती है जबकि समाजजनित असमानताएं अवसरों की असमानता व शोषण से जुड़ी होती है।

6. यद्यपि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में समानता वर्णित है किंतु फिर भी समाज में अमीर गरीब, स्त्री पुरूष व जातिगत असमानताओं के उदाहरण प्रतिदिन देखने को मिलते है।

7. हां क्योंकि भारतीय समाज जातिगत विभिन्नताओं में बंटा है। जन्म के आधार पर फैली असमानता को समाप्त करने के लिय डॉ. भीम राव अम्बेडकर ने आरक्षण सम्बधी प्रावधानों का जिक्र किया था।

8. सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को मिटाने का उपाय निजी स्वामित्व को समाप्त करके आर्थिक संसाधानों पर जनता का स्वामित्व होना चाहिए।

9. समाजवाद का अर्थ असमानताओं को न्यूनतम करके संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा करना है। भारत के प्रमुख समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया।

10. हाँ, क्योंकि समानता व विकास की दौड़ में पीछे रह गई नीतियों को विशेषाधिकारों की आवश्यकता है।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. नहीं! यह परिवर्तनीय हो सकती है चिकित्सा तकनीक व कम्प्यूटर अक्षमता के निराकरण में सहायक हो सकते है। प्रसिद्ध भौतिकविद स्टीफन हॉकिन्स का चलने व न बोल पाने के बावजूद भी विज्ञान में योगदान सराहनीय है।

2. मार्क्सवाद आर्थिक संशोधन पर जनता का नियंत्रण करके समानता की स्थापना करने के प्रयास में विश्वास रखते है जबकि उदारवादी खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा सभी वर्गो से योग्य व्यक्तियों को बाहर निकालने में यकीन रखते हैं।

3. विशेषाधिकार वर्ग की समाप्ति तथा विभेदक बर्ताव द्वारा समानता लाने का प्रयास।

4. न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में व्यक्ति अपने राजनीतिक अधिकारों के महत्व को नहीं समझ सकता जिससे राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।

5. 1964 में Civil Right Act सरकार द्वारा पास किया गया जिसमें रंग, नस्ल व धर्म के आधार पर समानता की स्थापना का प्रयास था। एक अश्वेत व्यक्ति बराक हुसैन ओबामा अमेरिका के सबसे गरिमा मय पद पर दो बार आसीन हो चुके हैं। जो रंगभेद की नीति के नकारे जाने का उदाहरण है किंतु फिर भी समाज में समय –समय पर अश्वेतों के विरूद्व हिंसा की गूंज सुनाई पड़ जाती है।

6. समानता के अनुसार समान कार्य का समान वेतन होना चाहिए था कार्य बौद्विक व शारीरिक अलग अलग है।

पांच अंको अंकीय प्रश्न का उत्तर–

2. 1) पुरूष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला सिद्धांत

   2) कुछ आवश्यकताएं प्रकृति प्रदत्त है जैसे शिशु के जन्म व उसके बाद की अवस्था में महिलाओं को अवकाश की आवश्यकता होती है।

   3) नहीं यह समानता के सिद्धांत के विरूद्व नहीं हैं क्योंकि यह प्राकृतिक अनिवार्यता है।

   4) महिलाओं से सम्बन्धित विषय को।

1. समाज से कुछ असमानाताएं लम्बे समय से चली आ रही है अतः उन्हें प्राकृतिक विभिन्नताओं पर आधारित मान लिया गया है भारत में भी स्त्री पुरूष विभिन्नता इसका उदाहरण है वास्तव में यह असमानता समाजजनित है। महिलाएं भी वह सभी कार्य करने में सक्षम है जो पुरूष कर सकते हैं। आज महिलाएं जीवन के सभी कार्य क्षेत्रों में कामयाबी के झण्डे गाड़ चुकी हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, सानिया मिर्जा इसके उदाहरण है।

छः अंको वाले प्रश्नों के उत्तर–

1. राजनीतिक समानता व्याख्या सहित।

   सामाजिक समानता व्याख्या सहित।

   आर्थिक समानता व्याख्या सहित।

2. नहीं, आरक्षण की अवधारणा समानता में विरोधी नहीं अपितु समानता की स्थापना के लिए जरूरी है। लम्बे समय से विकास की दौड़ में पिछड़ी तथा शोषण की शिकार जातियों को सहारे के बिना आगे नहीं लाया जा सकता था।

   आरक्षण का आधार जाति या जन्म के आधार पर ही न होकर आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर भी होना चाहिए आदि।

अध्याय 12

सामाजिक न्याय

मुख्य बिन्दुः

1. न्याय का अर्थ
2. न्याय के विभिन्न आयाम
3. सामाजिक न्याय की स्थापना के तीन सिद्धांत
4. न्यायपूर्ण बंटवारा
5. रॉल्स का न्याय सिद्धांत
6. सामाजिक न्याय का अनुसरण
7. मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप
8. भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए उठाये गए कदम।

- न्याय का संबंध हमारे जीवन व सार्वजनिक जीवन से जुड़े नियमों से होता है। जिसके द्वारा सामाजिक लाभ कर्त्तव्यों का बंटवारा किया जाता है।
- प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुडा था जिसकी स्थापना राजा का परम कर्त्तव्य था।
- चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशस के अनुसार गलत करने वालों को दण्डित व भले लोगों को पुरस्कृत करके न्याय की स्थापना की जानी चाहिये।
- प्लेटों ने अपनी पुस्तक 'द रिपब्लिक' में न्याय की चर्चा की है।
- सुकरात के अनुसार यदि सभी अन्यायी हो जायेगे तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा।
- साधारण शब्दों में हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना न्याय है।
- जर्मनी दार्शनिक इमैनुएल के अनुसार हर व्यक्ति का प्राप्य उसकी प्रतिभा या विकास के लिये अवसरों की प्राप्ति है।

न्याय के विभिन्न आयाम

न्याय का अर्थ—न्याय को अंग्रेजी भाषा में ''जस्टिस'' (JUSTICE) कहा जाता है। ''जस्टिस'' (Justice) लेटिन भाषा के शब्द "jus" सेबना है, जिसका अर्थ है—''बंधन''

या ''बांधना'' (Bouind or Tie) इसका अर्थ है कि ''न्याय'' उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जुड़ा होता है। अतः न्याय समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के उसका ''उचित'' हक देने से संबंध रखता है।

प्लेटो के अनुसार–''न्याय वह गुण है जो अन्य गुणों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है।''

न्याय के विभिन्न आयाम

1. **विधिक न्याय** : यह न्याय की एक संकीर्ण अवधारणा है तथा समाज में विधिक प्रक्रिया के रूप में विद्यमान है। कोर्ट ऑफ लॉ विधि की व्याख्या करता है तथा विवाद में सम्मिलित वादियों के पक्ष विपक्ष सुनने के पश्चात इसे अधिनियमित करता है। यहां, न्याय विधि न्यायालय द्वारा प्रशासित है तथा न्यायाधीश की व्याख्या को न्याय का प्रतीक माना जाता है।

2. **राजनीतिक न्यायः** किसी भी लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक न्याय का अर्थ है समान राजनीतिक अधिकारों को प्रेरित करना। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक क्षेत्र में लोगों की स्वतंत्र तथा निष्पक्ष सहभागिता के लिए है। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार राजनीतिक न्याय की अभिव्यक्ति है। सार्वजनिक कार्यालयों में निर्वाचित होने के लिए अवसर की समानता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता राजनीतिक न्याय के महत्वपूर्ण स्तंभ है।

3. **सामाजिक न्यायः** इसका अर्थ है सभी प्रकार की सामाजिक विषमताओं को समाप्त करना तथा जीवन के समस्त क्षेत्रों में प्रत्येक नागरिक को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, सामाजिक सुरक्षा निश्चित करना तथा समान राजनीतिक अधिकारों का प्रावधान करना। सामाजिक न्याय की अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि सभी मनुष्य समान हैं तथा उनसे जाति, धर्म, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

4. **आर्थिक न्यायः** इसका अर्थ है सभी को जीवन यापन के लिए समान अवसर प्रदान करना। इसका आज से ऐसे लोगों की सहायता करना भी है, जो कार्य करने तथा अपनी जीविका अर्जित करने में सक्षम नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताओं जैस भोजन, वस्त्र, आश्रय तथा शिक्षा की पूर्ति होनी चाहिए। यह समान कार्य के लिए समान वेतन, समान आर्थिक अवसर, संसाधनों का उचित वितरण आदि प्रावधानों के माध्यम से आजीविका के पर्याप्त साधनों का आश्वासन देता है।

जहां राजनीतिक न्याय की अवधारणा स्वतंत्रता के आदर्श के साथ घनिष्ठ रूप से संबंद्ध है, वहीं आर्थिक व कानूनी न्याय ''समानता'' तथा सामाजिक

न्याय ''भ्रातृत्व'' के साथ संबंधित है। इन सभी का संयोजन न्याय के चारों आयामों को प्राप्त करने में सहायक होगा।

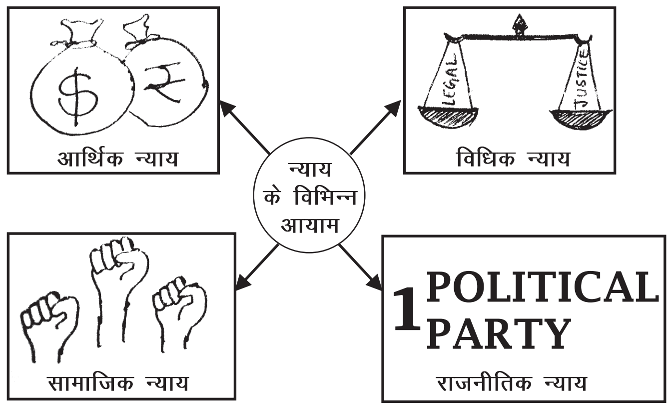

सामाजिक न्याय की स्थापना के तीन सिद्धांतः–

– **समान लोगों के प्रति समान बर्तावः** सभी के लिये समान अधिकार तथा भेदभाव की मनाही है। नागरिकों को उनके वर्ग जाति नस्ल या लिंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके काम व कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिये अगर भिन्न जातियों के दो व्यक्ति एक ही काम कर रहें हो तो उन्हें समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए।

– **समानुपातिक न्यायः** कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती है जहां समान बर्ताव अन्याय होगा जैसा परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्रों को एक जैसे अंक दिये जायें। यह न्याय नहीं हो सकता अतः मेहनत कौशल व संभावित खतरे आदि को ध्यान में रखकर अलग–अलग पारिश्रमिक दिया जाना न्याय संगत होगा।

– **विशेष जरूरतों का विशेष ख्यालः** जब कर्त्तव्यों व पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाये तो लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल रखा जाना चाहिए। जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव करके उनका ख्याल किया जाना चाहिए।

न्यायपूर्ण बंटवाराः–

– सामाजिक न्याय का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं के न्यायपूर्ण वितरण से भी है। यह वितरण समाज के विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच होता है ताकि नागरिकों को जीने का समान धरातल मिल सकें, जैसा भारत में छुआछूत प्रथा का उन्मूलन आरक्षण की व्यवस्था तथा कुछ राज्य सरकारों द्वारा उठाये गये भूमि सुधार जैसे कदम है।

रॉल्स का न्याय सिद्धांतः—

– ''अज्ञानता के आवरण'' द्वारा रॉल्स ने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यदि व्यक्ति को यह अनुमान न हो, कि किसी समाज में उसकी क्या स्थिति होगी? और उसे समाज को संगठित करने का कार्य तथा नीति निर्धारण करने को दिया जाये तो वह अवश्य ही ऐसी सर्वश्रेष्ठ नीति बनायेगा, जिसमें 'समाज के प्रत्येक वर्ग को सुविधाएं दी जा सकेगी।

सामाजिक न्याय का अनुसरणः—

– सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए अमीर गरीब के दरम्यान गहरी खाई को कम करना, समाज के सभी लोगों के लिये जीवन की न्यूनतम बुनियादी स्थितियां—आवास, शुद्ध पेयजल, न्यूनतम—मजदूरी, शिक्षा व भोजन मुहैया कराना आवश्यक है।

मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेपः—

– मुक्त बाजार, खुली प्रतियोगिता द्वारा योग्य व सक्षम व्यक्तियों को सीधा फायदा पहुंचाना राज्य के हस्तक्षेप के विरोधी है। ऐसे में यह बहस तेज हो जाती है कि क्या अक्षम और सुविधा विहीन वर्गों की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिये? क्योंकि मुक्त बाजार के अनुसार ये प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते।

भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिये उठाये गये कदमः—

– निशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा।
– पंचवर्षीय योजनाएं।
– अन्तयोदय योजनाएं।
– वंचित वर्गो को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा।
– मौलिक अधिकारों में प्रावधान।
– राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रयास।
– प्रधानमंत्री उज्जवला योजना।
– किसान फसल बीमा योजना।
– बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्नः—

1. न्याय (JUSTICE) शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई?

(a) यूनानी भाषा (b) जापानी भाषा

(c) लेटिन भाषा (d) अरबी भाषा

2. ''न्याय वह गुण है जो अन्य गुणों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है।'' न्याय की यह परिभाषा किसने दी है?

(a) लास्की (b) प्लेटो

(c) अरस्तु (d) रूसो

3. ''न्याय पूर्ण कानून का निर्माण'' किस न्याय का पहलू है?

(a) राजनीतिक न्याय (b) सामाजिक न्याय

(c) आर्थिक न्याय (d) कानूनी न्याय

4. ''द रिपब्लिक'' के लेखक कौन हैं?

(a) लास्की (b) अरस्तु

(c) प्लेटो (d) मैक्यावली

5. जॉन रॉल्स ने वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया है?

(a) द थ्योरी ऑफ जस्टिस (b) द रिपब्लिक

(c) द डेमोक्रेसी (d) द पॉलिटिक्स

6. भारत में पिछड़ों / दलितों के शोषण का उदाहरण किस प्रकार के अन्याय का है?

(a) आर्थिक अन्याय (b) सामाजिक अन्याय

(c) सामाजिक अन्याय (d) धार्मिक अन्याय

7. सुकरात ने कहा है कि न्याय ने तमाम लोगों की .... निहित रहती है।

8. सत्य और स्वतंत्रता न्याय के आधारभूत .... में शामिल हैं।

9. वितरणात्मक न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन .... ने किया।

10. भारत के संविधान का अनुच्छेद .... कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा।

11. ''न्याय पूर्ण समाज वह है, जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करें। इस कथन के लेखक कौन है?

12. ''न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है, जिसे करना न सिर्फ सही है और न करना सिर्फ गलत, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है।'' इस कथन के लेखक का नाम लिखिए।

13. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।

मुक्त बाजार के समर्थकों का मानना है कि जहां तक संभव हो, व्यक्तियों को संपत्ति अर्जित करने के लिए तथा मूल्य, मजदूरी और मुनाफे के मामले में दूसरें के साथ प्रतिद्वंदिता करने की छूट होनी चाहिए। यह मुक्त बाजार का सरल चित्रण है। मुक्त बाजार के समर्थक मानते हैं कि अगर बाजारों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जा, तो बाजारी कारोबार का योग कुल मिलाकर समाज में लाभ और कर्तव्यों का न्याय पूर्ण वितरण सुनिश्चित कर देगा।

13.1 ''मुक्त बाजार'' से क्या आशय है?

13.2 बाजारों में अधिक से अधिक लाभ कब प्राप्त किया जा सकता हैं?

13.3 मुक्त बाजार का सरल चित्रण क्या होता है?

13.4 बाजारों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर देने से क्या लाभ होगा?

14. निम्नलिखित कथन को सही करके पुनः लिखिए।

प्राचीन भारतीय समाज में न्याय अधर्म के साथ जुड़ा था।

15. निम्नलिखित प्रत्येक कथन के आगे सही अथवा गलत लिखिए–

(i) तमाम संस्कृतियों और परंपराओं को न्याय के प्रश्न से जूझना पड़ा है।

(ii) प्लेटों ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की है।

(iii) न्याय के लिए जरूरी है कि तमाम व्यक्तियों को समुचित और बराबर की अहमियत दें।

(iv) संसद में एक प्रस्ताव विचाराधीन है कि संसद की कुल सीटों में से दो तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाए।

(v) राल्स ने न्याय का सिद्धांत दिया है।

16. प्राचीन भारतीय समाज में न्याय संबंधी अवधारणा क्या थी?

17. साधारण शब्दों में न्याय का अर्थ समझाइए।

18. न्याय को बढ़ावा देने का तरीका क्या हो सकता है?

19. समान लोगों के प्रति समान व्यवहार या बर्ताव से क्या अभिप्राय है?

20. न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी?

21. सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रस्ताव के विरोध में जो आंदोलन चला उसका क्या नाम था?

22. भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए किस भारतीय दार्शनिक का योगदान सर्वोपरि है?

23. भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए किस भारतीय दार्शनिक का योगदान सर्वोपरि है?

24. व्यक्ति के जीवन के लिए बुनियादी आवश्यकताएं कौन–कौन सी होती हैं?

25. भारत में बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच न होने के कारण, कौन से समुदायों को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान किया गया है?

दो अंकीय प्रश्नः–

1. सामाजिक न्याय .... व .... का सामंजस्य है।

2. रॉल्स के अज्ञानता के आवरण का तात्पर्य समझाइये।

3. समानता व सामाजिक न्याय के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिये।

4. न्यायपूर्ण वितरण से क्या अभिप्राय है?

5. न्यायपूर्ण समाज की अवधारणा से क्या अपेक्षा की जाती है?

6. संयुक्त राष्ट्र संघ की इकाईयों ने न्यूनतम आवश्यकताओं में किन सुविधाओं की गणना की है?

7. मुक्त बाजार से क्या अभिप्राय है?

चार अंकीय प्रश्नः–

1. न्याय में देरी होना अंधेर होना है। उक्त वाक्य का अर्थ समझाइये।

2. न्याय अपने आप में सम्पूर्ण प्रक्रिया है फिर भारत में सामाजिक न्याय पर विशेष बल क्यों दिया गया है?

3. मुक्त बाजार के पक्ष व विपक्ष में तर्क दीजिये।

4. हर किसी को उसका प्राप्य देने का मतलब समय के साथ कैसे बदला है?

5. न्याय के संबंध में जर्मन दार्शनिक इमनुएल कांट के विचार लिखिये।

पांच अंकीय प्रश्नः—

1. प्रस्तुत कॉर्टून पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

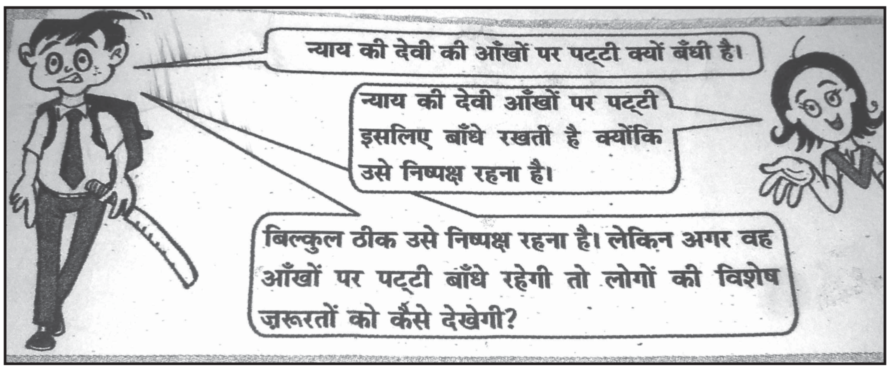

1) न्याय से क्या तात्पर्य है?

2) विशेष जरूरतों से क्या अभिप्राय है?

3. क्या विशेष जरूरतों का सिद्धांत न्याय के मार्ग में अवरोध पैदा करता है? अपने विचार लिखिये।

छः अंकीय प्रश्नः—

1. सामाजिक न्याय की स्थापना के लिये सरकार द्वारा लागू किये जाने वाले तीन सिद्धांत पर प्रकाश डालिये।

2. राल्स के न्याय सिद्धांत की व्याख्या कीजिये।

3. मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप से क्या तात्पर्य है। विस्तार से समझाइये।

4. न्याय के विभिन्न आयामों का सविस्तार वर्णन कीजिए।

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. (c) लेटिन भाषा
2. (b) प्लेटो
3. (d) कानूनी न्याय।
4. (c) प्लेटो
5. (a) द थ्यारी ऑफ जस्टिस
6. (b) सामाजिक अन्याय
7. भलाई
8. तत्वों
9. जॉन रॉल्स
10. तत्वों
11. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
12. जे.एस. मिल

13.1 मुक्त बाजार से आशय यह है कि उद्यमों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखा जाए।

13.2 जब बाजारों पर राज्य/सरकार का प्रतिबंध कम से कम होगा।

13.3 बाजारों को लाभ की अधिकतम मात्रा हासिल करने हेतु एक–दूसरे के साथ प्रतिद्वंदिता करने की छूट होनी चाहिए। यह मुक्त बाजार का सरल चित्रण है।

13.4 अगर बाजारों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाए, तो बाजारी कारोबार का योग कुल मिलाकर समाज में लाभ और कर्तव्यों का न्याय पूर्ण वितरण सुनिश्चित कर देगा।

14. प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा था।
15. (i) सही (ii) गलत (iii) सही (iv) गलत (v) सही
16. प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा हुआ था और न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम रखना राजा का कर्तव्य था।
17. साधारण शब्दों में न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित हक/हिस्सा दिया जाए।

18. पारिश्रमिक और कर्तव्यों का वितरण करते समय लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल सिद्धांत न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है।

19. समान लोगों के प्रति समान व्यवहार या बर्ताव से अभिप्राय है कि लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव में किया जाए।

भिन्न–भिन्न वर्गों के दो व्यक्ति यदि एक ही काम करते हैं तो उन्हें समान परिश्रमिक मिलना चाहिए।

20. न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974–1979) में लाई गई थी।

21. मंडल कमीशन विरोधी आंदोलन–1990।

22. डॉ. बी आर अंबेडकर।

23. न्याय पूर्ण बंटवारे से अभिप्राय है कि लोगों में वस्तुओं और सेवाओं का न्यायपूर्ण वितरण हो।

24. व्यक्ति के जीवन के लिए बुनियादी आवश्यकताएं–भोजन, आवास, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्यूनतम आवश्यक संसाधन जरूरी है।

25. भारत में बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच न होने के कारण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया।

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. व्यक्तिगत अधिकारों, सामाजिक अधिकारों

2. हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हमें यह फैसला लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाये और साथ ही हमें यह भी पता न हो कि समाज में हमारी जगह क्या होगी तब हम ऐसा निर्णय लेंगे जो सभी के लिये हितकर होगा।

3. दोनों में घनिष्ठ संबंध है सामाजिक न्याय द्वारा समानता तथा समानता द्वारा सामाजिक न्याय की स्थापना होती है।

4. सामाजिक न्याय का संबंध वस्तुओं और सेवाओं के न्यायोचित बंटवारे से है। यह वितरण समाज के विभिन्न समूहों व व्यक्तियों के बीच होता है जिससे उन्हें जीने के लिये समान धरातल मिल सके।

5. न्यायपूर्ण समाज को लोगों के लिये न्यूनतम बुनियादी स्थितियाँ जरूर मुहैया करानी चाहिये ताकि स्वस्थ व सुरक्षित जीवन के साथ समान अवसर के जरिये अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें।

6. भोजन, शुद्ध पानी, आवास, आय व शिक्षा।

7. मुक्त बाजार के समर्थक खुली प्रतिद्वंदिता के पक्षधर है। व्यक्ति को संम्पति अर्जित करने हेतु, मूल्य व मजदूरी के मामले में व्यक्ति की स्वतंत्रता के हामी है।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. न्याय मे ंदेरी वास्तव में अंधेर ही है क्योंकि यदि पीड़ित व्यक्ति न्याय के लिये लम्बे समय तक दर दर भटकता रहे तो उसका न्याय से विश्वास उठने लगता है कभी कभी तो पीड़ित इंसाफ की उम्मीद लिये दुनिया से ही चला जाता हे।

2. लम्बे समय से चली आ रही जातिगत विभिन्नताओं के कारण न्याय की प्रक्रिया कहीं न कहीं प्रभावित हुई है। इसीलिये सामाजिक ताने बाने को ध्यान में रखकर ही न्याय किया जाना चाहिए।

3. पक्षः बाजार व्यक्ति की जाति धर्म या लिंग की परवाह नहीं करता। बाजार केवल व्यक्ति की योग्यता व कौशल की परवाह करता है।

   विपक्षः मुक्त बाजार ताकतवर धनी व प्रभावशाली लोगों के हित में काम करने को प्रवृत होता है जिसका प्रभाव सुविधा विहीन लोगों के लिये अवसरों से वंचित होना हो सकता है।

4. बदलते समय व परिस्थितियों के कारण व्यक्ति की आावश्यकताओं में भी बदलाव आया है। भूमण्डलीकरण व तकनीक के विस्तार ने व्यक्ति के जीवन में महान परिवर्तन ला दिये हैं इसी के अनुसार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताएं भी बढ़ या बदल गई है।

5. इमैनुएल कांट के अनुसर हर व्यक्ति की गरिमा होती है इसलिये हर व्यक्ति का प्राप्य यह होगा कि उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिये समान अवसर प्राप्त हो।

पांच अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. हर व्यक्ति को उसका जायज हिस्सा मिलना और अपनी प्रतिभा व विकास के लिये समान अवसर प्राप्त होना।

2. जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव किया जाये।

.3. नहीं यह न्याय के मार्ग अवरोध नहीं बल्कि न्याय की स्थापना करता है। विशेष जरूरतों या विकलांगता वाले लोगों को कुछ खास मामलों में असमान व विशेष सहायता के योग्य समझा जा सकता है। बुनियादी सुविधाओं तक

पहुंच का अभाव जाति आधारित सामाजिक भेदभाव से जुड़े होने के कारण भारत के संविधान में सरकारी नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान है।

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. 1) समान लोगों के बीच समान बर्ताव
   जरूरतमंदों के लिये जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं और अवसरों का प्रावधान।
   2) लाभ तय करते समय विभिन्न प्रयास व कौशलों को मान्यता देना (समानुपातिक न्याय)
   3) विशेष जरूरतों का विशेष ख्यालः जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव करके उनका ख्याल किया जाना चाहिये।

2. रॉल्स ने न्याय प्राप्ति के लिये 'अज्ञानता के आवरण' का सिद्धान्त दिया है यदि अज्ञानता में रहकर यह निर्णय लिया जाये कि समाज में न्याय कैसा होना चाहिये किस वर्ग के लिये क्या सुविधाएं होनी चाहिए तो व्यक्ति सबसे कमजोर या निचले वर्ग के लिये भी सर्वश्रेष्ठ नीति का चयन करेगा क्योंकि उसे यह ज्ञान नहीं होगा कि इस समाज में उसका स्थान कहां होगा।

3. मुक्त बाजार के समर्थक राज्य के हस्तक्षेप के विरोधी और खुली प्रतिस्पर्धा के पक्षधर है। उनके अनुसार इससे योग्यता और प्रतिभा से लैस लोगों को अच्छा फल मिलेगा जबकि अक्षम लोगों को कम हासिल होगा।

4. **न्याय के विभिन्न आयामः**

   (1) **विधिक न्यायः** यह न्याय की एक संकीर्ण अवधारणा है तथा समाज में विधिक प्रक्रिया के रूप में विद्यमान है। कोर्ट ऑफ लॉ विधि की व्याख्या करता है तथा विवाद में सम्मिलित वादियों के पक्ष विपक्ष सुनने के पश्चात इसे अधिनियमित करता है। यहां, न्याय, विधि न्यायालय द्वारा प्रशासित है तथा न्यायाधीश की व्याख्या को न्याय का प्रतीक माना जाता है।

   (2) **राजनीतिक न्यायः** किसी भी लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक न्याय का अर्थ है समान राजनीतिक अधिकारों को प्रेरित करना। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक क्षेत्र में लोगों की स्वतंत्र तथा निष्पक्ष सहभागिता के लिए है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार राजनीतिक न्याय की अभिव्यक्ति है। सार्वजनिक कार्यालयों में निर्वाचित होने के लिए अवसर की समानता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता राजनीतिक न्याय के महत्वपूर्ण स्तंभ है।

(3) **सामाजिक न्यायः** इसका अर्थ है सभी प्रकार की सामाजिक विषमताओं को समाप्त करना तथा जीवन के समस्त क्षेत्रों में प्रत्येक नागरिकों को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, सामाजिक सुरक्षा निश्चित करना तथा समान राजनीतिक अधिकारों अधिकारों का प्रावधान करना। सामाजिक न्याय की अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि सभी मनुष्य समान हैं तथा उनसे जाति, धर्म, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

(4) **आर्थिक न्यायः** इसका अर्थ है सभी को उनके जीवन यापन के लिए समान अवसर प्रदान करना। इसका आज से ऐसे लोगों की सहायता करना भी है, जो कार्य करने तथा अपनी जीविका अर्जित करने में समक्ष नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आश्रय तथा शिक्षा की पूर्ति होनी चाहिए। यह समान कार्य के लिए समान वेतन, समान आर्थिक अवसर, संसाधनों का उचित वितरण आदि प्रावधानों के माध्यम से आजीविका के पर्याप्त साधनों का आश्वासन देता है।

जहां राजनीतिक न्याय की अवधारणा स्वतंत्रता के आदर्श के साथ घनिष्ठ रूप से संबंद्ध है, वहीं आर्थिक व कानूनी न्याय ''समानता'' तथा सामाजिक न्याय ''भ्रातृत्व'' के साथ संबंधित है। इन सभी का संयोजन न्याय के चारों आयामों को प्राप्त करके में सहायक होगा।

अध्याय 13
अधिकार

मुख्य बिन्दुः

1. अधिकार का अर्थ
2. मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा
3. अधिकारों क्यों आवश्यक है?
4. अधिकारों की उत्पत्ति
5. अधिकारों के प्रकार
6. अधिकारों की दावेदारी
7. कर्त्तव्य, कर्त्तव्यों के प्रकार
8. मानवाधिकार

अधिकार का अर्थः–

– अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा की गई 'मांग' है, जिसे सार्वजनिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए समाज स्वीकार करता है और राज्य मान्यता देता है, तो वह मांग अधिकार बन जाती है।

समाज में स्वीकृति मिले बिना मांगे, अधिकार का रूप नहीं ले सकतीं।

मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणाः–

– विश्व के समस्त देशों के नागरिकों को अभी पूर्ण अधिकार नहीं मिले हैं। इसी दिशा में 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की 'सामान्य सभा' ने मानावाधिकरों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार कर लागू किया गया है।

मानव अधिकार दिवस – 10 दिसम्बर

अधिकार क्यों आवश्यक है?

– व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए।
– लोकतांत्रिक सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए।
– व्यक्ति की प्रतिभा व क्षमता को विकसित करने के लिए।
– व्यक्ति के सम्पूर्ण विकास के लिए।
– अधिकार रहित व्यक्ति, बंद पिंजड़े में पक्षी के समान है।

अधिकारों की उत्पत्तिः–

1. प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत– जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति–प्राकृतिक अधिकार (17वीं और 18वीं शताब्दी)
2. आधुनिक युग में– प्राकृतिक अधिकार अस्वीकार्य

   मानवाधिकार सामाजिक कल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण

अधिकारों के प्रकार

प्राकृतिक अधिकार | नैतिक अधिकार | कानूनी अधिकार

1. प्राकृतिक अधिकार : जन्म के समय मिला अधिकार
   जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति
2. नैतिक अधिकार : व्यक्ति की नैतिक भावनाओं से जुड़े अधिकार
   माता–पिता की सेवा करना, शिष्ट व्यवहार, सच्चा चरित्र, आदर का भाव
3. कानूनी अधिकार : जिन्हें राज्य ने कानूनी मान्यता दी है।

3.1 मौलिक अधिकारः

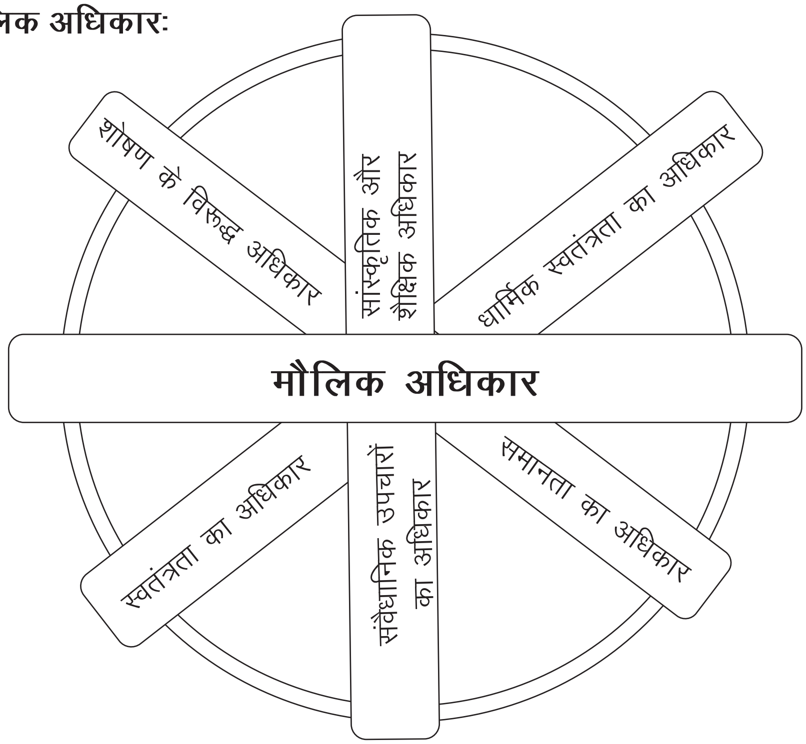

3.2 राजनैतिक अधिकार : (i) मत देने का अधिकार
(ii) निर्वाचित होने का अधिकार
(iii) सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार

3.3 नागरिक अधिकार : (i) देश में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता
(ii) विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

3.4 आर्थिक अधिकार : (i) काम करने का अधिकार
(ii) संपत्ति खरीदने का अधिकार

अधिकारों की दावेदारी

– सार्वभौम अधिकार – शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

कुछ कार्यकलाप, जिन्हें अधिकार नहीं माना जा सकताः

– वे कार्यकलाप जो समाज के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदेह हैं।

नशीली या प्रतिबंधित दवाओं का सेवन

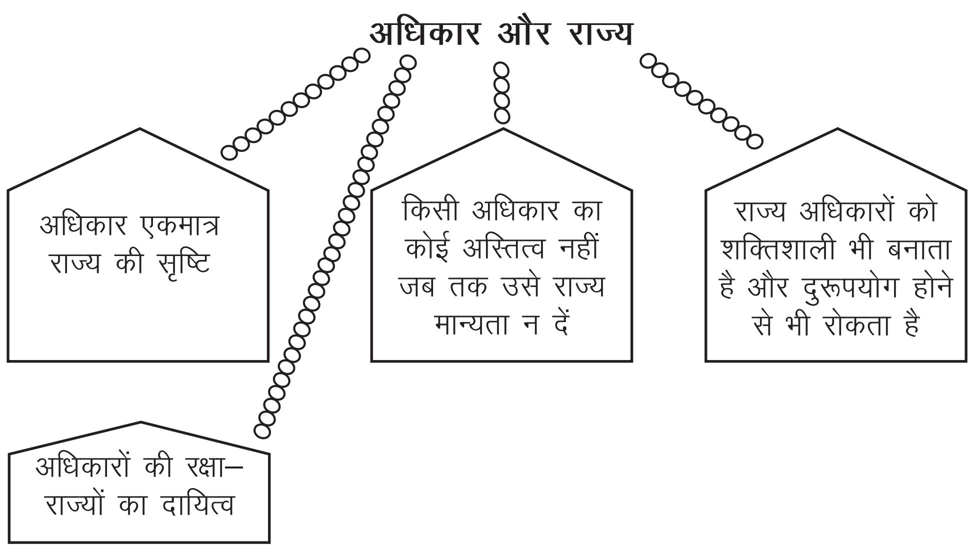

अधिकार और शक्तिशाली कैसे हों?

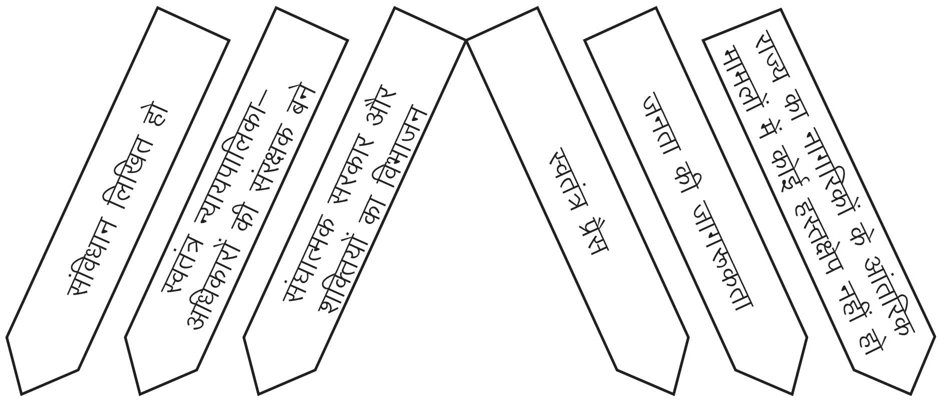

यदि राज्य अधिकारों को सुरक्षित करता हे तो उसे यह अधिकार भी प्राप्त होता है कि वह अधिकारों के दुरूपयोग को रोके इसलिए संविधान के अनुच्छेद 19(2) में मौलिक कर्त्तव्यों का भी वर्णन किया गया है।

अधिकार और कर्त्तव्य एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं। एक पहलू अधिकार है तो दूसरा पहलू कर्त्तव्य। समाज में हमें जो अधिकार मिलते हैं उनके बदले में हमें कुछ ऋण चुकाने पड़ते है। ये ऋण ही हमारे कर्त्तव्य हैं।

कर्त्तव्य के प्रकार

नैतिक कर्त्तव्य

- अपने परिवेश को स्वच्छ रखने का कर्त्तव्य।
- बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करना।
- माता–पिता व बुजुर्गों की सेवा करना
- सामाजिक नियमों का पालन करना
- परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण करना

कानूनी कर्त्तव्य

- संविधान का सम्मान करना।
- राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का सम्मान करना।
- कानून व व्यवस्था बनाए रखना
- नियमित रूप से 'कर' देना
- राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा
- देश की एकता तथा अखंडता व सुरक्षा बनाए रखना।
- देश की रक्षा करना।
- प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी पूर्ण उपयोग।
- ओजोन परत की हिफाजत करना।

– **कुछ नए मानवाधिकारः–**

देश में नए खतरों और चुनौतियां से उभरने के लिए नए मानवाधिकारों की सूचीः

1) स्वच्छ वायु, सुरक्षित पेयजल तथा टिकाऊ विकास का अधिकार
2) सूचना के अधिकार का दावा
3) महिला सुरक्षा का अधिकार
4) समाज के कमजोर लोगों के लिए शौचालयों की व्यवस्था
5) बच्चों को खाद्य, संरक्षण शिक्षा का अधिकार
6) सादा–जीवन यापन के लिए आवश्यक स्थितियाँ

मानवाधिकारों की कीमतः–

– मनुष्य की सतत् जागरूकता।
– किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता गिरफ्तारी के लिए उचित कारण जरूरी है।
– अपराधी से अपराध की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उत्पीड़न उचित नहीं।
– नागरिक के लिए यह आवश्यक है कि वह सतर्क रहें, अपनी आँखे खुली रखें, अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमेशा जागरूक रहें।

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्नः–

1. अधिकार किसे कहते हैं?
2. अधिकार किन बातों का द्योतक है?
3. 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतकारों ने अधिकारों की उत्पत्ति कहां से बताई थी?
4. हाल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज्यादा किस ''अधिकार–शब्द'' का प्रयोग हो रहा है?
5. मानव अधिकारों के पीछे ''मूल–मान्यता'' क्या है?
6. मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र किसने बनाया है?
7. विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है?
8. मानव के जीवन में अधिकारों का क्या महत्व है?

9. भारत के संविधान में वर्णित अधिकारों का क्या महत्व है?

10. शिक्षा के अधिकार को व्यक्ति का सार्वभौमिक अधिकार क्यों कहा जाता है?

11. कर्तव्य से आप क्या समझते हैं?

12. मौलिक अधिकारों और प्राकृतिक अधिकारों में कोई एक अंतर लिखिए।

13. कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए।

14. किन्हीं दो नैतिक कर्तव्यों का नाम लिखिए।

15. ''हमें दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए, जैसा हम अपने लिए दूसरों से अपेक्षा करते हैं।'' अधिकार की यह नैतिक अवधारण किस दार्शनिक की है?

(a) लास्की (b) अरस्तु (c) कांट (d) लॉक

16. प्राकृतिक अधिकार से अभिप्राय है?

(a) वे अधिकार जो प्राचीनकाल में राजा के द्वारा दिए जाते थे।

(b) वे अधिकार जो राज्य की ओर से नागरिकों को दिए जाते हैं।

(c) वे अधिकार जो व्यक्ति को प्रकृति ने दिए हैं।

(d) वे अधिकार जो व्यक्ति को प्रकृति ने दिए हैं।

17. प्राकृतिक अधिकार का समर्थन क्या है:

(a) कार्ल मार्क्स ने (b) लॉक ने

(c) अरस्तु ने (d) मैक्यावली ने

18. जीवन का अधिकार:

(a) सामाजिक अधिकार (b) आर्थिक अधिकार

(c) राजनीतिक अधिकार (d) सांस्कृतिक अधिकार

19. ''अधिकार उन समाजिक व्यवस्थाओं का नमा है जिनके बिना कोई व्यक्ति पूर्ण रूप में विकास नहीं कर सकता''। यह कथन किसका है

(a) मैक्यावली (b) अरस्तु

(c) आइंस्टीन (d) लास्की

20. मतदान करने का अधिकार हैः

(a) सामाजिक अधिकार (b) राजनीतिक अधिकार

(c) आर्थिक अधिकार (d) नैतिक अधिकार

खाली स्थान भरोः

21. .... सामाजिक जीवन की भी अनिवार्य परिस्थितियां हैं, जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है।

22. काम का अधिकार .... अधिकार है।

23. भारत में राजनीतिक अधिकार .... वर्ष की आयु अथवा उससे अधिक आयु के नागरिकों को प्राप्त होता है।

24. किसान कृषि कानूनो के खिलाफ सरकार की आलोचना .... अधिकार के तहत कर रहे हैं।

25. .... दिसंबर .... को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने मानवधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया।

26. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।

''आज संयुक्त राष्ट्र महासभा, मानवाधिकारों की विश्व–जननीय घोषणा पत्र को सभी सभ्यताओं तथा देशों के लिए उपलब्धि के सर्वमान्य मानदंड के रूप में एतदर्थ घोषित करती है कि–प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज का प्रत्येक अंग इस घोषणा–पत्र का सदा विचार रखते हुए इन अधिकारों तथा स्वतंत्रता, स्वतंत्रताओं की मर्यादा को अध्यापन तथा शिक्षा के माध्यमों द्वारा प्रोत्साहित करेगा तथा विकास की ओर उन्मुख राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय साधनों द्वारा इनकी सर्व–देशिक तथा सशक्त स्वीकृति आने वाले प्रदेशों की जनता के बीच स्थापित करेगा।''

26.1. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी?

(a) 1940 (b) 1945 (c) 1950 (d) 1955

26.2 ''मानवाधिकारों के विश्व–जननीय घोषणा पत्र को'' संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने घोषित किया...........

(a) यूनिसेफ (b) सुरक्षा परिषद ने

(c) यूनेस्को ने (d) महासभा ने

26.3 संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए किस माध्यम को उचित समझा........

(a) मीडिया द्वारा (b) आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा

(c) शिक्षा द्वारा (d) पत्राचार द्वारा

26.4 संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों को किसके बीच स्थापित करने का आह्वान किया.................

(a) सदस्य देशों के बीच (b) गैर सदस्य देशों के बीच

(c) शिक्षा द्वारा (d) उपरोक्त में कोई नहीं

27. निम्नलिखित कथन को सही करके पुनः लिखिए।

(a) शिक्षा प्राप्ति का अधिकार एक सामाजिक अधिकार है।

(b) काम प्राप्ति का अधिकार एक सांस्कृतिक अधिकार है।

(c) भाषण का अधिकार एक आर्थिक अधिकार है।

(d) चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है।

(e) सम्मान के साथ रहने के लिए व्यक्ति को काम का अधिकार प्राप्त होना आवश्यक है

दो अंकीय प्रश्नः–

1. राजनीतिक अधिकारों में कौन–कौन से अधिकार शामिल है?
2. अधिकारों की सुरक्षा के कोई दो उपाय सुझाइए।
3. नागरिक के राज्य के प्रति किन्हीं दो कर्त्तव्यों को लिखिए।
4. एक नागरिक को कौन–कौन से आर्थिक अधिकार प्राप्त है?
5. निम्नलिखित का मिलान कीजिए–

a)	आर्थिक अधिकार	मत देने का अधिकार
b)	नागरिक अधिकार या सामाजिक अधिकार	स्वतंत्रता का अधिकार
c)	राजनीतिक अधिकार	न्यूनतम भत्ता
d)	सांस्कृतिक अधिकार	मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार

चार अंकीय प्रश्नः—

1. कर्त्तव्यों व अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? क्या आप इससे सहमत हैं? समझाइए।
2. नागरिक के किन्हीं चार राजनीतिक अधिकारों का वर्णन करो।
3. अधिकार राज्य की सत्ता पर कुछ सीमाएं लगातें है? उदाहरण देकर समझाइए।

पांच अंकीय प्रश्नः—

1. निम्नलिखित चित्र और वार्तालाप को पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो—[1+2+2=5]

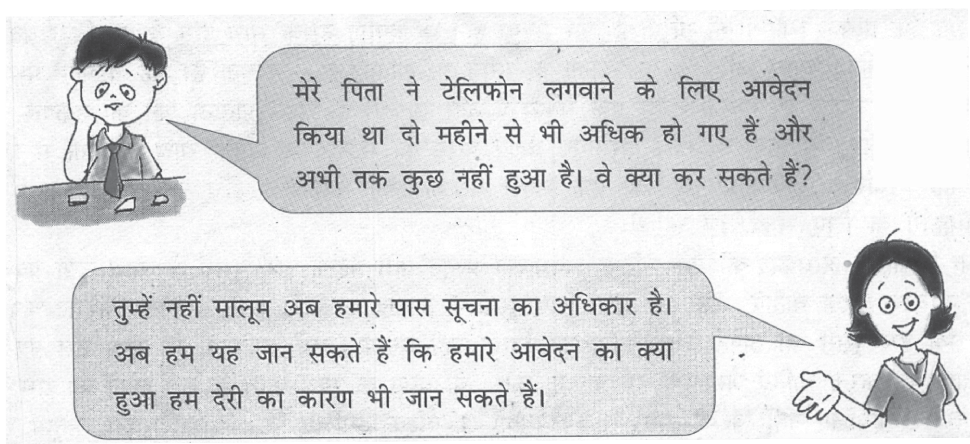

1) उपरोक्त चित्र किस अधिकार का दावा कर रहा है? (1)

2) समाज में किसी भी कार्य में देरी से आहत व्यक्ति क्या महसूस करता है? उसे राहत कौन देता है? (2)

3) सूचना का अधिकार क्या है? (2)

छः अंकीय प्रश्नः—

1. कर्त्तव्य किसे कहते हैं? एक अच्छे नागरिक के कर्त्तव्यों का उल्लेख कीजिए।
2. अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण देकर समझाइए।
3. अधिकार तथा कर्त्तव्यों में क्या संबंध है?
4. अधिकार व दावे में अंतर लिखो?

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा की गई मांग या दावा है, जिसे सार्वजनिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए समाज स्वीकार करता है और राज्य मान्यता देता है, तो वह मांग ''अधिकार'' बन जाती है।

2. अधिकार उन बातों का द्योतक है जीने में और अन्य लोग सम्मान ओर गरीमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं।

3. 17 मई और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांत कार तर्क देते थे कि हमारे लिए अधिकार प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त हैं।

4. हाल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज्यादा ''मानवाधिकार–शब्द'' का प्रयोग हो रहा है।

5. मानव अधिकारों के पीछे मूल मान्यता यह है कि सभी लोग, मनुष्य होने मात्र से कुछ चीजों को पानी के अधिकारी हैं। एक मानव के रूप में हर आदमी विशिष्ट और समान महत्व का है।

6. मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ ने बनाया है।

7. प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को।

8. मानव के सर्वागीण विकास हेतु अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है।

9. भारत के संविधान में वर्णित अधिकारों को ''मौलिक–अधिकार'' कहा जाता है।

10. क्योंकि शिक्षा व्यक्ति के सभी क्षेत्रों के विकास में सहयोगी होती है, इसलिए इस अधिकार को सार्वभौमिक अधिकार कहा जाता है।

11. अधिकार प्राप्त करने के बदले निभाई जाने वाली जिम्मेदारीयों को कर्तव्य कहते हैं।

12. मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं जबकि प्राकृतिक अधिकार जन्म से प्राप्त होते हैं।

13. कर्तव्य मुख्यतः दो प्रकार के होते हैंः
    (i) नैतिक कर्तव्य और (ii) कानूनी कर्तव्य

14. नैतिक कर्तव्य हैं: (i) सामाजिक नियमों का पालन करना (ii) बुजुर्गों की देखभाल करना।

15. (c) कांट

16. (c) वे अधिकार जो व्यक्ति को प्रकृति ने दिए हैं।

17. (b) लॉक ने

18. (a) सामाजिक अधिकार

19. (d) लास्की

20. (b) राजनीतक अधिकार

खाली स्थान भरोः–

21. अधिकार

22. आर्थिक अधिकार

23. 18 वर्ष की आयु

24. राजनीतिक अधिकार

25. 10 दिसम्बर 1948

26. (i) (b) 1945

    (ii) (d) महासभा ने।

    (iii) (c) शिक्षा द्वारा

    (iv) (c) सदस्य देशों की जनता के बीच

27. ''आजकल प्राकृतिक अधिकार से ज्यादा मानव अधिकार शब्द का प्रयोग हो रहा है।

28. निम्नलिखित प्रत्येक कथन के आगे सही अथवा गलत लिखिएः–

    (a) सही (b) गलत (c) गलत (d) सही (e) सही

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. (i) मत देने का
   (ii) निर्वाचित होने का

2. (i) राज्य द्वारा

(ii) स्वतंत्रत न्यायपालिका द्वारा

3. (i) संविधान का सम्मान

(ii) कानून व व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग

4. (I) व्यवसाय चुनने, काम करने का अधिकार।

(ii) सम्पत्ति खरीदने का अधिकार।

5. (i) आर्थिक अधिकार – न्यूनतम भत्ता

(ii) सामाजिक अधिकार – स्वतंत्रता का अधिकार

(iii) राजनीतिक अधिकार – मत देने का अधिकार

(iv) सांस्कृतिक अधिकार – मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. अधिकार व कर्त्तव्य का नजदीकी संबंध अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण नहीं कर सकते जब तक व्यक्ति समाज के प्रति अपने कर्त्तव्य नहीं निभाता। कर्त्तव्य एक दायित्व है जो दूसरों को अपने अधिकारों को इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता देता है।

2. मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार।

3. राज्य अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता।

   जनता के हितों का ध्यान राज्य द्वारा क्योंकि जनता ही लोकतांत्रिक देशों में सरकार चुनती है

   अधिकार ही राज्य को कुछ खास तरीकों से कार्य करने का दायित्व देते हैं। अधिकार यह निश्चित करते है कि राज्य व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन किए बगैर काम करें।

पाँच अंकीय प्रश्नों के उत्तर –

1 (i) सूचना के अधिकार का

(ii) असुरक्षित व लाचार

न्यायपालिका

(iii) किसी भी विषय पर, संषय की परिस्थिति में जानकारी तथा आंकड़े प्राप्त करना।

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

(सिर्फ Hint के लिए explanation विद्यार्थी स्वंय करें)

1. कर्त्तव्य एक दायित्व है। कर्त्तव्य हम दूसरों के प्रति निभाते हैं जिससे समाज का विकास होता है।

   कर्त्तव्यः— (i) शरीर मन स्वस्थ रखना
   - (ii) शिक्षा
   - (iii) माता पिता की सेवा
   - (iv) राष्ट्र के प्रति भक्ति भावना
   - (v) देश की सुरक्षा
   - (vi) राष्ट्र ध्वज तथा गान की गरिमा

2. (I) प्राकृतिक — जीवन, स्वतंत्रता
   - (ii) नैतिक — माता पिता की सेवा, बच्चों की शिक्षा
   - (iii) कानूनी— मौलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक

3. गहरे रूप से जुड़े, एक ही सिक्के के दो पहलू कर्त्तव्य के बिना अधिकार लागू नहीं हो सकते। अपना अधिकार ही पहल कर्त्तव्य।

4. (i) सभी दांवे अधिकार नहीं होते परंतु सभी अधिकार दावे होते हैं।
   - (ii) अधिकार दावें है जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, सभी दावों को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होते है।
   - (iii) दावे—राज्य के संविधान द्वारा गांरटी नहीं।

     मौलिक अधिकारों के राज्य के संविधान द्वारा।

अध्याय 14

नागरिकता

मुख्य बिन्दुः

1. नागरिकता
2. सम्पूर्ण और समान सदस्यता
3. प्रवासी
4. प्रतिवाद के तरीके
5. नागरिक और राष्ट
6. राज्यकृत नागरिकता के तरीके
7. सार्वभौमिक नागरिकता
8. विस्थापन के कारण
9. शरणार्थी का अर्थ
10. विश्व नागरिकता
11. विश्व नागरिकता के लाभ

– भारतीय संविधान के भाग दो (अनुच्छेद 5–11) में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है।

– नागरिकता से अभिप्राय एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता से है जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता। राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ ही कुछ अधिकार भी दिए है। इसलिए हम सबंद्ध राष्ट्र के आधार पर स्वंय को भारतीय, जापानी या जर्मन कहते हैं।

– अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार, मतदान या आस्था की स्वतंत्रता, न्यूनतम मजदूरी या शिक्षा पाने का अधिकार शामिल किए जाते हैं।

– नागरिक आज जिन अधिकारों का प्रयोग करते है उन्हें उन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त किया है, जैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, दक्षिण अफ्रीका में समान नागरिकता प्राप्त करने के लिए लंबा संघर्ष आदि।

- नागरिकता में नागरिकों के आपसी संबंध भी शामिल हैं इसमें नागरिकों के एक दूसरे के प्रति और समाज के प्रति निश्चित दायित्व सम्मिलित होते हैं।
- नागरिकों को देश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का उत्तराधिकारी और न्यासी भी माना जाता है।

संपूर्ण और समान सदस्यताः—

- इसका अभिप्राय है नागरिकों को देश में जहां चाहें रहने, पढ़ने, काम करने का समान अधिकार व अवसर मिलना तथा सभी अमीर—गरीब नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त होना है।

प्रवासीः—

- काम की तलाश में लोग एक शहर से दूसरे शहर तथा देश से दूसरे देश की ओर की जाते है, तब वे प्रवासी कहलाते है।
- निर्धन प्रवासियों का अपने—अपने क्षेत्रों में उसी प्रकार स्वागत नहीं होता जिस प्रकार कुशल और दौलतमंद प्रवासियों का होता है।
- प्रतिवाद (विरोध) का अधिकार हमारे संविधान में नागरिकों के लिए सुनिश्चित की गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू है बशर्ते इससे दूसरें लोगों या राज्य के जीवन और संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए।

प्रतिवाद के तरीकेः—

- नागरिक समूह बनाकर, प्रदर्शन कर के, मीडिया का इस्तेमाल करके, राजनीतिक दलों से अपील करके या अदालत में जाकर जनमत और सरकारी नीतियों को परखने और प्रभावित करने के लिए स्वतंत्र है।
- समान अधिकारः शहरों में अधिक संख्या झोपड़पट्टियों और अवैध कब्जें की भूमि पर बसे लोगों की हैं। ये लोग हमारे बहुत काम के है । इनके बिना एक दिन भी नहीं गुजारा जा सकता, जैसे—सफाईकर्मी, फेरीवाले, घरेलू नौकर, नल ठीक करने वाले आदि।
- सरकार, स्वंय सेवी संगठन भी इन लोगों के प्रति जागरूक हो रहे है। सन 2004 में एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई जिससे लाखों फुटपाथी दुकानदारों को स्वतंत्र कारोबार चलाने का बल प्राप्त हुआ।
- इसी प्रकार एक और वर्ग है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है वह है आदिवासी और वनवासी समूह। ये लोग अपने निर्वाह के लिए जंगल और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं

– नागरिकों के लिए समान अधिकार का अर्थ है–नीतियाँ बनाते समय भिन्न–भिन्न लोगों की भिन्न–भिन्न जरूरतों का तथा दावों का ध्यान रखना।

नगारिक और राष्ट्रः–

– कोई नागरिक अपनी राष्ट्रीय पहचान को एक राष्ट्रगान, झंडा, राष्ट्रभाषा या कुछ खास उत्सवों के आयोजन जैसे प्रतीकों द्वारा प्रकट कर सकता है। लोकतांत्रिक देश यथासंभव समावेशी होते हैं जो सभी नागरिकों को राष्ट्र के अंश के रूप में अपने को पहचानने की इजाजत देता है। जैसे फ्रांस, जो यूरोपीय मूल के लोगों को ही नहीं अपितु उत्तर अफ्रीका जैसे दूसरे क्षेत्रों से आए नागरिकों को भी अपने में सम्मिलित करता है इसे राज्यकृत नागरिकता कहते हैं।

– राज्यकृत नागरिकता के लिए आवेदकों को अनुमति देने की शर्ते प्रत्येक देश में पृथक होती है। जैसे–इजराइल या जर्मनी में धर्म और जातीय मूल जैसे तत्वों को प्राथमिकता दी जाती है।

– भारतीय संविधान ने अनेक विविधतापूर्ण समाजों को समायोजित करने का प्रयास किया है। इसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अलग–अलग समुदायों, महिलाओं, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के कुछ सुदूरवर्ती समुदायों को पूर्ण तथा समान नागरिकता देने का प्रयास किया है।

– नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन संविधान के तीसरे खंड तथा संसद द्वारा तत्पश्चात पारित कानूनों से हुआ हैं।

राज्यकृत नागरिकता के तरीके

1) पंजीकरण
2) देशीकरण
3) वंश परंपरा
4) किसी भू क्षेत्र का राजक्षेत्र में मिलना

सार्वभौमिक नगारिकताः–

– हम यह मान लेते हैं कि किसी देश की पूर्ण सदस्यता उन सबको उपलब्ध होनी चाहिए जो सामान्यतः उस देश के निवासी है, वहां काम करते या जो नागरिकता के लिए आवदेन करते हैं किंतु नागरिकता देने की शर्ते सभी तय करते हैं। अवांछित नागरिकता से बाहर रखने के लिए राज्य ताकत का इस्तेमाल करते हैं, परंतु फिर भी व्यापक स्तर पर लोगों का देशांतरण होता है।

विस्थापन के कारणः–

– युद्ध, अकाल, उत्पीड़न एवं महामारियों आपदाएँ।

शरणार्थी का अर्थः–

– विस्थापन के कारण जो लोग न तो घर लौट सकते है और न ही कोई देश उन्हें अपनाने को तैयार होता है, तो वे राज्यविहीन या शरणार्थी कहलाते हैं।

विश्व नागरिकताः–

– आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते है, जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी है। संचार के साधन, टेलिविजन या इंटरनेट ने हमारे संसार को समझने के ढंग में भारी परिवर्तन किया है। एशिया की सूनामी या बड़ी आपदाओं के पीड़ितों की सहायता के लिए विश्व के सभी भागों से उमड़ा भावोद्‌गार विश्व समाज की उभार कि ओर इशारा करता है। इसी को विश्व नागरिकता कहा जाता है। यही 'विश्व ग्राम' व्यवस्था का आधार भी है।

विश्व नागरिकता से लाभः–

– इससे राष्ट्रीय समीओं के दोनों तरफ उन समस्याओं का समाधान करना सरल होगा, जिसमें बहुत से देशों की सरकारों और लोगों की संयुक्त कार्यवाही जरूरी होती है। इससे प्रवासी या राज्यविहीन लोगों की समस्या का सर्वमान्य निबटान करना आसान हो सकता है।

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्नः–

1. नागरिकता की परिभाषा दीजिए।
2. ''नागरिक वह व्यक्ति है जिसको राज्य के कानून संबंधी विचार–विमर्श और न्याय प्रबंध में भाग लेने का अधिकार है।'' यह परिभाषा किस विद्वान की है?
3. दक्षिण अफ्रीका में समान नागरिकता पाने के लिए अफ्रीका की अश्वेत आबादी को किसके खिलाफ संघर्ष करना पड़ा?
4. नागरिक की कोई एक विशेषता लिखिए।
5. भारतीय संविधान के किस ''भाग'' में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है?
6. शरणार्थी किसे कहा जाता है?

7. ''मुंबई–मुंबईकर के लिए'' नारे का क्या अर्थ है?''

8. बाहरी लोगों से क्या अभिप्राय है?

9. शहरी निर्धनों से क्या अभिप्राय है?

10. ''विश्व–नागरिकता'' की धारणा का आकर्षण बिंदु क्या है?

11. नागरिक अधिकारों के लिए विश्व की पहली क्रांति थी–

    (a) रूसी क्रांति (b) फ्रांसीसी क्रांति (c) अमेरिकी क्रांति (d) जर्मन क्रांति

12. यूरोप के गोरे लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों पर अपना शासन कायम रखाः

    (a) 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी (b) 16वीं सदी शताब्दी से 20 शताब्दी

    (c) 17वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी (d) 18वीं शताब्दी से 20 शताब्दी

13. संयुक्त राज्य अमेरिका में काली और गोरी आबादी के बीच विषमताओं के खिलाफ नागरिक अधिकार आंदोलन किस दशक में चला?

    (a) 1850 दशक (b) 1960 दशक

    (c) 1860 दशक (d) 1950 दशक

14. निम्नलिखित में से कौन–सा राज्य की नागरिकता प्राप्त करने का साधन है?

    (a) दीर्घकालीन आवास (b) सरकारी नौकरी

    (c) विवाह (d) उपर्युक्त सभी

15. निम्नलिखित में से कौन–सा नागरिकता खोने का साधन है?

    (a) दीर्घकालीन आवास (b) लंबी अनुपस्थिति

    (c) विवाह (d) सरकारी नौकरी

16. निम्नलिखित कथन को सही करके पुनः लिखिए।

    ''पृथक्करण कानूनों'' के खिलाफ हुए आंदोलन में अमेरिका के अब्राहम लिंकन जूनियर अग्रणी काले नेता थे।

17. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।

    नागरिकता महज एक कानूनी अवधारणा नहीं है। इसका समानता और अधिकारों के व्यापक उद्देश्यों से भी घनिष्ठ संबंध है। इस संबंध का सर्व सम्मत सूत्री–करण अंग्रेज समाजशास्त्री टी.एच. मार्शल ने किया है। अपनी पुस्तक ''नागरिकता और सामाजिक वर्ग'' में मार्शल ने नागरिकता को

''किसी समुदाय के पूर्ण सदस्यों को प्रदत प्रतिष्ठा'' के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रतिष्ठा को ग्रहण करने वाले सभी लोग प्रतिष्ठा में अंतर भूत अधिकारों और कर्तव्यों के मामले में बराबर होते हैं। नागरिकता की मार्शल प्रदत्त कुंजी धारणा में मूल संकल्पना ''समानता'' की है। मार्शल नागरिकता में तीन प्रकार के अधिकारों को शामिल मानते हैं–नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार। मार्शल ने सामाजिक वर्ग को ''असमानता की व्यवस्था'' के रूप में चिह्नित किया है।

17.1 टी.एच. मार्शल है–

(a) अर्थशास्त्री (b) समाजशास्त्री (c) राजनीतिज्ञ (d) इतिहासकार

17.2 ''नागरिकता और सामाजिक वर्ग'' पुस्तक के लेखक हैं–

(a) टी एच ग्रीन (b) टी एच साल्वे (c) समानता (d) टी एच मार्शल

17.3 नागरिकता की मार्शल द्वारा प्रदत्त कुंजी धारणा में मूल संकल्पना हैं:

(a) नागरिक (b) सरकार (c) समानता (d) स्वतंत्रता

17.4 मार्शल नागरिकता में कितने प्रकारों के अधिकारों को शामिल करते हैं?

(a) दो प्रकार के अधिकार (b) तीन प्रकार के अधिकार

(c) चार प्रकार के अधिकार (d) छः प्रकार के अधिकार

खाली स्थान भरोः–

18. भारतीय संविधान के अनुच्छेद ....से .... में नागरिकता सं संबंधित प्रावधानपों का वर्णन किया गया है।

19. अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को .... अधिकार दिए जाते हैं।

20. काम की तलाश में लोग एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तब वे .... कहलाते हैं।

21. राज्य नागरिकता के लिए आवेदकों को अनुमति देने की शर्तें प्रत्येक देश में .. होती हैं।

22. भारतीय संविधान में बहुत ही .... समाजको समायोजित करने की कोशिश की है।

23. निम्नलिखित प्रत्येक कथन के आगे सही अथवा गलत लिखिएः–

(a) नागरिक शब्द अंग्रेजी के सिटीजन शब्द का हिंदी रूपांतरण है।

(b) स्थानीय लोग ''बाहरी लोगों'' की प्रतिद्वंविता से नाराज होते हैं।

(c) 1960 का दशक अमेरिका में विषमताओं के खिलाफ नागरिक अधिकार आंदोलन का साक्षी था

(d) मार्टिन लूथर किंग जूनियर अग्रणी गोरे नेता थे।

(e) विश्व नागरिकता की धारणा ''वसुदेव–कुटुंबकम'' पर आधारित है।

दो अंकीय प्रश्नः–

1. एक नागरिक का दूसरे नागरिकों के प्रति क्या कर्त्तव्य है?
2. रंगभेद की नीति से क्या अभिप्राय है?
3. समान सदस्यता से क्या अभिप्राय है?
4. नागरिक किस प्रकार प्रतिवाद या विरोध कर सकते हैं?
5. आदिवासी तथा वनवासियों के क्या अधिकार हैं?
6. ''कई बार धार्मिक प्रतीक और रिवाज सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर जाते है'' इस कथन का आशय स्पष्ट करें।
7. नागरिकता प्राप्त करने के दो तरीके बताइए।
8. नागरिकता खो जाने के दो कारण बताइए।
9. लोग विस्थापित क्यों होते है दो कारण बताइए।
10. भारत में विकास योजनाओं से विस्थापित लोगों द्वारा किए गए संघर्ष का वर्णन करों।

चार अंकीय प्रश्नः–

1. एक नागरिक तथा विदेशी में क्या अंतर है?
2. एक अच्छे नागरिक में क्या–क्या गुण होने चाहिए। अपने विचार दें।
3. सार्वभौमिक नागरिकता से क्या अभिप्राय है? कुछ शरणार्थी लोगों के उदाहरण दीजिए।
4. विश्व नागरिकता आज एक आकर्षण बनी है। कैसे?
5. भारत में एक जातिगत तथा एक पर्यावरणीय आंदोलन का वर्णन करो।
6. शरणार्थियों को किन–किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है?
7. 'बाहरी तथा भीतरी' की समस्या का वर्णन करो।
8. आज विश्व एक विश्व ग्राम की भांति बदल रहा है? कैसे?

9. नागरिक और सामाजिक अधिकार क्या है?

10. शहरी गरीबों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पांच अंकीय प्रश्नः—

1. दिए गए चित्र/कार्टून का ध्यानपूर्वक अध्ययन किजिए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

प्रवासी मजदूरों के बिना भारत के शहरी मधयवर्ग के जीवन का एक दिन

(a) प्रवासी किसे कहते हैं? (1)

(b) प्रवासी लोग शहरों में कौन–कौन से काम करते हैं? (2)

(c) प्रवासियों के बिना शहरी लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हो सकता है? उदाहरण सहित समझाइए। (2)

छः अंक वाले प्रश्नः–

1. ''आज नागरिक को जो भी अधिकार मिले हुए हैं वे उसके कड़े संघर्ष का परिणाम है''। सिद्ध करो।

2. ''समान सदस्यता मिलने का अर्थ यह नहीं कि सभी उसका समान प्रयोग कर सकें'' क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उचित दीजिए।

3. ''लोकतंत्र का यह बुनियादी सिद्धांत है कि विवादों का निदान बल प्रयोग की अपेक्षा संधि–वार्ता तथा विचार विमर्श से हो'' आपके अनुसार क्या यह तरीका विश्व नागरिकता को बढ़ावा देगा।

4. ''भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य है'' कैसे।

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता है।

2. अरस्तु

3. दक्षिण अफ्रीका में समान नागरिकता पाने के लिए अफ्रीाक की अश्वेत आबादी को सत्तारूढ़ गोरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ लंबा संघर्ष करना पड़ा।

4. नागरिक को राज्य की ओर से अधिकार मिले होते हैं, जिनका वह अपने और समाज के कल्याण के लिए प्रयोग करता है।

5. भारतीय संविधान के ''भाग दो'' (अनुच्छेद 5–11) में नागरिकता से संबंधित है प्रावधानों का वर्णन किया गया है।

6. अकाल, प्राकृतिक आपदाओं या युद्ध के कारण हुए विस्थापित लोगों को ''शरणार्थी'' कहा जाता है।

7. ''मुंबई–मुंबईकर के लिए'' नारे का अर्थ है कि मुंबई में केवल मुंबई के ही लोग रहेंगे बाहर के लोग नहीं।

8. जो लोग समाज और सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाते उन्हें बाहरी लोग कहा जाता है।

9. शहरी क्षेत्रों में अवैध कब्जे की भूमि पर बसे लोग या झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग, जो अक्सर कम मजदूरी पर काम करते हैं, उन्हें शहरी निर्धन कहते हैं।

10. विश्व नागरिकता की धारणा का आकर्षण बिन्दु यह है कि इससे राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों ओर की उन समस्याओं का मुकाबला करना आसान हो सकता है जिसमें कई देशों की सरकारों और लोगों की संयुक्त कार्रवाई जरूरी होती है।

11. (b) फ्रांसीसी क्रांति

12. (c) 17वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी

13. (d) 1950 दशक

14. (d) उपर्युक्त सभी

15. (b) लंबी अनुपस्थिति

16. ''पृथक्करण कानूनों'' के खिलाफ हुए आंदोलन में अमेरिका के ''मार्टिन लूथर किंग जूनियर'' अग्रणी काले नेता थे।

17.1 (b) समाजशास्त्री

17.2 (d) टी एच मार्शल

17.3 (c) समानता

17.4 (b) तीन प्रकार के अधिकार

18. अनुच्छेद 5 से 11

19. अभिव्यक्ति का अधिकार/मतदान का अधिकार/आस्था की स्वतंत्रता का अधिकार/शिक्षा का अधिकार/न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार।

20. प्रवासी

21. भिन्न–भिन्न/प्रथक–प्रथक।

22. विविधतापूर्ण (समाज)

23. (a) सही (b) सही (c) गलत (d) गलत (e) सही

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. नागरिकों का कर्त्तव्य है कि वे दूसरें नागरिकों के अधिकारेां का सम्मान करें। रोजमर्रा के जीवन में उन्हें सम्मिलित होने और योगदान करने का दायित्व शामिल हैं

2. गोरे और काले लोगों के बीच भेदभाव दक्षिण अफ्रिका का उदाहरण।

3. राजसत्ता द्वारा सभी नागरिकों को चाहें वे धनी हो या निर्धन कुछ बुनियादी अधिकारों की गांरटी देना।

4. समूह बनाकर, प्रदर्शन, धरना, मीडिया का प्रयोग, राजनीतिक दलों से अपील कर या अदालत जाकर जनमत और सरकारी नीतियों को परखना और प्रभावित करना।

5. उन्हें उनके जीवन निर्वाह के लिए जंगल और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों के साथ रहने का अधिकार, अपनी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने का अधिकार।

6. छात्र इस प्रश्न का उत्तर अपने विवेक से दें।

7. राज्यकृत नागरिकता।

   (i) विवाह द्वारा

   (ii) नौकरी द्वारा

   (iii) आवेदन द्वारा

8. (i) देशद्रोही क्रियाकलाप द्वारा

   (ii) विवाह द्वारा

9. अकाल, बाढ़, युद्ध, सुनामी, महामारी जैसी समस्याओं से।

10. सरदार सरोवर बांध का वर्णन।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. नागरिक — देश के राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करता है वह मतदान, चुनाव लड़ना, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार रखता है।

   विदेशी— विदेशी को ये सभी अधिकार प्राप्त नहीं।

2. छात्र इस प्रश्न का उत्तर अपने विवेक से दें।

3. किसी देश की पूर्ण सदस्यता, सभी को उपलब्ध होनी चाहिए जो सामान्यतया उस देश में रहते है और काम करते हैं तथा जो नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं। बांग्लादेशी आदि....।

4. क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इससे राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों तरफ उन दिक्कतों का सामना करना, सरल हो सकता है जिसमें बहुत से देशों की सरकारों और लोगों की संयुक्त कार्यवाही जरूरी होती है। विजय माल्या का उदहारण।

5. जातिगत आंदोलन — दलित पैथर्स

   पर्यावरणीय आंदोलन — चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओं आंदोलन

6. (i) कोई देश उन्हें स्वीकार नहीं करता।

(ii) वे शिवरों में या अवैध प्रवासी के रूप में रहने को विवश किए जाते है।

(iii) वे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते या

(iv) संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते।

7. भीतरी— जो समाज से स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं और सरकार से नागरिकता के अधिकार।

बाहरी— जो समाज व राज्य से स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाते।

8. विश्व ग्राम— हम सब संचार के नए माध्यमों द्वारा जैसे टेलिविजन, इंटरनेट आदि से एक दूसरे से जुडाव अनुभव करते हैं आज विश्व के तमाम राष्ट्रों के लोगों में साझे सरोकर एवं भाईचारे की भावना का विकास हो रहा है।

9. नागरिक अधिकार— आस्था और स्वतंत्रता के अधिकार

सामाजिक अधिकार— न्यूनतम मजदूरी, शिक्षा प्राप्त करने, किसी भी जगह घूमने फिरने की आजादी।

10. (i) 2004 में एक राष्ट्रीय नीति बनाई ताकि फुटपाथी दुकानदारों को पुलिस और नगर प्रशासकों का उत्पीड़न न झेलना पड़ा।

(ii) संविधान की धारा 21 में जीने के अधिकार की गांरटी दी गई है जिसमें आजीविका का अधिकार भी शामिल है।

पांच अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. (a) काम की तलाश में लोग एक शहर से दूसरे शहर अथवा एक देश से दूसरे देश की ओर जाते हैं, उन्हें प्रवासी कहा जाता है।

(b) प्रवासी लोग शहरी में घरेलू नौकर, सफाई, कर्मचारी, समाचार पत्र वितरक, रेहड़ी पटरी पर सामान बेचना, फेरी लगाकर सामान भेजना, रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली छोटी—छोटी वस्तुओं को साप्ताहिक बाजारों में बेचना आदि काम करते हैं।

(c) प्रवासियों के बिना शहरी लोगों का जीवन बहुत प्रभावित हो सकता है, शहरी लोगों के रोजमर्रा के जीवन में प्रवासियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अभी कोरोनावायरस के काल में जब घरेलू नौकर/ नौकरानीया छूट्टी पर चली गई तथा लॉक डाउन लग गया तो शहरी लोगों का जीवन बदहाल हो गया था। शहरी लोगों के जीवन में प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, छोटे—छोटे कामों के लिए शहरी लोग प्रवासियों पर ही आश्रित होते हैं।

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. (i) बहुत से यूरोपीय देशों में ऐसे संघर्ष हुए जैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति।

   (ii) एशिया अफ्रीका में भी समान नागरिकता की मांग, संघर्ष से ही प्राप्त की।

   (iii) दक्षिण अफ्रीका मे भी अश्वेत जनसंख्या को सत्तारूढ़ श्वेत अल्पसंख्यकों के विरूद्ध लम्बा संघर्ष किया।

2. अधिकांश समाजों में लोगों की योग्यताओं और सामर्थ्य के आधार पर संगठन पाया जाता है लोगों के आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण तथा मौलिक आवश्यकताओं एवं सुविधाओं की दृष्टि से अलग हो सकते है। यदि लोगों को समानता पर लाना है तो नीतियों का निर्धारण करते वक्त लोगों की भिन्न—भिन्न जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए।

3. हाँ, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी आवश्यक है इसके लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है अगला चरण सरकार का प्रतिवाद हो सकता है परन्तु शर्त है कि अन्य नागरिकों व सरकार के जीवन व संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। विरोध की प्रक्रिया धीमी हो सकती हे पर वार्ता द्वारा या संधि द्वारा समस्याओं के समाधान किए जा सकते है।

4. स्वतंत्रता आंदोलन का आधार व्यापक था और विभिन्न धर्म, क्षेत्र और संस्कृति के लोगों को आपस में संबंद्ध होकर प्रयत्न करने पड़ें। भारत में विभाजन को रोका तो नहीं जा सका परंतु स्वतंत्र भारत में धर्मनिरपेक्ष और समावेशी चरित्र को कामय रखा गया। यह निश्चय संविधान में शामिल किया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के कुछ सुदूरवर्ती समुदायों और कई अन्य समुदायों को पूर्ण तथा समान नागरिकता देने का प्रयास किया गया है।

अध्याय 15
राष्ट्रवाद

मुख्य बिन्दुः

राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद, राष्ट्र के बारे में मान्यताएं, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, राष्ट्र और बहुलवाद

राष्ट्रवाद क्या हैं? → सामान्यतः यदि जनता की राय ली जाये तो राष्ट्रवाद से आशय राष्ट्रीय ध्वज, देश भक्ति वे देश के लिए बलिदान जैसे बातें ही सुनने को मिलेंगी दिल्ली में राजपथ पर देखें जाने वाली गणतंत्र दिवस परेड राष्ट्रवाद का बेजोड़ प्रतीक हैं।

पिछली दो शताब्दियों के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसे सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभरकर सामने आया हैं जिसने इतिहास रचने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हैं इसने गुलामी की दासता से मुक्ति दिलाने में सहायता की हैं तो इसके साथ ही यह विरोध, कटुता और युद्धों की वजह भी रहा हैं राष्ट्रवादी संघर्षों ने राष्ट्रों और साम्राज्यों की सीमाओं के निर्धारण–पुनर्निर्धारण में योगदान किया हैं।

राष्ट्रवाद ने उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोप की कई छोटी–छोटी रियासतों का एकीकरण किया हैं जैसे जर्मनी और इटली का एकीकरण राष्ट्रवाद की भावना के कारण ही हो पाया था राष्ट्रवाद बड़े–बड़े साम्राज्यों के पतन में भी भागीदार रहा हैं बीसवीं शताब्दीं के शुरूआत में यूरोप में आस्ट्रियाई–हंगरियाई और रूसी साम्राज्य तथा इसके साथ एशिया और अफ्रीका में फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच और पुर्तगाल साम्राज्य के बंटवारे के मूल में राष्ट्रवाद ही थाः

राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद → राष्ट्र बहुत हद तक एक काल्पनिक समुदाय होता हैं जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, उम्मीदों और कल्पनाओं के सहारे एक सूत्र में बंधा होता हैं यह कुछ मान्यताओं पर आधारित होता हैं जिन्हें लोग उस समग्र समुदाय के लिए गढ़ते हैं जिससे वे अपनी पहचान कायम करते हैं ऐसा माना जाता हैं कि रास्त्रों का निर्माण ऐसे समूहों द्वारा किया जाता हैं कुल या भाषा अथवा धर्म या फिर जातीयता जैसी कुछ पहचान का सहभागी होता हैं।

राष्ट्र के बारे में मान्यताएं:

1. **साझे विश्वास:** एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी तक ही बना रह सकता हैं जब तक उसके सदस्यों को यह विश्वास हो कि वे एक दुसरे के साथ हैं।
2. **इतिहास:** व्यक्ति अपने आप को एक राष्ट्र मानते हैं उनके अन्दर स्थायी पहचान की भावना होती हैं देश की स्थायी पहचान का ढांचा पेश करने हेतु वे किवंदतियों, स्मृतियों तथा इतिहासिक इमारतों तथा अभिलेखों की रचना के जरिए स्वयं राष्ट्र के इतिहास के बोध की रचना करते हैं।
3. **भू–क्षेत्र:** किसी भू क्षेत्र पर हाफी हद तक साथ–साथ रहना एवं उससे संबंधित साण अतीत की स्मृतियां जन साधारण को एक सामूहिक पहचान का अनुभव कराती हैं जैसे कोई भू क्षेत्र को मातृभूमि या पितृभूमि कहता हैं।
4. **साझे राजनीतिक आदर्श:** राष्ट्र के सदस्यों की एक साझा दृष्टि होती हैं कि वे किस तरह का राज्य बनाना चाहते हैं वे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और उदारवाद जैसे मूल्यों और सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं इन शर्तों के साथ–साथ आना और रहना चाहते हैं।
5. **साझी राजनीतिक पहचान:** लोगों का मानना हैं कि राज्य के बारें में साझी राजनीतिक द्रष्टि व्यक्तियों को एक राष्ट्र के रूप में बांधने के लिए पर्याप्त नहीं होती बल्कि एक समान भाषा या जातीय वंश परम्परा जैसी राजनीतिक पहचान चाहते हैं।

राष्ट्रीय आत्मनिर्णय:

बाकि सामाजिक समूहों से अलग राष्ट्र अपना शासन अपने आप करने और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं दूसरें शब्दों में कहे तो वे आत्मनिर्णय का अधिकार चाहते हैं आत्मनिर्णय के अपने दावे में राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करता हैं कि उसके प्रथक राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे को मान्यता या स्वीकार्यता दी जाए।

उन्नीसवीं सदीं में यूरोप में एक संस्कृति: एक राज्य की मान्यता ने जोर पकड़ा वर्साय की संधि के बाद विभिन्न छोटे एवं नव स्वतंत्रत राज्यों का गठन हुआ इस कारण राज्य की सीमाओं में भी परिवर्तन हुए बड़ी जनसंख्या का विस्थापन हुआ कई लोग सांप्रदायिक हिंसा के भी शिकार हुए।

अलग–अलग सांस्कृतिक समुदायों को अलग–अलग राष्ट्र राज्य मिले यह ध्यान में रखकर सीमाओं को बदला गया पर ऐसा करना मुमकिन नहीं हो पाया

क्योंकि एक राष्ट्र राज्य में एक से ज्यादा नस्ल व संस्कृति के लोग रहते थे।

आश्चर्य की बात हैं जिन राष्ट्र राज्यों ने संघर्षों के बाद स्वाधीनता प्राप्त की किन्तु अब वे अपने भू क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करने वाले अल्पसंख्यक समूहों का खंडन करते हैं।

आत्मनिर्णय के आन्दोलनों से कैसे निपटें:

नए राज्यों का गठन करने में समाधान नहीं हैं बल्कि राज्यों को ज्यादा लोकतांत्रिक और समतामूलक बनाने में हैं आत्मनिर्णय के आन्दोलन का समाधान यह हैं कि भिन्न–भिन्न सांस्कृतिक और नस्लीय पहचान के लोग देश में समान नागरिकों तथा मित्रों की तरह सहअस्तित्व पूर्वक रह सकें।

राष्ट्रवाद और बहुलवाद

एक संस्कृति–एक राज्य के विचार को छोड़ने के बाद लोकतांत्रिक देशों ने सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान को स्वीकार करने तथा करने के तरीकों की शुरूआत की हैं भारतीय संविधान में भाषायी, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रावधान हैं।

हालांकि ऐसा हो सकता हैं कि अल्पसंख्यक समूहों को मान्यता एवं सरंक्षण प्रदान करने के बावजूद कुछ समूह प्रथम राज्य की मांग पर अड़े रहे यह विरोधाभाषी तथ्य होगा कि जहां वैश्विक ग्राम की बातें चल रही हैं वहां अभी भी राष्ट्रीय आकांक्षाए विभिन्न वर्गों और समुदायों को उद्‌देलित कर रही हैं इसके समाधान के लिए संबंधित देश को विभिन्न वर्गों के साथ उदारता एवं दक्षता का परिचय देना होगा साथ ही असहिष्णु एक जातीय स्वरूपों के साथ कठोरता से पेश आना होगा।

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्नों:–

1. राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है?
2. 'राष्ट्र' शब्द से क्या अभिप्राय है?
3. राष्ट्र के निर्माण में इतिहास का क्या योगदान रहता है?
4. भूक्षेत्र को लेकर लोग उसे क्या–क्या नाम देते है?
5. राष्ट्रीय आत्म निर्णय के सिद्धांत का क्या अर्थ है?

6. समतामूलक समाज से क्या अभिप्राय है?

7. 'एक संस्कृति–एक राज्य' का सिद्धांत का क्या अर्थ है?

8. जर्मनी व इटली का एकीकरण किस भावना के तहत हुआ था?

9. डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई हैं?

10. आत्मनिर्णय के आंदोलनों से कैसे निबटा जा सकता हैं?

प्रश्न संख्या 11 से 15 में सही या गलत की पहचान कीजिए:

11. राष्ट्र बहुत हद तक एक काल्पनिक समुदाय होता हैं

12. पहले विश्व युद्ध के बाद राज्यों की पुनर्व्यवस्था में एक संस्कृति एक राज्य के विचार को अपनाया गया।

13. नवगठित राज्यों में एक राज्य में एक ही नस्ल के लोग रहते हैं।

14. रवीन्द्रनाथ टैगोर ओपेनिवेशिक शासन के धुर विरोधी थे।

15. राष्ट्रवाद का बड़े–बड़े राज्यों के पतन और एकीकरण में कोई योगदान नहीं रहा हैं।

दो अंकीय प्रश्नः–

1. ''राष्ट्रवाद ने लोगों को संगठित किया है साथ ही विभाजित भी किया है'' कैसे?

2. ''राष्ट्रवाद साम्राज्यों के पतन के लिए जिम्मेदार रहा है'' कैसे? कुछ उदाहरण दीजिए।

3. 'राष्ट्र' शब्द और राष्ट्रवाद में क्या अंतर है?

4. 'सांझे विश्वास' किस प्रकार राष्ट्रवाद के विकास में सहायक हैं।

5. साझी राजनीतिक पहचान से क्या अभिप्राय है?

6. क्या 'राष्ट्रीय आत्मनिर्णय' की मांग समकालीन विश्व में विरोधाभासी है?

7. राष्ट्रीय पहचान के लिए समावेशी नीति से कार्य करने का क्या अर्थ है?

8. बहुलवाद से क्या अभिप्राय है?

चार अंकीय प्रश्नः—

1. राष्ट्रवाद ने राज्यो को जोड़ा भी है और तोड़ा भी है। कैसे?
2. ''भूमंडलीकरण के दौर में आज भी राष्ट्रीय आकांक्षाए सिर उठाती रहती है'' इस समस्या का समाधान कैसे संभव है?
3. ''एक संस्कृति एक राज्य'' इस नीति से क्या अभिप्राय है? क्या यह नीति प्रयोग में लाना संभव है?
4. आत्मनिर्णय के सिद्धांत के द्वारा जिन राष्ट्रों ने स्वाधीनता प्राप्त की, आज वे ही अपने भू—क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्म निर्णय के अधिकार की मांग का विरोध करते है? क्यों?
5. राष्ट्रवाद के मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ कौन सी हैं?
6. 'राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है अपने शासन में अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों और संस्कृति पहचान का आदर किया जाएं'। क्या आप इस कथन से सहमत हैं?
7. राष्ट्र बहुत हद तक एक काल्पनिक समुदाय होता है जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के सहारे एवं सूत्र में बंधा होता है यह कुछ खास मान्यताओं पर आधारित होता है जिन्हें लोग उस समग्र समुदाय के लिए गठते हैं जिससे वे अपनी पहचान कायम करते हैं।

   प्र.1 राष्ट्रवाद क्या हैं?

   प्र.2. राष्ट्रवाद की सीमाएँ लिखिए।

   प्र.3. राष्ट्र के निर्माण में इतिहास का क्या योगदान रहा है?

   प्र.4. राष्ट्र क्या है?

पांच अंकीय प्रश्नः—

1. ''यद्यपि बाहरी रूप में लोगों में विविधता और अनगिनत विभिन्नताएं थी, परंतु हर जगह एकात्मकता की वह जबर्दस्त छाप थी जिसने हमें युगों तक जोड़े रखा, चाहे हमें जो भी राजनीतिक सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य झेलना पड़ा हो''।

   निम्न प्रश्नों के उत्तर दो—

   क) उपरोक्त कथन किसका है?

   ख) लेखक किस विविधता और विभिन्नता की बात कर रहा है?

   ग) 'राजनीतिक' दुर्भाग्य से लेखक का क्या अभिप्राय है?

2. ''राष्ट्रवाद मेरी आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकती, मेरी शरण स्थली तो मानवता है। मै हीरों की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा, और जब तक मैं जीवित हूँ देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजयी नहीं होने दूंगा।

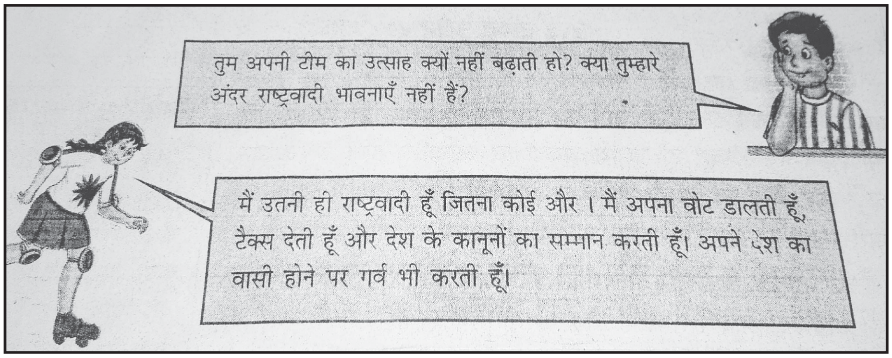

निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिएः—

क) लेखक राष्ट्रवाद की बजाय मानवता को क्यों महत्व दे रहा है?

ख) 'देशभक्ति को मानवता पर विजयी न होने देने' का क्या अभिप्राय है?

ग) 'हीरों की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा इस कथन में लेखक ने हीरा और शीशा किसे कहा है?

3. 1) सामान्यतया लोग राष्ट्रवाद से क्या अर्थ लगाते हैं?

2) चित्र में राष्ट्रवाद किस प्रकार दिखाया गया है?

3) एक अच्छे नागरिक के क्या गुण होते हैं?

छः अंक वाले प्रश्नः

1. राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले विभिन्न तत्वों का वर्णन करो?

2. ''संघर्षवादी ताकतों से निपटने में तानाशाही सरकारों की बजाय लोकतांत्रिक सरकारें अधिक कारगर सिद्ध हुई है? कैसे।

3. राष्ट्रवाद के दायरें क्या—क्या हैं। (सीमाएं)।

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. राष्ट्र बहुत हद तक एक काल्पनिक समुदाय होता हैं जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, उम्मीदों और कल्पनाओं के सहारे एक सूत्र में बंधा होता हैं।
2. एक ही समुदाय जो एक निश्चित भौगोलिक सीमा में रहता हैं।
3. राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों के अन्दर एक ऐतिहासिक पहचान की भावना होती हैं।
4. मातृभूमि या पितृभूमि या पवित्र भूमि।
5. जब राष्ट्र अपना शासन स्वयं करने और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं।
6. भिन्न–भिन्न सांस्कृतिक और नस्लीय पहचान वाले देश में समान नागरिकों और मित्रों की तरह सह अस्तित्वपूर्वक रह सकें।
7. एक राज्य में एक ही संस्कृति के लोग निवास करते हैं।
8. राष्ट्रवाद
9. जवाहरलाल नेहरू
10. राज्यों को और अधिक लोकतान्त्रिक और समतामूलक बनाकर
11. सही
12. सही
13. गलत
14. सही
15. गलत

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. राष्ट्रवाद ने उत्कृष्ट निष्ठाओं के साथ–साथ गहरे विद्वेषों को प्रोत्साहित किया है। इसने जनता को एकत्र किया है तो विभाजित भी किया है।
2. बीसवीं शताब्दी की शुरूआत में यूरोप में अस्ट्रियाई– हंगेरियाई और रूसी साम्राज्यों के पतन तथा उनके साथ एशिया अैर अफ्रीका में फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच और पुर्तगाली साम्राज्य के बंटवारें में राष्ट्रवाद ही था।

3. राष्ट्रः— राष्ट्र जनता का कोई आकस्मिक समूह नहीं है यह परिवार से भिन्न है राष्ट्र के अधिकतर सदस्यों को प्रत्यक्ष तौर पर न कभी जान पाते हैं और न ही उनके साथ वंशानुगत संबंध जोड़ने की जरूरत पड़ती है।

राष्ट्रवादः— राष्ट्रवाद एक भावना है, देश प्रेम की भावना जो विकसित होती है साझे विश्वास, साझां इतिहास, साझें भू क्षेत्र साझे राजनीतिक आदर्श तथा साझी राजनीतिक पहचान के द्वारा।

4. साझे विश्वासः— राष्ट्र का निर्माण विश्वास के द्वारा होता है राष्ट्र ऐसी इमारते नहीं जिन्हें हम स्पर्श कर सकें, न ही ये ऐसी वस्तुएं है जिनका लोगों के विश्वास से स्वतंत्र अस्तित्व हो। राष्ट्र की तुलना एक टीम से की जा सकती है।

5. साझी राजनीतिक पहचानः— अधिकांश समाज सांस्कृतिक रूप से विविधता से भरे हैं। एक ही भू—क्षेत्र में विभिन्न धर्म और भाषाओं के लोग मिलजुल कर रहते हैं इसलिए अच्छा होगा यदि हम राष्ट्र की कल्पना राजनीतिक शब्दावली में करे न कि सांस्कृतिक पदों में। लोकतंत्र में किसी खास नस्ल, धर्म या भाषा से संबद्धता की जगह एक मूल्य समूह के प्रति निष्ठा की आवश्यकता होती है।

6. राष्ट्रीय आत्मविश्वासः— उस वक्त विरोधाभासी लगता है जब हम उन राष्ट्रराज्यों को, जिन्होंने स्वंय संघर्षों के बल पर स्वाधीनता प्राप्त की, किंतु अब वे अपने भू—क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करने वाले अल्पसंख्यक समूहों का खंडन कर रहे हैं।

7. समावेशी नीति का आशय है जो राष्ट्र राज्य के समस्त सदस्यों के महत्व एवं अद्वितीय योगदान को मंजूरी दे सके अर्थात् अल्पसंख्यक समूहों और उनके सदस्यों की संस्कृति, भाषा और धर्म के लिए संवैधानिक संरक्षा के अधिकार।

8. बहुलवादः जब एक संस्कृति एक राज्य की अवधारणा को त्याग दिया गया तब नई व्यवस्था वह होगी जहां अनेक संस्कृतियां और समुदाय एक ही देश में फल फूल सकें। भारतीय संविधान में भाषायी, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की संरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. राष्ट्रवाद ने उन्नीसवीं शताब्दी के यूरोप में कई छोटी—छोटी रियासतों के एकीकरण से वृहत्तर राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग दिखाया। आज के जर्मनी, इटली का गठन एकीकरण और सुदृढ़ीकरण की इसी प्रक्रिया के माध्यम से हुआ था।

किन्तु राष्ट्रवाद बड़े–बड़े साम्राज्यों के पतन में भी भागीदार रहा है। बीसवीं शताब्दी में यूरोप में आस्ट्रियाई–हंगेरियाई और रूसी साम्राज्य तथा इनके साथ एशिया और अफ्रीका में फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच एवं पुर्तगाली साम्राज्य के बंटवारे के मूल में 'राष्ट्रवाद' ही था।

2. भूमंडलीकरण का दौर चल रहा है वहीं दूसरी ओर कुछ राष्ट्रीय आकांक्षाए सिर उठाती रहती है। ऐसी मांगों से निपटने का एक मात्र तरीका लोकतांत्रिक तरीका है। इससे निपटने में संबंधित देश विभिन्न वर्गों के साथ उदारता एवं दक्षता का परिचय दें।

   परंतु इसका आशय यह कदापि नहीं है कि हम राष्ट्रवाद के असहिष्णु एकजातीय स्वरूपों के साथ कोई सहानुभूति बरतें।

3. एक संस्कृति–एक राज्य की धारणा की शुरूआत 19 वीं सदी के यूरोप में सामने आई परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् राज्यों की पुर्नव्यवस्था में इस विचार को परखा गया परंतु आत्म निर्णय की सभी मांगों को संतुष्ट करना संभव नहीं था।

   आज भी इस नीति को प्रयोग में ला पाना संभव नहीं तभी बहुलवाद की प्रचलन है अर्थात् बहुत से समुदाय और संस्कृतियों के लोग एक ही देश में फल फूल सकें।

4. आत्मनिर्णयः क्योंकि इससे आबादी का देशांतरण, सीमाओं पर युद्ध और हिंसा की घटनाएं होती रहती है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जितने भी नए राष्ट्र राज्य बने उसके परिणामस्वरूप जनसंख्या का बड़ी मात्रा में विस्थापन हुआ, लाखों लोग अपने घरों से उजड़ गए और उस जगह से बाहर धकेल दिए गए जहां पीढ़ियों से उनका घर था।

5. (i) सांप्रदायिकता
   (ii) जातिवाद
   (iii) क्षेत्रवाद
   (iv) भाषावाद
   (v) नस्लवाद

6. जो राष्ट्र राज्य अपने शासन में अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान का आदरनहीं करते उसके लिए अपने सदस्यों की निष्ठा प्राप्त करना कठिन होता है।

   इसके लिए राज्यों को ज्यादा लोकतांत्रिक व समतामूलक बनना होगा ताकि भिन्न–भिन्न सांस्कृतिक और नस्लीय पहचान के लोग देश में समान नागरिक और मित्रों की तरह रह सकें।

7. 1. राष्ट्र बहुत हद तक काल्पनिक समुदाय होता है तो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के सहारे एक सूत्र में बंधा होता है।

2. राष्ट्रवाद व्यक्ति को एक क्षेत्र तक सीमित कर देता है जिससे विश्वग्राम की भावना अधूरी रह जाती है और यह भूमण्डलीकरण में संभव नहीं हैं

3. राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों के अन्दर एक ऐतिहासिक पहचान की भावना होती है।

4. एक ही समुदाय के लोग जो एक निश्चित भू–भाग में रहते हैं।

पांच अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. (i) पं. जवाहर लाल नेहरू

(ii) लेखक अपने देश विभिन्न धर्म, भाषाएं, जातियां आदि है उसके बावजूद एकता दिखाई देती है।

(iii) राजनीतिक दुर्भाग्य का अर्थ है वह लंबा परतंत्रता का समय जो ब्रिटिश काल में भारत को झेलना पड़ा।

2. (i) लेखक चाहता है कि राज्यों की सीमाएं नहीं होनी चाहिए बल्कि सबको मानवता की भलाई के लिए काम करना चाहिए ताकि विश्व हमें विश्व ग्राम की तरह नजर आए।

(ii) देशभक्ति ने बहुत साम्राज्यों का पतन किया है इसलिए मानव को प्राथमिकता दी जाए राज्य या राष्ट्र को नहीं।

(iii) लेखक का अभिप्राय है कि हमे विश्व ग्राम को प्राप्त करने की ओर चलना चाहिए देश या राष्ट्र की सीमाएं नहीं बनानी चाहिये।

3. (i) सामान्यतया लोग राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्र गान, देशभक्ति, देश के लिए बालिदान आदि से अर्थ लगाते है।

(ii) चित्र में राष्ट्रवाद को वोट डालने, टैक्स देने, कानूनों का सम्मान करने, देशवासी होने या टीम को जीतते वक्त उसका उत्साह बढ़ाना से दर्शाया गया है।

(iii) एक अच्छा नागरिक कानूनों का पालन करना, वोट डालना, समय पर टैक्स देना, देशवासी होने पर गर्व महसूस करना, ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा करना आदि।

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. (i) साझां इतिहास
   (ii) साझें विश्वास
   (iii) साझां भू–क्षेत्र
   (iv) साझें राजनीतिक आदर्श
   (v) साझीं राजनीतिक पहचान

2. लोकतांत्रिक सरकारें समतामूलक व समावेशी होने के लिए संघर्षवादी ताकतों से निपटने में निपुण होती है बजाय तानाशाही सरकारों के। आज संसार एक विश्व ग्राम का स्वप्न देख रहा है ऐसे में संघर्षवादी शक्तियां उस स्वप्न में बाधा उत्पन्न करती है ऐसी भागों से लोकतांत्रिक ढंग से समाधान किया जा सकता है और इसमें संबंधित देश को अपना योग्यता और दक्षता का परिचय देना होगा।

   यह आवश्यक है कि हम राष्ट्रीय पहचान के इनके दावों की सत्यता को स्वीकार करें परंतु इसका यह आशय कदापि नहीं है कि हम राष्ट्रवाद के असहिष्णु और एक जातीय स्वरूपों के साथ कोई सहानुभूति बरतें।

3. (i) क्षेत्रवाद
   (ii) नैतिक मूल्यों का पतन
   (iii) धार्मिक विविधता
   (iv) आर्थिक विषमता
   (v) भाषायी विषमता

अध्याय 16
धर्म निरपेक्षता

मुख्य बिन्दुः

1. धर्म निरपेक्षता का अर्थ।
2. धर्मों के बीच वर्चस्ववाद
3. धर्म के अन्दर वर्चस्ववाद
4. धर्म निरपेक्ष राज्य
5. धर्म निरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल
6. धर्म निरपेक्षता का भारतीय मॉडल
7. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
8. भारतीय धर्म निरपेक्षता की आलोचना

धर्म निरपेक्षता का अर्थ हैः—

– बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को अपना—अपना धर्म मानने व प्रचार करने की स्वतंत्रता अर्थात् जब राज्य धर्म को लेकर कोई भेद—भाव न करें।

– भारत विभिन्नताओं का देश है, लोकतन्त्र को बनाए रखने के लिए सभी को समान अवसर प्रदान करने का कार्य कठिन है। इसलिए भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। संविधान के घोषणा—पत्र में धार्मिक वर्चस्ववाद का विरोध करना, धर्म के अन्दर छिपे वर्चस्व का विरोध करना तथा विभिन्न धर्मों के बीच तथा उनके अन्दर समानता को बढ़ावा देना आदि की घोषणा करता है।

धर्मों के बीच वर्चस्ववादः—

– हर भरतीय नागरिक को देश के किसी भी भाग में आज़ादी और प्रतिष्ठा के

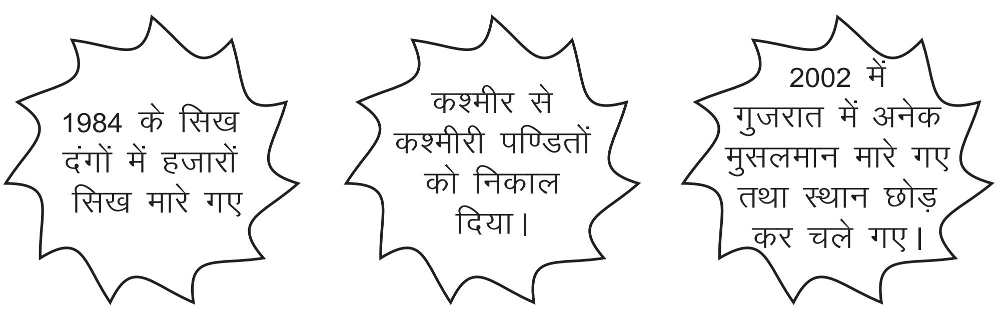

साथ रहने का अधिकार है, फिर भी भेदभाव के अनेक उदाहरण पाए जाते है जिससे धर्मों के बीच वर्चस्ववाद बढ़ा, क्योंकि हम स्वयं के धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं।

धर्म के अन्दर वर्चस्ववादः—

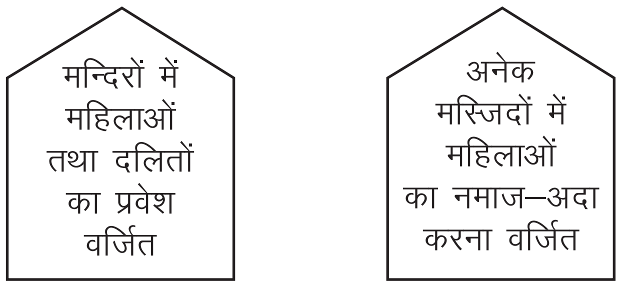

धर्म निरपेक्ष राज्यः—

– वह राज्य जहां सरकार की तरफ से किसी धर्म को अधिकारिक (कानूनी) मान्यता न दी गई हो।
– सर्व धर्म समभाव की अवधारणा को महत्व।
– धार्मिक समूह के वर्चस्व को रोकना
– धार्मिक संस्थाओं एवं राज्यसत्ता की संस्थाओं के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए। तभी शांति, स्वतंत्रता और समानता स्थापित हो पाएगी।
– किसी भी प्रकार के धार्मिक गठजोड़ से परहेज।
– ऐसे लक्ष्यों व सिद्धान्तों के प्रति प्रतिबद्ध होने चाहिए जो शांति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव और वर्जनाओं से आज़ादी को महत्त्व दें।

धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडलः—

– अमेरिकी मॉडल—धर्म और राज्य सत्ता के संबंधविच्छेद को पारस्परिक निषेध के रूप में समझा जाता है। राजसत्ता धर्म के मामले में व धर्म राजसत्ता के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
– ये संकल्पना स्वतंत्रता और समानता की व्यक्तिवादी ढंग से व्याख्या करती है।
– धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार के लिये कोई जगह नहीं है।

धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडलः—

– भारतीय धर्म निरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देता।

– अल्पसंख्यक तथा सभी व्यक्तियों को धर्म अपनाने की आजादी देता है।
– भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करने हेतु, धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है।
– भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को खुद अपनी समस्याएं खोजने का अधिकार है तथा राज्यसत्ता के द्वारा सहायता भी मिल सकती हैं।
– भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 के बाद 'पंथ निरपेक्ष' शब्द जोड़ दिया है।
– मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, सभी धर्मों को समान अवसर प्रदान करते हैं।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकारः–

– अनुच्छेद 25 से 28 तक

भारतीय धर्म निरपेक्षता की आलोचनाः–

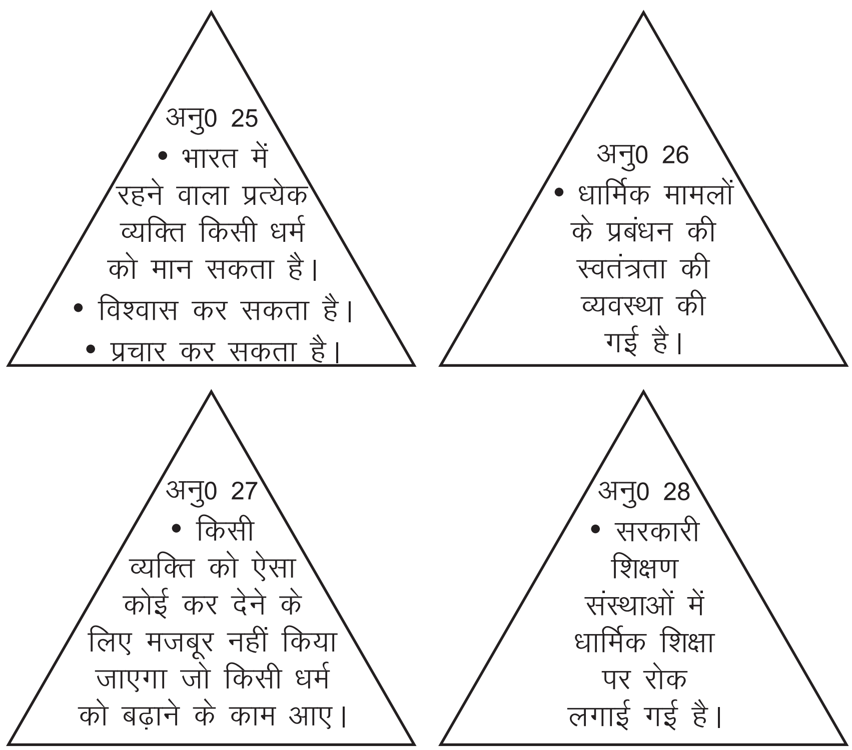

भारतीय धर्म निरपेक्षता की आलोचनाएँः

– धर्म विरोधियों के अनुसार धर्म निरपेक्षता धर्म विरोधी है तथा धार्मिक पहचान के लिए खतरा पैदा करती है।

– पश्चिम से आयातित है।
– अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी करती है। अल्पसंख्यकवाद का आरोप मढ़ा जाता है।
– वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है।
– अतिशय हस्तक्षेपकारी क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्यसत्ता समर्थित धार्मिक सुधार की इजाजत देती है।

असंभव परियोजना:–

– धर्म निरपेक्षता की नीति बहुत कुछ करना चाहती है परन्तु यह परियोजना सच्चाई से दूर है जो असम्भव है।
– अनेक आलोचनाओं के बाद भी भारत की धर्म निरपेक्षता की नीति भविष्य की दुनिया का प्रतिबिम्ब प्रस्तुत करती हैं। भारत में महान प्रयोग किए जा रहें है। जिसे पूरा विश्व चाव से देखता है। यूरोप अमेरिका तथा मध्यपूर्व के कुछ देश धर्म संस्कृति की विविधता से भारत जैसे दिखने लगे है।

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्न:–

1. धर्म निरपेक्षता क्या है।
2. धर्मनिरपेक्ष/पंथनिपेक्ष राज्य किसे कहते हैं?
3. क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष/पंथनिरपेक्ष राज्य हैं?
4. ''अतातुर्क'' का क्या अर्थ है?
5. ''मुस्तफा कमाल पाशा'' ने अपना नाम क्या रखा था?
6. भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था?
7. भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत दी गई हैं?
8. धर्मनिरपेक्ष राज्य की एक विशेषता लिखिए।
9. ''सांप्रदायिकता'' से क्या अभिप्राय है?
10. भारतीय लोकतंत्र को सांप्रदायिकता से क्या खतरा है?
11. भारत किस प्रकार का राज्य है?

    (a) हिंदू राज्य (b) मुस्लिम राज्य
    (c) धार्मिक राज्य (d) धर्मनिरपेक्ष राज्य

12. धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषता हैं:

(a) राज्य को कोई धर्म नहीं होता (b) धार्मिक स्वतंत्रता

(c) सभी धर्मों में समानता (d) उपर्युक्त सभी

13. आजाद भारत में ''सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण''। यह कथन किसका है?

(a) महात्मा गांधी का (b) डॉ बी.आर. अंबेडकर का

(c) जवाहरलाल नेहरू का (d) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का

14. भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना का एक कारण है:

(a) राज्य का अपना कोई धर्म नहीं

(b) संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है

(c) अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पैरवी करती है

(d) भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करता है

15. धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में बाधा है?

(a) सांप्रदायिक पार्टियां (b) सांप्रदायिकता

(c) जातिवाद (d) उपर्युक्त सभी

16. निम्नलिखित कथन को सही करके पुनः लिखिए।

''धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग चार से संबंधित है।''

17. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।

जवाहर लाल नेहरू जी स्वयं किसी का अनुसरण नही करते थे। ईश्वर में उनका विश्वास ही नहीं था लेकिन उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म के प्रति विद्वेष नहीं था। इस अर्थ में नेहरू तुर्की के अतातुर्क से काफी भिन्न थे। साथ ही, वे धर्म और राज्य के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में भी नहीं थे। उनके विचार के अनुसार, समाज में सुधार के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। जातीय भेदभाव, दहेज प्रथा और सती प्रथा की समाप्ति के लिए कानून बनवाने तथा देश की महिलाओं को कानूनी अधिकार और सामाजिक स्वतंत्रता मुहैया कराने में नेहरू ने खुद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

17.1 नेहरू जी के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है?

(a) राज्य का अपना धर्म विशेष होगा

(b) राज्य द्वारा सभी धर्मों का समान संरक्षण होगा

(c) राज्य धर्म के लिए कानून बनाएगा

(d) उपर्युक्त कोई नहीं

17.2 नेहरू जी किस धर्म का अनुसरण करते थे?

(a) जवाहरलाल नेहरू जी हिंदू धर्म का अनुसरण करते थे

(b) जवाहरलाल नेहरू जी बौद्ध धर्म का अनुसरण करते थे

(c) जवाहरलाल नेहरू जी ईसाई धर्म का अनुसरण करते थे

(d) जवाहरलाल नेहरू जी स्वयं किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे

17.3 नेहरू जी का तुर्की के अतातुर्क से संबंध थाः

(a) अतातुर्क के अनुयाई थे

(b) अतार्तुक के सहयोगी थे

(c) अतातुर्क के विचारों से भिन्न विचार रखते थे

(d) अतातुर्क के विरोध थे

17.4 धर्म और राज्य के बीच संबंधों को लेकर नेहरू जी के विचार थेः

(a) नेहरू जी धर्म और राज्य के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में थे

(b) नेहरू जी धर्म और राज्य के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में नहीं थे

(c) नेहरू जी धर्म और राज्य को दो अलग–अलग दृष्टिकोण से देखते थे

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

खाली स्थान भरोः

18. धर्मनिरपेक्ष राज्य उसे कहते हैं, जो किसी .... पर आधारित न हो?

19. धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी लोगों को धर्म की .... प्राप्त होती है।

20. भारतीय संविधान के अनुच्छेद .... के अनुसार सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है।

21. 1976 में .... संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़कर भारत को स्पष्ट शब्दों में धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया।

22. नेहरू जी भारतीय धर्मनिरपेक्षता के .... थे।

23. निम्नलिखित प्रत्येक कथन के आगे सही अथवा गलत लिखिएः

(a) भारत एक धर्म तांत्रिक राज्य है

(b) पाकिस्तान एकधर्म तांत्रिक राज्य है

(c) भारत में अलग–अलग जातियों और वर्गों के साथ अलग–अलग व्यवहार किया जाता है।

(d) 1928 में नई तुर्की वर्णमाला को संशोधित लेटिन रूप में अपनाया गया

(e) सांप्रदायिकता समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करती है

दो अंकीय प्रश्नः—

1. धर्म शब्द का क्या अर्थ है?
2. धर्म निरपेक्षता बनाए रखने के दो उपाय बताओ?
3. भारतीय धर्म निरपेक्षता की क्या विशेषता है?
4. धर्म में राज्य की सैद्धान्तिक दूरी से आप क्या समझते है?
5. धर्म निरपेक्षता की दो कमियां लिखो?
6. 20वीं शताब्दी में तुर्की में किस तरह धर्म निरपेक्षता को अपनाया गया?
7. अंतधार्मिक वर्चस्व का अर्थ स्पष्ट करे?
8. पश्चिमी धर्म निरपेक्षता का मूल मंत्र क्या है? ये वर्चस्ववाद का उदाहरण कैसे हैं?
9. किसी अल्पसंख्यक समुदाय को अपने पृथक शैक्षिक संस्था बनाने की अनुमति होना क्या धर्म निरपेक्षता है? कारण बताइए?

चार अंकीय प्रश्नः—

1. धर्म निरपेक्षता की भारतीय अवधारणा तथा पश्चिमी अवधारणा में क्या अन्तर है?
2. सम्प्रदायिकता का क्या अर्थ है? इसे रोकने के उपाय बताइए?
3. भारत में धर्म निरपेक्षता अपनाने के क्या कारण है?
4. धर्म निरपेक्ष राज्य की आलोचना क्यों की जाती है?

पांच अंकीय प्रश्नः—

1. दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीएिज और प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

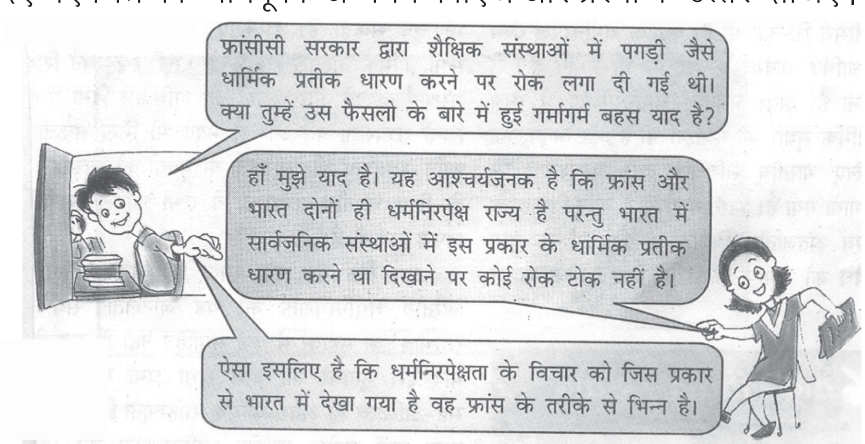

1) फ्रांसीसी सरकार ने शैक्षिक संस्थाओं पर क्या रोक लगा दी। (2)

2) क्या फ्रांस धर्म निरपेक्ष राज्य है? (1)

3) धर्मनिरपेक्षता के विचार में फ्रांस तथा भारत में क्या अन्तर है? (2)ज

छः अंकीय प्रश्नः—

1. भारतीय धर्म निरपेक्षता की आलोचना के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए।
2. भारतीय धर्म निरपेक्षता का जोर धर्म और राज्यों के अलगाव पर नहीं अपितु उससे अधिक किन्हीं बातों पर है। इस कथन को समझाइए?
3. क्या धर्म निरपेक्षता नीचे लिखी बातों के लिए न्याय संगत है?
   (i) अल्पसंख्यक समुदाय के तीर्थ स्थल के लिए आर्थिक अनुदान देना?
   (ii) सरकारी कार्यालयों में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करना?

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सरकार/राज्य का यह कर्तव्य है कि विभिन्न धर्मों के बीच बिना भेदभाव के सभी को समान अवसर प्रदान करना।
2. धर्मनिरपेक्ष/पंथनिरपेक्ष राज्य वह होता है, जिसका अपना कोई धर्म/पंथ नहीं होता तथा जो अपने नागरिकों पर कोई धर्म/पंथ का पालन करने का दबाव नहीं डालता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य न तो धर्म–तांत्रिक होते हैं, और न ही किसी खास धर्म की स्थापना करते हैं।
3. हां, भारत एक धर्मनिरपेक्ष/पंथनिरपेक्ष राज्य है। इसका वर्णन आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही मिल जाता है। भारत में प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है।
4. ''अतातुर्क'' का अर्थ होता है, ''तुर्कों का पिता''।
5. मुस्तफा कमाल पाशा ने अपना नाम बदलकर ''कमाल अतातुर्क'' रख लिया था।
6. भारतीय संविधान में पंथनिपरेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था।
7. भारतीय संविधान में धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत दी गई है।
8. धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। वह किसी धर्म विशेष का संरक्षण नहीं करना और न ही कानूनों का निर्माण धर्म के आधार पर करता

है।

10. भारत में अराजकतावादी तत्वों द्वारा सांप्रदायिक दंगे करवाए जाते हैं, तब भारत का लोकतंत्र प्रभावित होता है तथा इससे सामाजिक प्रगति में बांधा उत्पन्न होती है।

11. (d) धर्मनिरपेक्ष राज्य

12. (d) उपर्युक्त सभी

13. (c) जवाहरलाल नेहरू का

14. (c) अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पैरवी करती है

15. (d) उपर्युक्त सभी

16. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग तीन से संबंधित है

17.1 (b) राज्य द्वारा सभी धर्मों का समान संरक्षण होगा

17.2 (d) जवाहरलाल नेहरू जी स्वयं किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे।

17.3 (c) अतातुर्क के विचारों से भिन्न विचार रखते थे।

17.4 (b) नेहरू जी धर्म और राज्य के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में नहीं थे

खाली स्थान भरोः

18. धर्म

19. स्वतंत्रता

20. अनुच्छेद 25

21. 42वां संविधान संशोधन

22. दार्शनिक

23. (a) गलत (b) सही (c) गलत (d) सही (e) सही।

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. कर्त्तव्य का पालन करना

   धर्म के अनेक पंथ सम्महित होते है।

2. i) राज्यसत्ता चलाने वाला किसी धर्म से सम्बन्धित न हो।

   ii) किसी धर्म की तरफदारी न करना।

3. बिना किसी धार्मिक भेदभाव के संविधान में समानता का अधिकार, सभी को अपना धर्म मानने की छूट, कानून के समक्ष समानता बगैर धर्म की परवाह के।

4. राज्य का अपना कोई धर्म नहीं।

5. i) वोट बैंक की राजनीति।

   ii) एक असंभव परियोजना।

6. i) मुस्लमान की एक विशेष टोपी पहनने पर रोक।

   ii) पश्चिमी पोशाक पहनने पर बल।

7. i) विशेष धर्म के अन्दर किसी विशेष समुदाय का बोल बाला या मनमानी करवाना।

   ii) महिलाओं तथा दलितों का शोषण व भेदभाव

8. i) धर्म तथा राजसत्ता का सम्बन्ध अलग–अलग।

   ii) दोनों एक दूसरें में हस्ताक्षेप नहीं करते।

   iii) इंटरनेट का प्रयोग, पश्चिमी पोशाक का पहनना मैकडोन्लड का खाना पीना जैसी लाखों चीजों का प्रचलन वर्चस्ववाद कहलाता है।

9. हाँ, धर्म निरपेक्षता है क्योंकि अनुच्छेद 29 के अनुसार, अल्पसंख्यकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है।

   अनुच्छेद 31 अल्पसंख्यक तथा अन्य सभी अपनी रूचि की शिक्षा प्राप्त कर सकते है।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. i) भारत में धार्मिक सहनशीलता है जो पश्चिमी देशों में नहीं है।

   ii) विभिन्नता के साथ भेदभाव नहीं, अल्पसंख्यकों को सरंक्षण प्रदान।

2. अपने धर्म को अधिक महत्व देना दूसरे धर्म को हीन समझना।

   i) भेदभाव करने वाली राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त करना।

   ii) अधिकारियों को दण्डित करना

   iii) शिक्षा सामग्री में बदलाव

   iv) भेदभाव पैदा करने वाले समाचारों पर रोक

3. विभिन्न भाषा, जाति, धर्म के लोगों ने बंधुता समानता एकता बनाए रखने के लिए।

4. i) धर्म निरपेक्षता एक असंभव परियोजना मानी जाती है।

   ii) वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा मिलता है।

iii) अल्पसंख्यकों संख्यकों को आर्थिक सहायता जो समानता के अधिकार का विरोध

पांच अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. i) पगडी पहनने पर, बुर्का पहनने पर, धार्मिक प्रतीकों पर रोकं

ii) फ्रांस धर्म निरपेक्ष का यूरोपीय मॉडल है।

iii) — फ्रांस धर्म के प्रतीकों पर रोक लगाता है भारत नहीं

— भारत मे ंअपने धर्म का प्रचार—प्रसार कर सकते हैं परंतु फ्रांस में नही।

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. 1. धर्म विरोधी, 2. पश्चिम से आयतित, 3. अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा, 4. हस्तक्षेपकारी, 5. वोट बैंक की राजनीति एक असंभव परियोजना।

2. लोगों में प्रेम, बंधुता, एकता की भावना पैदा करना, अखण्डता को बचाना, अल्पसंख्यक लोगों की संस्कृति भाषा का विकास।

3. i) हां, ये न्यायसंगत है, ताकि अल्पसंख्यक अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें आर्थिक रूप से पिछड़ों की भावनाओं का आदर।

ii) नहीं, ये धर्म निरपेक्षता के विरूद्ध है क्योंकि सरकारी कार्यालय किसी विशेष धर्म का अनुष्ठान करना अन्य धर्मों का विरोधी है।

अध्याय 17

शांति

मुख्य बिंदुः शांति क्या है? संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप, हिंसा की समाप्ति शांति और राज्यसत्ता, समकालीन चुनौतियां

शांति → शांति का अर्थ हैं, युद्ध, दंगा, नरसंहार, कत्ल या सामान्य शारीरिक प्रहार समेत सभी प्रकार के हिंसक संघर्षों की अनुपस्थिति

जर्मन दार्शनिक नीत्शे युद्ध का पक्षकार था उसका मानना था कि सिर्फ संघर्ष ही सभ्यता की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकता हैं इटली के समाज सिद्धांतकार विल्फ्रेड़ो पैरेटो का मानना था कि अधिकतर समाजों में शासक वर्ग का निर्माण सक्षम और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार लोगों से होता है।

शांति को लगभग सभी धार्मिक उपदेशों में केंद्रीय स्थान प्राप्त हैं आधुनिक काल में भी लौकिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में शांति के प्रबल पैरोकार रहे हैं इसके बावजूद बीसवीं सदी में अशांति के अनेक उदाहरण देखने को मिले हैं जिसे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, भारत–पाकिस्तान युद्ध, जर्मनी द्वारा लन्दन पर बमबारी करना।

उन्नत तकनीक जहां एक और शांति के विकास में सहायक हैं वहीं दूसरी और विश्व युद्धों और अन्य युद्धों में विध्वंस का कारण बना था जापान के हिरोशिमा और नागासाकी ऐसे ही विध्वंस के उदाहरण हैं जिन्हें दुनिया भूल नहीं सकती।

संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप

1. जाति व्यवस्था पर आधारितः परम्परागत जाति व्यवस्था कुछ खास जातियों को स्पर्श के योग्य नहीं माना गया था उनके साथ गैर बराबरी का व्यवहार किया जाता था आजादी के पश्चात कानून बनाकर इसे समाप्त कर दिया गया हैं।
2. पितृसत्ता पर आधारितः पितृसत्ता स्त्रियों को अपने अधीन बनाये रखती थी एवं उनके साथ भेदभाव करती थी जैसेः कन्य भ्रूणहत्या, अपर्याप्त पोषण व दहेज।
3. उपनिवेशवादः उपनिवेशवाद वैसे तो समाप्त हो गया लेकिन यह अन्य रूपों में

आज भी मौजूद हैं इजरायली प्रभुत्व के खिलाफ फिलिस्तीनी संघर्ष, यूरोपीय देशों के पूर्व के उपनिवेशों का आज भी शोषण हो रहा हैं।

4. रंगभेद, साम्प्रदायिकता व नस्ल आधारित संघर्ष आज भी देखने को मिल जाते हैं 1865 तक अमेरिका में गुलाम बनाने की प्रथा थी, हिटलर के समय जर्मनी में यहूदियों का कत्लेआम तथा दक्षिण अफ्रीका में 1992 तक बहुसंख्यक अश्वेतों के खिलाफ दोयम दर्जे का व्यवहार होता रहा है।

हिंसा की समाप्ति

सयुंक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनिसेफ) का मानना हैं कि ''चूँकि युद्ध का आरम्भ लोगों के दिमाग में होता हैं, इसलिए शांति बचाव भी लोगों के दिमाग में ही रचे जाने चाहिए'' शांति एक ही बार में हमेशा के लिए हासिल नहीं की जा सकती शांति कोई अंतिम स्थिति भी नहीं हैं बल्कि ऐसी प्रक्रिया हैं मानव कल्याण की वह अवस्था जो निरंतर चलती रहती हैं।

क्या हिंसा कभी शांति को प्रोत्साहित कर सकती हैं?

अक्सर ऐसा माना जाता हैं कि हिंसा एक बुराई हैं लेकिन कभी यह शांति लाने की यह एक अनिवार्य शर्त होती हैं यह तर्क दिया जाता हैं कि तानाशाहों और उत्पीड़कों को जबरदस्ती हटाकर ही जनता को नुकसान होने से बचाया जा सकता हैं अच्छे मकसद से शुरू की गई हिंसा को भी जायज नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि एक बार हिंसा शुरू होने के बाद नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं और अपने पीछे मौत और बर्बादी की श्रंखला छोड़ जाती हैं।

शांति और राज्यसत्ता

हर राज्य अपने को पूर्णतः एवं सर्वोच्च इकाई के रूप में देखता हैं शांति का अनुसरण करने के लिए जरूरी होता हैं कि हम स्वयं को वृहतर मानवता के एकहिस्से के रूप में देखें राज्य से यह अपेक्षा हैं कि वह सेना व पुलिस का प्रयोग अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए करेगा समस्याओं का दीर्घकालीन समाधान सार्थक लोकतांत्रिकरण और अधिक नागरिक आजादी की कारगर पद्धति में हैं।

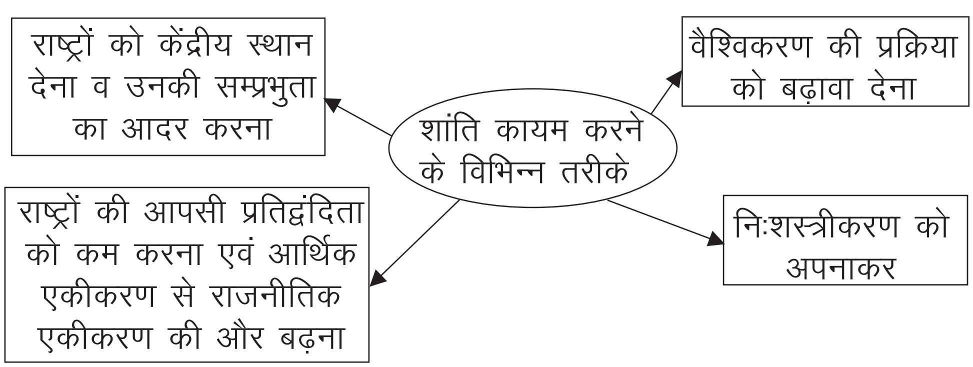

समकालीन चुनोतियाँ

- शक्तिशाली राष्ट्रों ने अपनी संप्रभुता का प्रभावपूर्ण प्रदर्शन किया हैं जैसे इराक में अमेरिका का दखल
- आक्रामक राष्ट्रों के स्वार्थपूरक आचरण द्वारा आतंकवाद का उदयः आतंकवादियों द्वारा जैविक, रासायनिक और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल की आशंका
- अन्तर्राष्ट्रीय हस्तेक्षप न होनाः अफ्रीका में 1994 में पांच लाख तुत्सी लोगों को हुतू लोगों ने मार डाला और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्न–

1. शांति से क्या अभिप्राय है?
2. शांति क्यों जरूरी होती हैं?
3. शांति के मार्ग की कोई 2 बाधाएें लिखें।
4. संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या हैं?
5. संरचनात्मक हिसां का क्या अर्थ है?

प्रश्न संख्या 6 से 10 में खाली स्थान भरो–

6. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना .... को हुई।
7. युनिसेफ का पूर्ण रूप .... है।
8. अमेरिका में काले लोगों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने वाले .... थे।
9. भारत में अहिंसा का सबसे बड़ा समर्थक .... थे।
10. जर्मन दार्शनिक .... युद्ध की महिमामंडित करता था।

प्रश्न संख्या 11 से 15 में वाक्य सही या गलत बताओ–

11. इंग्लैंड ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी की थी।
12. शांति का अर्थ होता हैं युद्ध की अनुपस्थिति।

13. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना शांति स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी।

14. हिंसा सदैव शांति की प्रोत्साहित करती हैं।

15. शांति स्थापित करने के लिए निःशस्त्रीकरण अपनाना जरूरी हैं।

दो अंकीय प्रश्न–

1. असमानता किस प्रकार शांति को हानि पहुंचा सकती है?
2. हमारे समाज में हिंसा बढ़ने या पनपने के क्या कारण है?
3. हिंसा को कैसे समाप्त किया जा सकता है?
4. शांति स्थापना में राज्य का क्या सम्बन्ध है?
5. निः शस्त्रीकरण से आप क्या समझते है?
6. लोग शांति का गुणगान क्यों करते हैं?

चार अंकीय प्रश्न–

1. अहिंसा से क्या अभ्रिपाय है?
2. राज्य किस प्रकार शांति कायम रख सकते है?
3. शांति कायम करने वाले विश्व के चार क्षेत्रों के बारे में लिखें, जहां परमाणु हथियारों पर पांबदी है?
4. आपके विचार से शांति को लम्बे समय तक किस प्रकार बनाऐ रखा जा सकता है?
5. अवतरण को पढ़े तथा प्रश्नों के उत्तर दें।

   शांति की परिभाषा अक्सर युद्ध की अनुपस्थिति के रूप में की जाती है। शांति को इसकी परिभाषा युद्ध, दंगा, नरसहांर, कत्ल या सामान्य शारीरिक प्रहार समेत सभी प्रकार के हिंसक संघर्षो के अभाव के रूप में भी देखा जा सकता है। यही परिभाषा बेहतर भी है।

   (1) शांति की पहली परिभाषा उक्त अवतरण में क्या दी गयी हैं?

   (2) शांति की दूसरी परिभाषा क्या है?

   (3) किसी भी समाज में शांति की स्थापना क्यों आवश्यक है?

   (4) संरचनात्मक हिंसा के कोई दो रूप बतायें।

पांच अंक वाले प्रश्न–

1. दावा किया जाता हे कि हिंसा एक बुराई है लेकिन कभी–कभी यह शांति लाने की अपरिहाय पूर्वशर्त जैसी होती है। शांतिवादियों का मकसद लड़ाकुओं की क्षमता को कम करके आंकना नहीं, प्रतिरोध के अहिंसक स्वरूप पर बल देना है। गांधी जी ने न्याय को अपना आधार बनाया और विलायती शासकों के अंतःकरण को आवाज दी। उन्होंने नैतिक व राजनैतिक दबाव बनाने के लिये जन आन्दोलन चलाए। मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में काले लोगों के साथ भेदभाव के खिलाफ आन्दोलन 1960 में शुरू किया था।
   - (i) उपरोक्त पक्तियां किस ओर इशार करती है। (अपने शब्दों में लिखें)
   - (ii) गांधी जी किस प्रकार के आन्दोलन के समर्थक थे?
   - (iii) क्या हिंसा भी कभी शांति का कारण बन सकती है?
2. (i) स्थायी शांति से क्या तात्पर्य है?
   - (ii) शांति का मकसद स्पष्ट करें?
   - (iii) कोई दो प्रश्न स्वयं बनाऐं। व उनके उत्तर लिखें।

अमन कायम करने का तरीका हिंसा के जिम्मेदार लोगों को सजा देना है?

नहीं, हिंसा रोकने के लिए प्रतिहिंसा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हम स्थायी शांति केवल शांतिपूर्ण तरीकों पर जोर देकर ही ला सकते है।

तुम शांति के दूत की तरह बोल रहे हो। क्या तुम अपने छोटे भाइयों के साथ इस तरह के शांतिपूर्ण तरीकें अपनाते हो या वहां...........................

छः अंक वाले प्रश्न–

1. संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप कौन–कौन से है?
2. शांतिकायम करने के विभिन्न तरीके लिखें।
3. विश्व के सम्मुख विद्यमान चुनौतियों का संक्षिप्त विवरण लिखें जिनका सम्बन्ध शांति से हो।
4. ऐसे छः क्षेत्रों के नाम लिखें जहां परमाणु हथियारों पर पाबन्दी है?

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. युद्ध रहित व्यवस्था अर्थात् युद्धों का अभाव।
2. विकास के लिये जरूरी।
3. आंतकवादी व शस्त्रों की होड़।
4. विश्व में शांति लाना
5. जाति, धर्म, नस्ल, रंग, लिंग पर आधारित हिंसा।
6. 24 अक्टूबर 1945
7. यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेनस फण्ड
8. मार्टिन लथर किंग
9. महात्मा गांधी
10. नीत्शे
11 गलत
12. सही
13. सही
14. गलत
15. सही

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. शांति व समरसतापूर्ण सम्बन्धों को अभाव होगा, प्रतिद्वन्द्विता एवं घृणा का साम्राज्य होगा।
2. (i) जातिगत, साम्प्रदायवाद क्षेत्रवाद ....
   (ii) आपसी ईर्ष्या व स्वार्थपरकता।
3. लोगों के मस्तिष्क व आत्मा से हिंसक सोच को हटाना होगा। करूणा, ध्यान व आत्ममन्थन के द्वारा।
4. (i) माानव जाति के साथ समान व्यवहार।
   (ii) शांति व मानव कल्याण हेतु राज्य बल का प्रयोग।
5. हथियार न बनना अथवा उनको सीमित करना।
6. इसके अभाव में उन्होंने बहुत कुछ खोया है।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. आन्तरिक या बाहरी किसी भी प्रकार की हिंसा न होना। (व्याख्या कीजिए)
2. (i) कानूनों का निर्माण कर
   (ii) अधिकारों की रक्षा कर।
   (iii) अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा
   (iv) बाहरी आक्रमणों से रक्षा
3. मानचित्र में अंकित हैं।
4. (i) अन्तर्राष्ट्रीय कानून
   (ii) सम्प्रभुत्ता का सम्मान
   (iii) निःशस्त्रीकरण
   (iv) शक्ति संतुलन
   (v) सामूहिक उत्तरदायित्व
   (vi) जनमत (कोई चार)

पाँच अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. (i) शांति की अवधारणा के संदर्भ में।
   (ii) अहिंसावादी आन्दोलन।
   (iii) हाँ, बन सकती है कभी–कभी।
2. (i) युद्ध न होने की स्थिति, हिंसक संघर्षों का अभाव।
   (ii) ऐसी स्थिति जहाँ किसी प्रकार का तनाव न होना।
3. विद्यार्थी स्वयं बनाएंगे।

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. (i) जातिगत व्यवस्था
   (ii) पितृस्तात्मक व्यवस्था
   (iii) उपनिवेषवाद
   (iv) रंगभेद आधारित हिंसा आदि

2. (i) संप्रभुता का आदर करना।
   (ii) परस्पर निर्भरता का आदर।
   (iii) निःशस्त्रीकरण (सभी का वर्णन)

3. (i) दबंग राष्ट्रों का प्रभाव।
   (ii) आंतकवाद
   (iii) अन्तर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप
   (iv) हथियारों की होड (सभी का वर्णन)

4. मानचित्र की सहायता से विद्यार्थी स्वयं करें। पाठ में ही प्रश्न का उत्तर है स्वयं खोजें।

अवतरण आधारित उत्तर

1. शांति की पहली परिभाषा में उद्‌धृत है युद्ध का अभाव।
2. दूसरी परिभाषा—युद्ध, दंगा, नरसंहार, कत्ल, सामान्य शारिरिक प्रहार समेत सभी प्रकार के हिंसक संघर्षो के अभाव के रूप में देखना
3. आपसी सहयोग हेतु, शांति के फलस्वरूप ही मानवता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का क्रियान्वयवन सम्भव
4. पितृ सत्ता के आधार पर हिंसा रंगभेद व साम्प्रदायिकता के आधार पर हिंसा

अध्याय 18
विकास

मुख्य बिन्दुः

विकास क्या है? विकास की चुनौतियां, विकास का मॉडल, विकास के मॉडल की आलोचना, विकास की वैकल्पिक अवधारणाएँ।

विकास से अभिप्राय → सामान्यतः विकास का अर्थ आर्थिक विकास की दर में वृद्धि और समाज का आधुनिकीकरण हैं

विकास शब्द अपने व्यापक अर्थ में उन्नति, प्रगति, कल्याण और बेहतर जीवन की अभिलाषा रखता हैं इसमें आर्थिक उन्नति के साथ–साथ जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि को भी शामिल किया जाता है।

विकास की चुनौतियाँ → 1950 और 1960 के दशक में बहुत सारे एशियाई और अफ्रीकी देशों ने आजादी आसिल की थी तब उनका मुख्य लक्ष्य गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी और निरक्षरता जैसी बुनियादी समस्याओं का समाधान करना था

विकास का प्रचलित मॉडलः–

– अविकसित या विकासशील देशों ने पश्चिमी यूरोप के अमीर देशों और अमेरिका से मुकाबला करने के लिए औद्योगीकरण , कृषि और शिक्षा के आधुनीकीकरण एवं विस्तार के जरिए तेज आर्थिक उन्नति का लक्ष्य निर्धारित किया और यह सिर्फ राज्य सत्ता के माध्यम से ही संभव है।

– भारत एवं अनेक विकासशील देशों ने विकसित देशों की मदद से अनेक महत्वकांक्षी योजनाओं को शुरू किया।

– देश के विभिन्न हिस्सों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना, खनन, उर्वरक उत्पादन और कृषि तकनीकों में सुधार जैसी अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं के माध्यम से देश की संपदा में बढोतरी करना व आर्थिक विकास की प्रक्रिया

को तेज करना था।

– इस मॉडल से विकास के लिए उर्जा का अधिकाधिक उपयोग होता है जिससे इसकी कीमत समाज और पर्यावरण दोनों को चुकानी पड़ती है।

विकास के मॉडल को आलोचनाएँ →

विकास का मॉडल विकासशील देशों के लिए काफी महंगा साबित हुआ हैं इसमें वित्तीय लागत बहुत अधिक रही हैं जिससे वे दीर्घकालीन कर्जे के जाल में फंस गए हैं

बड़े बांधों के निर्माण, औधोगिक गतिविधियों और खनन कार्यों की वजह से बड़ी संख्या में लोगों को उनके घरों और क्षेत्रों से विस्थापन करना पड़ा हैं विस्थान का परिणाम आजीविका खोने और गरीबी में वृद्धि के रूप में सामने आया।

विस्थापन से लम्बी अवधि में अर्जित परम्परागत कौशल नष्ट हो जाता हैं विस्थापन से संस्कृति का विनाश हुआ हैं क्योंकि जब लोग नई जगह जाते हैं तो वे अपनी पूरी सामाजिक जीव पद्धति खो बैठते हैं।

बड़े–बड़े बांधों के कारण विशाल भू भाग पानी में डूब जाते हैं इससे परिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता हैं एवं बहुत सारे लोगों की आजीविका छिन जाती हैं।

वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से आर्कटिक और अन्टार्कटिक ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही हैं इससे बाढ़ आने व निम्न भूमि वाले क्षेत्र जैसे बांग्लादेश और मालदीव के डूबने की आशंका हैं।

विकास का फायदा विकासशील देशों में निम्न स्तर तक नहीं पहुंच पाया हैं इस कारण समाज में आर्थिक असमानता बढ़ गई हैं सर्वाधिक गरीब एवं वंचित तबकों के जीवन स्तर में सुधार नहीं आया हैं।

विकास की वैकल्पिक अवधारणाः

लोकतान्त्रिक सहभागिता के आधार पर विकास की रणनीतियों में स्थानीय निर्णय लेने वाली संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना।

ऊपर से नीचे विकास की रणनीति को त्यागना एवं विकास की प्राथमिकताओं रणनीतियों के चयन व परियोजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन में स्थानीय लोगों के अनुभव को महत्व देना और उनके ज्ञान का उपयोग करने के लिए उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना।

न्यायपूर्ण और संसाधनों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के प्रयास किये जाने चाहिए

प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के प्रयास किये जाने चाहिए।

हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए एवं उन साधनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए जिनका नवीनीकरण नहीं हो सकता।

पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली प्रोद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

मानव विकास सूचकांक मानव विकास को मापने का एक तरीका हैं, मानव विकास प्रतिवेदन को वार्षिक तौर पर सुंयक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रकाशित करता हैं।

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्नः—

1. विकास से क्या तात्पर्य है?
2. विकास की प्रचालित अवधारणा किस नियम पर आधरित है?
3. विकास का उद्देश्य क्या है?
4. विकास के प्रमुख प्रतिरूप कौन—से है?
5. सतत विकास से क्या समझते हैं?

प्रश्न संख्या 6 से 10 खाली स्थान भरिएः—

6. लोक कल्याणकारी राज्य .... कार्य करता है।
7. आज विश्व विकास के .... मॉडल का अनुसरण कर रहा है?
8. बड़ी परियोजनाओं के परिणामस्वरूप मुख्य रूप से .... वर्ग के लोग विस्थापित होते है?
9. बड़ी परियोजनाओं के विरूद्ध चलाए गए किसी एक आंदोलन का नाम .... बताइए।
10. UNDP का पूरा नाम ....

प्रश्न संख्या 11 से 15 में सही या गलत की पहचान कीजिए—

11. भारत में विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरूआत की गई थी।
12. नर्मदा बचाओं आंदोलन नर्मदा नदी पर पुल बनाने को लेकर हो रहा है।
13. वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से अंटार्कटिक की बर्फ

पिघल रही हैं।

14. विकास का अर्थ केवल आर्थिक उन्नति होता है।

15. ग्रीन पीस और वर्ल्ड वाइड लाइफ फण्ड पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन हैं।

दो अंकीय प्रश्नः—

1. विकास की वह कीमत जो समाज को चुकानी पड़ी है — स्पष्ट करें।
2. अविकसित देशों के निवासियों को जीवन स्तर किस प्रकार का होता है?
3. 1950 के दशक में भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत किस प्रकार की परियोजनाएं बनाई?
4. 'मानव विकास प्रतिवदेन' क्या है?
5. विकास की 'ऊपर से नीचे' की रणनीति के महत्वपूर्ण क्या रहे है?
6. विकास का मॉडल विकासशील देशों ने अपनाया उसकी आलोचना किस आधार पर की जाती है?
7. विकास को मापने के वैकल्कि तरीके की धारणा का संक्षेप में स्पष्ट करें?
8. विकास की विकेन्दीकृत पद्धति क्या है?

चार अंकीय प्रश्नः—

1. 'टिकाऊ विकास' की अवधारणा क्या है?
2. विकास की प्रक्रिया ने किन नए अधिकारों के दावों को जन्म दिया है?
3. सरदार सरोवर परियोजना के तहत बनने वाले बांधों के समर्थकों का क्या दावा है?
4. वास्तव में विकास की वजह से अनेक देशों में पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है और इसके परिणामों को विस्थापित लोग ही नहीं पूरी आबादी महसूस करने लगी है जब दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर सुनामी ने कहर ढाया तो यह देखा गया कि तटीय वनों के नष्ट होने व और समुद्र तट के निकट वाणिज्यिक उद्यमों के स्थापित होने के कारण ही नुकसान इतना अधिक हुआ।

   (1) विकास क्या है।

   (2) विकास से पर्यावरण को क्या नुसान हुआ है।

   (3) तत्कालीन कोई एक पर्यावरण संकट बताओं?

   (4) विकास का समाज पर नकारात्मक प्रभाव बताओं।

पांच अंकीय प्रश्नः—

1. 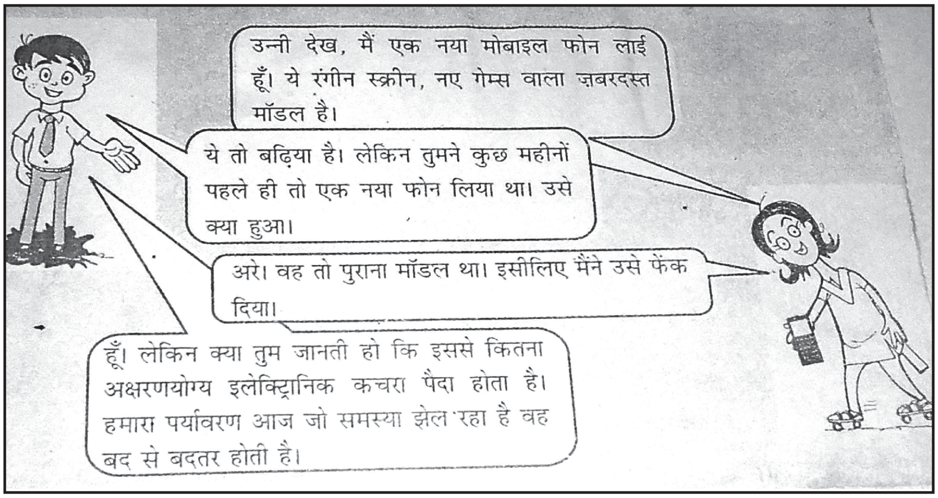

दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए—

क) विकास का मापन किस आधार पर किया जाना चाहिए?

ख) विकासशील देशें की समस्याएं क्या है?

ग) इलेक्ट्रानिक कचरे के अतिरिक्त किन कारणों से पर्यावरण को हानि होती है?

छः अंकीय प्रश्नः—

1. सतत् विकास किसे कहते हैं? व्याख्या करें।
2. विकास के समाज पर पड़ने वाले कुप्रभावों का वर्णन करें।
3. मानव विकास सूचकांक और भारत की स्थिति का वर्णन करें।

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. विकास शब्द अपने व्यापक अर्थ में उन्नति, प्रगति, कल्याण और बेहतर जीवन की अभिलाषा रखता है। इसमें आर्थिक उन्नति के साथ—साथ जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि को भी शामिल किया जाता है।
2. यह अवधारणा ऊपर ने नीचे के नियम पर आधारित है समाज में लाभ ऊपर से नीचे की और रिस—रिस कर समाज के सबसे निर्धन और वंचित वर्गों पर पहुंचेगा।
3. अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता लाना तथा रोजगार में वृद्धि करना।
4. बाजार व्यवस्था के प्रतिरूप, कल्याणकारी राज्य प्रतिरूप, विकास समाजवादी प्रतिरूप, विकास का गांधीवादी प्रतिरूप।
5. विकास इस प्रकार से होने चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहे।
6. जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है।
7. बाजार अर्थव्यवस्था का मॉडल।
8. आदिवासी व दलित
9. नर्मदा बचाओं आन्दोलन
10. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
11. सही
12. गलत
13. सही
14. गलत
15. सही

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए जिससे उनको आजीविका के साधन खोने पड़े है और उनके सांस्कृति को विनाश हुआ है क्योंकि नई जगहों पर जाने के कारण लोग अपनी पूरी सामुदायिक जीवन पद्धति खो बैठते है।
2. इनका जीवनस्तर निम्नस्तर का होता है क्योंकि इनको शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं कम प्राप्त होती है।
3. भारत ने भाखँड़ा नांगल बांध देश के विभिन्न भागों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना, खनन, उर्वरक उत्पादन और कृषि तकनीकों में सुधार जैसी वृहत परियोजनाएं बनाई।
4. 'मानव विकास प्रतिवेदन' संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम द्वारा विकास को मापने का एक नया तरीका है। इसमें साक्षरता और शैक्षिक स्तर, आयु संभाविता और मातृ–मृत्यु दर जैसे विभिन्न सामाजिक संकेतकों के आधार पर देशों का दर्जा निर्धारित किया जाता है।
5. (i) यह रणनीति अत्याधिक महंगी साबित हुई इसकी वित्तीय लागत बहुत अधिक होने के कारण विकासशील देशों को विकसित देशों से आर्थिक सहायता और कर्ज लेना पड़ा।
   (ii) काफी अधिक संख्या में लोगों के उनके घरों और क्षेत्रों से विस्थापित होना पड़ा। संस्कृति और अजीविका की हानि हुई।
6. विकास की संकीर्ण अर्थों में परिभाषा आर्थिक विकास की दर में वृद्धि और समाज का आधुनिकीकरण के संदर्भ में की जाती है। इसे पहले से निर्धारित लक्ष्यों या बांध, उद्योग व अस्पताल जैसी परियोजनाओं को पूरा करने से जोड़कर देखा जाता हैं। जिससे समाज के कुछ हिस्से ही लाभान्वित हो पाते है।
7. (i) विकास का टिकाऊ होना।
   (ii) लोकतांत्रिक मॉडल पर विकास।
   (iii) पर्यावरण कम से कम हानि हो।
8. विकास की विकेंद्रीकृत पद्धति में स्थानीय विकास योजनाओं के बारे में निर्णय स्थानीय निर्णयकारी संस्थाओं को लेना देना है। इस पद्धति से परंपरागत और आधुनिक स्त्रोतों से मिलने वाली तमाम तरह की तकनीकों के रचनात्मक ढंग से इस्तेमाल को संभव बनाती है।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. विकास की ऐसी रणनीति जिसमें पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मितव्ययता के साथ किया जाये और उन्हें संरक्षित रखा जाए।

2. (i) व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में उनसे परामर्श का अधिकार।
   (ii) आजीविका का अधिकार।
   (iii) नैसर्गिक संसाधनों का अधिकार

3. समर्थकों का दावा है कि इससे बिजली पैदा होगी, काफी बड़े इलाकों मे जमीन की सिंचाई में मदद मिलेगी और सौराष्ट्र व कच्छ के रेगिस्तानी इलाकों को पेयजल भी उपलब्ध हो सकेगा।

4. 1. विकास के अर्थ उन्नति, प्रगति, कल्याण है।
   2. पर्यावरण को नकारात्मक रूप से हानि हुई है पर्यावरण दुषित हुआ है।
   3. पूर्वी तट पर आया तुफान अम्फान।
   4. बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण लोग विस्थापित हुए है।

पाँच अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. (i) प्रति व्यक्ति आय
   (ii) राष्ट्र का विकास

2. (i) जनसंख्या
   (ii) बेरोज़गारी
   (iii) गरीबी
   (iv) अशिक्षा आदि

3. (i) ध्वनि, प्रदूषण
   (ii) पेड़ों का काटा जाना
   (iii) प्रदूषित जल
   (iv) उद्योगों के अवशिष्ट अन्य

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. स्थायी विकास के लिए पर्यावरण तंत्र और औद्योगिक तंत्र के मध्य सही तालमेल तथा संयोजन की आवश्यकता है। विकास के नाम पर औद्योगिकरण द्वारा पर्यावरण को दूषित किया गया है। विकास के लिए आर्थिक रूप और नीतियों का निर्धारण होना चाहिए। मनुष्य के लिए पर्यावरण प्रदूषण को रोकते हुए विकास के कार्यक्रम किए जाने चाहिए। अधिक प्रभावी तथा शक्तिशाली देषों में जीवनशैली के साथ–साथ जीव–जन्तु और मानव को पर्यावरण प्रदूषण से बचाए रखने का प्रमाण होना चाहिए। पर्यावरण को विकास नीतियों के साथ प्रबंध के स्तर पर जोड़ दिया जाना चाहिए। वास्तव में पर्यावरण और विकास नीति एक दूसरे के पूरक हैं। स्थायी विकास तभी संभव है।

2. सामाजिक दुष्परिणाम

    (i) विकासशील देशों की प्रभुसत्ता पर प्रभाव

    (ii) विस्थापीकरण

    (iii) बेरोज़गारी, गरीबी में वृद्धि

    (iv) जनसंख्या के संतुलित वितरण का अभाव

    (v) आर्थिक असमानता

    (vi) संघर्षों व आन्दोलनों का जन्म

3. छात्र स्वयं शिक्षण सामग्री से करें।

अभ्यास प्रश्नपत्र संख्या–I (2021-2022)
राजनीति विज्ञान
कक्षा : XI

समयः 3 घंटे | *अधिकतम अंकः 80*

सामान्य निर्देशः

i) सभी प्रश्न अनिवार्य है

ii) खंड ''ए'' में प्रश्न 1-16 त सभी प्रश्न 1 अंक के हैं।

iii) खंड ''बी'' में गद्यांश पर आधारित प्रश्न संख्या 17 और 18 है। प्रत्येक प्रश्न के चार-चार एक-एक अंक के प्रश्न बहु विकल्प पर आधारित हैं।

iv) खंड ''सी'' प्रश्न संख्या 19-22 में दो अंकीय प्रश्न है। इन प्रश्नों के उत्तर की शब्द सीमा 40 शब्द से अधिक नहीं होनी चाहिए।

v) खंड ''डी'' प्रश्न संख्या 23-27 में चार अंक के प्रश्न है। इन प्रश्नों के उत्तर की शब्द सीमा 100 शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

vi) खंड ''ई'' प्रश्न संख्या 28-29 मानचित्र और कार्टून पर आधारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न पांच अंक का होगा।

vii) खंड ''एफ'' प्रश्न संख्या 30-32 में छः अंक के प्रश्न है। इन प्रश्नों के उत्तर की शब्द सीमा 150 शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

खंड ''ए''

एक अंकीय प्रश्न

1. संविधान क्या है?
2. संविधान क्यों महत्वपूर्ण है?
3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(1) के माध्यम से किसकी स्थापना की गई है?
4. आम चुनाव किसे कहते हैं?
5. कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है?
6. राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है?
7. भारत का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर कार्यरत रह सकता है?

   (a) 60 वर्ष (b) 65 वर्ष

   (c) 70 वर्ष (d) 55 वर्ष
8. संविधान का 73वां संशोधान संबंधित है-

   (a) शहरी स्थानीय शासन (b) ग्रामीण स्थानीय शासन

   (c) केंद्रीय शासन (d) राज्य शासन

9. स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने की थी?

(a) थुंगन समिति ने (b) थॉमस समिति ने

(c) रॉबर्ट समिति ने (d) मंडल समिति में

10. नेल्सन मंडेला का संबंध है:

(a) अफ्रीका से (b) दक्षिण अफ्रीका से

(c) उत्तरी अफ्रीका (d) पश्चिमी अफ्रीका से

11. निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता का रक्षक है?

(a) स्वतंत्र न्यायपालिका (b) एक दलीय प्रणाली

(c) तानाशाही शासक (d) अधिकार न होना

12. प्राकृतिक अधिकार से अभिप्राय है?

(a) वे अधिकार जो प्राचीनकाल में राजा के द्वारा दिए जाते थे।

(b) वे अधिकार जो राज्य की ओर से नागरिकों को दिए जाते हैं।

(c) वे अधिकार जो व्यक्ति को प्रकृति ने दिए हैं।

(d) वे अधिकार जो व्यक्ति की विकास के लिए जरूरी है।

13. शांति, एक ऐसी स्थिति होती हैं जहां किसी प्रकार को कोई ...... नहीं होता है।

14. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को विश्व में .... स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी।

15. विकास है:

(a) गुणात्मक अवधारणा (b) परिमाणात्मक अवधारणा

(c) उपरोक्त (A) और (B) दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

16. निम्नलिखित कथन को शुद्ध करके पुन: लिखिए:

''विकास जीवन की गुणवत्ता तथा प्रति समाज आय में वृद्धि से संबंधित होता है।''

खंड ''बी''

17. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।

दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ। इसे तब बताया गया और लागू किया गया जब रंगभेद वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका से संविधान के अनुसार ''उसके अधिकारों का घोषणा पत्र, दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है।'' यह नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जातिय या सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा और जन्म भेदभाव वर्जित करता है। संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता है।

(a) 1999 (b) 1996

(c) 1998 (d) 1995

17.1 दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार, उसके अधिकारों का घोषणा पत्र किसका आधार है?

(a) गणतंत्र का आधार (b) प्रजातंत्र का आधार

(c) राजतंत्र का आधार (d) कुलीन तंत्र का आधार

17.3 दुनिया में संभवत सबसे अधिक व्यापक अधिकार मिले हैं-

(a) अफ्रीका के नागरिकों को (b) भारत के नागरिकों को

(c) राजतंत्र का आधार (d) कुलीन तंत्र का आधार

17.4 दक्षिण अफ्रीका में संवैज्ञानिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन-सा न्यायालय बनााय गया है?

(a) सर्वोच्च न्यायालय (b) उच्च न्यायालय

(c) अधीनस्थ न्यायालय (d) संवैधानिक न्यायालय

खण्ड 'बी'

18. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।

मुक्त बाजार के समर्थकों का मानना है कि जहां तक संभव हो, व्यक्तियों को संपत्ति अर्जित करने के लिए तथा मूल्य, मजदूरी और मुनाफे के मामले में दूसरों के साथ अनुबंध और समझौतों में शामिल होने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए। उन्हें लाभ की अधिकतम मात्रा हासिल करने हेतु एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंद्विता करने की छूट होनी चाहिए। यह मुक्त बाजार का सरल चित्रण है। मुक्त बाजार के समर्थक मानते हैं कि अगर बाजारों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाए, तो बाजारी कारोबार का योग कुल मिलाकर समाज में लाभ और कर्तव्यों का न्याय पूर्ण वितरण सुनिश्चित कर देगा।

18.1 "मुक्त बाजार" से क्या आशय है?

(a) उद्यमों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखा जाए।

(b) उद्यमों को सरकारी नियंत्रण में रखा जाए।

(c) उद्यमों को बोर्ड के नियंत्रण में रखा जाए।

(d) उद्यमों को बोर्ड के नियंत्रण से मुक्त रखा जाए।

18.2 बाजारों में अधिक से अधिक लाभ कब प्राप्त किया जा सकता है?

(a) सरकारी नियंत्रण के द्वारा

(b) सहकारी समितियों के नियंत्रण के द्वारा

(c) सरकार का प्रतिबंध कम से कम होगा

(d) व्यापारिक बोर्ड के नियंत्रण द्वारा

18.3 मुक्त बाजार का सरल चित्रण क्या होता है?

(a) नियमों कानूनों का भाव हो

(b) एक-दूसरे के साथ प्रतिद्वंदिता करने की छूट होनी

(c) एक-दूसरे के साथ प्रतिद्वंदिता का अभाव हो

(d) बाजार पर सरकारी नियंत्रण हो।

18.4 बाजारों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर देने से क्या लाभ होगा?

(a) समाज में लाभ और कर्तव्यों का न्याय पूर्ण वितरण सुनिश्चित कर देगा

(b) समाज में संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो

(c) समाज में लाभ का समान बंटवारा हो

(d) समाज में व्यापार करने की सभी को छुट हो।

खंड ''सी''

19. न्यायिक पुनरावलोकन से क्या अभिप्राय है?

20. पंचायती संस्थानों में महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है, उससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में क्या बदलाव आया है? स्पष्ट करो।

21. राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत आने वाले किन्हीं दो अधिकारों का नाम लिखिए।

22. ''राष्ट्रवाद ने लोगों को संगठित किया है, साथ ही विभाजित भी किया है''। समझाइए।

अथवा

कानून के शासन का क्या अर्थ है?

खंड ''डी''

23. भारतीय संविधान में वर्णित किन्हीं चार मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए।

24. गठबंधन के युग के कारण प्रधानमंत्री की शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़े हैं? स्पष्ट करें।

25. भारतीय संविधान की चार संघात्मक विशेषताएं लिखिए।

26. ''क्या प्राकृतिक विभिन्नताए सदैव अपरिवर्तनीय होती हैं'' इस संबंध में अपने विचार उदाहरण सहित लिखिए।

अथवा

कानून के शासन से अभिप्राय यह है कि जो अमीर, गरीब, स्त्री और पुरुष, अगड़े और पिछड़े सभी वर्गो के लोगों पर समान रूप से लागू हो।

27. सतत् विकास की अवधारणा क्या है?

अथवा

आज तीव्र विकास की दौड़ में वर्तमान पीढ़ी को कौन-सी जिम्मेदारियों को निभाते हुए विकास करना चाहिए ताकि भविष्य की पीढ़ी उनकी विकास को उचित ठहरा सकें। उपर्युक्त कथन के समर्थन में अपने तर्क दीजिए।

खंड ''ई''

28. दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में पांच द्विसदनात्मक विधानसभा वाले राज्यों के नाम भरिए।

नोट: निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 28 के स्थान पर है।

भारत के ऐसी पांच राज्यों के नाम लिखिए, जहां द्विसदनात्मक विधानसभा में हैं।

29. दिए गए चित्र/कार्टून का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

प्रवासी मजदूरों के बिना भारत के शहरी मधयवर्ग के जीवन का एक दिन

(a) प्रवासी किसे कहते हैं?

(b) प्रवासी लोग शहरों में कौन-कौन सी काम करते हैं?

(c) प्रवासियों के बिना शहरी लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हो सकता है? उदाहरण सहित समझाइए।

नोट: निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 29 के स्थान पर है।

(a) प्रवासी किसे कहते हैं?

(b) प्रवासी लोग शहरों में कौन-कौन सी काम करते हैं?

(c) प्रवासियों के बिना शहरी लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हो सकता है? उदाहरण सहित समझाइए।

खंड ''एफ''

छः अंकीय प्रश्नः

30. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित निम्नलिखित शब्दों को विस्तार समझाइए:

    (a) न्याय (b) स्वतंत्रता (c) समानता (d) बंधुत्व

    (e) धर्मनिरपेक्षता तथा (f) समाजवादी

अथवा

सिद्ध कीजिए कि भारतीय संविधान एक ''पुष्प-गुच्छ'' (Bouquet) की भांति है। जिसमें सभी देशों के पुष्प समाहित है?

31. राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र सविस्तार समझाइए।

अथवा

''राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है।'' इस कथन के औचित्य को तर्क सहित सिद्ध कीजिए।

32. भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जोर धर्म और राज्य के अलगाव पर नहीं अपितु उससे अधिक किन्हीं बातों पर है। इस कथन को समझाइए।

अथवा

भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए।

उत्तरमाला
कक्षा : XI

खंड ''ए''

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. संविधान नियमों, कानूनों और सिद्धांतों का समूह है, जिसके द्वारा किसी राज्य की सरकार शासन करती है।
2. क्योंकि वह समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और साझा विश्वास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(1) के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है।
4. लोकसभा या विधानसभा के निश्चित 5 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने के बाद जो चुनाव होता है उसे आम चुनाव कहते हैं।
5. सरकार का वह अंग जो विधान पालिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है उसे कार्यपालिका कहते हैं।
6. आमतौर पर राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है।
7. (b) 65 वर्ष
8. (b) ग्रामीण स्थानीय शासन
9. (a) थुंगन समित ने
10. (b) दक्षिण अफ्रीका से
11. (a) स्वतंत्र न्यायपालिका
12. (c) वे अधिकार जो व्यक्ति को प्रकृति ने दिए हैं

रिक्त स्थान भरो-

13. तनाव
14. शांति
15. (c) उपरोक्त (A) और (B) दोनों
16. ''विकास जीवन की गुणवत्ता तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से संबंधित होता है।''

खंड ''बी''

17.1 (b) 1996

17.2 (b) प्रजातंत्र का आधार

17.3 (c) दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को
17.4 (d) संवैधानिक न्यायालय
18.1 (a) उद्‌यमों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखा जाए
18.2 (c) सरकार का प्रतिबंध कम से कम होगा
18.3 (b) एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदिता करने की छूट होनी।
18.4 (a) समाज में लाभ और कर्तव्यों का न्याय पूर्ण वितरण सुनिश्चित कर देगा।

खंड ''सी''

19. न्यायपालिका द्वारा पूर्व में अपने दिए गए निर्णय की पुनः जांच करना, न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है।
20. पंचायत संस्थानों में महिलाओं को आरक्षण देने के बाद देश मे अनेकों महिलाएं गांव में सरपंच हैं शहरों में मेयर जैसे पदों पर आसीन हैं। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास आया है। उनकी शक्ति बढ़ी है तथा उनकी राजनीतिक समझ में वृद्धि हुई है।
21. (a) मत देने का अधिकार (b) चुनाव लड़ने का अधिकार
22. राष्ट्रवाद ने उत्कृष्ट निष्ठाओं के साथ-साथ गहरे विद्वेष को भी प्रोत्साहित किया है। इसने जनता को एकत्रित किया है तो विभाजित भी किया है।

अथवा

कानून के शासन से अभिप्राय यह है कि जो अमीर, गरीब, स्त्री और पुरुष, अगड़े और पिछड़े सभी वर्गो के लोगों पर समान रूप से लागू हो।

खंड ''डी''

23. भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य हैं:

    1. संविधान द्वारा स्थापित आदर्शो का पालन करें और उसके आदर्शो, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आद करें।

    2. स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में सजाए रखें और उनका पालन करें।

    3. भारत की प्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करें।

    4. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। (कोई अन्य मौलिक कर्तव्य)

24. गठबंधन के युग के कारण प्रधानमंत्री की शक्तियों पर निम्न प्रभाव पड़ें हैं:

    1. राजनीतिक सहयोगियों से विचार-विमर्श बढ़ा है।

    2. प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन अपनी इच्छा से नहीं कर सकता।

    3. प्रधानमंत्री नीतियों और कार्यक्रमों के लेते नहीं कर सकता।

4. प्रधानमंत्री मध्यस्थता की भूमिका निभाता नजर आता है।

25. भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताएं:

1. शक्तियों का विभाजन 2. स्वतंत्र न्यायपालिका 3. द्विसनीय विधायिका

4. संविधाान की सर्वोच्चता

26. नहीं, प्राकृति विभिन्नताए सदैव अपरिवर्तनी नहीं होती है। चिकित्सा तकनीक वह कंप्यूटर अक्षमता के निराकरण में सहायक हो सकते हैं। प्रसिद्ध भौतिक-विद स्टीफन हॉकिंस का चलने व न बोल पाने के बावजूद भी विज्ञान में योगदान सराहनीय है।

अथवा

मार्क्सवाद व उदारवाद में समानता की अवधारणा को ध्यान में रखकर अंतर स्पष्ट कीजिए।

मार्क्सवाद आर्थिक संशोधन पर जनता का नियंत्रण करके समानता की स्थापना करने के प्रयास में विश्वास रखते हैं, जबकि उदारवादी खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा सभी वर्गों से योग्य व्यक्तियों को बाहर निकालने में यकीन रखते हैं।

27. सतत विकास की अवधारणा के तहत आगामी पीढ़ियों की आवश्यकताओं वह संसाधनों के साथ बिना समझौता किए वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकता को पूरा करने से है।

अथवा

वर्तमान पीढ़ी अगर विकास करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से उनके विकास को उचित ठहर आएगी:

1. पर्यावरण की रक्षा करते हुए विकास करें
2. अर्थव्यवस्था का विकास सबके हित में हो
3. न्यूनतम सामग्री व ऊर्जा का प्रयाग करें
4. विकसित देश अपनी जीवनशैली को बदलें

खंड "ई"

28. द्विसदनात्मक विधानसभा राज्य:

1. उत्तर प्रदेश 2. बिहार, 3. महाराष्ट्र, 4. कर्नाटक, 5. तेलंगा

29. (a) काम की तलाश में लोग एक शहर से दूसरे शहर अथवा एक देश से दूसरे देश की ओर जाते हैं, उन्हें प्रवासी कहा जाता है।

(b) प्रवासी लोग शहरों में घरेलू नौकर, सफाई कर्मचारी, समाचार पत्र वितरक, रेहड़ी पटरी पर सामान बेचना, फेरी लगाकर सामान भेजना, रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली छोटी-छोटी वस्तुओं को साप्ताहिक बाजारों में बेचना आदि काम करते हैं।

(c) प्रवासियों के बिना शहरी लोगों का जीवन बहुत प्रभावित हो सकता है, शहरी लोगों के रोजमर्रा के जीवन में प्रवासियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अभी कोरोनावायरस के काल में जब घरेलू नौकर/नौकरानीया छुट्टी पर चली गई तथा लॉक डाउन लग गया तो शहरी लोगों का जीवन बदहाल हो गया था। शहरी लोगों के जीवन में प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, छोटे-छोटे कामों के लिए शहरी लोग प्रवासियों पर ही आश्रित होते हैं।

खंड ''एफ''

30. न्याय: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना।

स्वतंत्रता: अभिव्यक्ति, विचार, विश्वा, धर्म और कर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता।

समानता: सभी प्रकार के भेदभावों से मुक्ति

बंधुत्व: देश के हर नागरिक के बीच आपीस प्यार/स्नेह के भाव पैदा करना

धर्मनिरपेक्षता: सभी धार्मिक विचारों वाले लोगों को अपना-अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता

समाजवादी: सरकारी का उद्देश्य अधिक से अधिक जनकल्याण, समाज कल्याण तथा लोकहित के कार्य करना हो।

अथवा

भारतीय संविधान एक ''पुष्प-गुच्छ'' इस रूप में है कि इसमें विभिन्न देशों के संवैधानिक सिद्धांत रूपी फूल शामिल किए गए हैं। विभिन्न देशों की अच्छी बातों को संविधान में संभावित किया गया है। जैसे: 1. ब्रिटिश संविधान से-सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून का शासन आदि। 2. अमेरिका के संविधान से-मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। 3. आयरलैंड के संविधान से-राज्य के नीति निदेशक तत्व। 4. फ्रांस के संविधान से-स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। 5. कनाडा के संविधान से अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप तथा आवश्यक शक्तियों का सिद्धांत।

31. राजनीतिक सिद्धांत के विषय क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

1. राज्य व शासन का अध्ययन। 2. सार्वभौमिक मूल्यों का अध्ययन। 3. बहुलवादी समाज का अध्ययन। 4. प्रजातंत्र का अध्ययन। 5. मानव व्यवहार का अध्ययन। 6. राजनीतिक शक्ति का अध्ययन। 7. पिछड़े वर्गों का अध्ययन। 8. अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन। 9. राष्ट्र निर्माण का अध्ययन। 10. पर्यावरण समस्याओं का अध्ययन।

अथवा

राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है। यह कथन सत्य है क्योंकि एक सफल नागरिक के जीवन को सुगम बनाने के लिए राजनीतिक

सिद्धांत मार्गदर्शन का काम करता है, जो निम्न तर्कों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है: 1. राजनीतिक सिद्धांत भविष्य की योजना बनाने में सहायक है। 2. इसके द्वारा अवधारणाओं के निर्माण की प्रक्रिया संभव है। 3. इसके द्वारा राजनीतिक वास्तविकताओं की जानकारी प्राप्त होती है। 4. राजनीतिक सिद्धांत समस्याओं के समाधान में उपयोगी होता है। 5. यह शासन प्रणालियों को समझने की समझ बढ़ाताहै। 6. राजनीतिक सिद्धांत आंदोलनों को भी प्रेरणा प्रदान करते हैं। 7. राजनीतिक सिद्धांत तुलनात्मक अध्ययन की समझ को बढ़ाते हैं। 8. राजनीतिक सिद्धांत सार्वभौमिक शांति स्थापित करने में सहयोग करते हैं।

32. भारतीय धर्मनिरपेक्षता ''धर्म और राज्य'' के ऊपर की जोर नहीं देती है अपितु उससे अधिक अन्य कल्याणकारी, जन सहयोगी तथा विकास की बातों पर जोर देती है। जो निम्न बिंदु द्वारा समझा जा सकता है: 1. लोगों तथा समुदायों के बीच प्रेम और बंधुत्व की भावना पैदा करना। 2. विभिन्न वर्गो के मध्य एकता की भावना पैदा करना। 3. देश की एकता और अखंडता को सर्वोपरि मानने के विचार को बढ़ावा देना। 4. पिछड़ों तथा अल्पसंख्यक लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करना। 5. बहुसंख्यकों तथा अल्पसंख्यकों के मध्य-भाईचारा/सामंजस्य को बढ़ावा देना। 6. अल्पसंख्यकों की संस्कृति एवं भाषा का विकास करना।

अथवा

भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आचोलना के प्रमुख निम्नलिखित हैं: 1. भारतीय धर्मनिरपेक्षता को ''धर्म विरोधी'' कहा जाता है। 2. भारतीय धर्मनिरपेक्षता को पश्चिम से आयातित बताया जाता है। 3. भारतीय धर्मनिरपेक्षता पर अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाता है। 4. भारतीय धर्मनिरपेक्षता पर अतिशय हस्तक्षेपकारी होने का आरोप लगाया जाता है। 5. भारतीय धर्मनिरपेक्षता को वोट बैंक की राजनीतिक बताया जाता है। 6. भारतीय धर्मनिरपेक्षता को एक अंसभव परियोजना भी कहा जाता है।

अभ्यास प्रश्नपत्र संख्या–II

राजनीति विज्ञान

कक्षा : XI

समयः 3 घंटे *अधिकतम अंकः 80*

सामान्य निर्देशः

सभी प्रश्न अनिवार्य है

खंड ''ए''

एक अंकीय प्रश्न

1. संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था?

   (क) डॉ भीम राव अम्बेडकर (ख) डॉ. राजेंद्र प्रसाद

   (ग) जवाहर लाल नेहरू (घ) महात्मा गांधी

2. निम्न में से कौन-सा मौलिक अधिकार नहीं हैं?

   (क) सम्पत्ति का अधिकार (ख) समानता का अधिकार

   (ग) शोषण के विरूद्ध अधिकार (घ) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

3. भारत में लोकसभा व राज्य विधानसभा चुनावों में .... प्रणाली अपनाई जाती है।

4. भारत में राष्ट्रपति चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता?

   (क) लोकसभा के सदस्य

   (ख) राज्यसभा के सदस्य

   (ग) राज्य विधान परिषद के सदस्य

   (घ) राज्य विधानसभा के सदस्य

5. धन विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता हैं?

6. भारत में न्यायपालिका की संरचना निम्न में से किस की तरह है?

   (क) शंकु (ख) पिरामिड

   (ग) आयत (ग) वृत्त

7. सरकारिया आयोग का गठन किस लिए किया गया था?

8. ग्राम सभा का सदस्य कौन-कौन होता हैं?

9. संविधान में संशोधन अनुच्छेद .... के तहत किया जाता है।

10. सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचें की अवधारणा किस वाद में दिया था?

11. महात्मा गांधी ने वास्तविक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्न में से किस पुस्तक में दिया हैं?

    (क) हिन्द स्वराज (ख) मेरे सत्य के साथ प्रयोग

    (ग) यंग इंडिया (घ) नवजीवन

12. स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं?

13. फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा क्या था?

14. समानुपातिक न्याय क्या हैं?

15. मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई थी?

    (क) अमेरिका (ख) संयुक्त राष्ट्र संघ

    (ग) विश्व बैंक (घ) सार्क

16. भारत में .... नागरिकता का प्रावधान हैं।

17. राष्ट्रवाद क्या हैं?

18. अल्पसंख्यक से आप क्या समझते हैं?

19. संरचनात्मक हिंसा का कोई एक उदाहरण दीजिए।

20. विकास से पर्यावरण को क्या नुकसान हुआ?

खण्ड 'ख'

21. संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसलिए महत्वपूर्ण हैं?

22. द्वि सदनात्मक विधायिका का क्या लाभ हैं?

23. नारीवादी किसे कहते हैं?

खण्ड 'ग'

24. विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल क्या समानता के सिद्धांत के विरूद्ध हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।

25. ''चूँकि युद्ध का आरम्भ लोगों के दिमाग में होता हैं, इसलिए शांति के बचाव के बीच भी लोगों के दिमाग में ही रचे जाने चाहिए।'' इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं।

26. ''जनहित याचिकाओं ने न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा दिया हैं'' इस कथन की समीक्षा करें।

अथवा

उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी किस प्रकार माना गया हैं।

27. भारतीय संविधान की सीमाओं पर टिप्पणी लिखो?

खण्ड 'घ'

28. इस फोटो को ध्यान से देखिये और बताओं कि क्या सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार एक बेलगाम हाथी की तरह हैं जिसको संभालना काफी मुश्किल कार्य हैं अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए:

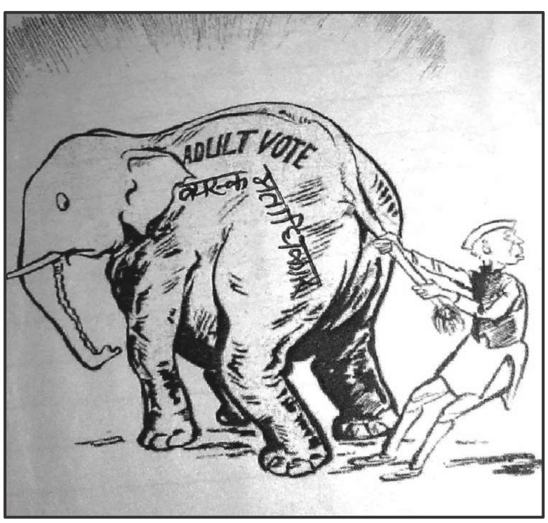

29. ''स्थानीय शासन ने भारत में लोकतंत्र की जड़ों को और गहरा किया हैं'' आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं अपना उत्तर लिखिए।

30. ''धर्मनिरपेक्षता भारतीय मिट्टी में रोपा गया एक पश्चिमी पौधा हैं'' इस पर अपने विचार संक्षिप्त में लिखिए।

31. विकास की अपेक्षा सतत विकास पर जोर देना सदैव फायदेमंद रहा हैं क्या सतत विकास ही वर्तमान समय की मजबूरी बन गया हैं?

खण्ड ''ड'

32. भारत के संविधान को 'उधार का थैला' कहा जाना कहां तक उचित हैं? अपना मत लिखिए।

अथवा

भारतीय संविधान का निर्माण अचानक न होकर एक लम्बी प्रक्रिया के तहत हुआ हैं उस प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।

33. स्वतंत्रता व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के अति आवयश्क हैं स्वतंत्रता के प्रकारों का वर्णन करते हुए अपना उत्तर लिखिए।

अथवा

एक व्यक्ति को दी गई स्वतंत्रता अन्य व्यक्ति के लिए हानि सिद्ध होती हैं स्वतंत्रता के हानि सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए अपना उत्तर लिखिए।

34. अधिकारों की अपेक्षा वर्तमान समय में मानव अधिकारों पर अधिक बल दिया जाता हैं क्यों?

अथवा

बिना जिम्मेदारी के किसी व्यक्ति को अधिकार सोंपना बिना लाइसेंस के किसी व्यक्ति को वाहन चलाने जैसा हैं इस कथन की विवेचना कीजिए।

उत्तरमाला
कक्षा : XI

खंड ''ए''

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. (ग) पंडित जवाहर लाल नेहरू
2. (क) सम्पत्ति का अधिकार
3. सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले की जीत
4. (ग) राज्य विधान परिषद् के सदस्य
5. लोकसभा
6. (ख) पिरामिड
7. केंद्र व राज्यों के संबंधों की समीक्षा करने
8. 18 वर्ष के ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति
9. 368
10. केशवानंद वाद में
11. हिंद स्वराज
12. प्रतिबंधों का अभाव
13. स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व
14. लोगों को उनके प्रयास के पैमाने और योग्यता के अनुपात में पुरस्कृत करना
15. (ख) संयुक्त राष्ट्र संघ
16. इकहरी
17. काल्पनिक समुदाय हैं जो सदस्यों के सामूहिक यकीन, इच्छा, विश्वास पर आधारित होता हैं।
18. ऐसे समुदाय जिनकी संख्या काफी कम होती हैं
19. घरेलू हिंसा
20. पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों की संख्या में वृद्धि हुई हैं
21. संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय जा सकता हैं।
22. यदि एक सदन ने जल्दबाजी में कोई विधेयक पारित कर दिया हैं तो दूसरें सदन में उस में गंभीरता से विचार हो सकता हैं।
23. ऐसे स्त्री या पुरुष जो नारी के अधिकारों की वकालत करते हैं।

24. नहीं, विशेष जरूरत वाले लोगों का विशेष ख्याल रखना समानता के सिद्धांत के विरूद्ध नहीं हैं क्योंकि जिन व्यक्तियों को विशेष आवश्यकता या जरूरत होती हैं उनके लिए विशेष प्रावधान करना अनुचित नहीं हैं जैसे किसी विकलांग व्यक्ति के लिए रैंप का निर्माण करना।
25. शांति के उपाय मनुष्यों के दिमाग में ही होने चाहिए जैसे व्यक्तियों को शांति के लिए मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, उनके मस्तिष्क में आने वाले अशांति के प्रस्तावों का उचित तरीके से समाधान करना चाहिए, मनुष्यों की हर शंकाओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए।
26. जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालयों का हस्तक्षेप बढ़ा हैं जनहित याचिका मुख्यत: जनता की समस्याओं के जुड़ी होती हैं और इन याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय सरकार व अन्य संस्थाओं को निर्देश देता हैं।

अथवा

मूल अधिकारों के हनन को लेकर व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता हैं और उच्चतम न्यायालय इस प्रकार की याचिकाओं को अस्वीकार नहीं कर सकता उच्चतम न्यायालय को ऐसे मामलों की तुरंत सुनवाई करनी पड़ती हैं।

27. लिंगगत न्याय के मुद्दों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया हैं
    - राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत केंद्रीकृत हैं
    - सामाजिक आर्थिक अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया गया है।
28. व्यक्ति मताधिकार सभी व्यक्तियों को समान मताधिकार देता हैं काफी लोगों को राजनीति का ज्ञान नहीं होता है और वे अयोग्य व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं।

    अशिक्षित व्यक्ति को भी प्रतिनिधियों के बारे में अधिक ज्ञान नहीं होता।
29. स्थानीय शासन में सभी व्यक्तियों की प्रत्यक्ष भागीदारी होती हैं वे अपने ग्राम सभा से सदस्य होते हैं व रोजमर्रा के फैसलों में सीधी भागीदारी करते हैं वे अपने प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत जानते हैं जिससे उनका फैसले अधिक लोकतांत्रिक होते हैं।
30. भारत में धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी देशों द्वारा दी गई अवधारणा हैं पश्चिमी देशों राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते बल्कि भारत में सभी धर्मो को बराबर महत्व दिया गया हैं यहां सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता हैं।

31. विकास के कारण पर्यावरण को काफी क्षति हुई हैं वर्तमान समय में सभी देश पर्यावरण संकट से गुजर रहे हैं सतत विकास एक ऐसी अवधारणा हैं जिसमें पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा जाता हैं विकास इस प्रकार किया जाता हैं कि संसाधनों के कम से कम दुरूपयोग हो एवं आने वाली पीढ़ी ले लिए उचित मात्र में संसाधन शेष बच सके।

32. भारत ने विदेशों देशों से अनेक प्रावधान उधार लिए हैं जैसे अमेरिका से मूल अधिकार व राष्ट्रपति का पद, दक्षिण अफ्रीका से संवैधानिक संशोधन, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व

अथवा

भारत का संविधान का अधिकांश अंश पिछले अधिनियमों से लिया गया हैं

- 1919 का मानटेंगयू-चेम्सफोर्स सुधार
- 1935 का भारत सरकार अधिनियम

33. अधिकारों के साथ-साथ जिम्मेदारी के साथ उनका प्रयोग करना आना चाहिए अन्यथा अधिकारों के दुरुरूपयों होने की अधिक आशंका हैं अधिकारों का प्रयोग यदि जिम्मेदारी से नहीं होगा तो इससे अन्य व्यक्तियों को हानि होने की सम्भावना होती हैं।

अथवा

अधिकारों की अपेक्षा मानव अधिकार अधिक प्रचलित हो रहा हैं क्योंकि अधिकारों की अपेक्षा मानव अधिकारों का दायरा विस्तृत हैं एवं मानव अधिकार प्रत्येक मनुष्य को मान होते हैं के नाते प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाते हैं।

34. स्वतंत्रता एक मनुष्य के सम्पूर्ण विकास के लिए अति आवश्यक है क्योंकि स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति को अपने विकास से समान अवसर नहीं मिल सकते ना ही वह व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर पाएगा।

अथवा

यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के प्रयोग द्वारा अन्य व्यक्तियों का हनन करता हैं तो वह दूसरे के लिए उसी मात्रा में हानि सिद्ध होती हैं जिस मात्रा में उस व्यक्ति ने अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग किया हैं अतः स्वतंत्रता का प्रयोग अपनी सीमा में रहते हुए ही करना चाहिए।

अभ्यास प्रश्नपत्र संख्या–III
राजनीति विज्ञान
कक्षा : XI

समयः 3 घंटे | *अधिकतम अंकः 80*

सामान्य निर्देशः
सभी प्रश्न अनिवार्य है

खंड ''ए''

एक अंकीय प्रश्न

1. भारतीय संविधान का निर्माण किसने कियाः

   (a) संविधान सभा (b) भीमराव अंबेडकर

   (c) पंडित जवाहरलाल नेहरू (d) कैबिनेट मिशन

2. न्यायिक सक्रियता का आधार हैः

   (a) अभिलेख न्यायालय (b) अपील न्यायालय

   (c) जनहित याचिका (d) पुनरावलोकन

3. भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता हैः

   (a) प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद (b) राष्ट्रपति

   (c) न्यायपालिका (d) उपराष्ट्रपति

4. बंदी प्रत्यक्षीकरण का अभिप्राय हैः

   (a) व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश किया जाए

   (b) सरकारी अधिकारी को कार्य करने लिए बोला जाए

   (c) निम्न न्यायालय उच्च न्यायालय में आदेश भेंजे

   (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

5. निम्नलिखित में से कौन–सा कथन सत्य है बताए?

   (a) स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में बहुमत प्रणाली को अपनाया गया क्योंकि यह प्रणाली कठिन थी

(b) संविधान में व्यस्क मताधिकार की आयु 25 वर्ष रखी गई थी

(c) भारत में संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है।

(d) राष्ट्रपति का निर्वाचन राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही करते हैं।

6. सत्य/असत्य कथन की पहचान कीजिए।

यदि मंत्री या प्रधानमंत्री पद धारण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं है तो उन्हें 6 महीने के भीतर संसद के किसी एक सदन का सदस्य निर्वाचित होना समाधान की आवश्यकता है।

7. संविधान के मूल ढांचे का जिक्र किस न्यायिक निर्णय में किया गया?

8. रिक्त स्थान की पूर्ति करें।

राज्यसभा का पदेन सभापति .... होता है।

9. एक राजनीति विज्ञान के छात्र के लिए राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना क्यों आवश्यक है कोई एक कारण बताएं।

10. स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उचित प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों हैं?

12. विभेदक बर्ताव से आप क्या समझते हैं स्पष्ट करें।

13. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सतत विकास के बारे में असत्य है? सतत विकास से अभिप्राय हैं

(a) सतत विकास में आगामी पीढ़ियों को ध्यान में रखा जाता है।

(b) सतत विकास आवयकताओं को पूरा करने की संकल्पना है।

(c) सतत विकास निशस्त्रीकरण से संबंधित अवधारणा है।

(d) सतत विकास विकास आवश्यकता व संसाधनों के साथ बिना समझौता के वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने से है

14. अधिकार तथा दावे में एक अंतर बताएं।

15. शरणार्थी की परिभाषा दीजिए।

16. किस संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्षता शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया?

17. अवतरण पढ़ें तथा प्रश्नों के उत्तर दें।

जहां एक और राज्य जहां एक और राज्य अधिक स्वायत्तता और आय के स्रोतों पर

अपनी हिस्सेदारी के सवाल पर केंद्र के साथ विवाद की स्थिति में रहते हैं वही दूसरी ओर संघीय व्यवस्था में सीमाओं से अधिक राज्यों में आपसी विवाद के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। यह सच है कि कानूनी विवादों में न्यायपालिका निर्णायक भूमिका निभाती है लेकिन इन विवादों का स्वरूप मात्र कानूनी नहीं होता इन विवादों के राजनीतिक पहलू भी होते हैं। अतः इनका सर्वोत्तम समाधान केवल विचार विमर्श और पारस्परिक विश्वास के आधार पर ही हो सकता है। केंद्र और राज्यों में इस कारण से विवाद रहता है।

1. राज्यों में आपसे विवाद का कोई एक कारण बताएं।

2. कानूनी विवादों को कौन हल कर सकता है?

3. भारत में किस प्रकार की न्याय प्रणाली को अपनाया गया?

4. क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान किस प्रकार कुशलतापूर्वक निकाला जा सकता है।

18. अवतरण को पढ़े तथा प्रश्नों के उत्तर दे:

यद्यपि बाहरी रूप में लोगों में विविधता तथा अनगिनत विभिन्नता थी परंतु हर जगह एकात्मकता जबरदस्त छाप थी जिसने हमें युगों तक जोड़ें रखा चाहे हमें जो भी राजनीतिक सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य झेलना पड़ा हो।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. उपरोक्त कथन किसका है?

2. लेखक किस विविधता और विभिन्नता की बात कर रहा है?

3. राष्ट्र के निर्माण में इतिहास का क्या योगदान रहता है?

4. राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं।

19. संरचनात्मक हिंसा के कोई दो रूप बताएं।

20. सरकारी विधेयक तथा गैर सरकारी विधेयक के बीच अंतर समझाएं।

21. एकीकृत न्याय प्रणाली से क्या अभिप्राय है? समझाएं।

22. क्या आप समझते हैं कि नागरिकों के दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान स्थानीय निकाय कुशलतापूर्वक कर पाते हैं?

23. संघवाद की किन्हीं दो विशेषताओं का संक्षिप्त उल्लेख करें।

24. भारतीय संविधान सभा के स्वरूप पर प्रकाश डालें।

25. किसी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि उस समाज में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की गरीमा एवं मर्यादा बनी रहे।

25. क्या आप इस कथन से सहमत है भारतीय संघवाद की विशेषताएं उसका विशिष्ट एवं अन्य संघवादी प्रवृत्तियों से अलग बनाती है इस कथन को ध्यान में रखते हुए भारतीय संघवाद की विशेषताओं का उल्लेख करें।

26. भारतीय संविधान समय, परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भारतीय संविधान गतिहीन एवं अपरिवर्तनीय है। इस कथन की पुष्टि करें।

27. भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन पर एक निबंध लिखें।

28. निम्नलिखित कार्टून को ध्यान से पढ़ें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।

1. लेखक इस कार्टून के विषय में क्या बताने की कोशिश कर रहा है?
2. सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या सिद्धांत है?
3. क्या आप मानते हैं कि संसदात्मक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री का स्थान सर्वोपरि है?
4. संसदात्मक व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका कौन है?

29. निम्नलिखित कार्टून को ध्यान से देखें तथा दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें।

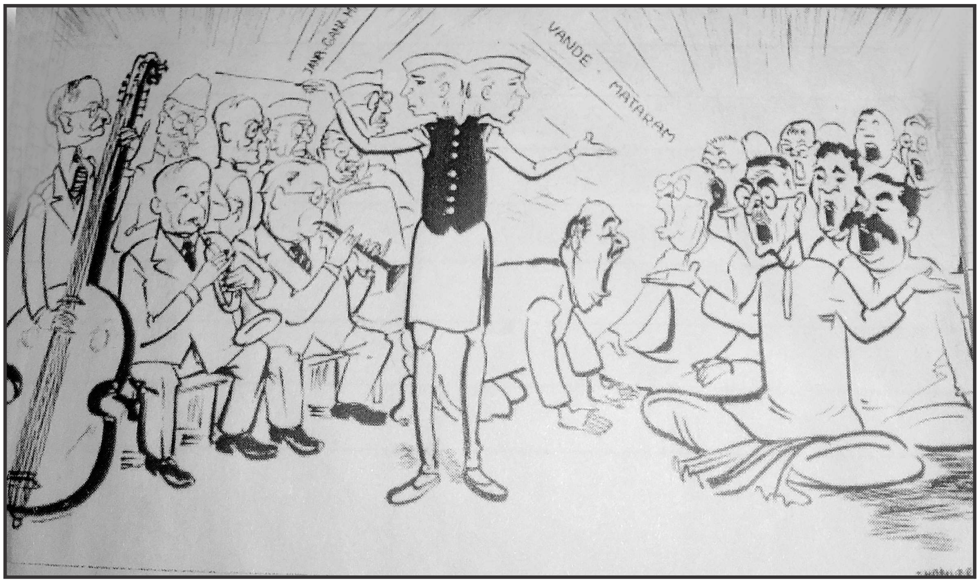

1. इस चित्र में बीच में खड़ा व्यक्ति कौन है?
2. यह व्यक्ति क्या समझाने की कोशिश कर रहा है?
3. क्या वह व्यक्ति तत्कालीन परिस्थितियों को मैं संतुलन स्थापित करने में सफल रहा?
4. क्या विभिन्नताओं व मतभेदों में तादात्मय स्थापित करना सम्भव है?

30. केवल कानून निर्माण ही नहीं अपितु संसद अनेक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है इस कथन को स्पष्ट करते हुए संसद के कार्यो का उल्लेख करें।

अथवा

स्वतंत्रता का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति तभी कर सकता है जबकि वह दूसरें की स्वतंत्रता का सम्मान करें आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

31. एक सभ्य समाज में समाजिक न्याय अपरिहार्य है क्या आप इस कथन से सहमत हैं?

अथवा

आज के भी हमारे विश्व में कुछ ऐसी समस्याएं हैं व्यापक समस्याएं है जिनसे विश्व आज भी जूझ रहा है ऐसी किन्हीं तीन समस्याओं का सविस्तार उल्लेख करें तथा साथ ही उनका समाधान भी प्रस्तुत करें।

32. राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता एवं उपयोगिता क्या है? सविस्तार समझाइए।

अथवा

बदलते परिदृश्य में भारतीय संसदात्मक व्यवस्था में चुनाव सुधारों के नितांत आवश्यकता है किन्हीं 6 सुधारों का उल्लेख करें जो आपके विचार में बेहद आवश्यक है।

उत्तरमाला

कक्षा : XI

खंड "ए"

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया।
2. न्यायिक सक्रियता का आधार है जनहित याचिका।
3. संविधान का संरक्षक न्यायपालिका को कहा जाता है।
4. प्रत्यक्षीकरण से अभिप्राय है व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश किया जाए।
5. संविधान में व्यस्क मताधिकार की आयु 25 वर्ष रखी गई थी।
6. यह कथन सत्यहै।
7. संविधान के मूल ढांचे का जिक्र केशवानंद भारती के वाद में किया गया ।
8. उपराष्ट्रपति
9. एक राजनीति विज्ञान के छात्र के लिए राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना आवश्यक है। क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत की सहायता से विभिन्न अवधारणाओं का ज्ञान होता है।
11. स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि उचित प्रतिबधों के फलस्वरूप ही प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का पालन समुचित प्रकार से कर सकता है।
12. जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है उनके साथ विभिन्न ढंग से बर्ताव करके उनका ख्याल किया जाना चाहिए।
13. सतत विकास निशस्त्रीकरण से संबंधित अवधारणा है।
14. दावों की गारंटी राज्य के संविधान द्वारा नहीं वही मौलिक अधिकारों की गारंटी राज्य के संविधान द्वारा।
15. युद्ध अकाल या प्राकृतिक आपदाओं से विस्थापित लोग।
16. संविधान संशोधन 42वें के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया।

17. 1. सीमा विवाद, 2. न्यायालय, 3. एकीकृत न्याय प्रणाली, 4. आपसी विचार विमर्श तथा पारस्परिक विश्वास के आधार पर

18. 1. जवाहरलाल नेहरू, 2. लोगों की विविधता तथा विभिन्नता, 3. इतिहास ने सभी लोगों को आपस में जोड़ कर रखा 4. राष्ट्रवाद अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास इच्छाओं कल्पनाओं विश्वास आदि के आधार पर गठित होता है यह ऐसी मान्यताओं पर आधारित होता है जिससे वह अपने सामूहिक पहचान बनाते हैं।

19. जातिगत हिंसा, पितृसत्ता के आधार पर आधारित हिंसा।

20. सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा प्रस्ताव किए जाते हैं। वहीं गैर सरकारी विधेयक संसद का कोई सदस्य जो मंत्रिपरिषद में नहीं है, पेश कर सकता है।

21. एकीकृत प्रणाली से अभिप्राय है समूचे देश में एक सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना।

22. निश्चित रूप से नागरिकों के दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान स्थानीय निकाय कुशलतापूर्वक कर पाते हैं क्योंकि स्थानीय निकाकय वहां दिन प्रतिदिन की धन-धन समस्याओं से अवगत होते हैं। संघवाद की दो विशेषताएं हैं दोहरीनागरिकता सर्वोच्च न्यायपालिका।

23. भारतीय संविधान सभा का स्वरूप प्रकार है प्रतिनिधिपरक, सभी समुदाय की भागीदारी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अन्य बिंदु जो आपको लगे कि देना आवश्यक है।

24. मौलिक अधिकारों का बने रहना, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न होना, अनुचित व्यवहार पर प्रतिबंध, सभी के मौलिक अधिकारों का सम्मान, सामाजिक न्याय की स्थापना जैसे मूल्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफल बनाने में आवश्यक है।

25. भारतीय संघवाद की कुछ ऐसे विशेषताएं हैं जो अन्य संघवादी प्रवृत्तियों से अलग एवं विशिष्ट बनाती हैं इकहरी नागरिकता, राज्यों की अपेक्षा संघ को अधिक शक्तियां।

26. संविधान समय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था, लेकिन यह भी समझना होगा कि भारतीय संविधान अपरिवर्तनीय नहीं है। भारतीय संविधान में संशोधन करने के तीन प्रावधान है साधारण बहुमत से संशोधन तथा राज्यों की विधायकों के समर्थन से। समय-समय पर भारतीय संविधान में परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संशोधन किए गए हैं। यह ध्यान में रखने योग्य बात है कि अभी तक भारतीय संविधान में 100 से अधिक संविधान संशोधन चुके हैं इसीलिए यह कहना सही नहीं है कि भारतीय संविधान गतिहीन तथा अपरिवर्तनीय है। अपितु भारतीय संविधान गत्यात्मकता एवं परिवर्तन का अनूठा मिश्रण है।

27. भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन का सार यही है कि लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे स्वतंत्रता समानता सामाजिक न्याय अधिकार जैसे इत्यादि को लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थान दिया जाए विद्यार्थी विस्तारपूर्वक इनके संबंध में लिखें।

28. 1. लेखक कार्टून के विषय में यह बताने की कोशिश कर रहा है कि संसदात्मक व्यवस्था में प्रधानमंत्री का स्थान सर्वोपरी है।

    2. सामूहिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य है कि लोकसभा में यदि मंत्री परिषद के किसी एक मंत्री के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो संम्पूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा।

    3. निश्चित रूप से यह सही है कि संसदात्मक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री का स्थान सर्वोपरि है क्योंकि प्रधानमंत्री ही मंत्री परिषद का निर्माण करता है तथा मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सरकार की दूरी पर बनता है अन्य कारणों को भी लिखें।

29. 1. इस चित्र में खड़े व्यक्ति पंडित भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है।

    2. इस चित्र में खड़े व्यक्ति पंडित भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है।

    3. निश्चित रूप से तत्कालीन परिस्थितियों में तत्कालीन परिस्थितियों में संतुलन स्थापित संभव हो पाया तथा उदारवादी में समाजवादी दोनों ही प्रकार के राजनीतिक एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को भारतीय संविधान में स्थान मिला।

30. आप संसद के कार्यो में वाद-विवाद का मंच जनप्रतिनिधियों का मन, जन समस्याओं का समाधान जैसे संसद के कार्यो का उल्लेख करेंगे।

अथवा

स्वतंत्रता का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति तभी कर सकता है जबकि वह दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करें। यह कथन निश्चत रूप से सत्य है क्योंकि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता तभी बनी रहेगी। जब दूसरे व्यक्ति उसकी स्वतंत्रता को सम्मान देंगे। इस कथन को विस्तारपूर्वक विश्लेषण सहित इसका उत्तर दे।

31. एक सभ्य समाज में सामाजिक न्याय नितांत आवश्यक है क्योंकि एक सभ्य समाज की नींव सामाजिक न्याय जिसमें धर्म, जाति भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं किया जाए। कानून के शासन को महत्व दिया जाए। सभी को समान हक दिया जाए।

अथवा

आज विश्व में कई ऐसे समस्याएं हैं जिनसे संपूर्ण विश्व जूझ रहा है। अपने विचार में किन्हीं तीन समस्याओं का उदाहरण दें।

पर्यावरण संकट

वैश्विक महामारी

शरणार्थियों की समस्या

इनका समाधान भी प्रस्तुत करें।

32. राजनीतिक सिद्धांत लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता जैसे जैसी अवधारणाओं को स्पष्ट करता है। तथा कानून के शासन, शक्ति का पृथक्करण, न्याय पुनरावलोकन जैसे सिद्धांतों का महत्व भी बताता है। विस्तारपूर्वक लिखें।

अथवा

भारतीय चुनाव व्यवस्था में बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए चुनाव सुधारों की असीम संभावनाएं हैं। छात्र अपनी समझ से उन छह सुधारों का उल्लेख यहां करें जो उनके दृष्टिकोण में आवश्यक है।

अभ्यास प्रश्नपत्र संख्या–IV
राजनीति विज्ञान
कक्षा : XI

समयः 3 घंटे	*अधिकतम अंकः 80*

सामान्य निर्देशः

सभी प्रश्न अनिवार्य है

खंड ''क''

एक अंकीय प्रश्न

1. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन इस बात की बेहतर दलील है कि संविधान की प्रमाणिकता संसद से ज्यादा है? 1

   (क) संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था

   (ख) संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कहीं बड़े नेता थे

   (ग) संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनायी जाए और इसे कौन-कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी?

   (घ) संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती।

2. निम्नलिखित में से कौन-सा वाक्य सही है?

   संविधान में समय-समय पर संशोधन करना आवश्यक है, क्योंकिः

   (क) परिस्थितियां बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है।

   (ख) किसी समय विशेष में लिखा गया दस्तावेज कुछ समय बाद अप्रासंगिक हो जाता है।

   (ग) हर पीढ़ी के पास अपनी पसंद का संविधान चुनने का विकल्प होना चाहिए।

   (घ) संविधान में मौजूदा सरकार का राजनीतिक दर्शन प्रतिबिंबित होना चाहिए।

3. उत्तरप्रदेश और भारत सरकार के मध्य विवाद की सुनवाई .... करेगा।

4. निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके दोबारा लिखिए।

   पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। हर पंचायती निकाय की अवधि छः वर्ष की होती है।

5. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:

   .... को संयुक्त राष्ट्र की .... ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार और लागू किया।

6. किसने कहा है?

   'राजनीतिक ने हमें साँप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं।'

7. प्राकृतिक अधिकार वह होते हैं जो हमें प्रदान किए गए हैं-

   (क) संविधान द्वारा (ख) संसद द्वारा

   (ग) प्रकृति अथवा ईश्वर द्वारा (घ) शासक द्वारा

8. फुटपाथी दुकानदारों के लिए कब और कौन-सी नीति अपनाई गई है?

9. युद्ध से बचने के उपाय हैं:

   (क) अन्तर्राष्ट्रीय कानून (ख) शक्ति-संतुलन

   (ग) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (घ) उपरोक्त सभी

10. पंचायती राज में कुल सीटों का एक तिहाई भाग .... के लिए आरक्षित किया गया है।

    (क) पिछड़ी जातियों (ख) अनुसूचित जनजातियों

    (ग) अनुसूचित जाति की महिलाएं (घ) महिलाएं

11. मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब समाहित किया गया?

12. भारत के वर्तमान राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का नाम लिखिए।

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें:

13. प्रस्तावित कानून के प्रारूप को .... कहते हैं।

14. भारत का सर्वोच्च न्यायालय .... में स्थित है।

15. राज्य सूची में .... विषय हैं।

16. भारतीय धर्मनिरपेक्षता की कोई एक विशेषता लिखिए।

17. दूसरे विश्वयुद्ध के बाद इन देशों ने सैन्य बल नहीं रखने का फैसला लिया।

(क) जर्मनी व जापान (ख) जापान व कोस्टा रिका

(ग) क्यूबा व कोस्टारिका (घ) क्यूबा व जर्मनी

18. राज्य और राष्ट्र में कोई एक अन्तर लिखिए।

19. UNDP का पूर्ण रूप लिखिए।

20. नर्मदा बचाओं आंदोलन का एक कारण लिखिए।

खण्ड 'ख'

21. क्या गंभीर अपराध में सम्मिलित अपराधी के चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध होना चाहिए?

22. राजनीत सिद्धांत के किन्हीं दो विषय क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए।

अथवा

राजनीति सिद्धांत के अध्ययन के कोई दो लाभ बताइए।

23. भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है?

अथवा

''लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है।'' टिप्पणी कीजिए।

खण्ड 'ग'

24. जिस तरह विकास अधिकतर देशों में अपनाया जा रहा है उससे पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभावों का वर्णन कीजिए।

25. सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है?

अथवा

रॉल्स के न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए।

26. समानता के किन्हीं चार प्रकारों (रूपों) का वर्णन कीजिए।

27. भारतीय संविधान की ऐसी चार विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जिसमें प्रादेशिक सरकार की अपेक्षा केन्द्रीय सरकार को ज्यादा शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड 'घ'

28. निम्नलिखित अवतरण को पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र है, समाज से बाहर नहीं और इसीलिए वह इस समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं, जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करें। दूसरी ओर नकारात्मक स्वतंत्रता का सरोकार अहस्तक्षेप के अनुलंघनीय क्षेत्र से है, इस क्षेत्र से बाहर समाज की स्थितियों से नहीं। नकारात्मक स्वतंत्रता अहस्तक्षेप के इस छोटे क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहेगी। हालांकि ऐसा करने में वह समाज के स्थायित्व को ध्यान में रखेगी। आमतौर पर दोनों तरह की स्वतन्त्रताएं साथ-साथ चलती हैं और एक-दूसरे का समर्थन करती हैं लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि निरंकुश शासक सकारात्मक स्वतन्त्रता के तर्कों का सहारा लेकर अपने शासक को न्यायोचित सिद्ध करने की कोशिश करें।

(i) नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है?

(ii) सकारात्मक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है?

(iii) गद्यांश के अनुसार, 'सकारात्मक स्वतंत्रता के विपक्ष में क्या तर्क दिया गया है?

29. दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए-

1982 के एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। अनेक फ्लाई ओवरो और स्टेडियमों का निर्माण करना था और इसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में मिस्त्री और मजदूरी की भर्ती की। लेकिन मजदूरों से कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया गया। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन करके सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उन्होंने दलील दी कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना 'बेगार' या 'बंधुआ मजदूरी' जैसा है और नागरिकों को प्राप्त 'शोषण के विरूद्ध' मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि वह इन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाए।

(i) 'बंधुआ मजदूरी' पद का क्या अर्थ है?

(ii) अनुच्छेद में वर्णित घटना में किन दो मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है?

(iii) यदि निर्माण करने वाले ठेकेदार के साथ काम करने वाले लोग इंजीनियर होते, तो क्या उनेक अधिकारों का भी उल्लंघन होता और नहीं, तो क्यों?

30. निम्नलिखित कार्टून का अध्ययन कीजिए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए–

(i) चित्र में नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन है? उसके सबसे आगे होने का क्या अभिप्राय है?

(ii) प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने के लिए दो कारण लिखिए।

(iii) प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है?

अथवा

केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 30 के स्थान पर है?

''प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा संसद के बीच एक सेतु का काम करता है'' स्पष्ट कीजिए।

31. दिए गए मानचित्र में पाँच राज्य A, B, C, D तथा E चिह्नि किए गए हैं। दी गई जानकारी के आधार पर उनकी पहचान कीजिए तथा अपनी उत्तर-पुस्तिका में उनके सही नाम, प्रयोग की गई जानकारी की क्रम संख्या तथा सम्बन्धित अक्षर निम्नलिखित तालिका के अनुसार लिखिए।

(i) सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित राज्य

(ii) सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य

(iii) सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य

(iv) 'मुंबई मुंबईकर के लिए' नारा इस राज्य में दिया गया।

(v) संविधान की धारा 371A के तहत विशेष दर्जा प्राप्त राज्य

प्रयोग की गई जानकारी की क्रम संख्या	**संबंधित अक्षर**	**राज्य का नाम**
i.		
ii.		
iii.		
iv.		
v.		

अथवा

नोट: निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधिक परीक्षार्थियों हेतु प्रश्न संख्या 31 के स्थान पर हैं।

निम्न प्रश्नों के उत्तर में राज्य का नाम लिखिए।

(i) नर्मदा नदी पर बनने वाली सरदार सरोवर परियोजना से सम्बन्धित राज्य

(ii) द्विसदनीय विधायिक वाले दो राज्य

(iii) सबसे अधिक व सबसे कम राज्य सभा सीटों वाले राज्य

खण्ड 'ड'

32. भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

अथवा

"भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का समूह है।" व्याख्या कीजिए।

33. राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले कारकों को उदाहरण सहित लिखिए।

अथवा

भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जोर धर्म और राज्य के अलगाव पर नहीं, वरन् उससे अधिक किन्हीं बातों पर है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए।

34. लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यों का उल्लेख कीजिए।

अथवा

मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में उच्चतम न्यायालय की भूमिका लिखिए।

नोट्स